अष्टम माला, खंड 46, अंक 3

गुरुवार, 23 फरवरी, 1989
4 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

LIBRARY
No B 60
Date 17/7/89

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण
गुरुवार, 23 फरवरी, 1989/4 फाल्गुन, 1910 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
12	17	"मानसिक रेड्डी" के स्थान पर "मानिक रेड्डी" पढ़िये।
60	नीचे से 4	शीर्षक में "बाड़" के स्थान पर "बाढ़" पढ़िये।
61	10	"बी0गस0 विजयराघवन" के स्थान पर "वी0एस0 विजयराघवन" पढ़िये।
62	नीचे से 9	"धर्मपाल सिंह" के स्थान पर "धर्मपाल सिंह" पढ़िये।
74	10	"आर0एस0 भोये" के स्थान पर "आर0एम0 भोये" पढ़िये।
97	8	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अंतः स्थापित करिये।
107	नीचे से 4	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
114	13	"के0के0पी0उन्नीकृष्णन" के स्थान पर "के0पी0उन्नीकृष्णन" पढ़िये।
129	2	प्रश्न संख्या "278" के स्थान पर "279" पढ़िये।
142	नीचे से 9	"घोलय" के स्थान पर "घोलप" पढ़िये।
147	नीचे से 2	"(क)" के स्थान पर (क) और (ख) पढ़िये।
147	नीचे से 9	"वक्कम पुरुषोत्तमन" के स्थान पर "वक्कम

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 23 फरवरी, 1989/4 फाल्गुन, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पंक्ति	शुद्धि
17	"मानसिक रेड्डी" के स्थान पर "मानिक रेड्डी" पढ़िये।
नीचे से 4	शीर्षक में "बाढ़" के स्थान पर "बाढ़" पढ़िये।
10	"बी०एस० विजयराघवन" के स्थान पर "वी०एस० विजयराघवन" पढ़िये।
नीचे से 9	"धर्मपाल सिंह" के स्थान पर "धर्मपाल सिंह" पढ़िये।
16	"आर०एस० भोये" के स्थान पर "आर०एम० भोये" पढ़िये।
8	मंत्री के नाम के पश्चात् "(क)" अंतःस्थापित करिये।
नीचे से 4	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
13	"के०के०पी० उन्नीकृष्णन" के स्थान पर "के०पी० उन्नीकृष्णन" पढ़िये।
2	प्रश्न संख्या "278" के स्थान पर "279" पढ़िये।
नीचे से 9	"घोलप" के स्थान पर "घोलप" पढ़िये।
नीचे से 2	"(क)" के स्थान पर (क) और (ख) पढ़िये।
नीचे से 9	"वक्कन पुरुषोत्तमन" के स्थान पर "वक्कम पुरुषोत्तमन" पढ़िये।
12	मंत्री के नाम के पश्चात् "(क)" अंतःस्थापित करिये।
2	"(क) और (घ)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये।
13	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 46, तेरहवां सत्र 1989/1910 (शक)

अंक 3 गुरुवार, 23 फरवरी, 1989/4 फाल्गुन 1910 (शक)

विषय			पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर			
*तारांकित प्रश्न संख्या	: 22, 24 से 26, 28, 30 से 32 और 34	...	1-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर			
तारांकित प्रश्न संख्या	: 23, 29 और 35 से 40	...	23-30
अतारांकित प्रश्न संख्या	: 185 से 207, 209 से 283 और 285 से 373	...	30-201
सभा पटल पर रखे गए पत्र		...	202-204
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति		...	205
51वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश			
पशुओं और पक्षियों की बलि के बारे में दिनांक 1-12-88 के तारांकित प्रश्न संख्या 295 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण			
श्री श्याम लाल यादव		...	205
विशेषाधिकार समिति		...	206-209
प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए समय का बढ़ाया जाना			
श्री शरद दिघे		...	206-209
श्री सुरेश कुरुप		...	206-207
श्री मधु दंडवते		...	206-209

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

कार्य-मंत्रणा समिति ... 209-210

65वां प्रतिवेदन

रेल बजट 1989-90 ... 210-228

श्री माधवराव सिंधिया ... 210-229

नियम 377 के अधीन मामले ... 229-232

(एक) जनगणना निदेशालय में 1961 में बनाए गए अस्थायी पदों को समाप्त करने वाले आदेश को वापस किए जाने की आवश्यकता

श्री के. एन. प्रधान ... 229

(दो) पेय जल परियोजनाओं के लिए अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

डा. फूलरेणु गुहा ... 229

(तीन) उत्तरप्रदेश में खलीलाबाद में एक कैंसर संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी ... 229-230

(चार) भू-जल संगठन को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी. एस. बासवराजू ... 230

(पांच) गुजरात के किसानों के फसल बीमा दावों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाना

श्री शांति लाल पटेल ... 230

(छः) ग्रामीण बेरोजगारी दूर किये जाने और ग्रामीण लोगों की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए जाना

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 231

(सात) उड़ीसा के गंजम जिले में एक कृषि कालेज स्थापित किए जाने की संभाव्यता का अध्ययन किए जाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विशेषज्ञों का एक दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ ... 231

(आठ) भारत एल्युमिनियम कम्पनी के मुख्यालय को दिल्ली से मध्य प्रदेश में बिलासपुर या कोरबा में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

डा. प्रभात कुमार मिश्रा ... 231-232

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक ... 232-253

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस.बी. चव्हाण ... 232-253

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस. बी. चव्हाण ... 238-250

श्री जी. एम. बनातवाला ... 250-251

श्री ए. चार्ल्स ... 251-252

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ... 253-329

श्री बी. एन. गाडगिल ... 253-263

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया ... 264

श्री सी. माधव रेड्डी ... 265-273

डा. गौरी शंकर राजहंस ... 304-307

श्री तम्पन थामस ... 307-312

श्री एन. टोम्बी सिंह ... 312-316

श्री अब्दुल रशीद काबुली ... 316-326

कुमारी ममता बनर्जी ... 326-329

लोक सभा

गुरुवार, 23 फरवरी, 1989/4 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

***22. श्री बसुदेव आचार्य :**

+

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान की सहायता से बर्नपुर इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण की एक योजना स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप अनेक नियमित और ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की छंटनी होने की संभावना है;

(घ) क्या इस बारे में कम्पनी के मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी (जाइका) द्वारा तैयार की गई शक्यता रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर विचार करके सरकार ने 'इस्को" के बर्नपुर कारखाने के आधुनिकीकरण के बारे में स्वीकृति सिद्धांत रूप में प्रदान कर दी है।

(ख) "जाइका" ने निम्नलिखित मुख्य सुविधाओं का सुझाव दिया है :

(1) भारी क्षमता की एक बैटरी स्थापित की जाए;

(2) सिन्टरिंग सुविधाएं लागू की जाएं;

(3) वर्तमान चार भट्टियों के स्थान पर 2250 घन मीटर आकार की दो आधुनिक धमन भट्टियां स्थापित की जाएं;

(4) इस्पात बनाने की वर्तमान सुविधाओं को समाप्त किया जाए और दो लाइम कैल्सिनिंग प्लांट सहित 130 टन की तीन बेसिक आक्सीजन भट्टियां स्थापित की जाएं;

(5) निरन्तर ढलाई प्रक्रिया लागू की जाएं;

(6) वर्तमान मिलों को समाप्त किया जाए और उनको फिर से बनाया जाए तथा दो छड़ तथा सेक्शन मिलों को लगाया जाए;

(7) निजी विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाए।

(ग) किसी भी नियमित श्रमिक की छंटनी नहीं की जाएगी। ठेका श्रमिकों की आवश्यकता समय-समय पर होने वाले कार्य की मात्रा पर निर्भर करेगी।

(घ) और (ङ) जी, हां। "इस्को" के आधुनिकीकरण तथा इसके कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में 'इस्को" के 5 मजदूर संघों नामतः 'इन्टक", एच.एम.एस., एटक, सीटू और बी.एम.एस. के प्रतिनिधियों के साथ अभी बातचीत चल रही है।

श्री बसुदेब आचार्य : इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड हमारे देश में स्टील तैयार करने की सबसे पुरानी कम्पनी है। इस कम्पनी का प्रबन्ध सरकार ने 1912 में अपने हाथ में लिया था। इस कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का उद्देश्य कम्पनी को फिर से चलाने का था क्योंकि निकट भविष्यमें टैक्नोलाजीकल दृष्टि से खराबी हो जाने के कारण इसे खतरा बढ़ गया था। इस कम्पनी का तब 1976 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन सरकार ने 1976 में इस कम्पनी को फिर चलाने के लिए कुछ नहीं किया केवल कुछ छुटपुट कार्य किया गया था।

अब इसे आधुनिक किये जाने की तत्काल आवश्यकता है। हम इस सदन में भी इस कम्पनी के आधुनिक बनाए जाने की मांग करते रहे हैं क्योंकि इस्को में जो डुप्लेक्स पद्धति है वह विश्व में और कहीं नहीं है। लेकिन अब इस पद्धति से वहां स्टील का उत्पादन किया जा रहा है।

सरकार ने श्रमिकों और इस्को के संघों को दिए गए सभी आश्वासनों का उल्लंघन किया है। पहले ही धीरे-धीरे एक यूनिट बन्द कर दी गई है और अन्य तीन-चार यूनिटों को बन्द करने का कार्यक्रम है और जब इन सभी यूनिटों को बन्द कर दिया जाएगा तो उनमें काम करने वाले 5000 श्रमिक फालतू हो जाएंगे।

क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इस समझौते को अन्तिम रूप कब दिया गया था क्या सरकार ने यह हिसाब लगाया है कि इसके आधुनिकीकरण के बाद कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी और कितने श्रमिक फालतू हो जाएंगे, क्या 30 अतिरिक्त श्रमिकों को फिर से लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं क्या आपकी अपने प्रश्न का उत्तर जानने की कोई धारणा है।

श्री एम.एल. फोतेदार . मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि "इस्को" संयंत्र में से एक है। यह संयंत्र इतना पुराना है कि सरकार ने अपनी समझदारी से इसको आधुनिक बनाने का निर्णय किया है। मुझे माननीय सदस्य को यह बताने में खुशी हो रही है कि सरकार ने इस्को को आधुनिक बनाने के लिए सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दे दी है। इस तरह इस्पात संयंत्र और इससे भी बढ़कर 'इस्को' से श्रमिक वर्ग की ओर मेहनत प्रतिबिम्बित होती है।

मैं माननीय सदस्यों यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत किसी इस्पात संयंत्र के किसी भी नियमित कर्मचारी की छटनी करने का न तो हमारा विचार है और न ही हमारी कोई धारणा है। यह आश्वासन मैं हमेशा देता रहा हूं और यही आश्वासन मैं आज भी दे रहा हूं।

श्री बासुदेव आचार्य : उन्होंने नियमित कर्मचारियों के बारे में आश्वासन दिया है लेकिन 3500 ठेका श्रमिक हैं जोकि इस संयंत्र के अन्दर बारहमासी स्वरूप का कार्य कर रहे हैं और जो इस संयंत्र के उत्पादन के साथ संबंधित हैं। अतः इसके आधुनिक बनाए जाने के बाद इन 3500 श्रमिकों के बारे में क्या होगा जो कई वर्षों से उसमें कार्य कर रहे है ? सभी संघों ने सर्वसम्मति से यह मांग की है कि इन 3500 ठेका श्रमिकों को यहां खपाया जाए। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रबन्धकों और संघों के प्रतिनिधियों के बीच अब एक बैठक हो रही है। उनकी आज भी एक बैठक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा उन 3500 ठेका श्रमिकों के बारे में जो बारहमासी स्वरूप का कार्य करते रहे है स्थाई करने के पहलु पर विचार किया जा रहा है ?

श्री एम. एल. फोतेदार : जहां तक उनकी सरकार का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। मैं उनकी सही संख्या के बारे में बताना नहीं चाहता हूं। मैं यह बात उन पर छोड़ता हूं कि वह इनको सही संख्या के बारे में अपनी एजेंसी से पता लगाए। महोदय, 'इस्को' कर्मचारियों जोकि नियमित आधार पर है, और वे जो ठेकेदारों द्वारा नियुक्ति किये गए हैं के बीच अन्तर रखना होगा। इस तरह सरकार का उनको रोजगार देने का कानूनी दायित्व नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें ऐसे कर्मचारियां के लिए, जो ठेके पर कार्य कर रहे हैं, कल्याण

योजनाएं शुरु करनी होगी लेकिन सरकार का उन्हें स्थायी करने का कोई दायित्व नहीं है और हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जोकि कानून रूप से असंगत है।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या यह बात असंगत नहीं है ?

श्री एम. एल. फोतेदार : मैंने कहा था जोकि कानूनी रूप से असंगत नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि यह विनियमन और उत्पादन अधिनियम हैं। जहां तक सरकार की विनियमित शक्तियों का संबंध है हम इनका पूरी तरह उपयोग करेंगे। हम यह देखेंगे कि उन्हें कानून के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी मिले। हम यह देखेंगे कि उनके लिए कानून के अन्तर्गत निर्धारित कल्याण संबंधी उपाय किए जाए। जहां तक उनको स्थायी रोजगार दिए जाने का सम्बन्ध है मैं कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता जोकि कानून के विपरीत हो।

डा. कृपासिन्धु भोई : माननीय मंत्री द्वारा 'इस्को' के आधुनिकीकरण के लिए दिया गया उत्तर यह है कि वर्तमान प्रौद्योगिकी पुरानी है लेकिन जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी ने जो सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की है उसके अनुसार वह प्रौद्योगिकी भी पुरानी है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि डी.आर. एण्ड के. आर प्रक्रिया पर आधारित पाइलट संयंत्र परीक्षायें की स्थिति क्या है और क्या मंत्री महोदय जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी से डी.आर टैक्नोलोजी देने के लिए अनुरोध करने पर विचार करेंगे जिनके द्वारा वे 4 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं जिसके लिए गैर-कोकिंग कोयले की आवश्यकता होगी ?

श्री एम. एल. फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जहां तक टैक्नोलोजी के प्रश्न का सम्बन्ध है। इसके लिए जापान में अथवा विश्व में जो भी नवीनतम व्यवहार्य टैक्नोलोजी उपलब्ध है उनका हस्तांतरण किया जाएगा। लेकिन जो आज नया है वह कल पुराना हो जाएगा। अतः हर रोज कुछ भी नया नहीं होता। मैं माननीय सदस्य को डी.पी.आर. अथवा इन्जीनियरी अध्ययन रिपोर्ट जोकि इस समय प्रगति पर है, के बारे में आश्वासन दे सकता हूँ लेकिन मैं इस समय निश्चित रूप से कुछ वायदा नहीं कर सकता कि कम्पनी की अन्तिम रिपोर्ट क्या होगी जोकि इस स्तर पर इसकी जांच कर रही है।

डा. दत्ता सामंत : ठेका श्रमिक केवल 'इस्को' में ही नहीं बल्कि रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में भी काफी संख्या में हैं। रेलवे में ये ठेका श्रमिक गत 10 वर्षों से हैं जबकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम भी मिलों में वे गत वर्षों से हैं। अतः इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनिकीकरण करते समय, सरकार के सामने हर जगह नयी समस्या आएगी। आधुनिकीकरण की आवश्यकता है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन 21 लाख श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए कोई व्यापक मार्ग निर्देश जारी करने जा रही है और क्या इन श्रमिकों को स्थायी कर लिया जाएगा। वे केवल ठेका और नैमित्तक श्रमिक ही नहीं है। वे स्थायी श्रमिकों की तरह हैं। उनका जहां चाहो किसी भी तरह से प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः आधुनिकीकरण होना आवश्यक है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन सभी श्रमिकों का खपाने के लिए कोई मार्ग निर्देश जारी करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : वह इनका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। उन्हें और को कुछ नहीं कहना है

श्री एम.एल. फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि देश में ऐसे का निहित स्वार्थ के लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि हमारा देश फले-फले और प्रगति करे। कुछ निहित स्वार्थ के लोग ऐसे हैं जो इस्पात संयंत्रों को आधुनिक बनाना नहीं चाहते हैं; मैं शुरू से ही यही आश्वासन देता रहा हूं कि इस्पात संयंत्रों के किसी भी नियमित कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी।

ऐसे कुछ लोग हैं जो यह कहते हैं कि आधुनिकीकरण से कर्मचारियों की छटनी की जाएगी। मैं इस बात पर जोर देकर कहता हूं कि किसी भी नियमित कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह कोई अभिमानित बात नहीं करने जा रहे हैं।

गैर नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल के वृक्ष लगाना

+

*24. श्री एस. एम. गुरड्डी :

श्री टी. बी. चन्द्रशेखरप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड ने गैर-नारियल-उत्पादक राज्यों में नारियल के वृक्ष लगाने के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या बोर्ड ने उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में नारियल की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) नारियल विकास बोर्ड ने नारियल का उत्पादन न करने वाले राज्यों सहित विभिन्न राज्यों में "नारियल के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार" की योजना शुरू की है।

(ख) और (ग) उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में "नारियल के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार योजना आरंभ कर दी गई है। उपर्युक्त योजना के अतिरिक्त बोर्ड ने निम्नलिखित योजनाएं भी शुरू की हैं :

(1) उड़ीसा में नहर के किनारे नारियल पौध रोपण;

(2) उड़ीसा में टी$\times$डी. संकर पौधों का उत्पादन और वितरण;

(3) उड़ीसा में डी$\times$टी संकर पौधों के उत्पादन के लिए संकर बीज उद्यानों की स्थापना; और

(4) बिहार और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन और बीज उत्पादन फार्मों की स्थापना।

श्री एस. एम. गुरड्डी : महोदय, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में नारियल की खेती के कार्यक्रम के विस्तार पर विचार क्यों नहीं किया है क्योंकि इन राज्यों में नारियल का बहुत अधिक उत्पादन होता है और इसके बजाए उन राज्यों में इसका विस्तार किया गया है जिनमें अभी तक भी नारियल का उत्पादन नहीं होता है ? यदि इन राज्यों में नारियल की खेती का विस्तार कार्यक्रम शुरू किया जाता तो क्या इन राज्यों में काम अधिक होता ?

श्री श्याम लाल यादव : महोदय, इस प्रश्न का मुख्य रूप से सम्बन्ध उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश से है। इसीलिए मैंने इन तीन राज्यों के बारे में ब्यौरा दिया है।

जहां तक नारियल का अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों का सम्बन्ध है, ऐसे 14 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं। उनमें ऐसी योजनाएं पहले से ही चल रही हैं और उनके लिए वहां पर्याप्त आवटन किया गया है।

श्री एस. एम. गुरड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विशेषकर कर्नाटक में इसकी खेती के लिए क्षेत्र में वृद्धि करने के बेहतर अवसर हैं। क्या यह सच है कि कर्नाटक में प्रति पौध उपज किसी अन्य राज्य की तुलना में बहुत अधिक है ?

क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या बोर्ड का विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में नारियल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

श्री श्याम लाल यादव : इस समय देश में 1.23 मिलियन हैक्टेयर भूमि में नारियल का उत्पादन होता है और कुल 6404 मिलियन नारियलों का उत्पादन होता है। अतः इसके लिए क्षेत्र पहले ही पर्याप्त है। हम सघन खेती करो सभव बना रहे हैं।

जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, केरल में कासरगोड में एक अनुसंधान केन्द्र पहले से है। हमारा वहां एक केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान है। अखिल भारतीय ताड़ सबंधी समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के अन्तर्गत हमारे 15 उप-केन्द्र भी हैं। इसलिए इस समय किसी एक को अलग से स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि वर्तमान सांसद श्री रामुलु के पास एक ऐसा वृक्ष है जो 5000 फलों की उपज वाला है और लोग उस विशेष वृक्ष को लाइन लगाकर देखने जा रहे हैं। क्या मंत्री जी उस वृक्ष को देखने में रूचि रखते हैं और यदि हां तो कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई गई है जिससे कि वही प्रौद्योगिकी अन्य फार्मों में भी अपनाई जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने ठीक सुना है ? क्या आपने 5000 कहा है ?

श्रीमती बसवराजेश्वरी : जी हां, 5000 कहा है, आप आकर देख सकते हैं।

श्री श्याम लाल यादव : प्रति हेक्टेयर उपज 5200 नारियल है। (व्यवधान)

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जिनकी गणना केरल के बाद होती है, जैसे राज्यों को नारियल विकास बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए और इस उत्पादन में वृद्धि हो सके और बोर्ड की गतिविधियों को इन राज्यों में विस्तृत करने के लिए कदम उठायेगी ताकि बिक्री सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए जिससे कि नारियल उत्पादकों को पर्याप्त न्याय और उत्पादन के लिए उचित मूल्य मिल सके।

श्री श्याम लाल यादव : कर्नाटक तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में सभी कदम उठाये गये हैं। और नारियल विकास बोर्ड द्वारा पर्याप्त धनराशि आबंटित की गई है। उन राज्यों का बोर्ड में काफी प्रतिनिधित्व है। बिक्री के बारे में राज्य एजेन्सी नेफेड द्वारा एक बार विपणन हस्तक्षेप किया गया था लेकिन उसके बाद हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : यह प्रश्न मुख्यतः केरल तक ही सीमित है तथा अन्य राज्यों के लिए नहीं है।

श्री श्याम लाल यादव : केरल राज्य ऐसा है जिसमें 55 प्रतिशत नारियल की उपज होती है।

श्री पी. एम. सईद : हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णतः नारियल पर निर्भर करती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी एक वृक्ष से 5000 नारियल उतरते हैं। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि लक्षद्वीप में एक पेड़ जिसके दो या तीन सिरे हैं अच्छी फसल दे रहा है। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं लेकिन आपने मेरा निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ चलूंगा।

श्री पी. एम. सईद : विशेषतया तटवर्ती क्षेत्रों में, वृक्षों में जड़ की बीमारी मुख्य बीमारी है। इसलिए हम केवल लक्षद्वीप से पौध भेज रहे हैं। उनके द्वारा पौध को बिहार या मध्य प्रदेश या किसी अन्य जगह भेजने से मुझे कोई एतराज नहीं है। बढ़िया पौध और बढ़िया किस्म के नारियल लक्षद्वीप को होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कार्य उत्पादन के लिए केन्द्रीय दल बनाने हेतु कोई कार्यक्रम बनाया है जो केवल लक्षद्वीप में स्थित हो।

श्री श्याम लाल यादव : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की प्रशंसा करता हूं।

प्रो. मधु दंडवते : लक्षद्वीप में नारियलों की संख्या व्यक्तियों से अधिक है।

श्री पी. एम. सईद : वह वास्तव में ठीक कह रहे हैं।

श्री श्याम लाल यादव : 1986-87 आंकड़ों के अनुसार लक्षद्वीप में 2.8 हजार हेक्टर भूमि पर नारियल की खेती की जाती थी और उत्पादन लगभग 24.6 मिलियन नारियल था। 1985-86 में लक्षद्वीप में विपणन हस्ताक्षेप भी किया गया था जहां तक अनुसंधान केन्द्र का सम्बन्ध है मेरे

विचार से इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि आवश्यकता हुई और यदि धन उपलब्ध हुआ तो हम इस पर विचार कर सकते हैं।

कृषि वैज्ञानिकों के लिए संशोधित वेतनमान

+

***25. श्री पी. एम. सईद :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए संशोधित वेतनमान अभी तक लागू नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नये वेतनमान भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाएंगे; और

(घ) वैज्ञानिकों के लिए संशोधित वेतनमान अनुमानतः किस तारीख तक लागू कर दिए जाएंगे ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (घ) महोदय, सरकार पहली जनवरी, 1986 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के वेतनमानों में संशोधन करने का फैसला पहले ही कर चुकी है।

श्री पी. एम. सईद : आदरणीय स्पीकर साहब, श्री भजनलाल जी के आन्सर से यह पता चलता है कि इन्होंने साइंटिस्टों को रिवाइज्ड स्केल 1986 से देना एक्सैप्ट किया है, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स को तनख्वाह बढ़ाने से भी लोगों का लांग ओवर-ड्यू है, ये 3 साल से रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से दे रहे हैं। क्या यह सही है कि साइंटिस्टो को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है और फर्स्ट कैटेगरी में टाप-कैटेगरी में 1500 रुपए का अन्तर है ? यदि है तो यह क्यों इतना अन्तर है ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया कि यह वेतन-मान फोर्थ पे-कमीशन की रिपोर्ट तासीर में आने के बाद लागू किए गए हैं, उसके बाद कुछ एनोमलीज रह गई थीं। यू. जी. सी. के जो साइंसदां हैं, उनको कुछ ग्रेड ज्यादा मिल गए थे और इनके ग्रेड कुछ कम रह गए थे, इसलिए इस बात पर विचार किया गया। वैज्ञानिकों की एक कैटेगरी नहीं है बल्कि एस-0 से लेकर एस-1,2,3,4,5 तक के वेतन-मान हमने रिवाइज कर के 1 जनवरी 1986 से लागू कर दिए हैं, ताकि उनके साथ कोई एनोमली न रहे।

श्री पी. एम. सईद : मेरी दूसरी सप्लीमैंटरी यह है कि मैंने कहा था कि यू. जी. सी. के अन्दर 4,5 कैटेगरी हैं। इनमें जो आप फाइव-ईयरली एसेस्मैंट करते हैं, उसमें आप सिर्फ टैक्निकल

स्टाफ को प्रमोशन देते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं, तो यह क्यों नहीं देते हैं ? साइंटिफिक स्टाफ के साथ-साथ दूसरी कैटेगरी वालों का भी जब 5 साल के हिसाब से आप असेस्मैंट करते हैं तो इनके लिए यह क्यों नहीं लागू किया जा सकता है ?

श्री भजन लाल : वैज्ञानिकों का 5 साल के बाद रिव्यू करते हैं कि किस का काम कितना अच्छा है, किस ने कितना अनुसंधान कर के कितनी वैराइटी रिलीज की हैं, उसके हिसाब से उनको प्रमोशन दी जाती है । जहां तक साइंसदानों का दूसरा स्टाफ है, उनका अलग से कैडर है और बाकायदा उनके कैडर में उनको भी उन्नति मिलती है ।

(अनुवाद)

श्री एम. रघुमा रेड्डी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संशोधित वेतनमान वो.एन. राव समिति रिपोर्ट में सुझाये गये वेतनमानों और अन्य विश्वविद्यालय अध्यापकों और प्राध्यापकों के वेतनमानों के बराबर होगा । क्या दोनों के बीच कोई भिन्नता है ?

इस सम्बन्ध में मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कृषि स्नातकों को चार वर्ष अध्ययन करना पड़ता है अर्थात् 10+2+ 4 वर्ष जब कि अन्य स्नातकों को केवल तीन वर्ष अर्थात् 10+ 2+ 3 वर्ष अध्ययन करना पड़ता है । इस दृष्टि से इन्हें अन्य विश्वविद्यालय अध्यापकों आदि से अधिक वेतन मिलना चाहिए । इसके अलावा, इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में, मैदानों में और देश के प्रत्येक कोने में काम करना पड़ता है । मैं आशा करता हूं मंत्री जो उन तथ्यों पर ध्यान देंगे और इन्हें अन्य विश्वविद्यालय अध्यापकों और वैज्ञानिकों के बराबर वेतनमान देंगे ।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, फोर्थ पे कमीशन ने भी सारी बात को देखा और सारी बातों को देखकर ही रिकमेंडेशन करते हैं । उस रिकमेंडेशन में थोड़ी सी एनोमैली रह गई जिससे करीब साढ़े चार हजार साइंसदां प्रभावित हुए । जो साइंसदां यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उनको तो मिल गया, लेकिन इनको नहीं मिला था कम मिला । इसी बात को लेकर हमने रिवाइज किया है और फैसला किया है कि 4352 साइंसदां जो हैं आई. सी. ए. आर. के, उन पर लागू हो गया है । अगर आपको तसल्ली न हुई हो, तो आप उन साइंसदां से पूछ लीजिए उनको इससे पूरी तसल्ली है और वे सेटिस्फाइड हैं । जो उनका हक बनता है, वह उनको मिल गया है । आप चाहें, तो उनसे पूछ सकते हैं ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में "पालिसी सेंटर"

[अनुवाद]

*26. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के "पालिसी सेंटर" में प्रत्येक छात्र पर औसतन कितना वार्षिक व्यय होता है;

(ख) क्या इस "पालिसी सेंटर" के छात्रों ने अब तक कोई महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस "पालिसी सेंटर" पर निरर्थक व्यय किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसे रोकने और केन्द्र में अनुसंधान कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) से (ङ) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान स्कूल में विज्ञान नीति अध्ययन केन्द्र की स्थापना 1971 में विज्ञान नीति को एक स्वतंत्र प्रयुक्त विषय के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। केन्द्र ने अपने छात्रों को 10 एम. फिल. तथा 6 पी. एच. डी. डिग्रियां प्रदान की हैं और छः शोध परियोजनायें आरम्भ की है एवं कई कागजात प्रकाशित किए हैं। पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने 1980 में केन्द्र को प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थगित करने का निर्णय किया था तथापि, केन्द्र में कुछ शोध कार्य होता रहता है। केन्द्र की स्थापना से लेकर अब तक, केन्द्र पर लगभग 25 लाख रुपए का व्यय हुआ है।

विश्वविद्यालय, संकाय में उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती करके केन्द्र को पुनः स्थापित करने के प्रयास कर रहा है।

श्री महेश्वर तांती : महोदय, यद्यपि मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दे दिया है तथापि मेरे मुख्य प्रश्न का उत्तर अभी दिया जाना है। मेरा विशिष्ट प्रश्न इस प्रकार था :

"क्या इस "पालिसी सेंटर" के छात्रों ने अब तक कोई महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किया है;"

"यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;
क्या इस "पालिसी सेंटर" पर निरर्थक व्यय किये जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

यदि हां तो इसे रोकने और केन्द्र में अनुसंधान कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।"

इस प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है।

मेरा दूसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और वह यह है कि केन्द्र में प्रत्येक छात्र पर कितना धन खर्च किया जाता है। मैं इसके लिए विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री एल. पी. शाही : महोदय, मैंने विशेषतया उत्तर दिया है कि शुरू से लेकर अब तक 25 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। मैंने यह भी कहा है कि 6 पी. एच. डी. और 10 एम. फिल. डिग्रियां प्रदान की गई हैं और बहुत सी अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं। आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा प्रारम्भ की गई अनुसंधान परियोजनाएं इस प्रकार हैं डा. धीरेन्द्र शर्मा द्वारा भारत की आणविक ऊर्जा नीति, डा. धीरेन्द्र शर्मा द्वारा भारत में सौर ऊर्जा क्रेमेटोरियम का विकास, भारत में आधुनिक विज्ञान का विकास, डा. जान द्वारा विज्ञान सवर्धन के लिए भारतीय संघ की भूमि का; मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र में योजना पर पर्याप्त रूप से प्रभाव डालने वाले सामाजिक तत्वों सम्बन्धी एक अध्ययन......

अध्यक्ष महोदय : आप ये सब ब्यौरे क्यों दे रहे हैं ?

श्री मन्नेश्वर तांती : महोदय, मंत्री जी केवल उनके विभाग द्वारा दिये गये टिप्पण का उत्तर दे रहे हैं। मेरा विशेष प्रश्न यह था कि प्रत्येक छात्र पर कितना धन खर्च किया जाता है। केन्द्र की स्थापना 1971 में की गई थी। आज क्या परिणाम निकलता है ? 18 वर्षों में केवल 10 एम. फिल. और 6 पी. एच. डी. डिग्रियां प्रदान की गई हैं। क्या छात्रों को इस तरह की पढ़ाई कराई जाती है ? महोदय, मैं इस पर विशेष उत्तर चाहता हूं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : मेरा निवेदन है कि केन्द्र की बहुत बुरी स्थिति थी। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि केन्द्र में काफी कलह और अनुशासनहीनता थी, जिसके फलस्वरूप केन्द्र भली प्रकार कार्य नहीं कर रहा था। दो समितियों ने इसके कार्यकरण की जांचें की हैं। वर्ष 1978 में श्रीवास्तव समिति बनायी गई थी। श्रीवास्तव समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कि इस केन्द्र में कार्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इसे निरीक्षणाधीन भी रखा गया था। तत्पश्चात बी. एस. झा समिति ने भी इसकी जांच की थी और यह निश्चय किया गया था कि केन्द्र में सुधार होना संभव नहीं लगता और इसी कारण से केन्द्र के कार्य को समाप्त कर दिया था। परन्तु क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण केन्द्र है इसलिए बाद में कुछ अन्य समितियां भी स्थापित की गई थीं। विशेष रूप में डा. रामन्ना की अध्यक्षता में बनायी गई समिति ने इस मामले की जांच की थी और यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्र को पुनः गठित किया जाना चाहिए। लेकिन पिछले पांच से छः वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा उचित प्रोफेसर प्राप्त करने के प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला है। मुख्य उत्तर में कहा गया है, केन्द्र को पुनर्गठित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

निस्सन्देह प्रत्येक विद्यार्थी पर किये गये खर्च का हिसाब लगाना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि खर्च स्टाफ और विद्यार्थियों दोनों पर किया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि खर्च केन्द्र में विद्यार्थियों और स्टाफ के अनुपात में नहीं किया गया है। वस्तुस्थिति यह है और इस से इन्कार नहीं किया जा सकता।

श्री मन्नेश्वर तांती : निसंदेह, यह सच है। मैं प्रसन्न हूं लेकिन मुझे आशंका है कि उन 16 विद्यार्थियों पर, जिन्हें एम. फिल. और पी. एच. डी. की डिग्रियां प्रदान की गई थी, 25 लाख रुपये खर्च किये गए हैं। यह खर्च प्रति विद्यार्थी पर प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये के करीब आता है। और परिणाम लगभग कुछ नहीं है। हमारे देश में ऐसी संस्थाएं और स्कूल हैं जिनके पास न्यूनतम

आवश्यकताएं जैसे ब्लैक बोर्ड बैठने के लिए स्थान आदि भी नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन स्कूलों को भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें जिससे कि अनपढ़ लोगों को भी लाभ मिल सके।

श्री पी. शिव शंकर : मेरा मुद्दा यह है कि वर्ष 1971 से यह खर्च किया गया है और यह खर्च केवल विद्यार्थियों पर ही नहीं किया गया है, बल्कि स्टाफ प्रयोग शालाओं और अन्य उपकरणों पर भी किया गया है। अतः यह उचित नहीं है कि कुल 16 विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्येक विद्यार्थी पर 1.50 लाख रुपये की दर से खर्च का हिसाब लगाना चाहिए, ये 16 विद्यार्थी वे थे जिन्हें एम. फिल. और पी. एच डी. की डिग्रियां प्राप्त हुई थीं। ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो अभी भी डिग्री प्राप्त किये बिना अनुसंधान कर रहे है। अतः यह एक उचित कसौटी नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके। क्योंकि प्रति विद्यार्थी खर्च का हिसाब लगाना संभव नहीं है इसलिए हम ब्यौरा नहीं दे सके हैं। सरकार का इरादा तथ्यों को छिपाने का नहीं है। लोक लेखा समिति ने भी इसकी जांच की है और केन्द्र के कार्यकरण के बारे में टिप्पणी की है। वास्तव में इसकी रिपोर्ट यहां है। इसलिए अब लगाया जा रहा 1.5 लाख रुपये का मूल्यांकन ठीक नहीं लगता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में विदेशों से संकाय के सदस्यों का आदान-प्रदान

+
*28. **श्री बी. भूपति** :

श्री मानसिक रेड्डी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में विदेशों के साथ सहयोग तथा संकाय के सदस्यों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उक्त आदान-प्रदान के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या विदेशों से आने वाले संकाय के सदस्यों के लिए संस्थान के कैम्पस में भोजन तथा निवास की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संकाय के आदान-प्रदान का कोई कार्यक्रम नहीं है।

तथापि, संस्थान की ब्रिटिश संस्थानों के साथ 1979-80 से लेकर 198.-83 तक एक तीन वर्षीय सहयोग व्यवस्था थी जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के संकाय विकास के लिए और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में ब्रिटिश विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए रिसोर्स पर्सन की हैसियत से और संस्थान के अनुसंधान प्रयासो में परामर्श देने के लिए ब्रिटिश सहायता उपलब्ध थी।

1986-87 से इस व्यवस्था का और तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। बढ़ाई गई व्यवस्था में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान मे प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा स्थापित करने व ऐसे प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु ब्रिटिश विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध होने और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान तथा राज्यों के चुने हुए ग्रामीण विकास संस्थानों के स्टाफ को ब्रिटेन में प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने अपने संकाय विकास के लिए ब्रिटिश संस्थानों के साथ सहयोग व्यवस्था को काफी लाभप्रद पाया है।

(ग) व (घ) विदेशों से आने वाले विशेषज्ञों के लिए भोजन और निवास को कोई अलग सुविधायें नहीं दी जाती हैं।

हिन्दी]

श्री जी. भूपति : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए विवरण को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इस संस्थान को उन्नति करने के लिए ब्रिटेन से निपुण और चतुर व्यक्तियों को बुलाया गया है और उनसे कुछ अन्य सहायता भी ली गई है।

इन व्यक्तियों की सहायता भी ली है, यह सहायता लेने में केन्द्र सरकार को कितना खर्च करना पड़ा, यह मैं जानना चाहता हूं ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : इस सहयोग व्यवस्था से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। सहायता विशेषज्ञता के रूप में प्राप्त हुई है। उन्होंने प्रशिक्षण देने के लिए अपने विशेषज्ञ भी यहां भेजे हैं। हमने भी उनके संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने प्रशिक्षणार्थी भेजे थे। अभी तक हमने दीर्घकालिक तथा अल्पावधि पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के चौदह मध्यम तथा कनिष्ठ स्तर के संकाय सदस्य भेजे है। अध्ययन संबंधी दौरों के लिए वरिष्ठ संकाय सदस्य ब्रिटेन में भी भेजे गए थे। आने जाने का हवाई जहाज का किराया, ठहरने तथा खाने आदि का पूरा खर्चा ब्रिटेन की सरकार ने वहन किया था।

[हिन्दी]

श्री जी भूपति : मेरा दूसरा सवाल यह है कि आई.आर.डी.पी., डी.आर.डी.ए. और आर. एल.ई.जी.पी. आदि पावर्टी को दूर करने की योजनाएं हैं। इन योजनाओं में जो कर्मचारी काम

करते हैं, क्या उन कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की कोई व्यवस्था है ? अगर ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो किन कटेगरी के कर्मचारियों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ?
[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था न सिर्फ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में बल्कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में भी है। माननीय सदस्य के लाभ हेतु मैं आपको आंकड़े देता हूं। देश में खण्ड विकास अधिकारी स्तर संख्या 7630 अधिकारी हैं। प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या 2812 है तथा 4801 को प्रशिक्षण दिया जाना है। कुल 30,684 कार्यकारी अधिकारी हैं तथा 6107 प्रशिक्षित हैं। ग्राम स्तर के अधिकारियों की संख्या 1140 है तथा लगभग 15,342 अधिकारी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान स्तर पर प्रशिक्षित हैं।

गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाईजर्स कम्पनी का विस्तार कार्यक्रम

*30. **श्री शांति लाल पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कम्पनी ने विस्तार और विविधिकरण का विशाल कार्यक्रम आरम्भ किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार से इस परियोजना को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था,

(ग) क्या परियोजना को मंजूरी दे दी गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की आशा है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : (क) से (ग) जी हां। मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि. (जी एन वी एफ सी) ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए उनके विस्तार एवं विविधिकरण कार्यक्रमों हेतु सरकार से आशय पत्र/अनुमोदन प्राप्त किए हैं :

(1) फोरमिक एसिड परियोजना

(2) मेथानोल (विस्तार)

(3) एसिटक एसिड परियोजना

(4) प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड परियोजना

(5) नाइट्रोफास्फेट परियोजना, तथा

(6) कलर टी. वी. ग्लास शैल परियोजना

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री शान्ति लाल पटेल : गुजरात सरकार से आपको किस तारीख को योजना मिली और सरकार इन योजनाओं के बारे में कब ताईद करेगी ?

[अनुवाद]

श्री आर. प्रभु : महोदय, प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं कि प्रश्न नहीं उठता। यह इसलिए है क्योंकि सरकार ने इन सभी परियोजनाओं को अनुमति दे दी है। अतः सरकार द्वारा इस पर विचार करने तथा कुछ भी लम्बित रखने का प्रश्न ही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शान्ति लाल पटेल : इस सरकार ने योजनाओं को मंजूरी देने मे कितना टाइम लगाया है और कौन सी तारीख को मंजूरी दी है ?

[अनुवाद]

श्री आर. प्रभु : संभवत वह यह पूछ रहे हैं कि आवेदन पत्र किस तारीख को प्राप्त हुए और उन्हें कब मंजूरी प्राप्त हुई। अमोनियम नाइट्रो-फास्फेट तथा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट परि-योजनाओं के लिए गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन को 11 अगस्त 1988 को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। आवेदन पत्र प्राप्त होने के विवरण मेरे पास नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें विवरण भेज दें।

श्री आर प्रभु : मैं उन्हें विवरण भेज दूंगा।

दिल्ली में दूध के मूल्य में वृद्धि

*31. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के माध्यम से बेचे जाने वाले दूध के मूल्य में भारी वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न प्रकार के दूध की कितनी मांग है और दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेरी द्वारा कितने प्रतिशत मांग की पूर्ति की जाती है; और

(घ) क्या सरकार का दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए सुस्पष्ट एक समान मूल्य नीति तैयार करने का विचार है ?

[हिन्दी]

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) मदर डेरी के टोन्ड दूध का विक्रय मूल्य 30-12-88 से प्रति लिटर 3.50 रुपये से बढ़ाकर 5.00 रुपये और दिल्ली दुग्ध योजना के टोन्ड दूध का विक्रय मूल्य 3.30 रुपये से बढ़ाकर 4.50 रुपये किया गया है । इसमें वृद्धि करने के निम्न कारण हैं—

(1) ग्रामीण उत्पादकों को ताजे दूध के लिए अधिक अधिप्राप्ति मूल्यों का भुगतान किया जाना ।

(2) पुन: मिश्रण के लिये प्रयोग की जाने वाली बटर आयल, स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और बटर जैसी संरक्षित जिन्सों के मूल्यों में वृद्धि ।

(3) अन्य प्रशासन संबंधी और ऊपरी लागत में वृद्धि।

(ग) दिल्ली में दुग्ध की विभिन्न किस्मों के बाजार मांग के हाल के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली में दूध की वर्तमान मांग प्रतिदिन लगभग 20.00 लाख लिटर है। मोटे तौर पर इस मांग की 45 प्रतिशत पूर्ति मदर डेरी तथा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा की जा रही है ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण मलिक : राजधानी में दूध की सप्लाई की अत्यधिक किल्लत है। दूध की कमी तथा इसके मूल्यों में वृद्धि राजधानी में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना। तीन वर्षों के बाद दिल्ली में दूध के मूल्य बढ़े हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने एक ही बार दूध के मूल्य में इतनी ज्यादा वृद्धि की घोषणा की है। इससे सबसे अधिक समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों का शारीरिक तथा दिमागी स्वास्थ्य प्रभावित होगा। दूध की सप्लाई में आई कमी को दूर करने का क्या कोई प्रस्ताव है ? क्या दिल्ली दुग्ध योजना के माध्यम से सप्लाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ? मंत्री महोदय ने यह माना है कि दिल्ली दुग्ध योजना के तहत दूध की सप्लाई में इतनी गिरावट आई है।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, दूध के भाव बहुत सोच-विचार करने के बाद बढ़ाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि 1985 के बाद से दूध के भाव मदर डेयरी और दिल्ली मिल्क सप्लाई स्कीम में नहीं बढ़ाए गए थे लेकिन दिसम्बर में बहुत मजबूरी में आकर बढ़ाने पड़े क्योंकि एक साल में डी एम एस और मदर डेयरी को 50 करोड़ रुपये का घाटा होता था। जो दूध दूधियों

से, भारतीय किसानों से लेते थे वह बहुत मन्दे भाव में ले करके सस्ते भाव पर बेचना पड़ता था और जब मंहगे भाव में ले करके सस्ते भाव में बेचते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। उसके अलावा मार्केट में भाव और भी बहुत मंहगे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के मुकाबले में दूसरे शहरों में दूध के भाव क्या हैं :

बम्बई में 5 रुपये 40 पैसे

बंगलौर में 4 रुपये 50 पैसे

जयपुर में 4 रुपये 50 पैसे

लखनऊ में 5 रुपये 50 पैसे

त्रिवेन्द्रम में 5 रुपये

पटना में 5 रुपये 50 पैसे

चण्डीगढ़ में 5 रुपये 40 पैसे

अहमदाबाद में 5 रुपये 75 पैसे

जमशेदपुर में 5 रुपये 80

बोकारो में 6 रुपये 20 पैसे

रांची में 6 रुपये

अम्बाला में 5 रुपये 20 पैसे

जबलपुर में 5 रुपये 50 पैसे

मेरठ में 6 रुपये

गुड़गांव में 5 रुपये का भाव है।

किसी भी मार्केट में इससे संस्था भाव मिल्क का नहीं है। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनने की कृपा करियेगा। कलकत्ता में दूध भाव 4 रुपए 50 पैसे है और यहां भी डी एम एस का भाव 4 रुपए 50 पैसे हैं। यहां भी कलकत्ता से ज्यादा भाव नहीं है। वह भी उतना दूध नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि उपभोक्ता को भी दूध टाइमपर मिले और ठीक दूध मिले और जो दूध पैदा करने वाले हैं, उन किसानों को भी मुनासिब भाव मिले। अगर मुनासिब भाव नहीं मिलेगा तो दूध पैदा नहीं होगा और जब दूध पैदा नहीं होगा तो कहां से पीने वालों को दूध मिलेगा। इस लिए चाहते हैं कि दूध पैदा करने वालों को भी मुनासिब भाव मिलें और जो कन्ज्यूम करने वाले हैं, उन को भी दूध मुनासिब भाव पर मिले। हालाकि डीएमएस के दूध का भाव 4.50 रु. किया है, तो भी डीएमएस को 22 करोड़ रुपए का साल में घाटा रहेगा। मदर डेयरी तो नों-प्राफिट-नो-लास पर चलती है, उसमें तो प्राफिट कमाने की बात नहीं है। आप जानते हैं कि दिल्ली में दूध 20 लाख लीटर रोज चाहिए। ये दोनों संस्थायें आठ-नौ लाख लीटर के करीब दूध देती हैं।

हम चाहते हैं कि दिल्ली जितनी दूध की जरूरत है, उतनी दूध मिल सके। आज हमें किसानों से 5.52 रु. में दूध लेते हैं, फिर भी सब्सिडाइज करके, सेपरेटा और बटर आयल मिला कर ठीक करके मुनासिब भाव पर दूध देने की कोशिश करते हैं, ताकि उपभोक्ताओं को ठीक भाव पर दूध मिल सके।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण मलिक : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दिल्ली के दूध क्षेत्रों में दूध की काला बाजारी हुई है तथा क्या दूध की कमी का एक यह कारण है, यदि हां, तो इस कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं आई है। माननीय सदस्य के नोटिस में यदि ऐसी कोई बात है तो वे जरूर सरकार के नोटिस में लायें। हम जरूर उसकी जांच करवायेंगे और उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, मंत्री जी से पूछा गया था, दूध के भाव बढ़ने का क्या कारण है ? उन्होंने दूध के भाव 3.59 रु. से एक दम 5.00 रु. कर दिए, 40 प्रतिशत एक साथ भाव बढ़ा दिए। अध्यक्ष जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि दूध के भाव चारे और खली के भाव से तालमेल रखते हैं। नवम्बर-दिसम्बर के महीने में जब भाव बढ़ाये तो उस वक्त चारे-खली के भाव 30 परसेंट घट गए थे, उसके बावजूद भी आपने भाव क्यों बढ़ाये। इसमें कुछ तालमेल रहना चाहिए, चारे के भाव घट रहे हैं और किसानों को फायदा होने की गुंजाइश है, तो दूध के भाव आप 3.50 रु. से 5.000 रु. कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई गाय पाली हुई है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : खली के भाव 30 परसेंट घट रहे हैं ····(व्यवधान)··· मैं आपको एक महीने के आंकड़े दे सकता हूं। यदि नहीं हैं, तो बोलिए कि नहीं घटे हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सारे देश का हिसाब लगायें तो ··(व्यवधान)··

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष जी, बनवारी जी ने गाय नहीं पाली, इन्होंने हमेशा सांड पाले हैं।

श्री भजन लाल : सांड भी हैं, तो सांड को भी चारा डालना पड़ता है। और कुछ पालते हों तो मुझे पता नहीं है। जो छोड़ देते हैं बाहर, जिन को पालने की जरूर नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय : लोगों के खेत में छोड़ देते हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि 1985 से दूध के भाव नहीं बढ़े थे। बहुत सोच-विचार के बाद बढ़ाए गए हैं, हर साल पचास करोड़ रुपए का घाटा मदर-डेयरी

और डीएमएस को रहता था। उस घाटे की पूर्ति करने के लिए और लोगों को दूध ठीक मिल सके और दूध पैदा करने वालों को मुनासिब भाव मिल सकें, इस लिए ऐसा किया गया है। आप जानते हैं कि लीन-सीजन में दूध छः रुपए से ऊपर लेना पड़ता है और छः रुपए मेलेकर पांच रुपए में देना पड़ेगा, 4.50 रु. में देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी आप से कहा है फिर भी डीएमएस को अकेले 22 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा और मदर डेयरी तो नो-प्राफिट-नो-लास पर चलती है, लेकिन लीन-सीजन में भी इसको घाटा रहेगा। इसलिए मुनासिब भाव तय किया गया है, इसमें कोई ज्यादा प्राफिट कमाने की बात नहीं है, ताकि लोगों को दूध मौके पर और टाइम पर सही दूध मिल सके। सारे देश में जैसा मैंने आपको बताया है कहीं पर भी दिल्ली से भाव कम नहीं है। इस को लेकर यदि कोई महानुभाव राजनीतिक सवाल उठाना चाहें तो मुनासिब बात नहीं है। यह उपभोक्ता के लिए और दूध पैदा करने वालों के लिए भले की बात है। दोनों के हितों को सामने रखकर बाद में भाव तय किया गया है।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष जी, दूध का भाव बढ़ाना ठीक नहीं है क्योंकि यह एक एसेंसियल कामोडिटी है। एक बात यह है कि कलकत्ता में भी दूध का भाव बहुत बढ़ गया है और कलकत्ता में अभी आदमी का खून तो मिल जाता है लेकिन बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मिलता यह बहुत दुख की बात है। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये और दंडवते जी, आप भी सुनिये क्योंकि हम को आप की राय चाहिए। कल से हमारी स्टेट में सी.पी.आई (एम) का जो स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन है, उस की एक कान्फ्रेन्स चल रही है और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने यह इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितनी भी गवर्नमेंट की डेरीज हैं, उन का दूध उस पार्टी काम्फ्रेन्स में दो क्योंकि वह पार्टी के केडर के लोगों को पिलाना है। मैं जो कह रही हूं वह ठीक बात है और अगर मेरी बात झूठी हो तो आप मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आप इस की इंक्वायरी कराएंगे या नहीं ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या कुमारी ममता बनर्जी ने जो बात कही है कि वहां पर लोगों को दूध नहीं मिलता है और वह वहां के अपने खास केडर को दे दिया जाता है, इसके बारे में इन्होंने पहले शिकायत नहीं की और अब इसका जिक्र किया है। हम इसको दिखवाएंगे और अगर ऐसी कोई बात होगी, तो वहां की सरकार को कहेंगे।

फ्रांस की सहायता से हीरों का खनन

[अनुवाद]

+

*32. **श्री बी. तुलसीराम :**

श्री राधाकान्त डिगाल :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हीरों के खनन के लिए भारत और फ्रांस के बीच कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो फ्रांस द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली तकनीकी जानकारी और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जहां पर हीरों का खनन तथा हीरों की खानो का विकास किया जायेगा और कब तक किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा हैं।

विवरण

(क) से (ग) खान विभाग के एक उपक्रम खनिज गवेषण निगम लिमिटेड और फ्रांस के खनिज अनुसंधान ब्यूरों बी.आर.जी.एम. के बीच एक करार हुआ है, जिसके अन्तर्गत हीरा गवेषण के लिए बी.आर.जी.एम. से खनिज गवेषण निगम को प्रौद्योगिकी का अंतरण किया जाएगा। इस गवेषण कार्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सहयोग की भी व्यवस्था है।

इस करार के अन्तर्गत कम्प्यूटर समर्थित डाटा प्रोसेसिंग तकनीकों से सभी विद्यमान भूवैज्ञानिक दूर संवेदी तथा आर्थिक आंकड़ों के मूल्यांकन का समावेश है, जिससे प्रौद्यो-आर्थिक रूप से उपादेय हीरा-धारी खनन निक्षेपों का चयन किया जायेगा। परन्तु करार में वास्तविक हीरा खनन की व्यवस्था नहीं है। इस परियोजना की लागत लगभग 85 लाख रु. होगी, जिसमें से फ्रांस सरकार के अनुदान से 2 मिलियन फ्रेंच फ्रेंक प्राप्त होंगे।

इस करार के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश (कृष्णाग्रेवल्स तथा वज्रककूर) तथा मध्य प्रदेश (पन्ना क्षेत्र) के हीराधारी क्षेत्रों के बारे में आंकड़ों की विस्तृत जांच किये जाने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तुलसी जी का काम तो कविता का है, आप काहें पत्थर से मत्था मार रहे हैं।

श्री बी. तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय पंत जी इस मंत्रालय के मंत्री थे। तब उन्होंने मेरे एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि आन्ध्र प्रदेश में बढ़िया हीरे मिलते हैं। आज इस क्वेश्चन में भी, जो फ्रांस की मदद से काम चल रहा है, उस में आन्ध्र प्रदेश को भी रखा हुआ है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के लिए पर्टीकुलरली आप कितना पैसा देने जा रहे हैं इस योजना में और फ्रांस के साथ जो मिलकर आप काम कर रहे हैं और उन की टेक्नोलाजी से अच्छे हीरे बनाने का या उन को निकालने का काम करने जा रहे हैं, उस से कितना आप को लाभ होगा और उस में लेबर को कितना काम मिलेगा, यह आप क्लियरली बताएं। मंत्री जी मुस्करा रहे हैं हीरे की बात कहने से, मैं उन को बताना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में हीरे ही हीरे मिलते हैं और सब कुछ हीरा है।

अध्यक्ष महोदय : तुलसी से बड़ा हीरा और क्या हो सकता है।

श्री एम.एल. फोतेदार : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं है कि आन्ध्र प्रदेश में हीरे मिलते हैं या नहीं लेकिन हीरो जरूर मिलते हैं। आधुनिक समय में जो हीरे थे, वे कहां गये और क्यों गये मुझे मालूम नहीं। हीरे जमीन के नीचे हैं और उनको निकालने की खोज की जा रही है और उसी के अनुसंधान के बारे में हमने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट किया है। अभी तो यह एक्सप्लोडेड नेचर का है और जिस वक्त काम जारी रहेगा, उस वक्त हम बता सकते हैं कि हीरे किस जगह मिल सकते हैं। जमीन में छिपे हीरे हैं और जो जमीन पर हीरे हैं, उन को हीरा नहीं कह सकते।

श्री बी. तुलसीराम : जो छिपे हीरे मंत्री जी कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : गुदड़ी के लाल हैं।

श्री बी. तुलसीराम : वे कभी निकल कर ऐसे सामने आएगें, जिन की रोशनी से आपकी आखें मिच जाएंगीं। ऐसे हीरे हमारे पास हैं और आने की तैयारी में है, आप पीछे मत जाइए, डरिए मत। इसी तरह से जो अमाउंट 85 लाख रुपए रखा गया है, क्या यह काफी होगा। आप फ्रांस के साथ इसको मिलकर करने जा रहे हैं, तो 85 लाख रुपए से क्या होने वाला है। क्या आप इस अमाउंट को और बढाएंगे और जल्दी से जल्दी हीरों की खोज का काम करवाएंगे, ताकि अच्छे हीरे निकल सकें। उसमें से आप भी थोड़े से ले लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी खोज के काम को तो आगे बढ़ाइए। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हीरे निकालने के बाद क्या आप इनको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, यदि हां तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और कितना लाभ होगा।

श्री एम. एल. फोतेदार : हम सिर्फ अच्छे हीरे ही निकालने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि असली हीरे भी निकालने की कोशिश करेंगे। अभी तो प्रारंम्भिक स्टेज पर है, इसलिए अभी 85 लाख रुपए रखे गए हैं, अब ये खर्च हो जाएंगे तो उसके बाद सोचा जाएगा कि आगे कैसे चलाया जाए। माइनिंग स्टेज के बाद एक्सप्लोरेशन के लिए, जहां भी हीरे हैं। उनको निकालने के बारे में क्या किया जाए, यह इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाया जाना

\+
*34. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :
श्री एच. एन. नन्जे गौड़ा :
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा का शान्तिपूर्ण विकास-कार्यों के लिए उपयोग करने के स्थान पर कुछ पश्चिमी देशों की सहायता से परमाणु हथियारों का निर्माण करने में उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश की सुरक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या एहतियाती उपाय किये हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. नटवर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने वे खबरें देखी हैं कि पाकिस्तान नाभिकीय अस्त्र बना रहा है और उसे इस बात की जानकारी है कि वह अपने शस्त्रोन्मुख कार्यक्रम के लिए कई देशों से चोरी-छिपे प्रौद्योगिकी, सामग्री और उपकरण प्राप्त कर रहा है।

(ग) सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर निरन्तर नजर रखती है और देश की सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक उपाय बरतती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस मसले पर हमारी चिन्ता से पाकिस्तान को कई अवसरों पर अवगत कराया गया है और अभी हाल ही में प्रधान मंत्री ने दिसम्बर, 1988 में इस्लामाबाद की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो को भी इससे अवगत कराया है।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : अध्यक्ष महोदय, अभी राज्यमंत्री जी ने गहरी चिंता प्रकट की है, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने की किस स्टेज पर है और स्थिति में है, इस बारे में देश को बताया जाए।

श्री के. नटवर सिंह : यह सवाल कई दफा उठाया गया है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, अखबारों में जो खबरें आई हैं, हुकूमते पाकिस्तान के अफसरान और वजीरों के जो बयानात हैं, उनसे मालूम होता है कि पाकिस्तान या तो बम बना चुका है, या बम बनाने के बहुत नजदीक है।

[अनुवाद]

श्री सी. माधव रेड्डी : क्या सरकार को यह पता है कि पाकिस्तान के पास न सिर्फ परमाणु अस्त्र हैं बल्कि हाल ही में इसने इन्हें छोड़ने में भी निपुणता प्राप्त कर ली है तथा इसने पहले ही राकेट सफलतापूर्वक छोड़ा है ?

श्री के. नटवर सिंह : इस बारे में हमने रिपोर्ट देखी हैं। इस बारे में पाकिस्तान सरकार के एक अत्यधिक वरिष्ठ अधिकारी ने एक वक्तव्य दिया था। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है,

उनका परमाणु अस्त्र कार्यक्रम न सिर्फ एक विशेष दिशा में बढ़ रहा है बल्कि उनकी उन्नति रक्षा के अन्य क्षेत्रों, कुछ मिसाइले छोड़ने में भी काफी तेजी से हो रही है और यह हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है ।

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहु : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान और साथ-साथ प्रधान मंत्री जी का भी ध्यान रांची की ओर दिलाना चाहता हूँ । छोटा नागपुर में जो जादूगोड़ा माइन्स है उसके बारे में मैंने पिछले साल जीरोआवर में प्वाइंट रेज किया था और अब फिर कहना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों रुपए का यूरेनियम चोरी हो रहा है, यह देश के लिए खतरे का विषय है । मैं पुनः यह जानना चाहता हूँ कि छोटा नागपुर के चाईबासा जिले में जो जादूगोड़ा माइन्स है और जहां से यूरेनियम चीन और पाकिस्तान जा रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार कोन सी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने जा रही है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

स्थानीय नगर निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में राष्ट्रीय संदेशो योजना में की गई सिफारिशें

[अनुवाद]

*23. **श्री सी. जंगा रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय संदर्शी योजना में पंचायत से जिला स्तर और स्थानीय नगर निकायों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है और उसके क्या परिणाम निकले ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी.शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता

*29. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) देश में प्रत्येक किस्म के इस्पात की मांग तथा सप्लाई की स्थिति क्या है;

(ख) विभिन्न किस्म के इस्पात की मांग तथा सप्लाई के बीच अन्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस्पात के उत्पादन के मामले में देश कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) देश में इस्पात की श्रेणीवार मांग तथा सप्लाई की स्थिति निम्नानुसार है :—

वर्ष	अनुमानित मांग	(मिलियन टनों में) देशी उत्पादन से अनुमानित उपलब्धता
1988-89		
चपटे उत्पाद	5.75	5.12
गैर-चपटे उत्पाद	7.94	7.29
अन्य	0.24	0.10
कुल	13.93	12.52

(ख) तात्कालिक उपाए के रूप में, मांग और सप्लाई के बीच के अन्तराल को पाटने के लिए आयात करने की अनुमति दी जाती है। आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे दीर्घावधि उपायों में वर्तमान इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण तथा विस्तार, एकीकृत इस्पात कारखानों और सहायक क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमताएं स्थापित करना शामिल हैं।

(ग) मांग और उपलब्धता के बीच अन्तराल सभी श्रेणियों के इस्पात में नहीं होता है। उदाहरण के लिए गैर-चपटे उत्पादों में यद्यपि कुछ आकारों के उत्पाद आयात किए जाते हैं, तथापि मात्रा की दृष्टि से देशी उत्पादन मांग के अनुरूप होता है। परन्तु, चपटे उत्पादों के मामले में यह अन्तराल रहता है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र में कर्मचारी एसोसिएशनों के लिये सीटों का आवंटन

***35 श्री मुहीराम सेकिया** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित परिषद में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की एसोसिएशनों के लिए सीटों के आवंटन संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) परिषद के वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन को किसी एसोसिएशन ने इस परिषद की रचना के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र योजना के अन्तर्गत परिषद का गठन निम्न प्रकार है :—

1. उपाध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन	अध्यक्ष
2. वित्त सदस्य, केन्द्रीय विद्यालय संगठन	सदस्य
3. शासी बोर्ड के दो सदस्य केन्द्रीय विद्यालय संगठन (अध्यक्ष के. वि. सं. द्वारा मनोनीत किए जाने वाले)	सदस्य
4. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन	सदस्य
5. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.) केन्द्रीय विद्यालय संगठन	सदस्य
6. उपायुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन	सदस्य

7. स्टाफ पक्ष के प्रतिनिधि :

संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के स्टाफ पक्ष की सात सीटें इन संघों के प्रतिनिधि सदस्यों की क्रम संख्या के अनुसार निम्नलिखित तरीके से वितरित की जानी है :—

(1) शिक्षक संघ	04
(2) गैर-शिक्षण स्टाफ	02
(3) मुख्यालय स्टाफ संघ	01
	07

संगठन के अनुमोदित संविधान के अनुसार शिक्षक संघों की 4 सीटों सहित 2.2.88 को संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के अन्तर्गत स्टाफ परिषद का गठन किया। दो शिक्षक संघों को उनकी प्रासंगिक संख्या की जांच करने के आधार पर प्रत्येक को दो-दो सीटें अनन्तिम रूप से दी गयी थी।

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने प्रत्येक शिक्षक संघ को दो दो सीटों के अनन्तिम आबंटन के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था तथा अनुरोध किया कि जब तक कि दोनों शिक्षक संघों की प्रासंगिक संख्या की जांच नहीं की जाती स्टाफ परिषद का गठन तब तक नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक संघ के सदस्यों की संख्या की जांच करने के पश्चात, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की स्टाफ परिषद से सम्बोधित अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ तथा राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ में से प्रत्येक को दो दो सीटें आबंटित करने का निर्णय किया।

नवोदय विद्यालयों के छात्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

*36. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्री हेतराम :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालयों के छात्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस समय कितने नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं और उन में छात्रों की कुल संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) इस समय 256 नवोदय विद्यालयों में 34,227 छात्र दाखिल हैं। यद्यपि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी दिनांक 30.4.1988 तक खोले गए नवोदय विद्यालयों के छात्रों के अभिभावकों की सामाजार्थिक स्थिति के कुछ पहलुओं से संबंधित आंकड़ों से, जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा एकत्र किए गए थे, निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं : –

(1) 80.7 प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्रों तथा 19.3 प्रतिशत छात्र शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं।

(2) 18.7 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जातियों के हैं, और

(3) 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं।

(4) लड़कियों की प्रतिशतता 17.1 है।

(5) नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के 41 प्रतिशत अभिभावकों की वार्षिक आय 6000/-रुपए अर्थात गरीबी की रेखा से नीचे है।

(6) 16 प्रतिशत छात्र प्रथम पीढ़ी के नवसाक्षर हैं और 70 प्रतिशत छात्र ऐसे परिवारों के हैं जिन्हें कालेज की शिक्षा प्राप्त नहीं है।

केरल को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित की गई धनराशि

*37. **श्री टी बशीर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केरल की एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ख) इस अवधि में केरल सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1986-87 और 1987-88 के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत केरल सरकार को स्वीकृत की गई और उनके द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशि।

(लाख रु. में)

	वर्ष के दौरान रिलीज किए गए संसाधन	खर्च न की गई शेष राशि सहित वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल संसाधन	वर्ष के दौरान उपयोग में लाए गए संसाधन	उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का प्रतिशत
1	2	3	4	5
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.)				
1986-87	2087.46	2538.46	2382.02	93.84
1987-88	1586.68	1743.57	1927.44	110.55

1	2	3	4	5
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.)				
1986-87	2714.90	3240.92	2782.09	85.84
1987-88	3544.24	3815.87	2640.73	69.20
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर.एल.ई.जी.पी)				
1986-87	2877.50	3723.08	3263.48	87.66
1987-88	2502.85	2916.32	2386.59	81.84

टिप्पणी : रिलीज किए गए और उपलब्ध कराए गए संसाधनों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज किए गए खाद्यान्नों का मूल्य शामिल है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज की गई नकद निधियों में राज्य का अंश भी शामिल है। इसी प्रकार, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए रिलीज किए गए और उपलब्ध कराए गए संसाधनों में केन्द्र तथा राज्य की रिलीजें शामिल हैं।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन का दुर्गापुर एकक पुनः चालू करना

*38. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के दुर्गापुर एकक में उत्पादन आरम्भ करने के सम्बन्ध में इसके कर्मचारी संघ से कोई समझौता हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां।

(ख) करार में इस प्रकार व्यवस्था की गई है—

(1) अनाधिकृत अनुपस्थिति में कमी करना जिससे उत्पादन विहीन समयोपरि भत्ता देना पड़ता है।

(2) अवकाश नियमों और अन्य स्थायी आदेशों तथा कानूनों का सख्ती से अनुपालन।

(3) पारी कार्मिकों का कुछ मानदण्डों के अंतर्गत संयंत्र के अन्दर बारी-बारी से स्थानान्तरण।

(4) स्टीम जनरेशन और कैप्टिव पावर संयंत्रों का विलय करना ताकि उनका एक इकाई के रूप में संचालन किया जा सके और कैप्टिव पावर संयंत्रों के 101 कार्मिकों सहित जनशक्ति के नियोजन में सुविधा हो।

(5) अमोनिया भण्डारण और निस्राव उपचारी संयंत्रों को यूरिया संयंत्र के साथ मिलाना।

(6) चार्जमैन की वर्तमान श्रेणी को वरिष्ठ संचालक/वरिष्ठ तकनीशियन में बदलना जिसके लिए विस्तारपूर्वक अध्ययन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी।

(7) संयंत्र की सम्पूर्ण दक्षता प्राप्त करने की दृष्टि से प्रबन्ध तथा यूनियन संचालन समस्याओं को दूर करने, अनुशासन बनाये रखने, उत्पादन/उत्पादकता में सुधार करने के लिए सहयोग करेंगे, और

(8) 10.1.1989 तक उत्पादन आरम्भ करने के लिए संयंत्र को तैयार करना/संयंत्र वास्तव में 6.1.1989 को तैयार हो गया था।

उड़ीसा के सूखा ग्रस्त बोलंगीर क्षेत्र से बड़े पैमाने पर लोगों का अन्यत्र चले जाना

*39. **श्री राम बहादुर सिंह :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सूखाग्रस्त बोलंगीर क्षेत्र में भुखमरी के कारण अनेक, लोगों की मृत्यु हुई है ; तथा इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर लोग अन्यत्र चले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार के अनुसार राज्य के बोलंगीर जिले में भुखमरी के कारण न तो कोई मृत्यु हुई है और न इस जिले से बड़े पैमाने पर लोग अन्य जगह गए हैं।

(ग) उड़ीसा सरकार ने बोलंगीर जिले सहित उन क्षेत्रों में श्रम प्रधान निर्माण-कार्य तथा आपातिक आहार कार्यक्रम शुरू किए हैं, जहां 1988 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान फसल की क्षति होने की सूचना मिली है।

पंजाब को बाढ़ राहत सहायता

*40. **श्री कमल चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने 1988 में केन्द्रीय सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा था जिसमें राज्य में बाढ़-पीड़ितों को राहत देने का प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई थी और 31 दिसम्बर 1988 तक दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण उपाय करने के वास्ते 17 नवम्बर, 1988 को बाढ़ राहत के लिए 150.30 करोड़ रुपये का अधिकतम व्यय अनुमोदित किया गया, जबकि राज्य सरकार द्वारा अपने 24 अक्तूबर, 1988 के संशोधित ज्ञापन में 857.94 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की गई थी।

तिलहन उत्पादन के लिए राज्यों को धनराशि का आवंटन

[अनुवाद]

185. श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तिलहन उत्पादन पर बल देने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि (प्रस्ट) परियोजना के अन्तर्गत 1988-89 के दौरान निधियों का राज्य-वार बजट संबंधी आवंटन नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए में)

राज्य	बजट संबंधी आवंटन
1	2
आन्ध्र प्रदेश	437.70
असम	40.50
बिहार	60.70
गुजरात	339.60
हरियाणा	35.25
जम्मू और कश्मीर	12.90
कर्नाटक	400.50
मध्य प्रदेश	319.80

1	2
महाराष्ट्र	344.20
उड़ीसा	259.20
पंजाब	94.45
राजस्थान	272.50
सिक्किम	4.50
तमिलनाडु	354.50
उत्तर प्रदेश	325.40
पश्चिम बंगाल	35.90
त्रिपुरा	6.00

कर्नाटक को सपरेटा दुग्ध चूर्ण की सप्लाई

186. श्री एच. बी. पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने सपरेटा दुग्ध चूर्ण की सप्लाई के लिए मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

शुद्ध पेय जल की सप्लाई हेतु बाहरी सहायता

187. श्री मुरलीधर माने : : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक पेय जल प्रदान करने हेतु क्षमता में वृद्धि करने तथा स्थानिक रोगों की रोकथाम के लिये भारत को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में मदद दी जाएगी;

(ग) क्या इस प्रस्ताव के बारे में राज्यों को सूचित कर दिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो कितने राज्यों ने इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अम्बालामेडा में अतिरिक्त उर्वरक परियोजना की स्थापना

188. **श्री के. प्रधानी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बालामेडा में अमोनिया और नेफथा पर आधारित यूरिया तथा डाई-अमोनिया फास्फेट की अतिरिक्त परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर. प्रभु) : (क) जी, नहीं। इस समय अम्बालामेडू में अमोनिया और यूरिया अथवा डाई-अमोनियम फास्फेट की कोई अतिरिक्त अथवा नई परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली-विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय उद्योग कक्ष

189. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में उल्लिखित विश्वविद्यालय उद्योग सम्बद्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय उद्योग कक्ष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय में स्थापित किये गये इस कक्ष के उद्देश्यों और कार्यों की मुख्य बात क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे कक्षों की किन्हीं अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालय में स्थापना की गई है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(घ) क्या निकट भविष्य में सभी विश्वविद्यालयों में ऐसे कक्षों की स्थापना की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने जनवरी, 1987 में एक विश्वविद्यालय उद्योग पारस्परिक क्रिया कक्ष स्थापित किया है ।

(ख) इस कक्ष के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं—(I) उद्यमशीलता विकास (II) छात्रों के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम ताकि उन्हें उद्योगों में खपाया जा सके, (III) आजीविका के रूप में उद्यमशीलता का चयन करने के लिए छात्रों के वास्ते प्रेरक शिविर आयोजित करना, (IV) भावी उद्यमियों को मार्गदर्शन देने के लिए विश्वविद्यालय में सूचना और परामर्श-दात्री कक्ष स्थापित करना (V) कार्यशाला, उपस्कर को मानकीकृत तथा उसकी जांच करने और उन छात्रों को जो उद्यमशील परियोजनाएं विकसित करना चाहते हैं, व्यवारिक प्रशिक्षण देने जैसी प्रमुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशील पार्क स्थापित करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशील पार्क कार्यक्रम का प्रौद्योगिकी नवीकरण तथा कोटि-नियंत्रण अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य होंगे; (VI) शिक्षण के विभिन्न चरणों में पाठ्यक्रम सुधार शुरू करना ताकि विश्वविद्यालय में एक उद्यमशील संस्कृति विकसित की जा सके।

(ग) और (घ) कुछ विश्वविद्यालयों के इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध अध्ययन संकायों में विश्वविद्यालय और उद्योग के बीच कुछ सीमा तक संपर्क बना हुआ है । कुछ विश्व-विद्यालयों में इस उद्देश्य के लिए स्थापन कक्ष/मशीनरी भी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वद्यालय उद्योग के बीच संपर्क को प्रोन्नत करने और सुदृढ़ करने के लिए पद्धतियों का पता लगा रहा है ।

केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

190. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब किया गया था और उसके द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जाता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में दतिया के बीर सिंह पैलेस पर "फ्लड लाइट" की व्यवस्था

191. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री मध्य प्रदेश में कुछ चुनिन्दा स्मारकों पर "फ्लड लाइट" के बारे में 30 अप्रैल, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 863 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, बीर सिंह पैलेस दतिया (मध्य प्रदेश) में प्रस्तावित "फ्लड लाइट" की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है,

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बीर सिंह पैलेस दतिया के बहिर्भाग में "फ्लड लाइट" के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा यह कार्य ब्यौरेवार योजनाओं का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार से अभी इनकी प्रतीक्षा है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में औद्योगिक गृहों द्वारा भाग लिया जाना

[हिन्दी]

192. **श्री आर. एन. चौबे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में व्यापारिक एवं औद्योगिक गृहों द्वारा भाग लिए जाने की आवश्यकता की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने पहले से ही "राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष" नामक एक योजना की स्थापना की है जिसका संचालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत व्यापारिक एवं औद्योगिक गृहों सहित सभी करदाता तथा अन्य लोग ग्रामीण विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन भाग ले सकते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष की स्थापना मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 1984 के संकल्प संख्या 82/1/4/83—केबिनेट के तहत की गई थी। व्यापारिक एवं औद्योगिक गृहों सहित सभी करदाता तथा अन्य लोग इस कोष में दान देने के लिए पात्र हैं। इस प्रकार के सभी दान आयकर से पूर्णतः मुक्त हैं और सभी दानदाता आयकर अधिनियम 1991 की धारा 80-जी के अन्तर्गत अपने द्वारा किए गए दान पर आयकर कटौती का दावा (क्लेम) कर सकते हैं।

शिक्षित बेरोजगार युवकों के स्व-रोजगार के लिए योजना

[अनुवाद]

193. **श्री टी. बाल गौड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार योजना तथा शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम जैसी योजनाएं आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना देश के सभी राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में चल रही है। "ट्राइसेम" का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कुशलता उपलब्ध कराना है ताकि वे कृषि, उद्योग, सेवा और व्यवसाय के क्षेत्रों में स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार आरम्भ कर सकें।

(ख) "ट्राइसेम" के लिए लक्षित वर्ग में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले चुने हुए परिवारों के 18 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवा शामिल हैं। प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वजीफा, निशुल्क औजार किट आदि दिए जाते हैं। प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद वे स्वरोजगार के धन्धे शुरू करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्य-क्रम के अन्तर्गत ऋण और सबसिडी की सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्राइसेम की प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्राइसेम के अन्तर्गत हुई प्रगति

मद		1985-86	1986-87	1987-88
1.	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	7388	10394	11382
2.	स्वरोजगार में लगे युवाओं की संख्या	4389	4633	6406
3.	मजदूरी रोजगार में लगे युवाओं की संख्या	उपलब्ध नहीं	1068	1039
4.	रोजगार में लगे प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या	4389	5701	7445
5.	प्रशिक्षण पर व्यय (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से) (लाख रुपये में)	126.59	138.40	168.54
6.	प्रशिक्षण संस्थाओं को आधार-भूत सहायता (केन्द्रीय अंश) (लाख रुपये)	7.09	30.05	39.80

रबी की फसलों की मूल्य नीति पर कृषि संबंधी लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति

194. श्रीमती एन. पी. झांसी लक्ष्मी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1987-88 की रबी की फसलों की मूल्य नीति पर, कृषि संबंधी लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर तिलहन के लिए खाद्य और कृषि संगठन के मानदंडों को निश्चित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। तथापि इस तरह की एक समिति का गठन आयोग द्वारा 1986-87 के रबी फसल के लिए अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

(ख) और (ग) समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों में मूंगफली की फली, सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी और कुसुम जैसे तिलहनों के लिए अच्छी औसत किस्म और अच्छी औसत किस्म से एक ग्रेड नीचे की अच्छी औसत किस्म के मानकीकरण, मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त समिति ने मण्डी स्तर पर तकनीकी सुविधाओं में सुधार करने की भी सिफारिश की है। सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और इससे संबंधित सभी को अनुवर्ती कार्यवाही किये जाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए हैं।

कन्नड़ भाषा के सम्बन्ध में कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय

195. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कन्नड़ भाषा को भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर एकमात्र प्रथम भाषा के रूप में लागू करने के संबंध ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के हाल के निर्णय पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या सरकार का इस विनिर्णय को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा फार्मूले के कार्यान्वयन, विशेष रूप से केन्द्रीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा, की समीक्षा करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को यह सलाह देने पर विचार कर रही है कि वे त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत अपने-अपने भाषायी अल्पसंख्यकों से सबद्ध छात्रों को प्राथमिक स्तर पर तथा माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा को प्रथम भाषा के रूप में तथा उक्त प्राथमिक एवं

माध्यमिक स्तर पर राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों की मुख्य भाषा को अनिवार्य द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था करें ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) से (ग) इन तथ्यों के पूरे ब्यौरों सहित कर्नाटक उच्च न्यायालय के तथाकथित निर्णय की एक प्रति कर्नाटक सरकार से मंगाई गई है। इसकी प्रतीक्षा है। इन तथ्यों तथा उच्च न्यायालय के निर्णय की जांच करने के बाद सरकार उपयुक्त निर्णय लेगी।

कुछ इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए जापान द्वारा ऋण

196. **श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार भारत में कुछ लोहा और इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए ऋण दे रही है,

(ख) यदि हां, तो उन लोहा और इस्पात संयंत्रों के नाम क्या हैं, और

(ग) इन इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जापान द्वारा दिए जाने वाले ऋण का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) और (ख) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि. के बर्नपुर कारखाने के प्रस्तावित आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में इंजीनियरी सेवाओं के लिए ऋण की व्यवस्था जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष द्वारा की गई है।

(ग) "इस्को", बर्नपुर के आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में ऋण के लिए बातचीत अभी शुरू की जानी है।

कम्पूचिया समस्या का हल

197. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ से संबद्ध राष्ट्रों के विदेश मंत्री 10 वर्ष पुराने कम्पूचिया मसले का राजनैतिक हल निकालने हेतु अन्तिम प्रक्रिया में भारत, अमेरिका तथा जापान को शामिल करने की आवश्यकता पर सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. के.के. तिवारी) : (क) 21 जनवरी, 1989 को बूनी में एकिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी किए गए संयुक्त प्रेस वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि "उनका विचार है कि राजनैतिक समाधान को सुविधाजनक

बनाने के लिए अकार्त की अनौपचारिक बैठक की प्रक्रिया को अन्ततः व्यापक किया जाना चाहिए ताकि इससे संबद्ध वे देश भी इसकी परिधि में आ सकें जो इस क्षेत्र के बाहर पड़ते हैं।" इन देशों के नाम नहीं लिए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा शीत भण्डारों का निर्माण

198. **श्री सैयद मसूदल हुसैन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम देश में शीत भंडारों के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शीत भंडारों का निर्माण किन स्थानों पर किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम स्वयं शीतागारों का निर्माण नहीं करता है। तथापि, सहकारी क्षेत्र में किसी विशेष सहकारी संस्था को उसके क्षेत्र को वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर अतिरिक्त शीत मंडारण सुविधायें आयोजित की जाती हैं और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम व्यवहार्य इकाईयों को सम्बद्ध राज्य सरकारों के साम्य समर्थन से सहायता देता है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास नियम को उत्तर प्रदेश के सहकारी समितियां के रजिस्ट्रार से एक परियोजना की रूपरेखा प्राप्त हुई है जिसमें प्रत्येक 2500 मीटरी टन के 24 मौजूदा सहकारी शीतागारों का विस्तार करने और प्रत्येक 4000 मीटरी टन क्षमता वाले 24 नये सहकारी शीतागारों को स्थापित करने और इस प्रकार 1.56 लाख मीटरी टन की एक अतिरिक्त क्षमता बनाने की व्यवस्था है।

(ग) उन स्थानों के नाम, जहां ये शीतागार स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित स्थानों पर मौजूदा शीत भंडारों का विस्तार करने और नये शीत भंडार स्थापित करने का प्रस्ताव है।

मौजूदा शीत भंडारों का विस्तार (प्रत्येक में 25.00 टन का और विस्तार)

1. मथुरा (डी.सी.डी.एफ.)
2. बदायूं (डी.सी.डी.एफ.)

3. उन्नव (डी.सी.डी.एफ.)
4. मुज्जफर नगर (डी सी.डी.एफ.)
5. बिशालपुर
6. मैनपुरी (डी.सी.डी.एफ.)
7. इटावा (डी.सी.डी.एफ.)
8. गाजियाबाद
9. पीलीभीत
10 जांगोपुर (गाजीपुर)
11. बिन्दकी (फतेहपुर)
12. उज्हानो (बदायूं)
13. हरदोयी
14. सुतान (जौनपुर)
15. लखीमपुर खेरी
16. बालिया
17. इटा (डी.सी.डी.एफ.)
18. बुधनपुर (आजमगढ़)
19. दोहारोघाट (आजमगढ़)
20. पिहानी (हरदोयी)
21. शाहजहांपुर
22. जोया (मुरादाबाद)
23. भरथाना (इटावा)
24. दर्शन नगर (फैजाबाद)

(डी.सी.डी.एफ-- क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलेपमेंट फेडरेशन के स्वामित्व में)

नये शीत भंडार (प्रत्येक 4,000 टन)

	स्थान	इकाईयों की संख्या
1	2	3
1.	मैनपुरी	2

1	2	3
2.	फर्रूखाबाद	4
3.	जौनपुर	2
4.	गाजीपुर	2
5.	उन्नाव	2
6.	मथुरा	1
7.	आगरा	1
8.	बाराबंकी	1
9.	बुलंदशहर	1
10.	अलीगढ़	1
11.	बदायूं	1
12.	इटावा	1
13.	रायबरेली	1
14.	बलिया	1
15.	हरदोयी	1
16.	लखनऊ	1
17.	एटा	1
		24

मद्य-निर्माणशालाओं को लाइसेंस देने के बारे में नई नीति

199. **श्री गुरुदास कामत :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्यनिर्माण-शालाओं तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब एककों को लाइसेंस देने के बारे में कोई नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इसे सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) गैर-शीरे के कच्चे माल पर आधारित एल्कोहल का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति की औद्योगिक विकास विभाग के प्रेस नोट संख्या 8 (1988 सीरीज), दिनांक 4 अप्रैल, 1988 द्वारा घोषणा की गई है। प्रेस नोट की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1988

प्रेस नोट सं. 8

(1988 सीरीज)

विषय : गैर-शीरे के कच्चे माल पर आधारित एल्कोहल का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन।

राज्यों में मद्य निषेध को लागू करने के फलस्वरूप भारत सरकार ने 100 % निर्यात उन्मुख मामलों को छोड़कर एल्कोहलिक ड्रिंक्स का डिस्टीलेशन अथवा ब्रूइंग करने के लिए अतिरिक्त क्षमता के सृजन अथवा वर्तमान क्षमता में विस्तार करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। यह निर्णय किया गया था कि ऐसे मामलों को छोड़कर जहां एल्कोहलिक ड्रिंक्स का उत्पादन केवल निर्यात के लिए किया जाना हो, एल्कोहलिक ड्रिंक्स का डिस्टिलेशन करने के लिए नये उपक्रमों अथवा वर्तमान क्षमता में विस्तार करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इस निर्णय के बारे में सरकार के दिनांक 19.11.1975 के प्रेस नोट द्वारा सूचना दी गई थी और इसे बाद में जारी किए गए दिनांक पहली अप्रैल, 1981 के प्रेस नोट में दोहराया गया था।

2. इस स्थिति की अब समीक्षा की गई है और औद्योगिक एल्कोहल का उत्पादन करने के लिए शीरे की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध करने तथा एल्कोहलिक ड्रिंक्स के अवैध डिस्टिलेशन को कम करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की नीति में ढील दे दी जाए ताकि गैर-शीरे के कच्चे माल पर आधारित पोटेबल एल्कोहल का उत्पादन करने के लिए नये यूनिट स्थापित कर तथा वर्तमान यूनिटों में विस्तार कर अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने के लिए व्यवस्था की जा सके। ऐसे कच्चे माल में आलू, टेपिओका, महुआ के फूल, केश्यू एपल, चुकन्दर, बोट-रूट, विभिन्न किस्मों के फल, मोटे अनाज (मक्का, ज्वार, बाजरा), खराब गेहूँ/चावल शामिल होते हैं। तथापि, यह उद्योग सरकार के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 16.2.73 के एग्जेक्शन नोटीफिकेशन की अनुसूची-4 में बना रहेगा। अतः पूंजीनिवेश की

मात्रा का लिहाज किए बिना उत्पादन के इस क्षेत्र में क्षमता स्थापित करने से पूर्व उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस वस्तु का उत्पादन करने के इच्छुक लघु यूनिटों के लिए भी औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3. यह नोट किया जाए कि यह ढील केवल गैर-शीरे पर आधारित एल्कोहल ही लागू होती है और जहां तक शीरे पर आधारित एल्कोहल और बीयर का सम्बन्ध है, उन पर यह प्रतिबंध बराबर लगा रहेगा।

4. इच्छुक पार्टियां निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित फीस के साथ आशय-पत्र प्रदान करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग, भारत सरकार में सेक्रेटेरिएट फार इन्डस्ट्रियल एप्रूवल्स को आवेदन पत्र भेज सकती है। आवेदकों को आवेदन-पत्र की एक प्रति नामित प्राधिकारी जैसे संबंधित राज्य सरकार के उत्पाद शुल्क आयुक्त, जिनकी प्रस्तावित आवेदन-पत्र पर विशेषतया कच्चे माल की अपेक्षित मात्रा की निरन्तर उपलब्धता की दृष्टि से सिफारिश प्राप्त करना आवश्यक होगा, को भी देनी चाहिए। आवेदकों को वर्ष भर में कच्चे माल की विभिन्न किस्मों का इस्तेमाल करने के लिए मिश्रित प्रौद्योगिकी को तरजीह देनी चाहिए ताकि निर्यातक यूनिटों को एक ही कच्चे माल अथवा अन्य राज्यों से उनकी उपलब्धता पर निर्भर न करना पड़े। फिलहाल, इस प्रकार उत्पादित एल्कोहल केन्द्रीय सरकार के मूल्य नियंत्रण के अधीन नहीं आएगा।

एफ सं. 10(84)/87-एल.पी. नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1988

प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो को इसका व्यापक प्रचार करने के लिए प्रेषित

हस्ता./-

(पी.के.एस. अय्यर)

निदेशक

मुख्य सूचना अधिकारी,
प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो,
नई दिल्ली

नवोदय विद्यालय और शिक्षा का माध्यम

200. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के अन्त तक प्रत्येक राज्य में कितने नवोदय विद्यालय खोले गए हैं; और

(ख) देश भर में नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्या है?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री. एल. पी. शाही) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) नवोदय विद्यालयों में कक्षा xI स्तर पर दाखिला किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार दाखिल किए गए अधिकांश छात्रों को पहले मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़ाया गया होगा, कक्षा vii अथवा viii तक उसी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी, इस समय के दौरान हिन्दी/अंग्रेजी का भाषा विषयों और यह माध्यम दोनों के रूप में गहन अध्यापन आरम्भ किया जाएगा। उसके बाद सभी नवोदय विद्यालयों में हिन्दी/अंग्रेजी भाषा के सामान्य माध्यम होंगे।

विवरण

वर्ष 1988 के अन्त तक राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार संस्वीकृत/खोले गए
नवोदय विद्यालयों की संख्या

1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	बिहार	23
3.	गुजरात	6
4.	हरियाणा	9
5.	हिमाचल प्रदेश	8
6.	जम्मू तथा काश्मीर	14
7.	कर्नाटक	18
8.	केरल	10
9.	मध्य प्रदेश	28
10.	महाराष्ट्र	19
11.	मणिपुर	7
12.	मेघालय	3
13.	नागालैंड	1
14.	उड़ीसा	12
15.	पंजाब	7
16.	राजस्थान	20
17.	सिक्किम	1

1	2	3
18.	त्रिपुरा	1
19.	उत्तर प्रदेश	29
20.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2
21.	अरुणाचल प्रदेश	5
22.	चंडीगढ़	1
23.	दिल्ली	1
24.	गोआ	2
25.	दादर तथा नागर हवेली	1
26.	लक्षद्वीप	1
27.	मिजोरम	2
28.	पांडिचेरी	4
29.	दमन तथा द्वीव	2
	कुल :	256

राज्यों को कृषि के लिए धन का आवंटन

201. श्री मतिलाल हंसदा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कृषि के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई तथा कितनी धन-राशि का उपयोग किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान चावल तथा गेहूं का कितना उत्पादन हुआ और इसकी कितनी खरीद की गई तथा निर्धारित लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया; और

(ग) यदि कोई कमी रही, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण-1 संलग्न है।

(ख) छठी योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान चावल और गेहूं के अनुमानित उत्पादन के बारे में और चावल और गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य के बारे में एक

विवरण-2 संलग्न है अधिप्राप्ति के कोई लक्ष्य नियत नहीं किए जाते हैं क्योंकि धान और गेहूँ किसानों द्वारा स्वैच्छिक रूप से किए जाने वाले प्रस्ताव पर खरीदे जाते हैं और चावल को अधिप्राप्ति मुख्यतया मिल मालिकों और डीलरों पर लेवी लगाने के तहत की जाती है ।

(ग) चूंकि, अधिप्राप्ति के लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं, अतः इस सम्बन्ध में प्रश्न ही नहीं होता ।

विवरण-1

वन के अलावा कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिये राज्य आवंटन और छठी और सातवीं योजना के दौरान इन पर उपयोग की गयी धनराशि ।

(लाख रुपए में)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	छठी पंचवर्षीय योजना		सातवीं योजना		
		परिव्यय (रुपए)	वास्तविक व्यय (रुपए)	(1985-90 परिव्यय (रुपए)	1985-86 (रुपए)	1986-87 (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7
1,	आन्ध्र प्रदेश	11256	8957	21310	3129	4054
2.	अरुणाचल प्रदेश	2587	2790.04	5410	816.17	1022
3.	असम	12385	12820	23575	4575	6032
4.	बिहार	14566	12754	23315	5573	8973
5.	गोआx	1895	1801.71	2737	435.66	478
6.	गुजरात	14690	21326	25676	4237	5989
7.	हरियाणा	14113	13620	21034	3037	3319
8.	हिमाचल प्रदेश	7171	6902	11478	1279	2810
9.	जम्मू और कश्मीर	6472	7217	12233	2249	3067
10.	कर्नाटक	16351	18408	23800	3476	4458
11.	केरल	19256	16069	24675	4328	4866
12.	मध्य प्रदेश	19310	22470	35566	4763	6653

x इसमें "दमन और दीव" के लिये भी प्रावधान शामिल है ।

1	2	3	4	5	6	7
13.	महाराष्ट्र	23618	34490	54961	9370	10402
14.	मणिपुर	2365	2847	4219	687	824
15.	मेघालय	2603	3199	4595	884	1011
16.	मिजोरम	2434	2219.66	3540	663.28	738
17.	नागालैंड	2195	2224	5500	650	664
18.	उड़ीसा	10765	11629	19456	3153	4307
19.	पंजाब	18097	16284	29398	4142	4354
20.	राजस्थान	9214	10085	13101	1987	2600
21.	सिक्किम	2682	2537	3900	676	699
22.	तमिलनाडु	25319	30254	35210	7850	9353
23.	त्रिपुरा	3927	4549	5880	1282	1665
24.	उत्तर प्रदेश	24531	37466	62496	9829	13996
25.	पश्चिम बंगाल	25400	15368	29455	4084	3974

विवरण-2

वर्ष	उत्पादन		अधिप्राप्ति	
	चावल (मिलियन मीटरी टन में)	गेहूं	चावल (चावल के रूप में धान सहित) (मिलियन मीटरी टन में)	गेहूं
1	2	3	4	5
1980-81	53.63	36.31	5.61	6.60
1981-82	53.25	37.45	7.33	7.72
1982-83	47.12	42.79	7.05	8.29
1983-84	60.10	45.48	7.73	9.30
1984-85	58.34	44.07	9.86	10.35

1	3	4	5	6
1985-86	63.83	47.05	9.88	10.54
1986-87	60.56	44.32	9.16	7.88
1987-88	56.43	45.10	6.89	6.54

महाराष्ट्र में नकदी फसलों का नाश

202. **श्री प्रकाश बी. पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में बीमारियों के फैलने के कारण प्रत्येक वर्ष काफी मात्रा में नकदी फसलों का नाश हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में नष्ट हुई नकदी फसलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बीमारियों की रोकथाम और समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये तथा अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने संतरा, आम, काजू, आलू और मिर्च जैसी नकदी फसलों को कीटों और रोगों के कारण क्षति पहुंचने की सूचना दी है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हाल के वर्षों के दौरान विभिन्न कीटों और रोगों से प्रभावित फसलवार क्षेत्र नीचे दिया गया गया है :—

क्र. सं	फसल	वर्ष	प्रभावित क्षेत्र (हैक्टेयर)
1	2	3	4
1.	संतरा	1985-86	12840
		1986-87	45609
		1987-88	49955
2.	आम	1985-86	2714
		1986-87	4257
		1987-88	1118

1	2	3	4
3.	मिर्च	1986-87	19337
		1987-88	18000
4.	आलू	1986-87	3136
		1987-88	3732
5.	काजू	1985-86	193
		1986-87	221
		1987-88	192

(ग) उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित सभी फसलों और रोगों को सारे प्रभावित क्षेत्रों में पौध संरक्षण उपाय शुरू करके नियंत्रित कर लिये जाने की सूचना मिली है।

"कृषि महत्व के कीटों और रोगों का नियंत्रण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत प्रभावित किसानों को कीटनाशियों लागत और प्रचालन संबंधी शुल्क पर राजसहायता दी गई है ताकि वे संतरा, आम, मिर्च और आलू के लिये पौध रक्षण उपाय शुरू कर सकें। राज्य सरकार ने पौध रक्षण संबंधी योजना के तहत व्यय की सूचना दी है, जो निम्न प्रकार है :—

क्रम. संख्या	फसल	वर्ष	व्यय (लाख रुपए में)
1	2	3	4
1.	संतरा	1985-86	18.72
		1986-87	109.63
		1987-88	448.06
2.	आम	1985-86	10.98
		1986-87	5.75
		1987-88	5.15
3.	मिर्च	1986-87	11.20
		1987-88	14.81
4.	आलू	1986-87	2.16
		1987-88	2.90

1	2	3	4
5.	काजू	1985-86	0.45
		1986-87	0.45
		1987-88	0.49

दिल्ली परिवहन निगम के मार्गों पर प्राइवेट बसों से होने वाली दुर्घटनाएं

203. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या जल-भूतल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम के मार्गों पर चलने वाली अनेक प्राइवेट बसों से घातक दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीने के दौरान ऐसी प्राइवेट बसों के कितने समझौते रद्द किए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) जहां जानलेवा दुर्घटनाओं के लिए चालकों को जिम्मेवार ठहराया जाता है, वहां दिल्ली परिवहन निगम प्राइवेट बसों को हटा देता है। पिछले 6 महीनों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम ने 6 प्राइवेट बसों के मामले में करार रद्द कर दिया है और प्राइवेट बसों के चालकों को दुर्घटनाओं में जिम्मेदारी तय करने के संबंध में 18 मामलों की जांच की जा रही है।

राउरकेला में स्लैग सीमेंट संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव

204. **श्री हरिहर सोरन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला में एक स्लैग सीमेंट संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव काफी समय से लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को अब तक मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव पर पुनः ध्यान देने तथा वर्ष 1988-89 या 1989-90 के दौरान राउरकेला में एक स्लैग सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि कोई फालतू स्लैग उपलब्ध नहीं है, अतः अभी इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता।

इम्फाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विस्तार

205. श्री एन. टोम्बी सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदराज के स्थानों में रहने वाले लोगों तक कृषि अनुसंधान के लाभ पहुंचाने के लिए इम्फाल में भारतीय कृषि अनुसंधान यूनिट की नई शाखाएं खोलने पर विचार कर रही है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न कार्यक्रमों पर पृथक-पृथक कितना व्यय किया गया ;

(ग) क्या सरकार ने इस राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यों से हुए और होने वाले लाभों का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) जी नहीं।

(ख) खर्च का विवरण नीचे दिया गया है :

	1985-86	1986-87	1987-88
	रु. लाख में		
भा. कृ. अ. प. की अनुसंधान योजनाएं	57.8	17.5	29.1
कृषि विज्ञान केन्द्र	5.59	6.00	26.31
राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना	0.94	0.79	0.88
प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम	0.21	0.07	0.53

(ग) जी हां।

(घ) परिषद ने पंचवर्षीय समीक्षा दलों की नियुक्ति करके समय समय पर इम्फाल केन्द्र के कार्य की समीक्षा की है अब तक दो पंचवर्षीय समीक्षा दलों ने 1975-80 तथा 1981-86 को अवधि के कार्य की समीक्षा की है। दल ने केन्द्र को यह सुझाव दिया है कि वे अपनी फार्मिंग प्रणालियों के अनुसन्धान, पशु प्रजनन, पशु आहार तथा प्रौद्योगिकी स्थानांतरण जैसे विभिन्न प्रयत्नों में तेजी लाएं .

चुने हुए तीन गांवों जैसे चिनन, युमनम तथा किनोऊ में बहु-फसली कार्यक्रमों के तहत केन्द्र ने खेत-प्रदर्शन शुरू किये हैं। केन्द्र क्षेत्र के किसानों के लिए प्रमाणिक प्रौद्योगिकियों के प्रचार के लिए प्रयत्न कर रहा है।

इसके अलावा इस केन्द्र ने ब्लैक क्वार्टर जैसी मवेशियों की भयानक बीमारी के लिए एक सफल टीका विकसित किया है वर्ष 1987 के दौरान बड़े पैमाने पर टीका लगाने के लिए इस टीके की 50,000 खुराकें तैयार की गई, उनकी जांच की गई, उन्हें मानकीकृत किया गया और राज्य को सप्लाई की गई।

शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन

206. **श्री एच. बी. रामुलु : क्या मानव संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी. वी. रमण की जन्म शताब्दी के अवसर पर कलकत्ता में प्रधान मत्री की हाल में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार का वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कोई परि- करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) को तैयार करते समय, प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा प्रणाली की कमियां ध्यान में रखी गई थीं। नई नीति के प्रारम्भिक अध्याय में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यापक पहुंच कोटि मात्रा, उप-योगिता तथा वित्तीय परिव्यय जैसी विविध कमियां तथा समस्याएं व्याप्त हैं। शिक्षा प्रणाली में वांछित परिवर्तन लाने के लिए, इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि मानव एक ऐसी रचनात्मक परिसम्पत्ति तथा मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधन है जिसे अद्भुत शक्ति के साथ संयोजित करने, विनम्रता तथा सावधानी से देखरेख करने, उसको समृद्ध बनाने तथा उसका विकास करने की आवश्यकता है।

नई नीति के कार्यान्वियन के लिए, एक विस्तृत कारंवाई योजना बनाई गई थी और अगस्त, 1986 में संसद द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। इस कार्यवाई योजना में शिक्षा की विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया में सराहनीय परिवर्तन करने, गणित शिक्षण तथा विज्ञान शिक्षा में सुधार करने सहित, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की पुनःसंरचना तथा उसके पुनर्गठन करने के सभी पक्षों को शामिल किया गया है। इस कारंवाई-योजना में अनेक उपाय आरम्भ किए गए हैं ताकि शिक्षा के लिए नई अवस्थापना प्रदान की जा सके तथा सृजनात्मकता को बढ़ावा तथा प्रतिभा का प्रोत्साहित किया जा सके।

तिलहन उत्पादन सम्बन्धी आयात आदि से संबद्ध समेकित नीति

207. **श्री बी. एस. बासवराजू :**

श्री टी. बी. चन्द्रशेखरप्पा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहनों के उत्पादन, आयात, वितरण और मूल्य निर्धारण के बारे में समेकित नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो मंजूर नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस नीति के अन्तर्गत तिलहनों का कितना "बफर स्टाक रखने की योजना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) से (ग) जी हां। सरकार ने तिलहनों के उत्पादन, आयात, वितरण और मूल्य निर्धारण पर एक समेकित नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति की निम्नलिखित मुख्य बातें हैं :—

(1) उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, निवेश आदि से किसानों की सहायता;

(2) लोक वितरण प्रणाली में वितरण खाद्य तेल के मूल्यों की समीक्षा करना ताकि इसके खाद्य तेल की घरेलू लागत से इसका संबंध सुनिश्चित किया जा सके ;

(3) निर्धारित कीमत सीमा में उचित मूल्यों पर कमी वाले मौसम के दौरान बाजार में रिलीज किये जाने के लिए बफर स्टाक बनाने के उद्देश्य से लाभदायक मूल्यों पर फसल की कटाई के तुरन्त बाद राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा घरेलू उत्पादित तिलहनों/खाद्य तेलों की खरीद।

2. समेकित नीति से किसानों, उपभोक्ताओं, व्यापार तथा उद्योगों के पारम्परिक हित में तालमेल होगा और पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। देश का अक्टूबर, 1988 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में 4700 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्य तेलों का आयात किया गया था। "तेल वर्ष" नवम्बर, 88-अक्टूबर, 89 में तेल का आयात पिछले वर्ष की तुलना में आधे से भी कम होने की सम्भावना है।

3. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड घरेलू उत्पादित तिलहनों/खाद्य तेलों की व्यापारिक पैमाने पर खरीद करेगा। इसके अलावा इस बोर्ड को आयात किये गए तेल के स्टाक का एक भाग भी दिया जाएगा ताकि बफर स्टाक बनाया जा सके और तेल के थोक मूल्य निर्धारित सीमा में रहें।

समन्वित बाल विकास योजना का उड़ीसा में कार्यान्वयन

209. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में समन्वित बाल विकास योजना को लागू किया गया है और कब से;

(ख) यदि हां, तो राज्य के किन-किन क्षेत्रों में ऐसी समन्वित बाल विकास योजना कार्यान्वित की जा रही है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत बाल परिचर्या और भावी माताओं के लिए उपलब्ध कराई गई "सर्विस पैकेज" का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) उड़ीसा राज्य समेत देश में समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना 1975-76 में शुरू की गई थी।

(ख) शुरू में उड़ीसा में 1975-76 में एक आई. सी. डी. एस. परियोजना थी और अब वहां 105 आई. सी. डी. एस. परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं के जिला-वार स्थान दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है :—

(ग) समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं :—

1. पूरक पोषाहार,
2. रोग प्रतिरक्षण टीके लगाना
3. संदर्भ सेवाएं
4. पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा; और
5. अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा।

31.12.86, 31.12.87 और 31.12.88 की स्थिति अनुसार उड़ीसा में विभिन्न सेवाओं से लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है :—

विवरण-1

उड़ीसा में आई. सी. डी. परियोजनाओं का जिला-वार स्थान

क्रम सं.	जिले का नाम	परियोजना/ब्लाक/वाहर का नाम
1.	2.	3.
1.	बालासोर	1. नीलगिरि
		2. रेमुना
2.	बोलनगीर	1. खाओएस-खोल
		2. ब्रह्मपुराजतुर
		3. पटनागढ़
		4. तुरीकेला
		5. तितिलागढ़
		6. मुरीबहल
		7. बंगामुण्डा
3.	कटक	1. अथागढ़

1	2	3
3. कटक		2. सालपुर
		3. बालीकुडा
		4. बिन्झारपुर
		5. राजकनिका
		6. राजनगर
		7. सुकनीदा
		8. कटक सदर
		9. रघुनाथपुर
		10. दशरथपुर
		11. कटक शहर
4. ढेनकनाल		1. कन्कराहाड़
		2. अथामलिक
		3. पालाहाड़ा
		4. किसननागार
5. गंजम		1. खालीकोट
		2. कुकुदाखण्डी
		3. बुगुडा
		4. गुमा
		5. कवि सूर्यानगर
		6. रायागाडा (महेन्द्रगिरि)
		7. नुआगाडा
		8. आर-उदयगिरि
6. कालाहाण्डी		1. लांजीगढ़
		2. गोलामुण्डा
		3. बोदन

1	2	3
6.	कालाहाण्डी	4. कोकसारा
		5. सिनापल्ली
		6. थ-रामपुर
		7. कामा
		8. जरियाव
		9. नवापाडा
7.	क्योनझर	1. बंसपाल
		2. हरिचन्दनपुर
		3. झुमपुरा
		4. जोडा
		5. घटगांव
		6. सहारापदा
8.	कोरापुट	1. पोटनगी
		2. उमेरकोट
		3. मल्कानागिरि
		4. नारायणपटना
		5. बन्धुगांव
		6. चन्द्रपुर
		7. गोविन्दापल्ली
		8. गुडारी
		9. कोलानारा
		10. कुडुमुलगुमा
		11. लक्ष्मीपुर
		12. माथिलि
		13. पोडिया

1	2	3
		14. गुनापुर
		15. रामनगुडा
		16. बिसम-कटक
		17. पदमपुर
		18. मुनीगुडा
9.	मयूरभञ्ज	1. जोशीपुर
		2. सामाखुन्टा
		3. मोरोदा
		4. खुन्टा
		5. बिजाठोला
		6. जामदा
		7. ठाकुरमुण्डा
		8. तिरिंगी
		9. बिसोई
		10. उदाला
		11. बारीपदा
10.	फूलबनी	1. दारिंगबाडी
		2. नुआगांव
		3. फिरंगीया
		4. खूजरीपदा
		5. फूलबनी
		6. कोटागढ़
		7. दमुडीबान्ध
		8. चाकापद
		9. टिकाबादी

1	2	3
		10. जी. उदयनगिरि
		11. रायकिया
		12. बालीगुडा
		13. हरमंगा
11.	पुरी	1. ब्रह्मगिरि
		2. भुवनेश्वर शहर
		3. दासापल्ला
		4. खुरदा
12.	सम्बलपुर	1. पदमपुर
		2. पाइकमल
		3. नाकटीदेऊल
		4. बामरा
		5. जम्मनकीरा
		6. सोहेला
13.	सुन्दरगढ़	1. लुहानीपारा
		2. सुबेदगा
		3. राजगंगपुर
		4. गुरुन्डिया
		5. कुटरा
		6. लाथीकाटा

विवरण-2

उड़ीसा में पिछले 3 वर्षों में विभिन्न आई. सी. डी. एन. सेवाओं से लाभ प्राप्तकर्ताओं का ब्यौरा

मद	31.12.86 की स्थिति	31.12.87 की स्थिति	31.12.88 की स्थिति
1	2	3	4
(1) पूरक पोषाहार			
(क) रिपोर्ट की गई परियोजनाओं की संख्या	54	61	66

1	2	3	4
(ख) लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या			
(1) 0-6 वर्ष के बच्चे	301260	507240	589700
(2) गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं	61020	87700	102620
(3) कुल	362280	594940	692320
(2) स्कूल-पूर्व शिक्षा			
(क) रिपोर्ट की गई परियोजनाओं की संख्या	54	61	66
(ख) सेवा प्राप्त कर रहे 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या	141910	154160	178210
(3) अप्रैल तक रोग-प्रतिरक्षण टीके (प्रत्येक वर्ष में)			
(क) रिपोर्ट किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	41	68	76*
(ख) रोग प्रतिरक्षण टीके लगाए गए			
(1) डी. पी. टी.	37362	61162	81268*
(2) डी. टी.	26907	22694	11198*
(3) बी.सी.जी.	40491	81503	78073*
(4) पोलियो	35404	54375	81729*
(5) खसरा	—	18055	40489*
(6) टी.टी.गर्भवती महिलाएं	29359	49692	66624*

* 30.11.1988 की स्थिति के अनुसार

एल्यूमिनियम संयंत्र

[हिन्दी]

210. डा. प्रभात कुमार मिश्र : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे एल्यूमिनियम संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जो लाभ अर्जित कर रहे हैं तथा जो घाटे में चल रहे हैं;

(ख) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के मुख्यालय का दिल्ली से मध्य प्रदेश ले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) 1987-88 के दौरान लाभ में तथा घाटे में चलने वाले एल्यूमिनियम संयंत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रु.)

कंपनी का नाम	वर्ष/अवधि	लाभ (+) हानि (—)	
हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लि.	1987	(+)	14.01
इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	1987	(+)	4.6
मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	वर्ष 30.6.1988 को समाप्त	(—)	2.30
भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	1987-88	(+)	8.31
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	1987-88 में ही परीक्षण उत्पादन शुरू हुआ ।		

(ख) और (ग) दिल्ली स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बाल्को) के मुख्यालय सहित विभिन्न सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों को दिल्ली बाहर ले जाने के बारे में सरकार द्वारा विचार किया गया था, और यह निर्णय लिया गया है कि बाल्को मुख्यालय को दिल्ली में ही बनाये रखा जाए, परन्तु उसके परवर्ती विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।

पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू बम वर्षक विमान सप्लाई किये जाने पर अमरीकी सरकार से विरोध प्रकट करना

[अनुवाद]

211. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री जगन्नाथ पटनायक :
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू बम वर्षक विमानों की सप्लाई की संभावना को ध्यान में रखते हुए अमरीकी सरकार से कोई विरोध प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) सरकार ने इस संभावना पर अमरीका की सरकार को अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी है ।

(ख) अमरीका की सरकार ने यह बताया है कि यद्यपि शस्त्रों की सप्लाई के लिए पाकिस्तान के अनिर्णीत अनुरोधों की सूची पिछली सरकार ने बनाई थी लेकिन वर्तमान सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

केवल स्तनपान करने वाले शिशु

212. डा. जी. विजय रामा राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केवल स्तनपान पर आश्रित रहने वाले शिशुओं की संख्या अनुमानतः कितने प्रतिशत है;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष के वर्ष 1988 के प्रतिवेदन के अनुसार इस संबंध में अन्य अनेक देशों में स्थिति बहुत बेहतर है; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई विशेष योजनाएं हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) देश भर में केवल स्तनपन पर ही आश्रित बच्चों के अनुमानित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) यूनिसेफ की 1988 की रिपोर्ट में भारत में स्तनपान करने वाले बच्चों संबंधी सूचना नहीं है फिर भी यूनिसेफ की 1988 की रिपोर्ट के अनुसार स्तनपान कराने वाली माताओं की प्रतिशत संख्या विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक है।

(ग) भारत सरकार ने 1983 में स्तनपान संरक्षण और संवर्धन के लिए भारतीय राष्ट्रीय संहिता अपनाई है। शिशु दुग्धाहार और दूध पिलाने वाली बोतल (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) बिल, 1986, जिसमें स्तनपान संरक्षण और संवर्धन की अपेक्षा की गई है, राज्य सभा द्वारा पास किया जा चुका है। संसद के चालू सत्र में बिल को पास करवाने की आगे कार्यवाही की जा रही है।

आई. सी. डी एस कार्यक्रम के माध्यम से दूध पिलाने वाली और गर्भवती माताओं को प्रोत्साहन दिया जाता है कि वे अधिक समय तक स्तनपान कराएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के "मैन्युअल आफ हैल्थ वर्क्स" में स्तनपान के महत्व पर जोर दिया गया है तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा माताओं को यह शिक्षा दी जाती है कि वे स्तनपान कराएं।

बाढ़ ग्रस्त महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता

213. **श्री सोमाजीराव ककाडे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय दल ने भारी वर्षा के कारण हुई हानि का आकलन करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो मांगी गई केन्द्रीय सहायता और महाराष्ट्र को वास्तव में दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ राहत के लिए 174.96 करोड़ रुपए को केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन भेजा था। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और उस पर राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति को सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार के लिए 21.97 करोड़ रुपए की अधिकतम व्यय सीमा स्वीकृत की गई थी।

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

214. **श्री वी. एस. विजयराघवन :**

श्री एच. बी. रामुलु :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नए राजमार्ग घोषित किये जाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन सड़कों को राष्ट्रीय राज्यमार्ग घोषित किया जाना है उनका राज्य वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

क्र.सं.	सड़क का नाम	सड़क के गुजरने का मार्ग	कुल लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4
(1)	कोचीन-मदुरै	केरल/तमिलनाडु	280
(2)	निजामाबाद-जगदलपुर	आंध्र प्रदेश/महाराष्ट्र मध्य प्रदेश	460
(3)	ब्यावर-सिरोही कांडला	राजस्थान/गुजरात	450
(4)	पठानकोट-मंडी	पंजाब/हिमाचल प्रदेश	220
(5)	राष्ट्रीय राज्यमार्ग 8 पर मनोहरपुरा से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर दौसा तक संपर्क मार्ग	राजस्थान	64
		कुल :	1474 कि.मी.

पुस्तकालय खोलने का प्रस्ताव

[हिन्दी]

215. श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में पुस्तकालय खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश के विभिन्न अन्य शहरों में भी ऐसे पुस्तकालय खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कोई पुस्तकालय खोलने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) से (ङ) किसी भी क्षेत्र विशेष में पुस्तकालय स्थापित करने के संबंध में निर्णय करना संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार का काम है। केन्द्रीय सरकार कुछ प्रमुख पुस्तकालयों की देखभाल करती है और राजा राममोहन राय पुस्तालय प्रतिष्ठान, जो इस मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है, राज्य स्तर के पुस्तकालयों तथा पुस्तकालय सेवा प्रदान कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को भी अनुदान देता है। केन्द्रीय सरकार का कोई पुस्तकालय स्थापित करेने का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में दूध की कमी

216. श्री हरीश रावत :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में दूध की कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी अपनी अधिष्ठापित क्षमताओं के अनुसार दिल्ली में तरल दूध की मांग को पूरा कर रही हैं। शेष मांग की पूर्ति सगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में विभिन्न किस्म के स्रोतों से की जाती है।

ताड़ की खेती

[अनुवाद]

217. **डा. दत्ता सामंत :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का महाराष्ट्र सरकार की मदद से कोंकण में सिन्धुदुर्ग जिले में ताड़ की खेती करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानतः कुल कितना व्यय होगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले (महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र) में चालू वर्ष से लगभग 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में संयुक्त रुप से आयलपाम प्रदर्शन परियोजना शुरू की है। इस परियोजना की 5 वर्षों की अवधि की कुल लागत 820.34 लाख रुपए है। लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र पर आयातित बीज बोए जाएगें, जबकि शेष 30 प्रतिशत पर स्वदेश में उत्पादित पौध रोहण सामग्री लगाई जाएगी।

पड़ोसी देशों द्वारा परमाणु प्रौद्योगिकी का आयात

[हिन्दी]

218. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ पड़ोसी देश अन्य देशों से परमाणु प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान तथा बंगलादेश।

(ग) (I) पाकिस्तान :—सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तान चोरी-छिपे हथियार बनाने के अपने नाभिकीय उन्मुख कार्यक्रम के लिए कई देशों से नाभिकीय प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रहा है। पाकिस्तान के इस शस्त्रोन्मुख कार्यक्रम के संबंध में हमारी आशंका से समय-समय पर सभी संबंधितों को सूचित किया जाता रहा। इस मामले पर हमारे प्रधानमंत्री की पाकिस्तान की प्रधान मंत्री सुश्री बेनजीर भूट्टो की हाल ही में हुई बैठक में भी चर्चा हुई थी। इसी बीच सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर निकट रूप से निगाह रखती है।

(ii) बंगलादेश :—बंगलादेश की सरकार ने प्रवासी पूंजी निवेश को तथा सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में रूपपुर में एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाने का अनुमोदन

किया है। इसके अलावा, बंगलादेश के पास अनुसंधान प्रयोजनों के लिए एक आपरेशन नाभिकीय रिएक्टर भी है। बंगलादेश में नाभिकीय प्रौद्योगिकी के आयात के सम्बन्ध में सुरक्षा उपाय नाभिकीय अप्रसार संधि के अन्तर्गत किया जाता है क्योंकि बंगलादेश इस संधि के हस्ताक्षर कर्ताओं में से है। जब तक किसी देश का नाभिकीय कार्यक्रम शांति के कार्यों के लिए होता है तब तक भारत सरकार को ओर से कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है।

अल्लेप्पी उप मार्ग का निर्माण

[अनुवाद]

219. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर अल्लेप्पी उपमार्ग के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना पर अनुमानतः कितनी राशि व्यय होगी;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान इस कार्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) बाई पास के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण लगभग पूरा हो गया है।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत अभी तय की जानी है।

(ग) 1988-89 के दौरान भूमि अधिग्रहण और बाई पास के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं।

(घ) चरणबद्ध रूप से बाई पास के निर्माण को निष्पादित करने के बारे में प्रस्ताव पर राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

नवोदय विद्यालय खोलने के लक्ष्य

220. **श्री हेतराम :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो नवोदय विद्यालय खोलने के मामले में पिछड़े हुए हैं; और

(ख) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) योजना के अनुसार, राज्य/संघ शासित सरकारों को प्रथमतः स्कूलों को चलाने

के लिए अस्थायी प्रयोग के लिए पर्याप्त रिक्त भवनों सहित उपयुक्त 30 एकड़ भूमि निःशुल्क, प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई प्रस्ताव, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इन राज्यों में ऐसा कोई नवोदय विद्यालय स्थापित नहीं किया गया है। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में नवोदय विद्यालय खोलने से संबंधित वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, नए नवोदय विद्यालय खोलने के इस कार्यक्रम को धीमा कर दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रशासन-वार खोले गये विद्यालयों की संख्या और कमी

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जिलों की कुल संख्या	वर्ष 1989-90 तक नवोदय विद्यालय खोलने के लक्ष्य	वर्ष 1988-89 तक खोले गए नवोदय विद्यालयों की संख्या	कमी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23	23	19	4
2.	बिहार	39	39	23	16
3.	गुजरात	19	19	6	13
4.	हरियाणा	12	12	9	3
5.	हिमाचल प्रदेश	12	12	8	4
6.	कर्नाटक	19	19	18	1
7.	केरल	14	14	10	4
8.	मध्य प्रदेश	45	45	28	17
9.	महाराष्ट्र	30	30	19	11
10.	मणिपुर	8	8	7	1
11.	मेघालय	5	5	3	2
12.	नागालैंड	7	7	1	6
13.	उड़ीसा	13	13	12	1

1	2	3	4	5	6
14.	पंजाब	12	12	7	5
15.	राजस्थान	27	27	20	7
16.	सिक्किम	4	4	1	3
17.	त्रिपुरा	3	3	1	2
18.	उत्तर प्रदेश	58	58	29	29
19.	अरुणाचल प्रदेश	10	10	5	5
20.	दिल्ली	3	3	1	2
21.	मिजोरम	3	3	2	1
22.	गोवा	2	2	2	1
23.	जम्मू और कश्मीर	14	14	14	—
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	2	—
25.	चंडीगढ़	1	1	1	—
26.	दादर और नगर हवेली	1	1	1	—
27.	दमन और दीव	2	2	2	—
28.	लक्ष द्वीप	1	1	1	—
29.	पांडिचेरी	4	4	4	—

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना का प्रस्ताव

221. **डा. गौरी शंकर राजहंस :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के नए एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस समय बिहार में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में नए खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों को गिराया जाना

222. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अधिकांश ऐतिहासिक स्मारकों को गिरा दिया गया है अथवा प्रापर्टी डीलरों द्वारा बहुमंजिले फ्लैट बनाने के लिए गिराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन ऐतिहासिक स्मारकों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकार के स्मारकों को गिराये जाने के लिए कोई पूर्व-मंजूरी प्राप्त की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन किसी संरक्षित स्मारक को गिराने की अनुमति नहीं दी जाती ।

भारत अमरीकी सम्बन्ध

[हिन्दी]

223. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका के नए राष्ट्रपति द्वारा पद-भार ग्रहण करने के बाद अमरीका से सम्बन्ध सुधारने हेतु कोई विशेष कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अमरीकी प्रशासन की प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) और (ख) 20 जनवरी, 1989 को राष्ट्रपति बुश द्वारा अपने पद का कार्यभार संभालने के बाद थोड़ी ही अवधि में कई द्विपक्षीय आदान-प्रदान हुए, जैसे राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति बुश के बीच और विदेश मंत्री और अमरीका के विदेश मंत्री के बीच संदेशों और पत्रों का आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी अन्तरण के बारे में द्विपक्षीय बातचीत; और इस समय अमरीका नई दिल्ली में आठवें भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले में भागीदार देश के रूप में भाग ले रहा है। इन घटनाओं से दोनों देशों के इस दृढ़-निश्चय की पुष्टि होती है कि वे द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करते रहेंगे और एक दूसरे के दृष्टि-कोण को और अच्छी तरह समझेंगे ।

(ग) राष्ट्रपति के नाते अपने शपथ दिवस संदेश में राष्ट्रपति बुश ने नीचे लिखे अनुसार कहा है :

"राष्ट्रपति के नाते मैं चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच संबंध और भी सुदृढ़ हों। भारत और अमरीका का स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आदर्शों में एक-समान विश्वास है। आज हमारे दोनों महान लोकतांत्रिक देश परस्पर लाभ और समूची मानवता के लाभ के लिए मिलकर कार्य करते हुए हजारों क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्रपति होने के नाते मैं वचन लेता हूं कि मैं अपने प्रशासन काल के दौरान इस दिशा में प्रयास जारी रखूंगा"।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बंगलौर में आवेदन पत्र के साथ जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना

[अनुवाद]

224. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पास पोर्ट कार्यालय बंगलौर में 26 जनवरी, 1950 को अथवा इसके बाद जन्मे आवेदन कर्ताओं को आवेदन पत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो जन्मतिथि प्रमाण के रूप में विद्यालय का प्रमाण पत्र स्वीकार न किये जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 26 जनवरी, 1950 के बाद जन्मे बहुत से लोगों ने नियमों/नगर निगमों से जन्म प्रमाण-पत्र नहीं लिया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे आवेदन कर्ताओं को हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) से (घ) यह उपाय इसलिए लागू किया गया क्योंकि पासपोर्ट आवेदन-पत्र गैर-भारतीय राष्ट्रिकों से मिल रहे थे। तथापि नगर-पालिका का मूल जन्म-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में आवेदकों के सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण 14 फरवरी, 1989 को संशोधित अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें 26 जनवरी, 1989 से पहले जन्मे आवेदकों के लिए यह विकल्प दिया गया है कि वे जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र, अपेक्षित मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र आदि जैसे अन्य कोई प्रमाण भी भेज सकते हैं। 26 जनवरी 1989 को या इसके बाद जन्मे आवेदकों के संबंध में ही अब नगरपालिका के प्राधिकारियों या जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र अपेक्षित है।

उड़ीसा में निरक्षरता को दूर करने हेतु स्वयंसेवी एजेंसियां

225. **डा. कृपा सिंधु भोई** :
श्री हरिहर सोरन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निरक्षरता दूर करने के कार्य में लगी स्वयंसेवी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा राज्य में निरक्षरता दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) उन स्वैच्छिक संगठनों की एक सूची दर्शाने वाला विवरण संलग्न है जो इस समय उड़ीसा राज्य में भारत सरकार द्वारा 1987-88 और 1988-89 के दौरान सस्वीकृत प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहे है।

(ख) उड़ीसा सरकार 19 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं; 6 राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं; और 28 स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम संचालित कर रही है। इसके अतिरिक्त, स्कूल और कालेज छात्रों को जन कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों तथा विश्वविद्यालयों के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। नेहरू युवक केन्द्र ने भी राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए हैं।

विवरण

1. आंचलिक जनकल्याण युवक संघ
   दयानिधिपुर,
   डाकखाना कृष्ण चन्द्र पुर,
   वाया : बालीमी, जिला धेनकनाल।

2. आर्थिक व सामाजिक-हित-आयोग (ए. एस. एच. ए.)
   मिशन भवन,
   लोईसिंघ, जिला बोलनगीर।

3. बापूजी पथगार,
   डाकखाना सुखा, खण्ड- डुंगोपली,
   जिला बोलनगीर।

4. चक्रधारी ग्राम कल्याण क्लब,
   ग्राम शियारीमालिया,
   जिला धेनकनाल,

5. छतरीबरदायिनी महिला,
   समिति, बसेला, जिला धेनकनाल।

6. सांस्कृतिक विकास एवं सांस्कृतिक संबंध परिषद,
   मैत्रीसरनी,
   कटक।

7. डंगबेरी महिला समिति,
   स्थान : डंगबेरी, तालुक एवं जिला धेनकनाल

8. गणपति युवक संघ,
   बेनूपुर, जिला कटक।

9. ग्राम मंगल पथगार,
डाकखाना सलीपली,
जिला बोलनगीर

10. इंडिया करलरिकन्ट्रक्शन एण्ड
डिजाजटर रिस्पोन्स सर्विस
कालेज रोड, गांधी नगर,
जिला कोरपत।

11. जगन्नाथ युवक संघ
जैल्सीबाघेश,
जिला बोलनगीर

12. जगन्नाथ युवक संघ,
डाकखाता कन्धाकेलगांव
तालुक तितिलीगढ़,
जिला बोलनगीर।

13. जयपोरे एवंजेली लूथर्न
चर्च, जिला कोरापुट

14. जुबा कृषक संघ
नौपाली, वाया बारा सिन्हा,
जिला बोलनगीर

15. जुवा ज्योति युवक संघ
डाक व गांव घाटीपेर
ओडपदा, जिला धेनकानाल

16. कन्याबेद महिला समिति
कन्याबेद ब्लाक,
बानरपाल, जिला धेनकानाल

17. माडर्न यूथ क्लब
महावीर चक,
जिला कटक

18. मून लाइट क्लब
डाकखाना संघपुर
जिला धेनकनाल

19. नेताजी युवक संघ
गोइलभाव जिला बोलंगीर

20. नेताजी युवक संघ
बली पोखारी,
डाकखाना पारामंदापुर
जिला बालासोरे

21. समुदाय कार्रवाई कार्यक्रम हेतु
राष्ट्रीय युवा सांसद
डाकखाना मोट्टा, ब्लाक कमक्या नगर
जिला धेनकनाल

22. प्रगति पथगार
डाकखाना, नींम खंडी पेंथा
जिला गंजम

23. राधाकृष्ण पथगार
डाकखाना समर
गुडबेल्ला ब्लाक
जिला बोलंगीर

24. रामजी युवक संघ
डाकखाना सर्वेपल्ली
जिला बोलंगीर

25. सर्वोदय समिति
गांधी नगर
जिला कोरापट

26. सम्बडिका
स्थान : बसेली शाही
डाकखाना पुरी, सदर ब्लाक
जिला पुरी

27. दी डिवाइन लाइफ सोसाइटी
भांजनगर शाखा
डाकखाना एवं ब्लाक भांजनगर,
जिला गंजम ।

28. विश्वास
खरिआर रोड
नवपारा ब्लाक
जिला कालहंडी

बीजों का आयात

226. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजों के विकास को नई नीति के अन्तर्गत किन-किन बीजों का आयात करने का विचार है और तत्संबंधी मूल्य कितना होगा;

(ख) क्या अतीत में देश से पांचवीं, छठी एवं सातवीं योजनावधि के दौरान विभिन्न बीजों का निर्यात करता रहा है और इससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह आयात भारतीय अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य अनुसंधान एवं विकास निकायों की असफलता के कारण आवश्यक हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(च) पांचवीं, छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राज्यों तथा केन्द्र सरकार द्वारा कृषि अनुसंधान और विकास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) सब्जियों, दालों, मोटे कदन्नों, तिलहनों के बीजों का आयात करने और कंद (बल्ब), कलम (कटिंग्स), आदि जैसी सामग्री का प्रवर्धन करने के लिए 1.10.88 से, अर्थात् जिस तारीख से नई बीज नीति लागू की गई थी, 10.2.1989 तक कुल 190 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। अभी तक, 14,820.937 किलोग्राम बीज और 5,28 828 की संख्या में रोपण सामग्री आयात करने के लिए 45 परमिट जारी किए गए हैं। 11,265.75 किलोग्राम बीज और 2,40,178 की संख्या में रोपण सामग्री देश में पहले ही पहुँच चुकी है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) पांचवीं, छठी और सातवीं (जनवरी, 1989 तक) योजना अवधि के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि अनुसंधान और विकास पर 19,322.68 लाख रुपये, 29,029.07 लाख रुपये और 27,396.07 लाख रुपये खर्च किए हैं। इस सम्बन्ध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है।

बंगला देश से भारी संख्या में शरणार्थियों का आना

227. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री वी. निवास प्रसाद :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने गत वर्ष के प्रारम्भ से ही बंगला देश से भारी संख्या में अल्प-संख्यक शरणार्थियों के निरन्तर आगमन पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बंगला देश सरकार के अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत की है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कब तक सौहार्द पूर्ण हल निकल आने की सम्भावना है।

विदेश मन्त्रालय में राज्य राज्य मंत्री (प्रो. के. के तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बंगला देश से भारत में लोगों के गैर कानूनी प्रवेश के विषय में सरकार की चिन्ता से बंगला देश की सरकार को अवगत करा दिया गया है।

उर्वरक उत्पादन

228. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक के उत्पादन हेतु चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त किये जाने की आशा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं,

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर प्रभु): (क) चालू वर्ष, 1988-89 के दौरान न्यूट्रिएन्ट्स के रूप में नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 64.00 लाख टन तथा 22.00 लाख टन है।

(ख) अब तक उत्पादन की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, लक्ष्यों के प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी आधार पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए "दक्षेस" शिखर सम्मेलन में चर्चा

229. **श्री उत्तम राठौड़ :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामाबाद में हाल ही में हुए "दक्षेस" शिखर सम्मेलन में सहकारी आधार पर आतंकवाद की बुराई को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिए गए ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.के. तिवारी) : (क) और (ख) इस्लामाबाद में चौथे "सार्क" शिखर सम्मेलन में राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि आतंकवाद के दमन संबंधी "सार्क" अभिसमय का अनुसमर्थन किया गया है और यह 22 अगस्त, 1988 से लागू हो गया है। उन्होंने सदस्य देशों से ऐसे उपाय करने की मांग की जिनसे इस अभिसमय का शीघ्र कार्यान्वयन किया जा सके।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम का परीक्षण

[हिन्दी]

230. **श्री जगदीश अवस्थी** :

श्री आर एस मोये :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 13 जनवरी, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है जिसमें पाकिस्तान द्वारा निकट भविष्य में चीन के भू-भाग लोप नोर में चीन की सहायता से परमाणु परीक्षण करने के बारे में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा यह मामला राजनायिक स्तर पर संबंधित देशो के साथ उठाया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में देश की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. के.के. तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन पाकिस्तान को नाभिकीय क्षेत्र में सहायता दे रहा है परन्तु इस खबर को साबित करने के लिए कोई पुस्ट साक्ष्य नहीं है। चीन की सरकार ने इस खबर का खंडन किया है और कहा है कि चीन नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार का समर्थक नहीं है। पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के गैर-शान्तिपूर्ण आयामों के बारे में हमारी आशंकाओं को सभी सम्बन्धित देश जानते हैं।

(ङ) सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर निरन्तर निगरानी रखती है जिनसे भारत की सुरक्षा पर असर पड़ सकता हो और इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

मध्य प्रदेश में सूखा राहत

231. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में गंभीर सूखे की स्थिति के बारे में अध्ययन हेतु एक केन्द्रीय दल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिये केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को आवंटित केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग के कृषि आयुक्त ने मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सूखा राहत के लिए 88.03 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

(घ) आयातिक राहत निर्माण कार्य शुरू करने के लिए साधनोपाय के रूप में राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी गई है। इस राज्य को रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 12.69 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई है।

पंचायत प्रमुखों का सम्मेलन

[अनुवाद]

232. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बारह उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों में जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के लगभग 8000 प्रमुखों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन का उद्देश्य क्या था तथा तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) नई दिल्ली में 27 से 30 जनवरी 1989 तक जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों तथा नगरपालिकाओं/टाऊन एरिया समितियों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 11 उत्तरी व पश्चिमी राज्यों के लगभग 6000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ख) सम्मेलन का उद्देश्य पंचायती राज निकायों अथवा जिला, खण्ड और ग्राम स्तरों पर उपलब्ध इसी प्रकार की स्वशासन की इकाईयों के साथ पंचायती राज के ढांचे, जिला आयोजना और

विकेन्द्रीकरण, विकास के कार्यक्रमों की आयोजना और उनके कार्यान्वयन आदि जैसे मामलों पर बुनियादी स्तर पर विचार-विमर्श करना था। विभिन्न मुद्दों पर प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए गए विचार पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आम राय बनाने में लाभप्रद होंगे।

झींगा मछली पकड़ने की औसत दर में कमी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उपाय

233. **श्री दौलत सिंह जी बघेला :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पकड़ी गई कुल झींगा मछली तथा झींगा मछली पकड़ने की औसत दर में कमी के बीच के अन्तर को स्पष्ट करते हुए विशाखापत्तनम के मत्स्य नौका मालिक एसोसियेशन के अभ्यावेदन पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक नौका में झींगा मछली पकड़ने की औसत दर में कमी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्कर उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान पकड़ी गई झींगा मछली की मात्रा नीचे दी जाती है—

वर्ष	झींगा मछली का उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
1983	1.93
1984	2.03
1985	2.72
1986	2.15
1987	1.92

उपर्युक्त आंकड़ों से विदित होता है कि झींगा मछली पकड़ने में गिरावट की कोई प्रवृत्ति नहीं आई है हालांकि 1986 और 1987 में मामूली गिरावट देखी गई है जो कि मछली पकड़ने में स्वाभाविक उतार-चढ़ाव होने और हाल ही में मछली पकड़ने वाले जल पोतों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुई है। झींगा मछली पकड़ने के साधनों के इस्तेमाल पर बने दबाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार मछली पकड़ने के विविध तरीकों को अपनाने और मछली पकड़ने के लिए विशिष्ट जलयानों का इस्तेमाल करने के लिए इस उद्योग को प्रोत्साहित करती है।

इजरायल के साथ सम्बन्ध

234. **श्री कमल नाथ :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल अवीव, इजरायल में एक वीसा कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार इजरायल के साथ अपने संबंध बढ़ाने पर भी विचार कर रही है; और

(ग) अमरीकी कांग्रेसमैन, श्री स्टीफन सोलार्ज के इस देश के हाल के दौरे के दौरान उनके साथ हुई बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. के.के तिवारी): (क) और (ख) तेल-अवीव में वीजा कार्यालय खोलने या इजरायल के साथ सम्बन्ध बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) एशिया और प्रशान्त संबंधी अमरीकी कांग्रेस की उप-समिति के अध्यक्ष श्री स्टीफन सोलार्ज के साथ क्षेत्रीय मसलों पर जो चर्चा हुई उसके दौरान इजरायल के साथ सम्बन्धों के विषय में प्रासंगिक चर्चा भी हुई । फिलीस्तीन के मुद्दे तथा इजरायल के साथ संबंधों के संगत मुद्दे पर हमने अपनी संगत तथा सिद्धान्तगत नीति बताई ।

फसल बीमा योजना

235. **श्री शरद दिघे :**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने व्यापक फसल बीमा योजना को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने हेतु की जाने वाली समीक्षा पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) संशोधित योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) वृहत फसल बीमा योजना के कार्य-निष्पादन को महत्व देते और विवेचनात्मक समीक्षा करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया था ताकि उसमें नीति संबंधी परिवर्तन सुझाये जा सकें । दल ने अब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है, जिस पर विचार किया जा रहा है ।

पेय जल की समस्या का हल करने के लिए लघु प्रौद्योगिकी मिशनों के अन्तर्गत खर्च की गई धनराशि

[हिन्दी]

236. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में जिलेवार कितनी राशि खर्च की गई है तथा तत्सम्बन्धी उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में उक्त मिशन की उपलब्धियां अपर्याप्त हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार विशेष रुचि लेकर इन क्षेत्रों में उक्त कार्यक्रम का विस्तार करके पेय जल की समस्या को हल करने के लिए मदद देगी; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य को किस प्रकार किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों (जिलों) में खर्च की गई धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इन मिनी मिशन जिलों के 13084 अधिक समस्या वाले गांवों में से 6710 गांवों के लिए जल स्रोतों का पता लगा लिया गया है। इसमें से 2445 गांवों में बोर कुंओं का काम पूरा हो गया है और शेष गांवों में कार्य पूरा होने की विभिन्न स्थितियों में है। इसके अलावा, जल में खारेपन, फ्लोरोसिस, अधिक लौह पर नियंत्रण पाने तथा गिनीकृमि आदि को दूर करने से संबंधित विभिन्न उप-मिशनों के अन्तर्गत जल संरक्षण, वर्षा के जल को एकत्र करने के ढांचों, जल गुणवत्ता विश्लेषण, स्वास्थ्य शिक्षा और जन जागरूकता अभियान जैसी गतिविधियों के लिए योजनायें कार्यान्वित की जाती है। मिनी मिशन परियोजना जिलों में केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत भी योजनाएं आरम्भ की जाती हैं। तथापि, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की उपलब्धियों की केन्द्र सरकार के स्तर पर जिलावार आधार पर निगरानी नहीं की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्रों के समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु किए गए उपायों में जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाना, वैकल्पिक स्रोतों से स्वच्छ पेयजल की सप्लाई करना, गिनीकृमि से प्रभावित गांवों में स्टेप कुओं को सेनीटरी कुंओं में परिवर्तित करना, पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी करना आदि शामिल है। केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई सामान्य सहायता के अलावा, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बराबर की धनराशि की व्यवस्था की शर्त के बिना मरुभूमि विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई करने के लिए विशेष सहायता के रूप में 14.27 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। राज्य सरकार को 1987-88 में यह विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई थी और वह 1989-90 में भी उपलब्ध कराई जाएगी।

विवरण

21.2.1989

मिनी मिशन जिलों में व्यय का ब्यौरा

राज्य	मिनी मिशन का नाम	किया गया व्यय (लाख रुपये में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	कुरनूल	143.50
	महबूबनगर	3.12

1	2	3
	पूर्वी गोदावरी	10.00
अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग	—
असम	काछार/दारंग	2.16
बिहार	पलामू	25.57
	रोहतास	6.50
	गिरीडीह	5.10
	सिंहभूमि	5.50
	साहिबगंज	1.90
गोवा	सम्पूर्ण राज्य	3.73
गुजरात	कच्छ	47.82
	जामनगर	27.54
	डांग	9.00
हरियाणा	गुड़गांव	99.97
	अम्बाला	61.45
हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	49.88
जम्मू और कश्मीर	उधमपुर	1.56
	अनंतनाग	—
कर्नाटक	गुलबर्गा	118.75
	धारवाड़	33.83
	रायचूर	25.36
केरल	पालघाट	66.16
मध्य प्रदेश	झाबुआ	260.68
	राजगढ़	170.47
	शाहडोल	6.65
महाराष्ट्र	सतारा	31.43

1	2	3
	लतूर	9.85
मणिपुर	दक्षिण मणिपुर	15.00
मेघालय	पश्चिम खासी	78.72
मिजोरम	आइजबाल	59.51
नागालैण्ड	कोहिमा	86.66
उड़ीसा	कोरापुट	37.25
	फूलबनी तथा गंजम	7.41
	के 5 खंड	
	मयूरभंज	0.00
पंजाब	फिरोजपुर	85.09
	अमृतसर	53.77
राजस्थान	बाड़मेर	147.58
	चुरू	10.09
	नागौर	10.20
सिक्किम	दक्षिणी/पूर्वी जिला	9.13
तमिलनाडु	रामनाथपुरम	105.00
	दक्षिणी आरकोट	—
	सलेम	—
त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	14.00
उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	235.77
	आगरा	66.45
	उन्नाव	30.00
	सुल्तानपुर	10.00
पश्चिम बंगाल	बांकुरा	184.32
	मिदनापुर	137.46

1	2	3
	पुलिया	27.88
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	सम्पूर्ण संघशासित क्षेत्र	—
लक्षद्वीप	सम्पूर्ण संघशासित क्षेत्र	—
पाण्डिचेरी	सम्पूर्ण संघशासित क्षेत्र	16.22
कुल		2654.99

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय मुर्गीपालन फार्मों की स्थापना

237. **श्री राज कुमार राय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में केन्द्रीय मुर्गीपालन फार्मों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हैस्सरघट्टा (बंगलौर), बम्बई, भुवनेश्वर और चण्डीगढ़ स्थित विद्यमान केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म उत्तर प्रदेश को अच्छे चूजों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति में हैं। अतः उत्तर प्रदेश सहित देश के किसी भी भाग में कोई नया केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के अन्तर्गत मैटाडोर चलाने के लिए परमिट जारी करना

238. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में दैनिक यात्रियों की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए कुछ विशिष्ट मार्गों पर यात्रियों को लाने ले जाने हेतु दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन प्राधिकरण के अन्तर्गत मैटाडोर चलाने के लिए गैर-सरकारी ठेकेदारों को परमिट जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव दिल्ली परिवहन प्राधिकरण या दिल्ली परिवहन निगम के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली प्रशासन के राज्य परिवहन प्राधिकरण की अनुमति से मानक आकार की बसों और अन्य बसों के जरिए यातायात की जरूरतें पूरी की जा रही हैं।

पोलैंड द्वारा भारत के जहाज निर्माण कार्य में रुचि लेना

[अनुवाद]

239. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड ने भारत के साथ जहाज निर्माण कार्य विशेषत: "फिशिंग ट्रालर्स" के निर्माण में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में रुचि दिखाई है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) आर्थिक, व्यापार और वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग विषयक भारत-पोलिश संयुक्त आयोग के दिल्ली में 9-12 जनवरी, 1989 को बारहवें अधिवेशन में चर्चा के दौरान पोलिश पक्ष ने भारत में इन जहाजों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी तथा उपकरण/मुख्य इंजिन के अन्तरण में अपनी रुचि दिखाई थी। ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार उन पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगी।

तिरूव्युरु जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश में नवोदय विद्यालय की स्थापना

240. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से कृष्णा जिले में तिरूव्युरु में नवोदय विद्यालय खोलने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार का वहां पर अगले शैक्षिक वर्ष से नवोदय विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रस्तावित विद्यालय में दाखिले के लिए मई 1989 में प्रवेश परीक्षा ली जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, हाल ही में नवोदय विद्यालय समिति की कार्यकारी समिति द्वारा यह निर्णय किया गया है कि देश में 1989-90 के दौरान नये नवोदय विद्यालय खोलने की गति धीमी की जानी चाहिए।

लक्षद्वीप अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और मुख्य भूमि के बीच नौवहन सेवा

241. श्री ई. अय्यपू रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप और मुख्य-भूमि तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा मुख्य भूमि के बीच भारतीय नौवहन निगम के कितने मालवाही और यात्री जहाज चल रहे हैं,

(ख) यात्रियो और माल परिवहन की क्या दरें वसूल की जाती हैं, और

(ग) इन सेवाओं के परिचालन में निगम को कितना घाटा उठाना पड़ा है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) भारतीय नौवहन निगम को 1987-88 के दौरान इन सेवाओं के प्रचालन पर हुए घाटे नीचे दर्शाए गए हैं—

	1987-88 (लाख रुपए) (अनंतिम)
(I) मुख्य भूमि-लक्षद्वीप सेवा	563.49
(II) मुख्यभूमि-अण्डमान सेवा	1853.72

विवरण

(क) मुख्य भूमि-लक्षद्वीप और मुख्य भूमि-अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सेवाओं पर चलाए गए यात्री व कार्गो जहाजो के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं—

मुख्य भूमि-लक्षद्वीप सेवा

(1) एम वी अमीनदीवी—भारतीय नौवहन निगम के स्वामित्व में

(2) एम वी भारत सीमा

(3) एम वी टीपू सुल्तान लक्षद्वीप प्रशासन के स्वामित्व में

(4) एम वी द्वीप सेतु

मुख्य भूमि-अण्डमान सेवा

यात्री-व-कार्गो जहाज

(1) एम वी हर्षवर्धन	भारतीय नौवहन निगम के स्वामित्व में
(2) एम वी अण्डमान	अण्डमान और निकोबार प्रशासन के
(3) एम वी अकबर	स्वामित्व में
(4) एम वी नाज्ड	
(5) एम वी नाज्ड III	चार्टर्ड जहाज

कार्गो जहाज

(1) एम वी निगलीपुर — भारतीय नौवहन निगम के स्वामित्व में

(ख) इन जहाजों वपर सूले जाने वाला यात्री भाड़ा और माल भाड़ा दरें नीचे दर्शाई ग हैं—

1. **मुख्य भूमि-लक्षद्वीप सेवा**

एकोमोडेशन	वसूला गया भाड़ा (भोजन प्रभार को छोड़कर)				
	एम वी अमीनदीवी		एम वी भारत सीमा	एम वी टीपू—सुल्तान	एम वी द्वीप सेतु
	द्वीप वासियों के लिए	दूसरों के लिए			
	(आंकड़े रुपयों में)				
(क) डिलक्स केबिन	103.75	445.00	250.00 (आनर्स केबिन)	224.00 (प्रथम श्रेणी केबिन)	
(ख) दो बर्थ केबिन	82.50	380.00	82.50		
(ग) चार और छह बर्थ केबिन	62.50	315.00	62.50 (4 बर्थ केबिन)		
(घ) द्वितीय श्रेणी केबिन				85.00	
(ङ) बंक श्रेणी	41.25	200.00			
(च) डेक श्रेणी	31.25	155.00	31.25	31.25	31.25
(छ) पुलमैन चेयर्स (आगंतुकों/अन्य के लिए वातानुकूलित)	—			120.00	

(II) **महत्वपूर्ण सामग्रियों पर मालभाड़ा दरें**

सामग्री	मालभाड़ा दरें
(क) चावल, गेहूं, चीनी नमक	46.90 रु. प्रति टन
(ख) प्रावधान, रेत सीमेन्ट, ग्रेनाइट, चिप्स आदि	46 90 रु. प्रति टन
(ग) एच एस डी/मिट्टी तेल	37.50 रु. प्रति टन
(घ) जनरल कार्गो	58.65 रु. प्रति टन/सी बी एम

(ङ) सीमेन्ट (50 कि. ग्रा. के बैगों में)	2.55 रु. प्रति बैग
(च) 50 कि. ग्रा. के बैगों में चावल गेहूं ग्रादि	3.45 रु. प्रति बैग
(छ) 50 कि. ग्रा. के बैगों में चीनी	4.65 रु. प्रति बैग

II. मुख्य भूमि-ग्रण्डमान ग्रोर निकोबार सेवा

(I) यात्री भाड़ा (एम. वी हर्षवर्धन)

एकोमोडेशन	भाड़ा (भोजन प्रभार छोड़कर)
(क) संलग्न प्रसाधन के साथ सिंगल बर्थ डिलक्स केबिन	रु. 837.00
(ख) संलग्न प्रसाधन के साथ दो बर्थ डिलक्स केबिन ग्रौर संलग्न प्रसाधन के साथ चार बर्थ वाली प्रथम श्रेणी	रु. 769.50
(ग) कामन प्रसाधन ग्रौर पोर्ट होल के साथ चार बर्थ/छह बर्थ वाली द्वितीय श्रेणी "क"	रु. 583.50
(घ) कामन प्रसाधन के साथ चार बर्थ वाली द्वितीय श्रेणी "ख"	रु. 532.50
(ङ) बंक (वातानुकूलित)	रु. 125.00
यात्री भाड़ा (एम वी ग्रण्डमान)	
(क) दो बाथ ग्रौर ड्राइंग रुम (दो बर्थ) के साथ डिलक्स केबिन	रु. 770.00
(ख) संलग्न बाथ और डब्ल्यू सी (दो बर्थ) "क" स्टेट रुम	रु. 769.50
(ग) बगैर बाथ के दो बैड वाले "ख" स्टेट रुम	रु. 732.00
(घ) चार ग्रौर छह बर्थ के साथ "ग" स्टेट रुम	रु. 583.50
(ङ) बंक श्रेणी (साधारण)	रु. 86.25
यात्री भाड़ा (एम वी ग्रकबर)	
(क) सलग्न बाथ (ए सी सी) के साथ डिलक्स केबिन	रु. 837.00
(ख) बगैर संलग्न बाथ के केबिन (ए सी सी)	रु. 750 00
(ग) डार्मिटरी (ए सी सी)	रु. 375.00
(घ) स्पेशल बंक (गद्दे के साथ)	रु. 125.00
(ङ) बंक श्रेणी (साधारण)	रु. 86.25

यात्री भाड़ा (नाव्ज II और नाव्ज III)

	नाव्ज-II	नाव्ज-III
(क) प्रथम श्रेणी केबिन	रु. 583.50	रु. 583.50
(ख) द्वितीय श्रेणी केबिन	रु. 375.00	रु. 375.00
(ग) रेक्लिनिंग चेयर्स	रु. 125.00	रु. 125.00
(घ) सोफा	रु. 125.00	रु. 125.00
(ङ) आर्म चेयर	—	रु. 125.00
(च) फ्लोर सिटिंग/स्लीपिंग स्पेस	रु. 100.00	—

(II) महत्वपूर्ण सामग्रियों का मालभाड़ा दरें

सामग्री		माल भाड़ा दरें
(क) बैगों में कोपा	...	रु. 468.15 प्रति टन
(ख) जनरल कार्गो	...	रु. 534.85 प्रति टन
		रु. 413.65 प्रति सी बी एम
(ग) लकड़ी के कुंदे	...	रु. 400.93 प्रति टन
		रु. 524.05 प्रति सी बी एम
(घ) प्लाई ऊड, वेनीर्स आदि	...	रु. 470.37 प्रति सी बी एम
(ङ) सीमेंट	...	रु. 357.73 प्रति टन
(च) अनाज	...	रु. 394.03 प्रति टन
(छ) प्याज/आलू	...	रु. 224.23 प्रति टन
(ज) खाद्य तेल	...	रु. 534.85 प्रति टन
		रु. 413.65 प्रति सी बी एम
(झ) नमक/चीनी	...	रु. 272.43 प्रति टन

कृषि ऋण

242. श्री के. रामचन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कृषि तकनीक अपनाने के बाद कृषि ऋण की मांग कई गुणा बढ़ गई है;

(ख) सातवीं योजना के दौरान कृषि ऋण में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है;

(ग) क्या कृषि ऋण के लिए आवंटित धनराशि किसानों की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र को पर्याप्त ऋण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 4 वर्षों के दौरान संस्थागत अभिकरणों के माध्यम से वितरित किए गए कुल कृषि ऋण के आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

	करोड़ रुपए में
1985-86	7354
1986-87	7602
1987-88	8214 (अनंतिम
1988-89	11751 (लक्ष्य)

(ग) वित्त की कमी के कारण किसी भी व्यवहार्य कृषि कार्यकलाप को रोका नहीं गया है। ऋण संस्थान कुल मिलाकर कृषकों को बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सक्षम रहे हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा का अध्ययन संबंधी शिक्षावृत्ति

243. **श्री प्रतापराव बी. भोंसले** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा का अध्ययन संबंधी शिक्षावृत्ति देने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों से शिक्षकों के नाम मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे नामांकन प्राप्त हो गये हैं;

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय वार कालेज वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस शिक्षावृत्ति का कुल कार्यकाल कितना है; और

(च) फ्रांस में अध्ययन के संबंध में कुल कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है और इससे क्या परिणाम प्राप्त होंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों से 10 शिक्षावृत्तियों के लिए शिक्षकों के नामांकन मांगे हैं जो फ्रांस सरकार द्वारा फ्रेंच भाषा तथा साहित्य के लिए प्रदान की गई हैं। पात्रता अवधि, शिक्षावृत्ति की राशि, आदि के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आयोग को अब तक निम्नलिखित विश्वविद्यालयों तथा कालेजों से प्रत्येक में से एक-एक नामांकन प्राप्त हुआ है :

विश्वविद्यालय

(1) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

(2) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

(3) दिल्ली विश्वविद्यालय

कालेज

(1) के.सी. प्रबन्ध कालेज

(2) भारतीदासन, राजकीय महिला कालेज, तमिलनाडु

(3) फर्गुसन कालेज पूना।

(ङ.) शिक्षावृत्तियों की तीन श्रेणियां हैं। श्रेणीवार अवधि संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(च) फ्रांस सरकार शिक्षावृत्तियों, दोनों ओर के हवाई भाड़े और फ्रांस में अनुरक्षण का व्यय वहन करेगी। आयोग को केवल उम्मीदवारों का चयन और फ्रांस सरकार से उनकी सिफारिश करने की आवश्यकता है।

विवरण

श्रेणी (क)

पात्रता : एम. ए. (फ्रेंच) सहित अखिल भारतीय फ्रेंच शिक्षक

अवधि : जुलाई, अगस्त अथवा सितम्बर, 1989 में एक मास (विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए जो जुलाई में पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं, पेरिस तथा फ्रांस के किसी एक क्षेत्र में एक अतिरिक्त दो-सप्ताह का सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा)

शिक्षावृत्ति की किस्म : उम्मीदवारों से अपेक्षा है कि वे प्रदत्त विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित पूर्व जानकारी प्राप्त करें।

शिक्षावृत्ति की राशि 3200 एफ. एफ. प्रति मास (यदि भोजन और आवास प्रदान किए जाते हैं तो 900 एफ. एफ. तक कम किया जा सकता है।)

श्रेणी (ख)

पात्रता : केवल विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षक

शिक्षावृत्ति की किस्म : उच्च स्तरीय अनुसंधान अथवा पी. एच. डी. शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए अल्पावधि शिक्षावृत्ति

अवधि : वरीयता रूप से जुलाई से पहले अथवा सितम्बर, 1989 से दो मास । उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मास प्रदान किया जाए, जो एक शिक्षक ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम अपनाना चाहते हैं ।

शिक्षावृत्ति : 4830 एफ. एफ. प्रति मास तथा पुस्तकों के लिए लगभग 100 एफ. एफ. की की राशि एक मुश्त राशि

श्रेणी (ग)

पात्रता : किसी भारतीय विश्वविद्यालय में पी. एच. डी. के लिए नामांकित छात्र ही

अवधि : दो मास

शिक्षावृत्ति : भारत में किए गए पी. एच. डी. शोध प्रबंध के लिए प्रलेखन एकत्र करना जो की किस्म भारत में अनुपलब्ध हो ।

शिक्षावृत्ति : 4030 एफ. एफ. प्रति मास और पुस्तकों के लिए लगभग 1000 एफ. एफ. की राशि की एक मुश्त राशि ।

इसके अतिरिक्त, फ्रांस सरकार निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान करेगी :

(1) वापसी मनोरंजन वायु-भाड़ा

(2) शिक्षा शुल्क

(3) चिकित्सा लाभ

(4) जब भी अध्ययन कार्यक्रम में आवश्यक होगा, फ्रांस के अन्दर यात्रा-व्यय ।

फल प्रसंस्करण एकक

244. डा. फूल रेणु गुहा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष लगभग कितने मूल्य के फल नष्ट हो जाते हैं; और

(ख) देश में कितने फल प्रसंस्करण एकक हैं, उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) देश में प्रत्येक वर्ष खराब हो रहे फलों के मूल्यों को बताने वाली कोई अधिकृत सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । तथापि, डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति, जिसे नाशवान कृषि जिन्सों से संबंधित समिति'' के नाम से जाना जाता है, ने मई, 1981 में अनुमान लगाया था कि विभिन्न कृषि उत्पादों की पर्याप्त प्रतिशतता (40./·तक) खराब चली जाती है ।

(ख) 1.1.1989 को स्थिति के अनुसार फल और सब्जी के उत्पादों का उत्पादन करने में कार्यरत जो यूनिट फल उत्पाद आदेश, 1955 के अन्तर्गत लाइसेंस शुदा थे उनकी संख्या 2291 थी। उनकी कुल वार्षिक स्थापित क्षमता 5.99 लाख मीटरी टन टन थी।

चारे की कमी

245. डा. सी. पी. ठाकुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा और बाढ़ के कारण देश में चारे की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) दक्षिण-पश्चिमी मानसून, 1988 से शुरू हुई अवधि के दौरान बाढ़/सूखे से प्रभावित किसी भी राज्य से चारे की ऐसी कमी की सूचना नहीं मिली है कि दूसरे राज्य से चारा मंगवाना पड़े।

मछली पकड़ने की छोटी नौकाओं के मालिकों को ऋण पर ब्याज की दर कम करना

246. प्रो. के. वी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने की छोटी नौकाओं के मालिकों को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर में कटौती किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मत्स्य उद्योग को दिए जाने वाले ऋणों को कृषि ऋणों के समान माना जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) मात्स्यिकी के लिए दिए जाने वाले ऋण कृषि ऋण वर्ग के अन्तर्गत आते हैं तथा कृषि पेशगियों के लिये देय विभिन्न रियायतों के पात्र होते हैं। कृषि पेशगियों के लिए ब्याज के लिए ब्याज की दरें रियायती हैं। कृषि के लिए छोटी अवधि की पेशगियों पर ब्याज की दरें मार्च, 1988 में कम की गई थी। वर्तमान दरें इस प्रकार हैं :

पेशगी रकम की सीमा	प्रतिवर्ष ब्याज दर की प्रतिशतता
(1) 7500/-रु. तक	10.00
(2) 7500 रु. से अधिक और 15,000 रु. तक	11.50

(3) 15,000 रु. से अधिक और 25,000 रु. तक 12.50 से 14.00

(4) 25,000 रु. से अधिक 14.00 से 15.50

तीन वर्ष और उससे अधिक अवधि के लिए निवेश ऋण पर ब्याज की दरें छोटे किसानों के लिए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा अन्य के लिए 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष हैं। ब्याज की दरों में और अधिक कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

काबुल स्थित भारतीय दूतावास में कर्मचारियों की संख्या में कमी

247. **श्री एन. के. वेंकट रत्नम :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफगानिस्तानियों में काबुल स्थित अपने दूतावास में कर्मचारियों की संख्या में कमी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कितने कर्मचारी कम किए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो.. के. के. तिवारी) : (क) और (ख) काबुल स्थित हमारे मिशन में कार्य संबंधी अपेक्षाओं की और शहर में सुरक्षा स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है। जब कभी भी आवश्यक होगा मिशन में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जाएगी।

पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक समझौता

248. **श्रीमती डी. के. भंडारी :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक समझौता करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री. एल. पी. शाही) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के मध्य सांस्कृतिक सहयोग करार पर 31 दिसम्बर, 1988 को इस्लामाबाद में हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसमें दोनों देशों के मध्य कला, संस्कृति, पुरातत्व, शिक्षा, सूचना जन-माध्यम और खेलों के क्षेत्रों में संबंधों और सद्भावना को बढ़ाने तथा विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शिक्षा-विदों, विशेषज्ञों, कलाकारों, लेखकों, संगीतज्ञों, खेल टीमों, सामग्री/सूचना पुस्तकों, प्रकाशनों, कला वस्तुओं, कला और अन्य प्रदर्शनियों का आदान प्रदान; सेमिनारों, अंतर-राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में सहभागिता; छात्रवृत्तियां प्रदान करना और सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है।

राष्ट्रीय बीज निगम

249. श्री एच. बी. पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी और इस निगम पर कितनी धनराशि निवेश की गई है तथा इस समय देश में राष्ट्रीय बीज निगर की कितनी शाखाएं हैं; और

(ख) निगम द्वारा वितरित बीजों की विभिन्न किस्मों का ब्योरा क्या है और बीजों की खरीद के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना मार्च, 1963 में की गई थी। इस निगम पर अब तक 15,53,13,000/-रुपए की धनराशि लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय बीज निगम के देश 16 क्षेत्रीय कार्यालय, चार, डिविजनल कार्यालय, 18 सब-यूनिट और तीन छोटे प्रजनन फार्म हैं।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम 72 फसलों को 286 किस्मों के बीजों संबंधी कार्य कर रहा है जिसका ब्योरा इस प्रकार है :

फसलें	किस्में
(1) मोटे अनाज	34
(2) अनाज	65
(3) दालें	31
(4) रेशे	9
(5) चारा	20
(6) तिलहन	41
(7) सब्जियां	84
(8) अन्य	2
कुल	286

अधिकतर प्रजनक बीज कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाओं से प्राप्त किए जाते हैं। प्रजनक बीजों की थोड़ी-सी मात्रा का उत्पादन राष्ट्रीय बीज निगम के अपने फार्मों में भी किया जाता है। आधारी बीज कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और अनुबन्धित उत्पादकों से प्राप्त किए जाते हैं। प्रमाणित बीज राष्ट्रीय बीज निगम के बीज उत्पादकों से प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम हर मौसम में बीज उत्पादकों, कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के साथ करार करता है।

काजू का उत्पादन

250. श्री एच. बी. पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल, कर्नाटक और गोआ राज्यों में काजू एक प्रमुख फसल है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन राज्यों में इसकी पैदावार बढ़ाने और इसकी फसल में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक पूर्ण विकसित अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक के पुट्टूर में एक राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विदेशी सहयोग

251. श्री के. प्रधानी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कितने विदेशी सहयोग मंजूर किए गए;

(ख) कितने सहयोगों में केवल तकनीकी शुल्क शामिल है और कितने सहयोगों में इक्विटी भागीदारी शामिल है;

(ग) विदेशी सहयोग के कारण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कम्पनियों द्वारा अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाएगी; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान परियोजना रिपोर्टों और एककों के साथ किये गए हस्ताक्षरों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में नारियल की खपत बढ़ाना

252. श्री डी. बसोर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के नारियल संबंधी गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में नारियल और उसके उत्पादों की खपत में वृद्धि करने के बारे में कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) सरकार ने देश के गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में नारियल और उसके उत्पादों की खपत में

वृद्धि करने के बारे में कोई विशेष उपाय नहीं किए हैं। तथापि, नारियल विकास बोर्ड एक भारतीय नारियल पत्रिका का प्रकाशन कर रही है और नारियल तथा इसके उत्पादों को लोकप्रिय करने के लिए प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन में पासपोर्ट के लिए लम्बित आवेदन-पत्र

253. **श्री टी. बशीर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन में पासपोर्ट के लिए लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी थी; और

(ख) इन आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) कुल 40,964 आवेद-पत्र अनिर्णीत हैं जिनमें से 3.890 आवेदन पत्र 3 महीने से अधिक पुराने हैं।

(ख) पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि 1988 में आवेदन-पत्रों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई है। आकस्मिकता के आधार पर समयोपरि भत्ते के भुगतान और अतिरिक्त अमले का प्रबंध किया गया है। संबंधित कार्यभार के अनुरूप विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा पुन: अध्ययन भी शुरू किया गया है। 15,289 मामले पुलिस सी.आई.डी./अन्य प्राधिकारियों के पास अनिर्णीत पड़े हैं जिन्हें अपनी रिपोर्ट शीघ्र भेजने के लिए स्मरण-पत्र भेजे गए हैं। इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि सुरक्षा की अपेक्षाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए पुलिस सत्यापन शीघ्र हो।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर उप-मार्ग

254. **श्री टी. बशीर** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर कितने तथा कौन-कौन से उपमार्ग निर्माणाधीन हैं;

(ख) इन निर्माण कार्यों के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौन-कौन से नए उप-मार्ग बनाये जाने की योजना है और प्रत्येक उप-मार्ग पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर निर्माणाधीन दो बाईपासों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

बाईपास का नाम	स्वीकृत राशि
(i) बलाकुडी	147.162 लाख रु.
(ii) त्रिवेन्द्रम (आंशिक लम्बाई)	390.89 लाख रु.

इसके अलावा निम्नलिखित बाईपासों के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी अनुमानों की भी मंजूरी दी जा चुकी है :

(i)	अलप्पी	84.674 लाख रु.
(ii)	क्वीलन (आंशिक लम्बाई)	139.04 लाख रु.
(iii)	कोयम्बटूर	36.43 लाख रु.

(ग) सातवीं योजना में इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किन्हीं अन्य बाईपासों की योजना नहीं है।

केरल में प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय

255. श्री टी. बशीर : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रौढ शिक्षा के लिए केरल को कितनी राशि दी गई है;

(ख) इस अवधि के दौरान केरल में कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान राज्य में इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को अभी तक प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1,41,11,914/-रुपये की राशि जारी की गई है।

(ख) और (ग) केरल में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये वास्तविक खर्च और प्राप्त परिणाम का, चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ही पता चलेगा।

मूंगफली के उत्पादन में कमी

256. श्री टी. बाल गौड़ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्यों में मूंगफली के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या मूंगफली निकालने में "एफलाटोक्सिन" (कैंसर पैदा करने वाले सेल) तत्वों को अधिक मात्रा के कारण इसके निर्यात में भारी कमी आई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1967-68 से 1986-87 को लम्बी अवधि के दौरान गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, और तमिलनाडु में मूंगफली की पैदावार में क्रमशः 0.36, 0.50, 1.78 तथा 0.54 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि

देखने में आई है। हाल ही की अवधि में खराब मौसम के कारण इन राज्यों में मूंगफली की पैदावार में उतार-चढ़ाव आता रहा है।

(ख) मूंगफली सहित विभिन्न तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि परियोजना शुरू की गई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने और उसकी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से विभिन्न सुविधायें और प्रोत्साहन दिए जाते हैं। तिलहनों/खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने को तेज करने के वास्ते सरकार ने तिलहनों पर एक प्रौद्योगिकी मिशन भी गठित किया है।

(ग) मूंगफली से निकाले गये तेल के कुछ विदेशी खरीददार इस आधार पर उपयुक्त मूल्यों की पेशकश करने में झिझक रहे हैं कि इस निकाले गए तेल में "एफ्लाटाक्सिन" की मात्रा अधिक है। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने एफ्लाटाक्सिन पर काबू पाने की प्रौद्योगिकी की पेशकश की है।

तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना

257. **श्री टी. बाल गौड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के तिलहन उत्पादन में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के 40 प्रतिशत से भी अधिक अंशदान को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसी तत्काल प्रोत्साहन योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) तिलहनों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, अर्थात राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को महत्वपूर्ण आदानों जैसे बढ़िया बीज, वनस्पति रक्षण उपाय, उन्नत फार्म उपकरण, कैलसियम सल्फेट के उपयोग, राइज़ोबियम कल्चर, बड़े आकार के प्रदर्शन, छिड़काव सेटों, आदि के लिए वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि किसानों को बड़े पैमाने पर तिलहनों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठकें

258. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1987 से अब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) क्या दिसम्बर, 1987 के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट की बुलाई गई कोई बैठक कुलपति द्वारा रद्द की गई थी; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कोर्ट के सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कुलपति को कोर्ट की बैठक आयोजित करने का निदेश देने का अनुरोध किया गया है और यदि हां तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) विश्वविद्यालय कोर्ट द्वारा किस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे प्रस्तुत/अनुमोदित किये गये हैं और किन-किन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे अभी तक प्रस्तुत किए जाने और अनुमोदित किये जाने हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : कोई नहीं।

(ख) कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ने 19-12-1987 के लिए निर्धारित कोर्ट बैठक को स्थगित करने का निर्णय किया क्योंकि उनका विचार था कि उक्त बैठक की वैधता और उसमें लिए गए निर्णयों पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

(ग) जी, हां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों के अनुसार, कोर्ट की वार्षिक बैठक की तारीख कार्यकारी परिषद् द्वारा निर्धारित की जाएगी, यदि किसी वर्ष के लिए कोर्ट द्वारा कोई अन्य तारीख निर्धारित न की गई हो। नीति के तौर पर सरकार विश्वविद्यालयों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती।

(घ) वर्ष 1985-86 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों पर विचार गया था और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट द्वारा 11.8.87 को आयोजित इसकी पिछली बैठक में अपनाया गया था। वर्ष 1986-87 और 1987-8 के लिए वार्षिक रिपोर्टों तथा वार्षिक लेखों पर अभी विचार किया जाना है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट द्वारा अपनाया जाना है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि प्रदान करना

259. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) छठी पंचवर्षीय योजना तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए दी गई धनराशि का राज्य-ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या राज्यों को दी गई धनराशि उन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छठी योजना कुल रिलीज	सातवीं योजना कुल रिलीज (1.4.85 से 20.2.89)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	33.220	84.380

1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	1.670	3.188
असम	35.330	55.620
बिहार	43.210	81.700
गोआ	1.360	0.910
गुजरात	25.670	63.720
हरियाणा	23.630	23.990
हिमाचल प्रदेश	22.800	38.170
जम्मू और कश्मीर	51.420	79.220
कर्नाटक	35.420	71.870
केरल	45.370	46.170
मध्य प्रदेश	69.860	116.010
महाराष्ट्र	40.160	101.970
मणिपुर	10.010	14.700
मेघालय	15.410	12.850
मिजोरम	1.030	5.940
नागालैण्ड	12.500	16.860
उड़ीसा	44.360	49.630
पंजाब	13.020	24.891
राजस्थान	122.710	127.200
सिक्किम	8.680	12.540
तमिलनाडु	45.190	72.250
त्रिपुरा	8.110	12.760
उत्तर प्रदेश	123.800	157.120
पश्चिम बंगाल	59.730	43.931
दादरा व नगर हवेली	0.000	0.060

1	2	3
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.820	1.250
लक्षद्वीप	0.000	0.050
पाण्डिचेरी	0.660	0.610
दिल्ली	0.230	0.065
दमन व दीव	0 000	0.140
	895.38	1319.77

वर्ष 1988-89 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार

2€0. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अद्यतन अनुमान के अनुसार वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने परिवार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित हुए हैं अथवा होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1988-89 के दौरान 31.64 लाख परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के मुकाबले, दिसम्बर 1988 तक 23.62 लाख परिवार लाभान्वित किए गये हैं। लाभान्वित किए जाने वाले तथा दिसम्बर 1988 तक लाभान्वित किए गए परिवारों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रत्याशा की गई है कि 31.64 लाख परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित परिवार

(संख्या में)

क्रम सं.	राज्य	सहायता दिए जाने वाले कुल परिवार	कुल लाभान्वित परिवार (दिसम्बर 88 तक)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	234905	19.491
2.	अरूणाचल प्रदेश	18554	2239*
3.	असम	69690	33754

1	2	3	4
4.	बिहार	430472	284172
5.	गोवा	4282	3598
6.	गुजरात	114472	87931
7.	हरियाणा	45802	34667
8.	हिमाचल प्रदेश	21174	20125
9.	जम्मू और कश्मीर	28030	13484**
10.	कर्नाटक	137794	91130
11.	केरल	84054	64954
12.	मध्य प्रदेश	300717	213972
13.	महाराष्ट्र	226410	170301
14.	मणिपुर	5630	3118
15.	मेघालय	8547	3131
16.	मिजोरम	7160	1029
17.	नागालैण्ड	9073	1942*
18.	उड़ीसा	169745	124474
19.	पंजाब	40133	30700
20.	राजस्थान	149596	118526
21.	सिक्किम	1712	1042
22.	तमिलनाडु	224928	216859
23.	त्रिपुरा	8272	11805
24.	उत्तर प्रदेश	610842	444769
25.	पश्चिम बंगाल	233938	185253
26.	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	1742	1053
27.	चण्डीगढ	शून्य	शून्य
28.	दादरा व नगर हवेली	385	231
29.	दिल्ली	2360	1173

1	2	3	4
30.	दमन व दीव	732	394
31.	लक्षद्वीप	370	309
32.	पांडिचेरी	1905	1346
	अखिल भारत	3193546	2361962

*नवम्बर 1988 तक के आंकड़े

**अक्टूबर 1988 तक के आंकड़े

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की तुलना में भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा क्षमता का उपयोग

261. श्री गुरुदास कामत : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के संयंत्रों की तुलना में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन इस्पात संयंत्रों की क्षमता के उपयोग का ब्यौरा क्या है ,

(ख) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी संयंत्र में संयंत्र क्षमता के उपयोग की तुलना में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में क्षमता का कम उपयोग किया जाता है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अन्तर्गत संयंत्र में क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान "सेल" के संयंत्रों और "टिस्को" में विक्रेय इस्पात की क्षमता का उपयोग निम्नानुसार रहा है :—

(प्रतिशत में)

वर्ष	"सेल" (इस्को सहित)	"टिस्को"
1986-87	79	110
1987-88	80	110

(ख) जी, हां।

(ग) क्षमता के उपयोग में निम्नलिखित कारणों से कमी आई :—

(1) उपस्करों का पुराना पड़ जाना और अप्रचलित हो जाना।

(2) आदानों नामत: कोककर कोयले और बिजली का पर्याप्त मात्रा तथा अपेक्षित क्वालिटी में नहीं मिल पाना।

(3) वर्ष 1988-89, भिलाई इस्पात संयंत्र की 40 लाख टन क्षमता के एकीकृत प्रचालन का प्रथम वर्ष है।

(घ) "सेल" के संयंत्रों में क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) सही क्वालिटी और वांछित मात्रा में आदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना जिसमें राख की कम मात्रा वाले कोककर कोयले का आयात सम्मिलित है ?

(2) निजी विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और उसका स्पष्टीकरण करना।

(3) बेहतर उपलब्धता के लिए संयंत्र तथा उपस्कर का बेहतर रख-रखाव करना।

(4) प्रौद्योगिकीय मानदण्डों का कड़ाई से अनुपालन करना।

(5) उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कार्य संस्कृति में परिवर्तन करना।

(6) जागरूकता तथा जिम्मेवारी की भावना में वृद्धि करना।

(7) संयंत्रों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन करना।

"टिस्को" की क्षमता का उपयोग, पहले से ही लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक है।

मत्स्य उत्पादन में वृद्धि

262. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितनी उत्पादन हुआ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को मत्स्य उत्पादन के लिए कितनी सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) अब तक, केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को 487.285 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई है, जिससे मत्स्य उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं को सीधे मदद मिलेगी।

विवरण

राज्यवार अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य एवं उपलब्धियां (हजार मी. टन)

क. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86		1986-87		1987-88 (अ)	
		लक्ष्य x	उपलब्धि	लक्ष्य x	उपलब्धि	लक्ष्य +	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	160.0	107.5	160.0	108.0	108.0	121.1
2.	असम	63.8	50.1	68.0	52.4	56.0	61.0
3.	बिहार	125.0	130 0	135.0	135.2	146.0	152.5
4.	गुजरात	30.0	24.0	35.0	24.8	25.0	22.6
7.	हरियाणा	13.5	13.5	15.0	15.0	16.0	18.7
6.	हिमाचल प्रदेश	3.4	3.0	3.8	2.5	3.0	4.1
7.	जम्मू व कश्मीर	10.6	10.6	11.5	11.1	11.0	11.0
8.	कर्नाटक	55.0	38.9	55.0	36.0	44.0	42.0
9.	केरल	30,0	28.2	31.0	27.2	28.0	26.5

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मध्य प्रदेश	26.0	32.4	28.0	46.9	31.0	68.5
11.	महाराष्ट्र	45.0	30.8	46.0	34.9	32 2	41.1
12.	मणिपुर	6.0	5.5	7.0	5.8	3.0	6.6
13.	मेघालय	2.0	0.7	1.2	0.6	0.6	0.9
14.	नागालैण्ड	0.5	0 4	0.7	0.6	0.6	0.6
15.	उड़ीसा	60.0	51.8	60.0	59.6	62.0	60.0
16.	पंजाब	3.8	4.0	5.0	5.2	5.0	6.0
17,	राजस्थान	17.0	12.6	15.0	16.4	15.0	16.5
18.	सिक्किम	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	1.1
19.	तमिलनाडु	215.0	140.0	180.0	131.0	131.0	93.0
20.	त्रिपुरा	11.0	11.0	12.0	11.4	13.0	14.0
21.	उत्तर प्रदेश	54.0	67.3	80.0	83.8	80.0	83.1
22.	पश्चिम बंगाल	400.0	389.5	415.0	412.3	441.0	442.8
23.	अरुणाचल प्रदेश	नगण्य	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
24.	गोवा	3.0	1.5	3.0	1.2	2.0	1.4

25.	मिजोरम	2.4	2.1	2.4	2.3	2.4	2.4
26.	अन्दमान	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
27.	चंडीगढ़	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगन्य	नगण्य	0.1
28.	दिल्ली	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2
29.	दमन तथा द्वीव	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
30.	लक्षद्वीप	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
31.	पांडिचेरी	1.6	1.9	1.9	1.9	2.0	1.1
32.	दादरा और नगर हवेली	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नयण्य	नगण्य	नगण्य
	सकल योग	134.9	1180.0	1374.4	1229.0	1260.5	1300.9

अ — अनन्तिम

x = योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य ।

+= संशोधित लक्ष्य

1988-89 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य

263. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 31 दिसम्बर, 1988 को आनुपातिक रूप से पूरा कर लिया गया है ;

(ख) इसके लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वर्ष 1988-89 के पहले नौ महीनों के दौरान कितने खाद्यान्न का उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्यान्न के खरीद मूल्य में कोई परिवर्तन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) अनाजों के उत्पादन के लक्ष्य हर वर्ष मौसमवार (खरीफ और रबी के लिए अलग-अलग) निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1988-89 के लिए अनाजों के उत्पादन का 166.57 मिलियन मीटरी टन का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 92.50 मिलियन मीटरी टन खरीफ के लिए तथा 74.07 मिलियन मीटरी टन रबी मौसम के लिए निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान मूल्यांकनों के अनुसार आशा है कि 1988-89 के खरीफ के अनाजों का उत्पादन लक्ष्य से अधिक हो जायेगा तथा खरीफ अनाजों का उत्पादन 95-96 मिलियन मीटरी टन के बीच होने की संभावना है।

(ग) और (घ) सरकार ने 1988-89 को फसलों के लिए अनाजों के खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही निर्धारित कर दिए हैं, जो इस प्रकार हैं।

जिंस	मूल्य
(1) धान (सामान्य)	160.00
(2) मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी)	145.00
(3) गेहूं	183.00
(4) जौ	145.00
(5) चना	325.00
(6) अरहर मूंग तथा उड़द	360.00

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि. तथा भारतीय उर्वरक निगम लि. के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

264. श्री बी. तुलसीराम :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि. तथा भारतीय उर्वरक निगम लि. के कर्मचारियों ने 3 फरवरी, 1989 को एक दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उनकी मांगें पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : (क) जी, हां।

(ख) कामिकों/कर्मचारियों की मुख्य मांग मजदूरी में संशोधन तथा अन्तरिम राहत पर मकान किराया, बोनस आदि की वसूली न करना है।

(ग) इस सम्बन्ध में वार्ताएं जारी हैं और अगली बैठक 16 और 17 मार्च, 1989 के लिए निर्धारित की गयी है।

प्रधान मंत्री की चीन यात्रा

265. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन :**
श्री जी. भूपति :
श्री हरीश रावत :
प्रो. पी. जे. कुरियन :
श्री हेतराम :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :
श्री काली प्रसाद पांडेय :
श्री राम प्यारे पनिका :
श्री जी. एस. बसवराजू :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री ने चीन गणराज्य की यात्रा की थी ;

(ख) प्रधान मंत्री दल में प्रसार, माध्यम संबंधी व्यक्तियों सहित कौन-कौन लोग थे ;

(ग) पेयचिंग में प्रधान मंत्री की चीनी नेताओं से हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सीमा विवाद जैसे अनसुलझे प्रश्नों और राजनयिक रिश्ते सामान्य बनाने संबंधी मसलों के बारे में कोई प्रगति हुई है अथवा कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के दौरान यदि कोई उपलब्धि हुई हो तो उसे कारगर बनाए रखने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) सूचियां संलग्न विवरण-1 विवरण-2 विवरण-3 में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) चीन के नेताओं के साथ अपनी बातचीत और बैठकों में प्रधान मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के हित के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों के बारे में व्यापक विचार-विमर्श किया। इन विचार-विमर्शों से आपसी समझ-बूझ बढ़ी है। दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के

पांच सिद्धान्तों के आधार पर भारत और चीन के बीच अच्छी प्रतिवेशिता और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बहाल करने, उन्हें बेहतर बनाने और उनका विस्तार करने के लिए सहमति व्यक्त की। दोनों सरकारों ने सीमा सम्बन्धी शांतिपूर्ण परामर्शों के जरिये मसले का एक उचित, औचित्यपूर्ण और परस्पर स्वीकार्य समाधान करने की दिशा में अपनी वचनबद्धता व्यक्त की।

(ङ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नागरिक विमानन जैसे कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्रों में द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया जाएगा इस सम्बन्ध में जो विभिन्न ठोस कदम उठाए गए हैं उनमें सीमा सम्बन्धी मसले पर एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना और आर्थिक सम्बन्धों का व्यापार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबद्ध एक संयुक्त दल की स्थापना शामिल है। इन दलों की बैठकें राजनयिक माध्यमों की मार्फत परस्पर स्वीकार्य तारीखों को होंगी।

विवरण-1

प्रधान मंत्री की पार्टी

प्रधान मंत्री

श्रीमती सोनिया गांधी

श्री पी. वी. नरसिंह राव
विदेश मन्त्री

श्री दिनेश सिंह
वाणिज्य मंत्री

श्री बी. शंकरानन्द
विधि एवं न्याय तथा जल संसाधन मंत्री

श्री के. नटवर सिंह
विदेश राज्य मंत्री

श्री के. पी. एस. मेनन
विदेश सचिव

श्रीमती सरला ग्रेवाल
प्रधान मंत्री की सचिव

श्री जी. के. अरोड़ा
सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

श्री मोन्तेक सिंह अहलूवालिया
विशेष सचिव,
प्रधान मंत्री का कार्यालय

श्री सुमन दुबे,
सलाहकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

श्री मणि शंकर अय्यर
संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री का कार्यालय

श्री जी. पार्थसारथी
संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री का कार्यालय

श्री आर. सेन
संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री का कार्यालय

श्री वी. के. नाम्बियार,
संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय

श्रीमती निरूपमा राव,
निदेशक, विदेश मंत्रालय

श्रीमती मीरा शंकर
निदेशक, प्रधान मंत्री का कार्यालय

श्री वी. जार्ज,
प्रधान मंत्री के वैयक्तिक सचिव

डा. ए. सहाय
निजी चिकित्सक

विवरण-2

सरकारी मीडिया

श्री हरीश अवस्थी
दूरदर्शन

श्री राजेश भाटिया
दूरदर्शन

श्री एन. सुकुमार
दूरदर्शन

श्री एच. सी. शेर्गो
आकाशवाणी

श्री वाई. पी. सिंह,
आकाशवाणी

श्री डी. आर. हल्देन्कर
फिल्म प्रभाग

श्री बी. वेलप्पा
फिल्म प्रभाग

श्री माइकेल शीला
फोटो प्रभाग

श्री एस. जी. लाल
प्रेस सूचना ब्यूरो

श्री एन. के. जैन
टेलेक्स आपरेटर

श्री आर. के. कथूरिया
टेलेक्स आपरेटर

विवरण-3

प्रधान मन्त्री के साथ गया मीडिया

श्री हरिहर स्वरूप
पी. टी. आई.

श्री विरेन्द्र मोहन
यू. एन. आई.

श्री एम. के. धर
हिन्दुस्तान टाइम्स

श्री सुभाष चक्रवर्ती
टाइम्स ऑफ इण्डिया

श्री आर. के. मिश्रा
पेट्रियट

श्री के. वी. रमा शर्मा
नेशनल हेरल्ड

श्री टी. एर. निनन
इकॉनोमिक टाइम्स

श्री वी. एन. नारायणन
ट्रिब्यून

श्री एन. राम
हिन्दू

श्री हरि कुमार
डेक्कन हेरल्ड

श्री जी. एस. चावला
पायनियार

श्री दिनेश शर्मा
अमृत बाजार पत्रिका

श्री एस. जे. अकबर
टेलीग्राफ

श्री वेंकटरामा रेड्डी
डेक्कन क्रोनिकल

श्री बिनोद मिश्रा
हिन्दुस्तान

श्री प्रफुल महेश्वरी
नव भारत

श्री अनिल नरेन्द्र
वीर अर्जुन

श्री अभय छजलानी
नई दुनिया

श्री गोपेश पांडे
आज

श्री अनिल अग्रवाल
अमर उजाला

श्री मदन मोहन गुप्ता
जागरण

श्री विजय कुमार चोपड़ा
हिन्द समाचार

श्री मोहन फारूकी
अंगारे

श्री मोहन निरागी
कौमी आवाज

श्री शाहिद सिद्दकी
नई दुनिया

श्री यश
डेली मिलाप

श्रीमती गौरी चटर्जी
आनन्द बाजार पत्रिका

श्री आर. कृष्णमूर्ति
दीनामलार

श्री टी. आर. रामास्वामी
मक्कात कुराल

श्री आई. वेंकट राव
आंध्र ज्योति

श्री बी. ओबेदुल्ला,
मलय मनोरमा

श्री वी. के. माधवन कुट्टी
मातृभूमि

श्री वेंकट नारायण
संयुक्त कर्नाटक

श्री डी. बी. चौधरी
दैनिक नव ज्योति

श्री यशवन्त एन. शाह
जय हिन्द

श्री आर. के. करंजिया
ब्लिट्ज

श्री दिलीप बॉब
इण्डिया टुडे

श्री उदयन शर्मा
रविवार

श्री हरभजन सिंह इण्डियन आबजरवर

श्री रंजन गुप्ता,
फ्री लेंस कालमिस्ट

श्री मनीष गुप्ता
एशियन न्यूज इन्टरनेशनल

डा. एस. डी. गोखले
केसरी

श्रीमती सिमृता ग्रेवाल
सिमी ग्रेवाल टीम

श्री नवरोजे रुस्तमजी
सिमी ग्रेवाल टीम

श्री जी. वी. सोमशेखर
सिमी ग्रेवाल टीम

श्री सईद नकवी
वर्ल्ड रिपोर्ट

श्री इन्द्रजीत,
आई. एन. एफ. ए.

फादर एलेक्जेंडर पंकदे
दीपिका डेली

पारस्परिक सहयोग हेतु भारत-पाक समझौता

266. **श्री के. पी. उन्नीकृष्ण :**
श्री एस. एम. गुरड्डी :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :
प्रो. पी. जे. कुरियन :
श्री हेतराम :
डा. गौरी शंकर राजहंस :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री काली प्रसाद पाण्डेय :
डा. कृपासिन्धु भाई :
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री की पाकिस्तान यात्रा की हाल की यात्रा के दौरान पाकिस्तान सरकार के साथ जिन विषयों पर बातचीत हुई उसका क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारतीय आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई और प्रशिक्षण तथा पाकिस्तानी क्षेत्र को उनके द्वारा उपयोग में लाये जाने को रोकने का वचन दिया;

(ग) क्या दोनों देशों की सरकारों ने पारस्परिक सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इन समझौतों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. के. तिवारी) : (क) हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच हाल ही में हुए विचार विमर्श से भारत और पाकिस्तान के बीच प्रभुता सम्पन्न समानता और एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप के आधार पर बेहतर और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की स्थापना की संभावनाएं बनी हैं।

(ख) प्रधान मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री बेनजीर भुट्टो से उन्हें हमारे आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति के प्रति अपनी वचनबद्धता का आश्वासन दिया।

(ग) से (ङ.) प्रधान मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के दौरान निम्नलिखित द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए :

1. नाभिकीय संस्थाओं और सुविधाओं पर आक्रमण निषेध संबंधी करार
2. सांस्कृतिक सहयोग करार
3. अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन से प्राप्त आय पर दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार

इन करारों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतिक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

केरल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का अन्यत्र उपयोग

267. श्री के. के. पी. उन्नीकृष्णन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री ने केरल में यह वक्तव्य दिया था कि केरल राज्य सरकार ने केरल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए आवंटित कुछ धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए नियत भारी धनराशि व्यपगत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मन्त्रालय को मंत्री के वक्तव्य का खण्डन करते हुए केरल राज्य सरकार से कोई विरोध पत्र और उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय राज्य सरकार के स्पष्टीकरण से संतुष्ट है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान में युद्ध बन्दियों की रिहाई

268. श्री सी. जंगा रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने हाल ही में अपनी पाकिस्तान की यात्रा के दौरान वहां पर नजरबन्द-43 युद्ध बन्दियों की रिहाई के विषय पर बातचीत की थी;

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई और इन युद्ध बंदियों को रिहा कराने के लिए क्या कार्य प्रणाली अपनाई जाएगी;

(घ) क्या इन युद्ध बंदियों के सगे-संबंधियों को उनकी रिहाई की स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया है;

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या कुछ युद्ध बंदियों के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक विशेषज्ञ चिकित्सा दल भेजने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान की सरकार एक बार फिर इस मामले की नये सिरे से जांच करने के लिए राजी हो गयी है।

(ग) इसके बाद पाकिस्तान की सरकार को इस मामले में याद भी दिलाई गई है।

(घ) उनके निकट सम्बन्धियों को सूचना दी जाती रही है।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अब इस अवस्था में अग्रिम चिकित्सा दल भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

1988-89 रबी की फसल के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन

269. **श्री एस. एम. गुरड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून और दिसम्बर, 1988 में अच्छी वर्षा के कारण रबी की अच्छी फसल होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो 1988-89 की रबी की फसल के लिए खाद्यान्न उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यह लक्ष्य कहां तक प्राप्त होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी हां।

(ख) 1988-89 के रबी मौसम के दौरान 74.07 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) अभी रबी 1988-89 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन के अंतिम अनुमान बताना संभव नहीं है। तथापि, वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार रबी खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किए जाने की आशा है।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की बहाली

270. श्री एस. एम. गुरड्डी :
श्री टी. बी चन्द्रशेखरप्पा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से दिल्ली परिवहन निगम के उन कर्मचारियों की बहाल करने का अनुरोध किया गया है जिनकी सेवायें हड़ताल के दौरान समाप्त की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने कर्मचारियों को बहाल किया गया है; और

(ग) अन्य कर्मचारियों के मामले में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली परिवहन निगम के बर्खास्त कर्मचारियों को फिर से बहाल किए जाने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। दिल्ली परिवहन निगम के कतिपय बर्खास्त कर्मचारियों ने फिर से बहाली के लिए दिल्ली के उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटान करते हुए आवेदकों से औद्योगिक विवाद अधिनियम और डी. आर. टी. ए. विनियमों के तहत अपीलों के माध्यम से निराकरण करवाने के लिए कहा है।

(ख) अब तक निपटाई गई अपीलों में 37 कर्मचारियों को फिर से बहाल कर लिया गया है।

(ग) चूंकि उच्च न्यायालय ने अपीली राज्य में जांच प्रक्रिया अपनाए जाने का आदेश दिया है, इसलिए सभी अपीलों के अंतिम निपटान की समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

परिवहन विकास परिषद की सिफारिशें

271. श्री एस. एम. गुरड्डी :
श्री जी. एस. बासवराजू :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विकास परिषद ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में व्यक्ति गत वाहनों पर केवल एक बार कर वसूली करने की सिफारिश की है;

(ख) परिषद द्वारा अन्य क्या सिफारिशें स्वीकार की गई हैं;

(ग) राज्यों द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) परिवहन विकास परिषद द्वारा अपनी 18.11.88 की 21वीं बैठक में की गई अन्य सिफारिशें हैं :

कि राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रीय प्रशासनों को मोटर वाहन विभागों और प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ करने, ड्राइवर लाइसेंसों, वाहनों के रजिस्ट्रेशन, दुर्घटनाओं आदि के संबंध में आंकड़ों के संग्रहण और प्रोसेसिंग के लिए कम्प्यूटर प्रणाली लगाने और चुंगी समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। परिषद ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से राष्ट्रीय जलमार्गों पर नियमों को जल्दी अंतिम रूप देने तथा अधिसूचित करने के लिए कहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिक यातायात वाले इलाकों की सड़कों को सुधारने और कमजोर पुलों को मरम्मत करने, स्पीड ब्रेकरों के स्थान पर रंबल स्ट्रिपों का इस्तेमाल करने के लिए केन्द्रीय सड़क कोष का प्रयोग करने पर बल दिया गया है।

(ग) परिवहन विकास परिषद जिसमें सभी राज्यों/संघ क्षेत्रीय प्रशासनों के परिवहन मन्त्री/लोक निर्माण मंत्री सदस्य हैं, की सिफारिशें सर्वसम्मति से की गई हैं हैं।

(घ) सिफारिशें आगे की आवश्यक कार्यवाई के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रीय प्रशासनों को भेज दी गई हैं। केन्द्रीय एजेंसियों को भी उनसे संबंधित सिफारिशों पर जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

काबुल में भारतीय दूतावास बन्द करना

272. **श्री पी. एम. सईद :**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :
क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काबुल में इस समय सुरक्षा स्थिति क्या है तथा इसके बिगड़ने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने काबुल स्थित भारतीय दूत वास के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को वहां से निकाल लिया है;

(ग) यदि हां, तो अभी तक कितने व्यक्तियों को निकाला गया है और अभी वहां कितने व्यक्ति और हैं; और

(घ) क्या सरकार काबुल में अपना दूतावास बंद करने पर विचार कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति का मुख्य कारण यह है कि वहां व्यापक आधार वाली सरकार बनाने के बारे में अफगान सरकार और अफगानिस्तान के विरोधी पक्ष के बीच सहमति नहीं हो सकी है।

(ख) और (ग) काबुल में हमारे राजदूतावास में काम करने वाले सभी लोगों के परिवार भारत लौट आए हैं। 15 फरवरी को वहां हमारे राजदूतावास में 36 भारत आस्थामी कर्मचारी थे। मिशन की कार्यात्मक आवश्यकताओं तथा काबुल में सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वहां हमारे भारत अस्थानी कर्मचारियों की संख्या में जब और जैसी जरूरत होगी और कमी की जा सकती है।

(घ) जी नहीं।

अमरीका में ग्रीष्मकालीन शिविर

273. **श्री पी. एम. सईद : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बड़ी संख्या में स्कूल और कालेजों के छात्रों को इस वर्ष अमरीका में आयोजित किये जाने वाले ग्रीष्मकालीन शिविरों में भाग लेने के लिए भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा अमरीका में इन शिविरों का आयोजन किन स्थानों पर करने का प्रस्ताव है तथा इन शिविरों की अवधि कितनी होगी; और

(ग) छात्रों का चयन किन आधार पर किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) से (ग) ग्रीष्मकालीन शिविरों में भाग लेने के लिए भारत से संयुक्त गणराज्य अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में स्कूल तथा कालेज छात्रों को भेजने के लिए इस मंत्रालय में कोई कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। फिर भी, रिकोवर प्रतिष्ठान के अन्तर्गत विर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्कृष्ट शिक्षा के केन्द्र के साथ पिछले तीन वर्षों से एक सतत कार्यक्रम चल रहा जिसके अंतर्गत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रतिवर्ष पांच भारतीय छात्रों को कार्यनिष्पादन के आधार पर उन्हें चुना जाता है और उन्हें लगभग 6 सप्ताह की अवधि के लिए सं. रा. अ. में भेजा जाता है। इन भारतीय छात्रों को अन्य प्रतिभाशाली छात्रों के साथ मेलजोल करने का तथा सं. रा. अ. में शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाओं में वैज्ञानिकों के साथ अन्योन्य क्रिया करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से पारस्परिक आधार पर सं. रा. अ. के छात्र का एक समूह भारत आता है।

पिछले तीन वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है और इसे जारी रखने से सम्बन्धित निर्णय यथासमय लिया जाएगा।

दिल्ली विश्व विद्यालय के शोध छात्रों की मांगें

274. **श्री पी. एम. सईद : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध छात्र अपने शोध कार्यों को गम्भीरता से आगे बढ़ाने के लिए कुछ सुविधाओं की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और इस पर विश्वविद्यालय अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या शोधकर्ताओं ने हाल ही में कुलपति के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था और भूख हड़ताल की धमकी दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय शोधकर्ता संघ (दि. वि. शो. सं.) ने 1.12.1988 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया।

(ख) मुख्य मांगे यह थीं कि पुस्तकालय, प्रयोगशाला, यंत्रीकरण, रिप्रोग्राफी, आवास तथा विश्वविद्यालय उद्योग संयोजन के संबंध में विद्यमान सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए जबकि शोधकर्ताओं की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(ग) जी, हां।

(घ) कुलपति ने मांगों पर विचार करने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

पंजाब कृषि उद्योग निगम द्वारा कार्यारंभ

275. **श्री. जी. भूपति :**

श्री मानिक रेड्डी :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब कृषि उद्योग निगम में कार्य आरम्भ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण संबंधी अथवा सहायक एकक किन किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं इनमें किन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है अथवा निर्माण करने का विचार है तथा इनका कब तक विपणन किया जायेगा;

(ग) क्या निगम द्वारा किन्हीं एजेंसियों का आबंटन किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या मापदंड तथा प्रक्रिया अपनाई गई है और इसका राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो एजेंसियों का कब तक आवंटन किया जाएगा ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) सम्भवतया उपर्युक्त प्रश्न पंजाब-पेप्सीको-टाटा प्रस्ताव के संबंध में है। इस परियरियोजना ने अभी कार्य आरम्भ नहीं किया है।

पंजाब एग्रोइंडस्ट्रीज कारपोरेशन ने सूचित किया है कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन वोल्टास लिमिटेड और पेप्सीको इंक के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में एक कम्पनी को शामिल किया जा रहा है। नई कम्पनी अपने उत्पाद के लिए डिस्ट्रिब्यूशनशिप, एजेन्सियों, यदि कोई दी जाती हैं, देने के लिए कार्यविधि तैयार करेगी और उसे कार्यान्वित करेगी। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि परियोजना में तैयार किए जाने वाले पदार्थों की रेंज में तैयार अनेक फूड्स, साफ्ट ड्रिंक्स कान्सेन्ट्रेट्स और फ्रूट जूस कान्सेन्ट्रेट्स/गूदा तथा सम्बद्ध उत्पाद होंगे। फल और सब्जी उत्पादों का मुख्यतः निर्यात किया जाएगा। साफ्ट ड्रिंक्स का विपणन

विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें साफ्ट ड्रिंक कॉन्सेन्ट्रेट्स सप्लाई किए जाएंगे। डिस्ट्रिब्यूशनशिप्स/एजेन्सियां, यदि कोई होती हैं, केवल स्नैक फूड्स के संबंध में दी जाएंगी।

आंध्र प्रदेश में नये अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

276. **श्री जी. भूपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का आंध्र प्रदेश में नये अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की यूनिटों द्वारा प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान क्या उपलब्धियां रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में सम्बद्ध रेशों से संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की यूनिट द्वारा आंध्र प्रदेश में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है :

विवरण

चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान
परिषद की यूनिटों की उपलब्धियां

भा. कृ. अ. प. यूनिट का नाम और स्थान का नाम	1988-89 के दौरान की उपलब्धियां
1	2
संस्थान :	
1. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुंद्र	अधिक पैदावार देने वाली एफ. सी. वी. प्रजनन किस्में जैसे एल-1031, एल-1037, वी-3030, वी-3189, वी-3190, वी-4139, वी-4176,

1	2
	बी-4161 और बी-4163 आशाजनक पाई गई और रिलीज की जाने वाली हैं। हल्की मिट्टियों के लिए कुछ उत्परिवर्ती भी काफी आशाजनक पाए गए हैं। कैटरपिलर, एफिड, पत्ती मोड़क रोग (लीफ कर्ल), तम्बाकु मोजेक विषाणु और ब्लैक शेंक प्रतिरोधिता के लिए अनेक प्रमुख किस्मों का पता लगाया गया है जिससे कि उन पर अध्ययन और अनुसंधान किया जा सके।
	तम्बाकू की सस्य-क्रियाओं और पौध संस्थान के उपायों में और अधिक सुधार किया गया है।
2. केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	अरहर+सूरजमुखी की अन्त: कृषि तेलंगाना क्षेत्र के लिए आशाजनक पाई गई है। इकहरी फसल प्रणाली की तुलना में इस फसल प्रणाली से 50 प्रतिशत भूमि कम लगती है जबकि उपज उतनी ही प्राप्त होती है।
	बगीचे में फसल उगाने की पद्धति के अंतर्गत जब ज्वार और बाजरा की फसल में ल्यूकेना की पत्तियों और टहनियों का प्रयोग पलवार के रूप में किया गया है तो अधिक पैदावार प्राप्त हुई। अले (बगीचा) फसल पद्धति के अंतर्गत इन फसलों की पैदावार इकहरी फसल पद्धति की तुलना में अधिक हुई।
3. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रबंध अकादमी, हैदराबाद	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रबंध अकादमी ने निम्नलिखित सेमिनार/कार्यगोष्ठियां और पाठ्यक्रमों का आयोजन किया :—
	1. 21वीं सदी में कृषि अनुसंधान पद्धति और प्रबन्ध पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार।
	2. राष्ट्रीय कार्यगोष्ठियां :—
	(i) भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा पद्धति की समीक्षा।

1	2
	(ii) पाठ्यक्रम बनाना और उसे तैयार करना ।
	(iii) शिक्षा में कृषि पद्धतियां : जटिलताओं को निपटाने की जानकारी प्राप्त करना ।
	(iv) शैक्षिक पद्धति का मूल्यांकन और परीक्षण ।
	(v) कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान पुस्तकालयों में शिक्षा कार्यक्रमों और शैक्षिक पद्धतियों का प्रयोग ।
	3. पाठ्य क्रम
	(i) मानव संसाधन प्रबंध ।
	(ii) कृषि अनुसंधान प्रायोजना प्रबन्ध पर विशेष पाठ्यक्रम।
	(iii) (सार्क देशों से आए प्रतिनिधियों के लिए कृषि अनुसधान प्रबंध का पाठ्यक्रम ।
	(iV) कृषि अनुसंधान प्रबंध में ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम ।
	(V) कृषि अनुसंधान सेवा (ए. आर. एस.) के वैज्ञानिकों के लिए फाउन्डेशन पाठ्यक्रम ।
	ए आर एस में नियुक्त एस-1 वैज्ञानिकों के लिए अकादमी ने फाउंडेशन पाठ्यक्रम का आयोजन जारी रखा है। तीन फाउन्डेशन पाठ्यक्रम (27, 28 और 29) आयोजित किए गए और उनमें 150 वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण किया गया ।
अनुसधान केन्द्र	
1. केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान का अनुसंधान केन्द्र, काकीनाडा	संस्थान का यह केन्द्र मछली पकड़ने और मछली पकड़ने के बाद की प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान कर रहा है। मछली पकड़ने वाले 3 डिजाइनों के जालों जैसे सिक्स सीम, ब्लूलाड बेली और सीगट्राल व हाई ओपनिंग ट्राल के तुलनात्मक परीक्षण

1	2
	किये गए जिससे कि उनकी सापेक्षिक कारगरता का मूल्यांकन किया जा सके।
	मछलियों और घोंघों (शैल फिश) के विभिन्न स्रोतों से इकट्ठे किए गए 200 नमूनों का शीशा (लेड), कैडमियम, ताम्बे (कापर) व निकिल के लिए विश्लेषण किया गया। स्थानीय मछुआरों द्वारा वेंजाग तट पर पकड़ी गई टूना मछली के जिगर, दिल और गड़फड़ों वाले हिस्सों में कैडमियम (5.2 से 14.0 पी पी एम) और ताम्बा (5.5 से 16 पी पी एम) उच्च मात्रा में पाये जाते हैं। टूना के लाल मास में कैडमियम (1.6 पी पी एम) और ताम्बा (8 से 17 पी पी एम) पाया गया। आमतौर पर वेंजाग तट से पकड़ी गई मछलियों में शीशे (लेड) का अंश उच्च होता है जोकि 8 से 10 पी पी एम के लगभग होता है।
	मछली पकड़ने के बाद की प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बहुत छोटी झींगा मछलियों से मांस को डेस मोडिया मेथड द्वारा अलग किया गया और उत्पाद को नमी के विभिन्न स्तरों पर सुखाया गया। भण्डारण पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि 20 प्रतिशत नमी वाले उत्पाद को परिवेशी (सामान्य) तापमान पर 6 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
2. केन्द्रीय समुद्री मछली पालन संस्थान के काकीनाडा, विशाखापतनम् में दो अनुसंधान केन्द्र	संस्थान के ये दोनों केन्द्र मूलरूप से सेरडाइन्स, क्रोकर्स, बाराकुडास, तुना, सिल्वर बेलीज और पेनाइड झींगों (प्रान्स) के गुणों वाली मछलियों पर अध्ययन कर रहे हैं।
3. (1) सी. आई एफ. एम. ई. का केन्द्रीय मत्स्य पालन विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, काकीनाडा	काकीनाडा स्थित सी. आई. एफ. ई. का प्रशिक्षण केन्द्र मत्स्य विस्तार में 10 महीने का प्रशिक्षण देने के काम में सक्रियता से लगा है। यह प्रशिक्षण राज्य मछली पालन विभाग, केन्द्रीय संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों, प्राइवेट एजेन्सियों से भेजे गए उम्मीदवारों और विदेशी छात्रों को दिया जाता है।

1	2
(II) सी. आई. एफ. ई. का खारा पानी मछली फार्म, काकीनाडा	इस फार्म में सी. आई. एफ. ई. द्वारा खारे पानी में मछली पालन फार्म के प्रबन्ध पर अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। ट्राइसेम प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस फार्म पर बीज इकट्ठे करने, तालाब का प्रबन्ध और आहार कार्यकलापों में 7 अभ्यार्थियों को 3 महीने का प्रशिक्षण दिया गया।
(III) सी. आई. एफ. ई. का ताजा जल मछली पालन फार्म, बलभद्रपुरम	सी आई एफ. ई. द्वारा ताजे जल में मछली पालन फार्म के प्रबन्ध पर एक नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह यूनिट मूलरूप से मछली-बीज उत्पादन और मछली पालकों को जीरा (बीज) देने के काम में लगी है। वर्ष भर में मेजर कार्प, विदेशी कार्प और संकर कार्प के 80.69 लाख जीरे तैयार किए गए।
(IV) केन्द्रीय अंत: स्थलीय कैप्चर मछली पालन अनुसंधान संस्थान, एलवी का अनुसंधान केन्द्र	यह केन्द्र कोलेरू झील के आस-पास की वायु-मंडलीय परिस्थितियों और उनमें मछली पालन व मछली उत्पादन को बनाए रखने के लिए उपयुक्त प्रबन्ध-उपायों के विकास पर अध्ययन कर रहा है। कोलेरू झील से पकड़ी गई मछलियों के आंकड़ों से पता चला कि पर्जे, कैटफिशेज, मुल्लेट्स और कार्पस किस्म की मछलियां कुल मछलियों का काफी बड़ा भाग थीं जो मछलियों के कुल उत्पादन के 90 प्रतिशत से अधिक थीं। इस झील में अभी तक मछली वर्ग के 40 कुलों की लगभग 86 प्रजातियां रिकार्ड की गई हैं।
क्षेत्रीय केन्द्र	
राष्ट्रीय पौध आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, हैदराबाद	71,000 से अधिक जर्मप्लाज्म के नमूनों जिसमें बाजरा (8134), ज्वार (22,600), अरहर (4704), चना (9495), मूंगफली (12651), धान (12161), मोटे अनाज (1156) और दूसरी विभिन्न फसलों (140) के

1	2
	नमूने शामिल थे, का संसाधन रोगरोधक बनाने के लिए किया गया। इन्हें विदेशी कीट-व्याधियों से मुक्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। इस केन्द्र में बीज द्वारा फैलने वाले मौसमी विषाणु रोगों पर अध्ययन किया गया और यहां आंध्र प्रदेश में बाजरा, ज्वार (सोर्घम) और धान पर अनुसंधान किए गए।
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	
1. राष्ट्रीय ज्वार (सार्घम) अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	(i) एस. पी. वी. 708 किस्म रिलीज की गई जिसमें तना मक्खी (शूटफ्लाइ) का प्रकोप कम होता है।
	(ii) अधिक पैदावार देने वाली किस्मों में एस. पी. वी. 462, एस. पी. वी. 756 और एस. पी. वी. 824 सभी प्रमुख कीट-व्याधियों के प्रति सहिष्णु हैं और एस. पी. वी. 736, एस. पी. वी. 803, एस. पी. वी. 827 और एस. पी. वी. 879 में अनुक रोगों के प्रतिरोधिता पाई गई।
	(iii) रबी ज्वार (सोर्घम) वाले क्षेत्रों में जल्दी पकने वाली दालों जैसे-मूंग और उड़द को अन्तः फसल के रूप में उगाया जा सकता है और इसका रबी वाली सोर्घम की पैदावारों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
परियोजना निदेशालय	
1. तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	सूरजमुखी के एम. एस. पी. एच.—17 और अण्डी एस. एच. बी.—18 जैसे संकर तैयार किए गए। सोयाबीन में कुछ आशाजनक किस्में विकसित की गईं और आंध्र प्रदेश में खरीफ/रबी में उनकी उत्पादन क्षमता का पता लगाया गया। सोयाबीन के अलावा, राज्य में तोरिया-सरसों उगाने की सम्भावना का मूल्यांकन भी किया गया और यह पाया गया कि यह बहुत सफल है।

1	2
2. धान अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	आर्द्र (नमी वाली) मिट्टी में इकहरी और दुहरी फसल पद्धति के लिए उपयुक्त "चैतन्य" किस्म को रिलीज किया गया जो भूरे फुदके, झुलसा व तना छेदक की सहिष्णु है। झुलसा रोधी किस्म "थिक्काना" पछेती बुआई के लिए रिलीज की गई जो 16 -165 दिन में तैयार हो जाती है। ब्लास्ट शीथ ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट के रोधी दाताओं का पता लगाया गया।
3. मुर्गी पालन प्रायोजना निदेशालय, हैदराबाद	यह प्रायोजना निदेशालय अभी नया ही बना है और इसके सुचारु रूप से चलाने के लिए सपूर्ण ढांचा विकसित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है एक ब्रायलर किस्म पर अध्ययन शुरू गया किया है और अभी तक जो परिणाम मिले हैं वे काफी उत्साहवर्धक रहे है क्योंकि इस किस्म की 6 महीने की आयु वाली मुर्गियों का वजन लगभग 1200 ग्राम पाया गया।

हैदराबाद और सिकन्दराबाद में केन्द्रीय विद्यालय

277. **श्री जी. भूपति :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परस्पर जुड़े हुए हैदराबाद और सिकन्दराबाद शहरों में चल रहे केन्द्रीय विद्यालयों का ब्योरा क्या है;

(ख) इन विद्यालयों में किस कक्ष/दर्जे तक शिक्षा दी जाती है;

(ग) वर्ष 1988-89 में खोले जाने वाले नए विद्यालयों का ब्योरा क्या है; और

(घ) कितने विद्यालयों ने अपने कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराया है और कितने विद्यालयों द्वारा स्टाफ-क्वार्टर बनाए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) और (ख) हैदराबाद और सिकन्दराबाद जैसे परस्पर जुड़े हुए शहरों में चल रहे केन्द्रीय विद्यालयों के ब्योरे को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1989-90 में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) 12 केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था प्रदान की गई है और एक केंद्रीय विद्यालय में इनका निर्माण कार्य चल रहा है।

विवरण

हैदराबाद और सिकन्दराबाद में इस समय कार्य कर रहे केन्द्रीय विद्यालयों के ब्यौरे

क्र. सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	कहां तक कक्षाएं चल रही हैं
1	2	3
1.	गोलकोंडा नं. 1 लंगर हाउस, गोलकोंडा, हैदराबाद-500008	12वीं (सभी विषयों सहित)
2.	गोलकोंडा नं. 11 मुहम्मदी, लाईन्स गोलकोंडा, हैदराबाद-500008	9वीं
3.	दुंदीगल नं. 11, एयर फोर्स अकादमी हैदराबाद 500043	12वीं (सभी विषयों सहित)
4.	दुंदीगल नं. 11 एयर फोर्स अकादमी, हैदराबाद-500043	7वीं
5.	उप्पल नं. 1 हैदराबाद-500039	12वीं (सभी विषयों सहित)
6.	उप्पल नं. 11, भारतीय सर्वेक्षण, हैदराबाद-500039	10वीं
7.	बेगुमपेत, हैदराबाद (ए.एफ.एस.) बेगमपेत, हैदराबाद-5000011	12वीं (मा. विषयों सहित)
8	कंचनबाग, हैदराबाद-500258	12वीं (विज्ञान एवं मान विषयों सहित)
9.	सी.आर.पी.एफ. बरकास, हैदराबाद पिन-500005	11वीं (विज्ञान विषयों सहित)
10.	गेचिबोवली, जी.पी.आर.ए. परिसर, गेचिबोवली, हैदराबाद-500133	7वीं
11.	हैदराबाद, एस. वीपी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी शिवरमपाली-500252	9वीं
12.	बोवनपाली सिकन्दराबाद-500015	6वीं

1		2	3
13.	बोलारम, मैसूरी लाईन, सिन्दराबाद-500015		12वीं (विज्ञान एवं मानविक) विषयों सहित)
14.	ए.एफ.एस., हकीमपीठ, सिन्दराबाद-500014		11वीं (विज्ञान विषयों सहित)
15.	सिकन्दराबाद, पिकेट, सिकन्दराबाद-500002		12वीं (सभी विषयों सहित)
16.	सिकन्दराबाद, त्रिमूलघेरी, सिकन्दराबाद-500015		12वीं (सभी विषयों सहित)

कृषि संबंधी पैदावार में असंतुलन को सही करने की नीति

278. **श्री शांतिलाल पटेल :**

श्री जी. एस. बसवराजू :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विशेषज्ञों ने सन 2000 ई. के अन्त तक आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि संबंधी पैदावार के असंतुलन को दूर करने के लिए एक योजना तैयार करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) अनाजों के उत्पादन को अधिकतम बनाने की दृष्टि से कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में उपज की क्षमता का लाभ प्राप्त करने पर बल दिया गया है, विशेषकर कम विकसित क्षेत्रों का लाभ प्राप्त करने पर इन योजनाओं में पूर्वी राज्यों में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देना, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जलधारा विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम तथा विशेष अनाज उत्पादन कार्यक्रम शामिल हैं।

इसके अलावा, कृषि नियोजन कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है, ताकि देश के विभिन्न भागों की क्षमता का उपयोग किया जा सके। अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने तथा सन 2000 ईसवी तक की अनुमानित आवश्यकता पूरी करने के लिए ये कदम सहायक होंगे।

शान्ति और मित्रता हेतु नई संधि का प्रस्ताव

278\. श्री शांतिलाल पटेल :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री उत्तम राठौड़ :

श्री शरद दिघे :

श्री चित्त महाता :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने भारत के साथ शान्ति मित्रता और सहयोग की एक नई द्विपक्षीय संधि करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जनवरी, 1989 में भारत सरकार के पास कोई प्रारूप भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो प्रारूप की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. के.के. तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) श्रीलंका से कोई मसौदा प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा मिसाइलों का परीक्षण

280\. श्री शांतिलाल पटेल :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने स्वदेश में निर्मित भूमि से भूमि पर मार करने वाली मिसाइलों का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इन मिसाइलों की मारक क्षमता क्या है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसके फलस्वरूप भारत की सुरक्षा को किस सीमा तक खतरा पैदा हो गया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने 5 फरवरी, 1989 को यह दावा किया था और सरकार ने उसके वक्तव्य की खबरें देखी हैं।

(ख) पाकिस्तान के प्राधिकारियों के अनुसार इन प्रक्षेपास्त्रों को मार करने की क्षमता क्रमश: 80 कि.मी. और 300 कि.मी. है।

(ग) और (घ) सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार इस प्रकार की घटनाओं की निरन्तर निगरानी रखती है और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों की बराबर समीक्षा करती है।

अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी

281. **श्री शांतिलाल पटेल : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान से सोवियत सैनिक वापस चले गये हैं;

(ख) क्या सोवियत सैनिकों की वापसी से अफगानिस्तान में तनाव पैदा हो गया है जो भारत के लिए उलझनें पैदा करेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. के.के. तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अफगानिस्तान में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण और अनिश्चित बनी हुई है। विद्यमान वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान के लोगों द्वारा निकाले गए राजनीतिक समाधान से ही अफगानिस्तान में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की उम्मीद होगी। सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर निकट से नजर रखे हुए हैं जिसका भारत पर असर पड़ता हो।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन

282. **श्री बी. तुलसीराम :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने संबंधी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुतटीय व्यापारिक कानून में छूट

283. **श्री टी.बी. चन्द्रशेखरप्पा : क्या जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का अनुतटीय व्यापारिक कानून में छूट देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान मद्रास से इससे होने वाले लाभ और हानि का अध्ययन करने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो इन कानून में छूट देने का मुख्य प्रयोजन क्या है;

(घ) इस संबंध में प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान, मद्रास को कबोटेज संबंधी नीति को बदलने या शिथिल करने की दशा में ट्रांशिपमेंट ट्रैफिक के वास्तविक और संभावित परिमाण तथा राष्ट्रीय नौवहन लाइनों और पत्तनों को होने वाली संभावित हानि या लाभ का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। राष्ट्रीय पत्तन प्रबन्ध संस्थान की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। कबोटेज कानून में शिथिलता लाने के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

हिन्दी]

285. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के खरीफ के मौसम के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस भारी फसल का अधिकतम लाभ किसानों को देने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1988-89 के लिए खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्यों से मिलने अभी बाकी हैं। लेकिन, वर्तमान मूल्यांकनों के अनुसार 1988-89 के खरीफ में अनाजों का उत्पादन 95.00 से 96.00 मिलियन मीटरी टन के बीच होने की आशा है।

(ख) और (ग) उत्पादकों को भारी फसल का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सरकार ने अनाजों सहित मुख्य कृषि वस्तुओं के लिए लाभप्रद खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए हैं और घोषित मूल्यों पर खरीद करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है।

पंजाब के उद्योगों को इस्पात और ढलवां लोहे की सप्लाई

286. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब में उद्योगों के सुचारू रूप से संचालन के लिए पिछले वर्ष और इस वर्ष पंजाब सरकार की मांग के अनुसार इस्पात और ढलवां लोहे की सप्लाई करने में समर्थ रही है;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान कितने इस्पात और ढलवां लोहे की मांग की गई और कितनी मात्रा आवंटित की गई,

(ग) क्या पंजाब का लोहा उद्योग वर्तमान वर्ष में ढलवां लोहे की कमी के कारण बन्द होने के कगार पर है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने मांग के अनुरूप इस कच्चे माल की सप्लाई के लिए क्या निर्णय लिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) चूंकि इस्पात और कच्चे लोहे के वितरण पर ऐसा कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, अतः सरकार इन मदों की सप्लाई किसी राज्य सरकार को नहीं करती है। उपभोक्ता, अपनी आपूर्ति सीधे मुख्य इस्पात उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। राज्यों के लघु उद्योग निगमों जैसे उपभोक्ता विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात द्वारा किए गए आवंटनों के आधार पर अपनी आपूर्ति प्राप्त करते हैं।

(ख) (मात्रा टनों में)

	मांग	विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात द्वारा किया गया आवंटन
इस्पात		
1987-88	2,50,125	35,908
1988-89	2,20,500	46,155
कच्चा लोहा		
1987-88	2,00,000	1,61,000
1988-89	2,00,000	1,61,000

(ग) सरकार को इस प्रकार के किसी विकास की जानकारी नहीं है। तथापि, कच्चे लोहे सप्लाई कम है।

(घ) कमी की स्थिति से निपटने के लिए 2 लाख टन के स्तर तक कच्चे लोहे का आयात बनाए रखा जा रहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध के मूल्यों में वृद्धि

267. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी द्वारा इस समय किस मूल्य पर दूध बेचा जाता है और गत मूल्य वृद्धि से पहले किस मूल्य पर बेचा जाता था;

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से खरीदे जाने वाले दूध के मूल्यों में वृद्धि कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस समय उनके किस मूल्य पर दूध खरीदा जा रहा है और कुल उत्पादन की तुलना में उनसे कितने प्रतिशत दूध खरीदा जाता है; और

(घ) किसानों से खरीदे जा रहे दूध में वसा की मात्रा कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी द्वारा बेचे जाने वाले टोंड दूध के वर्तमान मूल्य तथा 30 दिसम्बर, 1988 (अंतिम मूल्य वृद्धि की तारीख) से पहले के मूल्य इस प्रकार हैं :—

(रुपये प्रति लीटर)

	दिल्ली दुग्ध योजना	मदर डेयरी
	रुपये	रुपये
वर्तमान मूल्य (30.12 88 से लागू	4.50	5.00
30.12.88 से पहले के मूल्य	3.30	3.50

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी राज्य डेयरी सहकारी संघों से ताजे दूध की सप्लाई प्राप्त कर रही हैं जो ग्रामीण दुग्धशालाओं से दूध प्राप्त करते हैं। दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी द्वारा इन राज्य डेयरी संघों से खरीदे जाने वाले दूध के मूल्य पहली नवम्बर, 1988 से बढ़ा दिये गये थे।

(ग) और (घ) मौजूदा करार के अनुसार ताजे दूध की सप्लाई के लिए इन राज्य डेयरी संघों को देय खरीद मूल्य और वसा की मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(रुपये प्रति कि. ग्रा.)

दूध की किस्म	वसा की मात्रा	मंदी के मौसम में	बीच के मौसम में	अधिकता के मौसम में
मिश्रित दूध	6.5%	6.61	6.04	5.58
गाय का दूध	4%	5.04	5.04	5.04

इस समय दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी द्वारा खरीदे जाने वाले ताजे दूध की कुल मात्रा, उनके दैनिक उत्पादन के क्रमशः लगभग 61 प्रतिशत और 76 प्रतिशत के बराबर हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को संशोधित वेतन-मान

[अनुवाद]

288. श्री मुहीराम सैकिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को 12 अगस्त, 1987 को घोषित संशोधन वेतन मानों के अनुसार वेतन का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों को वेतन की अदायगी 12.8.1987 को घोषित संशोधित वेतनमानों के अनुसार की जा रही है अध्यापकों के विभिन्न वर्गो को सीनियर वेतनमान प्रदान करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरणों सहित केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्तों को हिदायतें जारी कर दी गयी हैं।

केन्द्रीय विद्यालय, जोरहट में वित्तीय अनियमितताएं

289. श्री मुहीराम सैकिया : : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेष लेखा-परीक्षण दल ने हाल ही में केन्द्रीय विद्यालय, जोरहट (असम) के कामकाज में वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) से (ग) जोर हाट स्थित केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही तथा कथित वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायतों के प्राप्त होने पर केन्द्रीय विद्यालय जोर हाट के लेखों का एक विशेष लेखा परीक्षा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित की गयी थी। इस विशेष लेखा परीक्षा से वित्तीय अनियमितताओं और खरीद प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने का पता चला है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रधानाचार्य को इस हिदायत के साथ भेज दी गयी है कि वह अपनी टिप्पणियां/उत्तर सिल्वर क्षेत्र के सहायक आयुक्त के माध्यम से प्रेषित करे जिसके क्षेत्र में यह विद्यालय आता है। प्रधानाचार्य और सहायक आयुक्त से टिप्पणियां प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जायेगी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी-मंडल द्वारा लिए गए निर्णय

290. श्री मुहीराम सैकिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी-मंडल की 27 दिसम्बर, 1988 को हुई बैठक के लिए गए विभिन्न निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक निर्णय को किस तारीख से लागू करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड की 27.12.1988 को हुई बैठक में लिए गये विभिन्न निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जब तक अध्यापकों के स्थानान्तरण संबंधी संशोधित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के बारे में निर्णय 1.1.1989 से प्रभावी होगा, वहां पर सभी अन्य निर्णय उसी तारीख से कार्यान्वित होंगे जब ये निर्णय लिये गये थे।

विवरण

1. बोर्ड ने यह इच्छा व्यक्त की कि 1984 में विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भर्ती किए गए शिक्षकों को विशेष ड्यूटी भत्ते के भुगतान का प्रश्न वित्त मंत्रालय को पुन: भेज दिया जाए।

2. बोर्ड ने के.वि सं. के अध्यक्ष को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए शिक्षकों के स्थानान्तरण के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया तथा उन सुविधाओं की भी सिफारिश की जो शिक्षकों को उपलब्ध कराई जानी चाहियें ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नियुक्तियों को आकर्षक बनाया जा सके।

3. बोर्ड ने केन्द्रीय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन का अनुसमर्थन किया और निम्नलिखित ब्यौरे नोट किए :—

   (क) दिसम्बर, 1988 से सभी केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा-VII में तीसरे भाषा का अध्यापन और तदुपरान्त इसे वर्षानुवर्ष आधार पर कक्षा x तक बढ़ा दिया।

   (ख) हिन्दी के एक भाग के रूप में संस्कृत का अध्यापन पूर्व की भान्ति कक्षा-V से आगे तक की कक्षा-x तक जारी रहना चाहिए। अधिक से अधिक छात्रों को के.शि.मा.बो. द्वारा निर्धारित भाषा के अध्ययन की नई योजना के अन्तर्गत माध्यमिक तथा +2 स्तर पर एक अतिरिक्त विषय के रूप में संस्कृत के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. केन्द्रीय विद्यालयों में योग के अध्ययन के संबंध में, जो निर्णय लिया गया वह इस प्रकार था :—

   (क) योग कक्षा VI से कक्षा XII तक पढ़ाया जाएगा।

   (ख) शारीरिक शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह प्रति कक्षा (सेक्शन) 6 पीरियडों में से, 4 पीरियड खेल कूद में तथा 2 पीरियड योग में लगाए जाते है।

   (ग) कि उन केन्द्रीय विद्यालयों में जिनमें कक्षा VI से कक्षा XII तक 15 कक्षाएं (सेक्शन) हैं, या तो एक अंशकालिक योग शिक्षक संस्वीकृत किया जाएगा

या योग में प्रशिक्षित विद्यमान शिक्षकों में से एक को यह कार्य सौंपा जाएगा। उन विद्यालयों के लिए जहां, इन कक्षाओं में, 16 से 25 सेक्शन हैं, एक पूर्णकालिक योग-शिक्षक संस्वीकृत किया जाएगा। उन केन्द्रीय विद्यालयों में जहां 26 से 35 तक सेक्शन है, दो पूर्णकालिक योग शिक्षक होंगे और उन केन्द्रीय विद्यालयों में जहां कक्षा VI से XII तक 36 अथवा इससे अधिक सेक्शन हैं, तीन पूर्णकालिक योग शिक्षक होंगे। केन्द्रीय विद्यालयों के लिए अपेक्षित योग शिक्षकों की संख्या तैयार की जाएगी और अन्य विषयों की भान्ति आयुक्त द्वारा संस्वीकृत की जाएगी।

(ख) वे योग शिक्षक जिनके पास शा.शि.शि. की अपेक्षित अर्हताएं हैं और जिन्हें शा.शि.शि. के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, उन्हें यह विकल्प दिया जाएगा कि वे या तो शा.शि.शि. के रूप में चलते रहे या योग शिक्षक के रूप में वापिस चले जाएं।

(ग) वे सभी योग शिक्षक, जिन्होंने 9 महीने से एक वर्ष तक का योग शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, उन्हें कैवल्यधाम-लोनावला जैसी किसी मान्यता प्राप्त योग संस्था से यह प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित होगा। इसी प्रकार से जो स्नातक नहीं है, उन्हें योग में प्रशिक्षण के अलावा उस अर्हता को प्राप्त करना अपेक्षित होगा। उन योग शिक्षकों की सेवाएं जिनके पास अपेक्षित अर्हताएं नहीं है, तब तक तदर्थ आधार पर चलती रहेंगी जब तक वे इन्हें प्राप्त नहीं कर लेते। वे शिक्षक जो तीन वर्षों में इन अर्हताओं का प्राप्त नहीं कर लेते, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। फिर भी इस अवधि को विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है।

5. बोर्ड ने यह निर्णय किया कि विभिन्न अध्यापन पदों के लिए सेलेक्ट पेनल तैयार करते समय, मुख्य पेनल का आकार उस समय विद्यमान वास्तविक रिक्तियों से 30 से 40 प्रतिशत तक अधिक होगा।

6. बोर्ड ने केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए संशोधित मार्गदर्शी रुप रेखाओं को अनुमोदित किया।

7. बोर्ड ने सिपहिया चालक के लिए भर्ती नियमावली को अनुमोदित किया।

8. बोर्ड ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) में 3000-5000 रु. के वेतनमान में शिक्षा अधिकारी के एक पद को पदावनत करते हुए 3000-4500 रु. के वेतनमान में विशेषाधिकारी (साहसिक कार्य-कलाप और प्रकाशन) के पद के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।

9. बोर्ड केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्वीकृति की शर्त पर संगठन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के साथ सतर्कता अधिकारी के पद के विलय के लिए सहमत हो गया।

पंजाब में कृषि पर आधारित परियोजना स्थापित करने के संबंध में मैसर्स पेप्सिको की अरुचि

291. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स पेप्सिको ने हाल ही में पंजाब में कृषि पर आधारित प्रस्तावित परियोजना स्थापित करने में अपनी अरुचि अभिव्यक्त की है और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) पेप्सीको ने एक टेलेक्स सन्देश में अपनी इस धारणा के संबंध में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है कि भारत सरकार साफ्ट पेय तैयार करने वाले उनके प्रमुख प्रतिद्वन्दी को घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों के लिए कान्सेन्ट्रेट तैयार करने के साधन मुहैया करने के लिए अपने पूर्ण-स्वामित्व का प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु उनके द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र को मंजूरी देने के बारे में विचार कर रही है।

मछलियों में अल्सरेटिव डिजीज सिन्ड्रोम के निर्धारण हेतु अध्ययन

292. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल में मछलियों में व्याप्त "अल्सरेटिव डिजीज सिन्ड्रोम" के ब्यौरों के निर्धारण हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोग पर प्रभावी रुप से नियंत्रण कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो मछलियों में व्याप्त बीमारी से निपटने और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) जी हां।

(ख) इस रोग की शुरूआत शरीर पर जलन पहुंचाने वाले लाल धब्बों के होने से होती है। रोग बढ़ने पर ये धब्बे फैल जाते हैं, शल्के (स्केल) झड़ जाते हैं, खाल विकृत हो जाती है और गहरे फोड़े (अल्सर) हो जाते हैं। जांचों से पता चला है कि जीवाणु तथा कुछ विशेष प्रकार के विषाणु इस रोग में मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्रभावित जल क्षेत्रों में पानी भारी था और जल में क्षारीयता थी तथा वहां की मिट्टी अम्लीय और कम कैल्शियम वाली थी।

(ग) उपचारी उपाय अपनाने से प्रभावित राज्यों में रोगों को नियंत्रण करने में मदद मिली है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्यकरण

293. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मतस्य पालन प्रोद्योगिकी संस्थान केरल के वेस्ट हिल, कालीकट में कितने वर्षों से कार्य कर रहा है;

(ख) इस संस्थान के रख-रखाव, जल और विद्युत प्रभार तथा किराये पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है;

(ग) इस संस्थान में किस प्रकार का कार्य किया जाता है;

(घ) क्या पंचवर्षीय पुनरीक्षा दल ने इस एकक को बन्द करने की सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार की सिफारिश करने के क्या कारण हैं;

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान का एक केन्द्र पिछले 25 वर्षों से कालीकट में कार्य कर रहा है।

(ख) केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान का केन्द्र केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कालीकट के परिसर में है। इस प्रकार केन्द्र के रखरखाव, पानी तथा बिजली पर अलग से खर्च नहीं किया जा रहा है।

(ग) यह केन्द्र स्थानीय मछली संसाधन उद्योगों से संबंधित स्थानीय समस्याओं तथा पकड़ने व पालने की उन्नत तकनीकों पर काम कर रहा है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) पंचवर्षीय समीक्षा दल की यह राय थी कि केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान के कालीकट केन्द्र ने अपने अनुसंधान लक्ष्यों को पूरा कर लिया है तथा आगे के अनुसंधान कार्यक्रम कोचीन में संस्थान के मुख्यालय में चलाए जा सकते है। फिर भी यदि आवश्यकता हुई तो स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कालीकट में एक विस्तार कक्ष बनाए रखा जा सकता है।

(च) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इजरायल के राजनयिक का दौरा

294. **श्री राम बहादुर सिंह :**

श्री तम्पन थामस :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इजरायल के एक वरिष्ठ राजनयिक भारत के दौरे पर आये थे और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की थी;

(ख) यदि हां तो उनके दौरे का प्रयोजन क्या था; और

(ग) क्या सरकार का विचार इजरायल के साथ अपने संबंध बढ़ाने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.के. तिवारी) : (क) और (ख) जी, नहीं किसी भी इजरायली अधिकारी ने भारतीय अधिकारी के साथ विचार-विमर्श करने के लिए भारत की यात्रा नहीं की है।

(ग) इजरायल के साथ संबंध बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रुग्ण और घायल पशुओं का वध

295. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के बूचड़खानों में काफी संख्या में रूग्ण और घायल पशुओं का वध किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो बूचड़खानों में पशुओं का वध करने से पहले उनकी हालत की जांच करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) दिल्ली में रूग्ण और घायल पशुओं का वध करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति पकड़े गए है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी नहीं, दिल्ली के बूचड़खानों में बीमार पशुओं का वध नहीं किया जाता। यदि घायल पशुओं को उचित जांच के बाद ठीक पाया जाता है तो आपातिक मामलों में केवल उनका ही वध किया जाता है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

296. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ध्यान दिनांक 27 जनवरी, 1989 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'एफ आर जी एण्ड सून टू अपडेट राउरकेला प्लान्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम जर्मनी की सरकार ने राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना तैयार की है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) आधुनिकीकरण कार्य के कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) ने मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर राउरकेला इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण योजना तैयार कर ली है।

प्रौद्योगिकीय उन्नयन और नवीकरण कार्यक्रम को दो चरणों में कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई है। जबकि चरण-I पर 415 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, जिसके लिए जून, 1988 में स्वीकृति दी जा चुकी है, परन्तु चरण-II के प्रस्तावों की सरकार इस समय जांच कर रही है। चरण-I का कार्य शुरू हो चुका है।

सीमा संबंधी विवाद पर भारत-चीन संयुक्त कार्य दल की स्थापना

297. श्री एच. एन. नन्जे गौडा :
प्रो. रामकृष्ण मोरे :
डा. गौरी शंकर राजहंस :
श्री उत्तम राठौड़ :
श्री महेन्द्र सिंह :
श्री बी. बी. पाटिल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा विवाद संबंधी मसले पर विचार करने के लिए भारत और चीन ने एक संयुक्त कार्य-दल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) चीन के साथ सीमा-विवाद को कब तक हल किये जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) प्रधान मंत्री की हाल की चीन यात्रा के दौरान सीमा के प्रश्न पर भारत और चीन द्वारा एक संयुक्त कार्य दल बनाने का निर्णय लिया गया था।

(ख) यह संयुक्त दल सीमा संबंधी समग्र मसले के समाधान पर विचार करेगा तथा इस बात का सुनिश्चय भी करेगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनी रहे। भारतीय पक्ष की ओर से इस दल की अध्यक्षता विदेश सचिव तथा चीनी पक्ष की ओर से उसकी अध्यक्षता चीन के उप विदेश मंत्री करेंगे;

(ग) सीमा संबंधी मसला एक जटिल मसला है और इस पर ब्योरेवार बातचीत की आवश्यकता है। इस मसले पर बातचीत को पूरा करने के लिए अपनी ओर से कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

आस्ट्रेलियाई खनन पद्धति अपनाना

298. श्री एच. एन. नन्जे गौडा :
प्रो. रामकृष्ण मोरे :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ ने यह मत व्यक्त किया है कि आस्ट्रेलिया में अपनायी जाने वाली विशेष खनन पद्धति अन्य खनन पद्धतियों की तुलना में बेहतर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में विभिन्न स्थानों पर इस विशेष खनन पद्धति का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का खनन क्षेत्र में अन्य कौन से उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) इंजीनियरी/खनन परियोजनाओं में भारत आस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार सहयोग बढ़ाने के बारे में भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंडल संघ द्वारा हाल ही में तैयार विवेचन पत्र में यह कहा गया है कि ओपन कास्ट खानों के कम्प्यूटर समर्थित प्रकल्पन और अभिकल्पन (प्लानिंग एण्ड डिजाइनिंग) में आस्ट्रेलिया अन्य राष्ट्रों से काफी अग्रणी है ।

(ख) और (ग) आस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए सेन्ट्रल कोल फील्डस लि. की पीपरवार ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना को अलग से चुना गया है ।

गहरी और उथली (अन्डरग्राउन्ड एण्ड ओपन कास्ट) दोनों प्रकार की खानों, विशेषतया सरकारी क्षेत्र की कार्यरत खानों में जहां भी आवश्यक हुआ है, आर्ट तकनोलोजी प्रक्रम अपनाकर खनन तकनोलोजी को उन्नत करने के लगातार आधार पर प्रयास किये जा रहे हैं ।

उत्पादकता में सुधार

299. **डा. वी. विजय रामा राव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्वेत, हरित तथा नीली क्रान्तियों के अन्तर्गत उत्पादकता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन क्षेत्रों में उत्पादकता में तेजी से सुधार करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार किया गया है;

(घ) क्या वैज्ञानिकों ने सरकार की बीज आयात नीति के बारे में कोई आशंका प्रकट की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) फसल, दूध और मछली उत्पादन के मामले मे उत्पादन के मामले में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं तथा विकास कार्यक्रम चलाये गये हैं ।

(घ) सरकार की बीज आयात नीति के बारे में वैज्ञानिकों से कोई आशंका प्राप्त प्राप्त नहीं हुई है ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

घातक कीटनाशकों का आयात

300. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

प्रो. रामकृष्ण मोरे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी भी कुछ ऐसे घातक कीटनाशकों का आयात किया जा रहा है जिनका उन्नत देशों में उपयोग बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आयात का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन घातक कीटनाशकों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) कीटनाशी औषधि अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत गठित की गई पंजीकरण समिति द्वारा कीटनाशी औषधियों का पंजीकरण कराने की सांविधिक आवश्यकता होती है। समिति आयात/निर्माण/उपयोग के लिए केवल उन कीटनाशी औषधियों का पंजीकरण करती है जो वैज्ञानिक आंकड़ों के मूल्यांकन/अध्ययनों के आधार पर मानवों तथा पशुओं के लिए सुरक्षित समझी जाती हैं और जैव प्रभावकारी होती हैं। इसके परिणामस्वरूप हानिकारक/खतरनाक पाई जाने वाली कीटनाशी औषधियों को देश में आयात/निर्माण/उपयोग के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

उर्वरकों का आयात

301. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री एस. बी. थोरात :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने उर्वरक का आयात किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उर्वरक उद्योग से वर्तमान संयंत्रों की क्षमता का उपयोग बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ग) देश में उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का और क्या अन्य कदम उठाने का विचार है,

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : (क) वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान आयात किए गए उर्वरकों की मात्रा नीचे दी गई है :

(लाख टनों में)

वर्ष	यूरिया	डी ए पी	एम ओ पी	एस ओ पी	योग
1985-86	29.02	17.81	15.05	—	61.88
1986-87	21.82	5.62	15.65	0.16	43.25
1987-88	3.80	—	13 40	0.10	17.30

(ख) जी, हां।

(ग) उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने और नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए नए उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, पुराने एककों के उत्पादन कार्य निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से अनेक नवीकरण/आधुनिकीकरण योजनाएं आरम्भ की गई हैं। जहां कहीं आवश्यक समझा गया है कैपटिव पावर संयंत्र भी या तो स्थापित किए गए हैं या स्थापित किए जा रहे हैं ताकि बिजली कटौती/अस्थिरता के कारण उत्पादन हानि से बचा जा सकता है।

केरल में मिर्च के पौधों को प्रभावित करने वाले रोग

302. **श्री वी. एस. विजयराघवन :**

प्रो. पी. जे. कुरियन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मिर्च के पौधों को प्रभावित करने वाला रोग तेजी से फैल रहा है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रोग से अनुमानतया कितनी वित्तीय हानि हुई है;

(ग) क्या स्थिति का अध्ययन करने हेतु कोई केन्द्रीय दल भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस रोग को रोकथाम तथा इसे समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) केरल सरकार ने काली मिर्च के मुरझान रोग के गम्भीर आक्रमण होने को सूचना दी है।

(ख) "क्विक विल्ट" रोग अथवा "खुर विलगन" नामक रोग फाइटोफ्थोरा कैप्सिकी फंगस के कारण होता है। राज्य सरकार के अनुसार, मौजूदा बाजार मूल्यों के आधार पर 3.20 करोड़ रुपये की वार्षिक वित्तीय हानि होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। तथापि, इस समस्या पर 4 जनवरी 1989 को केन्द्रीय संस्थानों, अर्थात केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय पौध रक्षण

केन्द्र, कोका, सुपारी मसाला निदेशालय, राज्य का कृषि विभाग के विशेषज्ञों को उच्च स्तरीय बैठकें में विचार किया गया था, ताकि रोगों पर काबू पाने के लिए एक नीति तैयार की जा सके।

विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार की गई नीति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं—

(1) मानसून की पहली वर्षा के बाद मई-जून के दौरान सिफारिश की गई फफूंदी नाशक दवाइयों का बेलों पर छिड़काव, उसके बाद अगस्त-सितम्बर में दूसरा दौर में उनका उपचार;

(2) मई-जून की अवधि के दौरान कोलर क्षेत्र में बोरडियौक्स पेस्ट का प्रयोग।

(3) मई-जून और अगस्त-सितम्बर के दौरान सिफारिश किए गए उर्वरकों का प्रयोग।

(4) मई के दौरान पानी के जमाव, व मानकों में गिरावट को रोकना, जमीन तक लटकी हुई टहनियों को कांट-छांट करना।

उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय

[हिन्दी]

303. **श्री हरीश रावत : क्या मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने नवोदय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या लक्ष्य के अनुसार विद्यालय खोले गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1988-89 के दौरान 18 नवोदय विद्यालय खोले जाने की योजना थी।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान, । नवोदय विद्यालयों के लक्ष्य के मुकाबले, केवल 10 ही स्थापित किए जा सके।

(ग) नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार, विद्यालयों को चलाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों द्वारा प्रथमतः निःशुल्क 30 एकड़ उपयुक्त भूमि, इसके साथ समुचित खाली भवन की पेशकश करनी आवश्यक होती है। बनाई गई योजना के अनुसार वर्ष 1988-89 के दौरान निश्चित तिथि तक 18 नवोदय विद्यालय खोलने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार आवश्यक भौतिक सुविधाएं नहीं जुटा पाई।

इस्पात और कच्चे लोहे के मूल्यों में वृद्धि

304. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात और कच्चे लोहे के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि की है;

(ग) क्या इस वृद्धि से मुद्रा स्फिति होने की सम्भावना है जिसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या इस्पात और कच्चे लोहे के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार): (क) और (ख) संयुक्त संयंत्र समिति ने जनवरी 1989 में कच्चे लोहे तथा इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने की घोषणा की थी। कच्चे लोहे के मूल्यों में लगभग 5.8 प्रतिशत तक की तथा इस्पात के मूल्य में लगभग 4.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।

(ग) इस्पात के मूल्य में हुई वृद्धि का थोक मूल्य सूचक पर थोड़ा प्रभाव (0.5 प्रतिशत से कम) पड़ने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ.) कच्चे लोहे तथा इस्पात के मूल्य, आदानों की लागत पर निर्भर करेंगे। इस्पात संयंत्र की क्षमता के उपयोग तथा उत्पादकता में वृद्धि होने से तथा वर्तमान इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण होने से आदानों की मूल्य-वृद्धि के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी।

भूमिहीन किसानों को भूमि का आवंटन

[अनुवाद]

305. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक प्रत्येक राज्य में भूमिहीन किसानों को वितरित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में कितने किसान इस प्रकार लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान भूमिहीनों को फालतू भूमि का वितरण किए जाने के के संबंध में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में भूमिहीन किसानों को वितरित करते हुए फालतू भूमि को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1988 तक वितरित की गई भूमि और लाभार्थियों की संख्या के संबंध में कुल उपलब्धि का दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं। गत चार वर्षों के दौरान वितरित की गई भूमि निम्नलिखित है :—

वर्ष	वितरित की गई भूमि (एकड़ में)
1985-86	109245
1986-87	90517
1987-88	82198
1988-89 (दिसम्बर, 88 तक)	64121

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में हुई आम राय के आधार पर वितरण हेतु अधिक फालतू भूमि प्राप्त करने के लिए राज्यों को अनेक उपाय सुझाव गए हैं जैसे अधिकतम सीमा कानूनों में कमियों तथा खामियों को दूर करना मामलों को तेजी से निपटान के लिए अनुच्छेद 323-ख के अन्तर्गत ट्रिब्यूनलों की स्थापना करना, कानूनों तथा प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ बनाना, अधिकतम सीमाओं पर पुन: विचार करना, कानूनों के अन्तर्गत दी गई छूटों की समीक्षा करना आदि।

विवरण

अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का वितरण (कुल) दिसम्बर, 88 तक

(क्षेत्र एकड़ में)

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	384403	328130
2.	असम	393682	362933
3.	बिहार	241087	274157
4.	गुजरात	107535	24486
5.	हरियाणा	111256	37435
6.	हिमाचल प्रदेश	3340	4400
7.	जम्मू व कश्मीर	450000	450000
8.	कर्नाटक	113756	28591
9.	केरल	61126	125651

1	2	3	4
10.	मध्य प्रदेश	142626	53286
11.	महाराष्ट्र	524645	132325
12.	मणिपुर	1685	411
13.	उड़ीसा	144488	121563
14.	पंजाब	100487	25877
15.	राजस्थान	409480	73632
16.	तमिलनाडु	127170	100758
17.	त्रिपुरा	1596	1416
18.	उत्तर प्रदेश	352172	296628
19.	पश्चिम बंगाल	836022	1726361
	केन्द्र शासित क्षेत्र		
20.	दादरा और नगर हवेली	5424	2546
21.	दिल्ली	312	654
22.	पांडिचेरी	956	1165
	अखिल भारत	45,13,228	41,72,406

केरल में मुख्य केन्द्रीय सड़कों के सुधार के लिए दी गई धनराशि

306. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

प्रो. पी. जे. कुरियन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल, त्रिवेन्द्रम से पंगाली के लिए मुख्य केंद्रीय सड़क के सुधार हेतु राज्य सरकार को स्वीकृत की गई धनराशि दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और यह कब तक दिए जाने की संभावना है;

(ग) इस कार्य को पूरा करने की निर्धारित तारीख क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट): (क) 160.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से त्रिवेन्द्रम जिले (केरल) में मुख्य केंद्रीय सड़क (15.31 कि.मी. में)

के सुधार के लिए 75 लाख रुपए (केंद्रीय ऋण सहायता) खर्च करने हेतु सितम्बर, 1988 में आडिट प्राधिकार जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रक्षेपित जरूरतों और इस स्कीम के तहत धनराशियों की उपलब्धता को ध्यान रखते हुए पूरे राज्य के लिए न कि कार्यवार एकमुश्त राशि रिलीज की जाती है। तथापि, वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य सरकार को रिलीज करने के लिए 74.00 लाख रुपए रखे गए हैं।

(ग) राज्य सरकार को यह कार्य 31.3.1991 तक पूरा करने की सलाह दी गई है।

केरल में नारियल की खेती को बढ़ावा

307. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मंत्री तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के बारे में 24 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1981 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कितने नारियल उत्पादकों ने नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया है;

(ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान प्रत्येक योजना के लिए कितनी राशि आबंटित की गई और कितनी राशि दी गई; और

(ग) इस प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उन्हें धनराशि वितरित करने का उत्तरदायित्व किन एजेन्सियों पर है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) केरल में 1 अप्रैल, 1987 से जनवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान "क्षेत्र विस्तार योजना" के अन्तर्गत नारियल की नई पौद लगाने तथा "सिंचाई हेतु सहायता प्रदान करने वाली योजना" के अन्तर्गत सिंचाई करने वाले 386 पम्प-सैटों की स्थापना करने के लिए 2,870 नारियल उत्पादकों ने राजसहायता प्राप्त की।

(ख) इस सम्बन्ध में जानकारी सलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जानकारी नीचे दी गई है :—

योजना का नाम	प्रक्रिया
(1) क्षेत्र विस्तार योजना	नारियल विकास बोर्ड ने किसानों को सीधे ही राज्य के कृषि विभाग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजसहायता का वितरण किया।
(2) प्रसंस्करण करने वाले उद्योगों को सहायता	बोर्ड द्वारा उपयुक्त प्रसंस्करण उद्योगों और दस्तकारों का पता लगा लिया गया है तथा

	राजसहायता सीधे ही वितरित कर दी गई है।
(3) सभी शेष योजनाएं (अनुबन्ध में उल्लिखित)	राज्य सरकार को प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन और धनराशि के उपभोग की प्रगति के आधार पर समय-समय पर धनराशि नियुक्त की जाती है।

विवरण

योजना का नाम	आबंटित राशि (नारियल विकास बोर्ड का शेयर) लाख रु. में		वितरित की गई राशि (लाख रुपए में)	
	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89 (जनवरी 1989 तक)
1	2	3	4	5
1. क्षेत्र विस्तार योजना	14,37,500	18,12,500	19,82,300	9,18,243
2. सिंचाई हेतु सहायता प्रदान करने वाली योजना	3,50,000	3,50,000	3,50,000	17,706
3. टी. और डी. संकर किस्मों का उत्पादन और वितरण	4,68,100	4,78,100	4,68,100	2,39,050
4. डी. और टी. संकर किस्मों के बीजों के लिए संकर बीजों के बगीचे की स्थापना।	2,85,000	2,87,500	2,85,000	1,43,750
5. नारियल की छोटी जोतों (10,000 हैक्टेयर क्षेत्र) में समेकित खेती।	8,55,800	9,28,450	8,55,800	4,64,225
6. प्रसंस्करण करने वाले उद्योगों को सहायता	50,000	—	50,000	—
7. सहकारी समितियों को सहायता	4,00,000	4,00,000	3,86,250	3,25,000
8. दस्तकारों को प्रोत्साहन	25,000	35,000	20,000	32,000

बिहार में भागलपुर में गंगा पुल परियोजना के लिए सहायता

308. डा. गौरीशंकर राजहंस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार बिहार में भागलपुर में गंगा पुल परियोजना के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, नवम्बर, 1988 में कतिपय चुनी हुई राज्य-सड़क परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भागलपुर में गंगा नदी पर एप्रोच सड़कों तथा फुटपाथों सहित दोहरी लेन पुल का निर्माण भी शामिल है।

दूध के मूल्य में वृद्धि

309. श्री मोहम्मद महफूज अली खां :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री हरीश रावत :
श्री राम प्यारे पनिका :
क्या कृषि मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में दूध के मूल्यों में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप अन्य राज्यों में दूध के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) उपभोक्ताओं पर विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित उपभोक्ताओं पर इस मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या मूल्य वृद्धि के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो दूध के मूल्य कम करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जब दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी ने दूध की कीमतें बढ़ायी थी, उस समय प्रमुख शहरों में विभिन्न राज्य/सहकारी डेरियों द्वारा खरीदे-बेचे गये समान गुणवत्ता वाले दूध की कीमतें दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी द्वारा वसूल की गई कीमतों की तुलना में सामान्यत: अधिक थी। दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी द्वारा कीमतों में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप सरकार को अन्य राज्यों में दूध की कीमतों के बढ़ने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) विभिन्न आर्थिक-स्तरों के वर्गों से संबंधित उपभोक्ताओं पर कीमतों के बढ़ने के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) मूल्य वृद्धि के विरुद्ध सामान्य रूप से अभ्यावेदनों में उपभोक्ताओं की अभिरुचियों के बारे में बताया गया है। दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी द्वारा वसूल की गई कीमतों को कम करने के लिए किसी भी उपाय पर विचार नहीं किया जा रहा है।

चीन और भारत द्वारा आपसी संबंधों पर बातचीत

310. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा चीन के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने हेतु हाल ही में क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच कोई और द्विपक्षीय वार्ता करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो आगामी द्विवपक्षीय वार्ता में कौन-कौन से मुख्य मुद्दे उठाये जाने का विचार है; और

(घ) भारत सरकार द्वारा सीमा विवाद के बारे में दिये गए विभिन्न सुझावों पर चीन की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) चीन की राज्य परिषद के अध्यक्ष, ली पेंग के आमंत्रण पर प्रधान मंत्री ने दिसम्बर, 1988 में चीन की यात्रा की। इस यात्रा के दौरा दोनों पक्ष शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धान्तों के आधार पर भारत और चीन के बीच अच्छी प्रतिवेशिता और मैत्री के संबंध में पुनः कायम करने, उन्हें सुधारने और विकसित करने पर सहमत हुए।

(ख) और (ग) जी, हां। शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी और नागरिक विमानन जैसे कार्यात्मक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया जाएगा। इस संबंध में जो ठोस कदम उठाए गए हैं उनके सीमा संबंधी मसलों पर एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना और आर्थिक संबंधों तथा व्यापार और विज्ञान एव प्रौद्योगिकी के संबंध में एक संयुक्त दल की स्थापना शामिल है। इन दलों की बैठकें राजनयिक माध्यमों से परस्पर स्वीकार्य तारीखों को होंगी।

(घ) सीमा के प्रश्न पर दोनों सरकारों ने शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण विचार-विमर्श द्वारा जायज, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान सोचने के लिए अपनी दृढ़ वचनबद्धता व्यक्त की है।

श्रीलंका से भारतीय शांति सेना की वापसी

311. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री उत्तम राठौड़ :
श्री के. रामचन्द्र रेड्डी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका से भारतीय शांति सेना की वापसी आरंभ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो श्रीलंका से भारतीय शांति सेना के अब तक कुल कितने सैनिक, कितनी टुकड़ियों में वापस आए हैं; और

(ग) किस तारीख तक श्रीलंका से समस्त भारतीय शांति सेना के वापस आ जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो.. के. के. तिवारी) : (क) और (ख) श्रीलंका की स्थिति में सुधार होने तथा भारत-श्रीलंका समझौते के उत्तरोत्तर क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप भारतीय शांति सेना की तीन बटालियन वापिस बुला ली गई हैं।

(ग) श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के प्रवास की अवधि को भारत-श्रीलंका समझौते के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। सरकार को यह आशा है कि जैसे-जैसे पूर्वोत्तर प्रांत की स्थिति में सुधार होगा, जैसे-जैसे सत्ता हस्तान्तरण प्रभावी होगा, जैसे-जैसे भारत-श्रीलंका समझौते का उत्तरोत्तर क्रियान्वयन होगा तथा जैसे-जैसे भारत श्रीलंका समझौते के खिलाफ उग्रवादी तत्वों की शरारतपूर्ण क्षमता कम होती जायेगी, वैसे-वैसे सरकार श्रीलंका से सेनाओं की और वापसी करती जाएगी। इन बातों को देखते हुए भारतीय शांति सेना की वापसी की कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

आवासीय महिला पोलिटैकनिक

312. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सेक्टर में क्षेत्रीय आधार पर देश में कितने आवासीय महिला पोलिटैकनिक स्थापित किए गए हैं;

(ख) ये पोलिटैक्नीक्स कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में ऐसे आवासीय महिला पोलिटैक्निक स्थापित करने का अनुरोध किया था और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री. एल. पी. शाही) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हाँ,।

(घ) प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं में कुप्रबंध

[हिन्दी]

313. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के कई डिपुओं में कुप्रबन्ध की शिकायत है तथा दुग्ध काला बाजार में बेच दिया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो नवम्बर, 1988 से जिन दूध डिपुओं के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाये गये कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही सहित इस संबंध में की गई कार्यवाई का व्यापक ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना को नवम्बर, 1988 तक डिपो स्तर पर दूध की बिक्री की अनियमितताओं के आरोप को 79 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। डिपो कर्मचारी/छूट ग्राहियों के शामिल होने के 18 मामले सिद्ध किये गये हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	शिकायत की संख्या और तिथि	डिपो संख्या	क्षेत्र	की गयी कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	2259 दिनांक 11.11.88	530	चावड़ी बाजार	डिपो स्टाफ को चेतावनी दी गई
2.	2262 दिनांक 11.11.88	1452	कृषि कुंज	डिपो स्टाफ की स्थानांतरण किया गया
3.	2:69 दिनांक 17.11.88	173	देव नगर	डिपो स्टाफ हटा दिया गया
4.	2315 दिनांक 01.12.88	712	भारत नगर	डिपो स्टाफ को चेतावनी दी गयी
5.	2324 दिनांक 03.12.88	1787	प्रेम नगर	डिपो स्टाफ हटा दिया गया
6.	2365 दिनांक 14.12.88	294	फैज रोड	डिपो स्टाफ को चेतावनी दी गई
7.	2381 दिनांक 19.12.88	1085	मोतीबाग	डिपो स्टाफ को चेतावनी दी गई
8.	2391 दिनांक 21.12.88	126	पंडारा रोड	डिपो स्टाफ हटा दिया गया

1	2	3	4	5
9.	*2405 दिनांक 24.12.88*	*1155*	*कालकाजी*	*डिपो स्टाफ हटा दिया गया*
10.	2420 दिनांक 28.12.88	1477	होज खास	डिपो स्टाफ को चेतावनी दी गई
छूट ग्राही				
11.	2237 दिनांक 13.11.88	1161	नारायणा	एजेंसी समाप्त की गयी
12.	2239 दिनांक 04.11.88	715	पहाड़गंज	छूट ग्राहयता को समाप्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
13.	2302 दिनांक 28.11.88	1497	भावाम्बिका	
14.	2322 दिनांक 02.12.88	1084	इन्द्रपुरी	
15.	2304 दिनांक 28.11.88	1618	सुल्तानपुरी	
16.	2334 दिनांक 07.12.88	1617	सुल्तानपुरी	
17.	2338 दिनांक 08.12.88	178	बापानगर	
18.	2343 दिनांक 09.12.88	1403	सुल्तानपुरी	

अगले एशियाई खेलों में कबड्डी को शामिल करना

[अनुवाद]

314. श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि कबड्डी एक परम्परागत खेल है;

(ख) यदि हां, तो क्या कबड्डी को अगले एशियाई खेलों में एक खेल के रूप में शामिल किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) हमारे लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप कबड्डी आगामी एशियाई खेलों में एक खेल के रूप में शामिल की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर का कम्प्यूटरीकरण

315. श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगलौर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका कम्प्यूटरीकरण कब तक किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का कम्प्यूटर द्वारा देश के सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को केंद्रीय पासपोर्ट कार्यालय नई दिल्ली से जोड़ने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) से (घ) यह विचार है कि दिसम्बर 1989 तक 16 पासपोर्ट कार्यालयों में पहले कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है जिसमें बंगलौर स्थित पासपोर्ट कार्यालय भी शामिल है। इसके साथ ही इन पासपोर्ट कार्यालयों को नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के मुख्यालय से भी समुचित रूप से जोड़ा जाएगा।

सातवी योजना के अन्त तक खाद्यान्नों के लिए निर्धारित लक्ष्य

316. **डा. कृपासिंधु भोई** :

श्री एस. बी. थोरात :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राज्य-वार कितना लक्ष्य रखा गया है और अब तक की उपलब्धियाँ क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : खाद्यान्न उत्पादन (अस्थाई) के राज्यवार लक्ष्यों को "सातवीं पंचवर्षीय योजना" के आधार पर दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान प्राप्त खाद्यान्न उत्पादन की मात्रा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मीटरी टन में)
1985-86	150.44
1986-87	143.42
1987-88	138.41

विवरण

सातवीं पंच-वर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन के राज्यवार लक्ष्य

क्रम सं.	राज्य का नाम	लक्ष्य (मिलियन मीटरी टन में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13.00

1	2	3
2.	असम	4.00
3.	बिहार	13.00
4.	गुजरात	6.50
5.	हरियाणा	8.50
6.	हिमाचल प्रदेश	1.40
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1.80
8.	कर्नाटक	8.50
9.	केरल	1.60
10.	मध्य प्रदेश	15.50
11.	महाराष्ट्र	12.50
12.	मणिपुर	0.50
13	मेघालय	0.20
14.	नागालैण्ड	0.17
15.	उड़ीसा	8.00
16.	पंजाब	17.00
17.	राजस्थान	10.00
18.	सिक्किम	0.13
19.	तमिलनाडु	10.00
20.	त्रिपुरा	0.47
21.	उत्तर प्रदेश	36.30
22.	पश्चिम बंगाल	10.00
23.	अन्य/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	0.93
	अखिल भारत	180.00*

*तथापि, सातवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के आधार पर अखिल भारत के लक्ष्य को संशोधित करके 175.2 मिलियन मीटरी टन कर दिया गया।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा विश्व बैंक और जापान से ऋण लिया जाना

317. डा. कृपासिंधु भोई : क्या इस्पात और खान मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का विश्व बैंक और जापान से ऋण लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो दोनों के द्वारा कुल कितनी राशि का ऋण मंजूर किया गया है; और

(ग) इस ऋण को लेने का प्रयोजन क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम. एल. फोतेदार) (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. मई, 1987 में विश्व बैंक के साथ तकनीकी सहायता ऋण करार पर हस्ताक्षर कर चुकी है। ऋण की कुल राशि 50 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर है।

विश्व बैंक ने ऋण में वृद्धि के लिए "सेल" को जापानी सरकार से 450 मिलियन जापानी येन के अनुदान की भी व्यवस्था की है।

(ग) यह ऋण तकनीकी सहायता के रूप मे दिया जा रहा है और जिसका उपयोग "सेल" के निष्पादन में सुधार लाने के लिए पांच परामर्शी अध्ययन दलों को अध्ययन से संबंधित उपकरणों की खरीद करने मे तथा "सेल" के कार्मिकों के प्रशिक्षण में किया जाएगा।

ये पांच अध्ययन इन क्षेत्रों में किए जा रहे हैं :—

(1) पर्यावरण प्रबन्धन तथा प्रदूषण नियंत्रण

(2) विपणन तथा वितरण प्रचालन

(3) उत्पादकता में सुधार

(4) एच. आर. डी. तथा प्रशिक्षण, और

(5) अलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर का प्रौद्योगिकीय उन्नयन।

कपास में हेलियोथिस नामक बीमारी की रोकथाम

318. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कपास में हेलियोथिस नामक बीमारी की कीटनाशक दवाओं के प्रयोग अथवा "इन्टेग्रेटेड पेस्ट मेनेजमेन्ट" जैसे किन्हीं अन्य तरीकों से पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश से किसानों और सम्बन्धित अनुसंधान एवं विकास संबंधी वैज्ञानिकों को कपास में हेलियोथिस नामक बीमारी की रोकथाम के तरीकों का अध्ययन करने के लिये विदेश भेजा जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में कपास पर हेलियोथिस नामक कृमि का आन्ध्र प्रदेश व तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गई विभिन्न नीतियों द्वारा नियन्त्रित किया गया है। इन नीतियों ने समेकित कीट प्रबन्ध का एक पैकेज तैयार किया है, जिसे राष्ट्रीय कार्यशालाओं में एक निश्चित रूप दिया गया है। समेकित कीट प्रबन्ध के घटक निम्नलिखित हैं :—

(1) कपास को कम संवेदनशील किस्मों को उगाना।

(2) हेलियोथिस नामक कीटों का उचित प्रबोधन करना तथा जहां आवश्यकता हो वहां कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करना ।

(3) ब्रांड स्पेक्ट्रम कीटनाशियों, विशेषरूप से सिन्थेटिक पाइरो थ्री इड्स के प्रयोग को प्रतिबन्धित करना।

(4) फसलों का गैर-परपोषी पौधों के साथ आवर्तन।

(5) बैक्टेरिया और जैविक नियन्त्रण कारकों का प्रयोग .

(6) जहां कहीं भी सम्भव हो हेलियोथिस लारवाओं को हाथ से चुनना।

(7) नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों का निर्धारित मात्रा में प्रयोग।

(8) प्रभावी स्प्रेयरों से क्वालिटी कीटनाशियों का उपयुक्त मात्रा में प्रयोग।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बीजों की कमी

319. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान देश में गेहूं और चने के बीज की भारी कमी होने की संभावना थी ;

(ख) क्या यह कमी उत्पादन अथवा आयात द्वारा पूरी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने मूल्य के बीजों का आयात किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश में 1988-89 के दौरान गेहूं और चने के प्रमाणित/क्वालिटी बीजों की कमी क्रमशः 3.59 लाख क्विंटल और 0.65 लाख क्विंटल प्रत्याशित थी। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष वर्षा के मौसम

के अन्त में आई अप्रत्याशित बाढ़ों के कारण गेहूं के बीजों की कुछ स्थानीय अतिरिक्त कमी रिकार्ड की गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे विभिन्न विश्वस्त स्रोतों अर्थात बीज उगाने वाले, राज्य सहकारी समितियों, भारतीय खाद्य निगम आदि अंकुरण आदि के विधिवत् परीक्षण करने के बाद क्वालिटी की खरीद बीज की खरीद करें।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

"इण्डियन मर्चेन्ट नेवी" के कार्मिकों का विदेशी नौवहन सेवाओं में पलायन

320. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इण्डियन मर्चेन्ट नेवी" से बड़ी संख्या में कार्मिक विदेशी नौवहन सेवाओं में पलायन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम सहित इण्डियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन ने विदेशी जहाजों पर मर्चेंट नेवी कार्मिकों को रोजगार मिलने के कारण अधिकारियों की कमी की सूचना दी है। समस्या पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित उपचारी कदम उठाए गए हैं :—

(1) टी एस "राजेन्द्र" और डी एम ई टी कलकत्ता जैसे समुद्र पूर्व प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कैडेटों की नामजदगी की संख्या 1988 से पूरी क्षमता तक बढ़ा दी गई है।

(2) नाटिकल अधिकारियों के रूप में विज्ञान और इन्जीनियर स्नातकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष स्कीम शुरू की गई है।

(3) भारतीय नौवहन कम्पनियों को स्नातक इन्जीनियरों को भर्ती करने की सलाह दी गई है।

(4) भारतीय नौवहन कम्पनियों को सीधे प्रवेश पाने वाले डेक प्रशिक्षु और वर्कशाप में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को लेने की अनुमति दी जाती है।

(5) सिवाय नौवहन महानिदेशक की अनुमति लेने की स्थिति के, भारतीय अधिकारियों के विदेशी जहाजों पर रोजगार के लिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की धारा 115 के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(6) वाणिज्यपोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 87(8) की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए पासपोर्ट अधिकारियों से यह अनुरोध किया गया है कि जो नेवीगेटिंग

अधिकारी और इंजीनियर अधिकारी अपने प्रमाणपत्र के बल पर उत्प्रवास क्लीयरेंस छूट देते हुए पासपोर्ट या पृष्ठांकन जारी करने का अनुरोध करें, उन्हें पासपोर्ट/पृष्ठांकन तभी जारी किया जाना चाहिए जब नौवहन महानिदेशक से "अनापत्ति" क्लियरेंस मिल जाए।

इसके अलावा भारतीय जहाज पर आने के इच्छुक अधिकारियों को अनवरत डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जारी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है :

सार्क सम्मेलन के निष्कर्ष

321. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन के देशों के इस्लामाबाद में हाल में हुए सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा की गई उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ख) क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन के देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये इस अवसर पर किन्हीं नये समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य राज्य मंत्री (प्रो. के. के तिवारी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

इस्लामाबाद में 29-31 दिसम्बर, 1988 को सम्पन्न चौथे सार्क शिखर सम्मेलन में राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने सदस्य देशों के बीच सहयोग से सम्बन्धित बहुत से मामलों पर बातचीत की इसके परिणामत: जो मुख्य निर्णय लिए गये वे इस प्रकार हैं :—

1. शिक्षा को सहयोग के क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया और इस क्षेत्र में एक कार्य योजना तैयार करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

2. व्यापार, विनिर्मितियों और सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग की विशिष्ट परियोजनाओं, जो कि तत्काल व्यवहार्य हों, का पता लगाया जाएगा।

3. औषध द्रव्य के दुरुपयोग और औषध द्रव्य के अवैध व्यापार को रोकने के लिए 1989 को सार्क वर्ष घोषित किया गया है। सदस्य देश औषध द्रव्यों के दुरुपयोग तथा औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार को समाप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों को पर्याप्त रूप से बढाने के लिए अपने-अपने देशों की स्थिति के अनुकूल एक ठोस अभियान चलाएंगे।

4. औषध द्रव्य नियन्त्रण से सम्बद्ध अभिसमय सम्पन्न करने की सम्भावना का पता लगाया जाएगा।

5. 1990 को सार्क बालिका वर्ष घोषित किया गया है।

6. दक्षिण एशियाई महोत्सव समय-समय पर आयोजित किए जाएंगे। भारत इस प्रकार के प्रथम महोत्सव की मेजबानी करेगा।

7. प्रत्येक सदस्य देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश तथा संसद सदस्य अन्य सदस्य देशों को वीजा के बिना यात्रा कर सकेंगे।

8. "सार्क 2000; मूलभूत आवश्यकताएं" नामक क्षेत्रीय योजना तैयार की जाएगी खाद्य, वस्त्र, आवास, शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, जनसंख्या नियोजन तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रत्येक सदस्य युग संधि के लिए लक्ष्य नियत करेगा। इन सबको क्षेत्रीय योजना में समेकित किया जाएगा।

9. मानव संसाधन विकास केन्द्र की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

10. सार्क द्वारा पर्यावरण तथा प्रकृतिक आपदाओं पर व्यापक अध्ययन कम से कम समय में पूरा किया जाएगा। "ग्रीन हाऊस इफेक्ट" तथा इस क्षेत्र में उसके प्रभाव के संबंध में एक संयुक्त अध्ययन किया जाएगा।

11. सार्क अव्य-दृश्य आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत सामाजिक आर्थिक तथा तकनीकी विषयों पर बल दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को राहत

322. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1988 में बाढ/भारी वर्षा आदि से पीड़ितों को दी जाने वाली राहत में भूमि की क्षति, जिसके कारण वह खेती के लिये बेकार हो गई है को हानि को भी सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश में ऊना तथा अन्य जिलों के किसानों को इसके लिये राहत दी जा रही है ताकि किसान अपनी क्षतिग्रस्त हुई भूमि को खेती योग्य बना सकें ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे भूमि स्वामियों/किसानों को राहत देगी अथवा उन्हें अपनी भूमि उपजाऊ बनाने हेतु कोई योजना शुरू करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किया जायेगा।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) :
(क) जी हां।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश को बाढ़ राहत, पुनर्वास तथा पुनः स्थापन के लिए मंजूर की गयी 33.40 करोड़ रुपये की व्यय की अधिकतम सीमा में से 1.70 करोड़ रुपये की व्यय अधिकतम सीमा राज्य के प्रभावित जिलों में क्षतिग्रस्त भूमि का सुधार के लिए निर्धारित किया गया है।

(घ) हिमाचल प्रदेश को बाढ़ राहत के लिए मंजूर की गयी व्यय की अधिकतम सीमा 31 मार्च, 1989 तक वैध है।

पेय जल के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी मिशन

323. **प्रो नारायणचन्द पराशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल से सम्बन्ध प्रौद्योगिकी मिशन ने पेय जल पूर्ति योजनाओं पर निरंतर निगरानी रखने और मूल्यांकन करने का विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मिशन के इस विचार के बाद से अब तक किसी योजना अथवा गांव की निगरानी और मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और निगरानी/मूल्यांकन की राज्यवार क्या यन्त्र रचना की गई है ?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां।

(ग) निर्धारित प्रोफार्मा में मासिक तिमाही तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्टें मंगाकर, अधिकारियों द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के दौरे करके, उपयुक्त अन्तरालों पर आयोजित की जाने वाली बैठकों/सम्मेलनों में विचार-विमर्श आदि के जरिए निगरानी/मूल्यांकन किया जाता है। मुख्य परिणाम यह है कि हालांकि लाभान्वित गांवों व जनसंख्या की कवरेज के वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य समग्र आधार पर प्राप्त कर लिये जाएंगे फिर भी, कुछेक राज्यों में कुछ कमियां रह जाएंगी। जो भी कोई कमी होती है, उसे तत्काल राज्यों के ध्यान में लाया जाता है।

पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए विधान

324 **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंचायतों तथा सहकारी संस्थाओं के कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विधान बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) पचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के विषय पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बी. एड. कालेज का दर्जा बढ़ाकर उच्च शिक्षा संस्थान करना

325. श्री सोमनाथ रथ : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय अथवा उड़ीसा सरकार ने ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत किसी बी.एड. कालेज का दर्जा उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में बढ़ाये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई दल यह पता लगाने तथा सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है कि क्या इन कालेजों का दर्जा बढ़ाने हेतु वहां पर्याप्त आधार भूत सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

उड़ीसा में कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना

326. श्री सोमनाथ रथ : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उड़ीसा में किन कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए सिफारिश की गई है तथा इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ख) क्या मान्यता दिए जाने की स्थिति में, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह कोई वित्तीय भार भी वहन करें;

(ग) क्या के.एस.यू.बी. कालेज, भाजनगर, उड़ीसा ने अपने दर्जे को बढ़ाकर स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) विश्वविद्यालयों द्वारा उड़ीसा में निम्नलिखित 4 कालेजों को स्वायत्त स्तर प्रदान करने के लिए सिफारिश की गई है :—

(1) रेवेन्शा कालेज कटक	उत्कल विश्वविद्यालय

(2) जी. एम. कालेज
साम्बलपुर

(3) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राऊरकेला	सम्बलपुर विश्वविद्यालय
(3) विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज, बुरला	

जनवरी, 1987 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाई गई रूपरेखाओं के अनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय को स्वायत्त स्तर के लिए कालेजों को उपयुक्तता की जांच के लिए एक स्थायी समिति की स्थापना करनी होगी। उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए विभिन्न पहलुओं जैसे कालेज की शैक्षिक प्रतिष्ठा, परीक्षाओं में इसके पिछले निष्पादन और अन्य पाठ्येत्तर कार्यकलाप, अध्यापकों और विद्यार्थियों की चयन प्रक्रिया, भौतिक सुविधाओं, प्रबन्ध और इसकी संरचना, संसाधन आदि को ध्यान में रखा जाता है। स्थायी समिति द्वारा कालेजों का चयन, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति पर निर्भर करता है। तत्पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय, चुने हुए कालेजों को स्वायत्त स्तर प्रदान कर सकता है।

(ख) स्वायत्त कालेजों को योजना पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार, आयोग अवर स्नातक कालेजों को प्रति वर्ष 4.6 लाख रुपये और स्नातकोत्तर कालेजों को प्रति वर्ष सात लाख रुपये शुरू की पांच वर्ष की अवधि में अपनी अतिरिक्त और विशेष आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। तथापि, राज्य सरकार ऐसे कालेजों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती रहेगी।

(ग) जी हां। फिर भी बरहमपुर विश्वविद्यालय की स्थायी समिति का यह विचार था कि कालेज को स्वायत्त स्तर प्रदान करना असामयिक था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देश में, टिन धातु परियोजना की स्थापना

327. श्री राधाकांत डिगाल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1989-90 में देश में कुछ टिन धातु परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) क्या उड़ीसा में ऐसी कोई टिन धातु परियोजना स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की स्थापना के लिए उड़ीसा में किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है; और

(घ) सम्बद्ध पार्टी को आशय पत्र शीघ्र जारी करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) 1989-90 में देश में किसी टिन धातु का प्रोजेक्ट लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

(ख) से (घ) उड़ीसा राज्य के कटक जिलान्तर्गत चौदार तहसील में 200 टन वार्षिक टिन धातु के निर्माण हेतु एक नये उपक्रम की स्थापना के लिए उड़ीसा सरकार के एक उपक्रम मै. इण्डस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड (इपीकोल) को 22 अगस्त, 1986 को एक आशय पत्र दिया गया है।

उड़ीसा में निर्माणाधीन सड़क पुल

328. श्री राधाकांत डिगाल : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में केन्द्रीय क्षेत्र में कितने पुल निर्माण-धीन हैं;

(ख) इन पुलों का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारम्भ किया गया था;

(ग) इन पुलों की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक पुल के निर्माण पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) इस समय उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 18 पुल और केन्द्रीय सेक्टर में अन्य सड़कों पर 3 पुल निर्माणाधीन हैं। इन पुलों की स्थिति संलग्न विवरण-1, और विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

क्र. सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	पुल का नाम/स्थल	जिस वर्ष में निर्माण शुरू हुआ	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	
				स्वीकृत	9/88 तक वास्तविक
1	2	3	4	5	6
1.	23	ब्राह्मणी नदी पर एच/एल पुल	1984	392.50	431.84
2.	6	बंधन नदी पर एच एल पुल	1985	104.62	104.46
3.	23	कुराधी नाला पर पुल	1987	60.74	62.98
4.	23	गोंभरिया नाला पर एच एल पुल	1987	25.53	19.77
5.	23	के. 28490 पर नहर के ऊपर एच एल पुल	1988	12.63	10.25

1	2	3	4	5	6
6.	5	कल्लिकोटे घस्का रोड पर आर ओ बी	1986	21.65	19.12
7.	43	कि. मी. 373/46 पर ऊपरी नाले के ऊपर एच एल पुल	1987	35.41	19.25
8.	5	कि. मी. 3/200 पर छोटा पुल	1987	15.91	'8.34
9.	43	गेल्ला गेड्डा पर एम बी	1988	24.28	12.49
10.	23	ब्राहमणी पुल के दाहिने एप्रोच पर एम बी	1987	14.85	12.13
11.	42	चैनेज 126/1-2 एम बी	1987	16 20	18.34
12.	43	कि. मी. 383/6 पर मल्लि-गुड्डा II पर एम बी	1988	9.98	3.98
13.	42	कि. मी. 212/6 पर सूखा नाला पर पुल	1987	32.47	12.16
14.	23	मिसिंग लिंग चैनेज 3683, पर एम बी	1987	13.78	8.00
15.	23	मिसिंग लिंग चैनेज 31497 पर एम बी	1987	19.88	11.16
16.	5	कि.मी. 322.8 पर आई/सी एप्रोच पर 1 मी. व्यास के 6 एच पी के एम बी	1987	7.18	3.75
17.	23	कि. मी. 53.6 पर अन्धारी नाला पर पुल	1988	36.75	3.79
18.	23	कि. मी. 76-77 पर नुदई नाला पर छोटे एप्रोच के साथ एच एल पुल	1988	36.24	9.51
			18	880.60	781.32

विवरण-2

क्र. सं.	पुल का नाम/स्थल	जिस वर्ष लागत प्रारंभ हुआ	अनुमानित लागत (लाख रु.) स्वीकृत	खर्च 9/88 तक	टिप्पणी
	सी. आर. एफ. कार्य				
1.	एच एस सं. 10 के कि. मी. 67 पर सफाई नदी पर पुल	1987	140.00	52.40	
	ई एण्ड आई कार्य				
1.	धेनकेनाल-कामख्यानगर रोड पर ब्राह्मणी नदी पर पुल	1985	300.00	452.27	
2.	गुणापुर के निकट बंसधारा नदी पर पुल	1985	108.00	259.97	

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के एककों को बन्द किया जाना

329. श्री राधाकांत डिगाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन का कुछ एककों को बंद करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो किन-किन एककों को बंद किये जाने का विचार है,

(ग) इन एककों को किन कारणों से बंद किया जा रहा है, और

(घ) इस कार्रवाई से लगभग कितने कामगार प्रभावित होंगे,

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हज यात्रियों को सुविधाएं

[हिन्दी]

330. श्री राज कुमार राय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्षों में हज पर जाने वाले लोगों को सरकार ने कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार किया है;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें होटल सुविधा अथवा यात्री-निवास की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था अपने हाथ में ली है; और

(ग) यदि हां, तो क्या व्यवस्था की गई है तथा हज पर जाने वाले लोगों को इसके लिए धन-राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) हज, 1989 के दौरान सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी :—

(1) जहाज से जाने वाले 4686 यात्रियों से रियायती किराया लिया जाएगा;

(2) भारत-जेद्दा क्षेत्र के लिए अन्तरराष्ट्रीय हवाई-यात्रा परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक दरों में भारी बढ़ोतरी किए जाने के बावजूद हज 1989 की चार्टर उड़ानों (केन्द्रीय हज समिति द्वारा परिचालित) को किराया हज 1987 और हज 1988 के स्तर पर ही रखा जाएगा।

(3) हज 1989 के दौरान 24,000 तीर्थ यात्रियों को 4,100/- सऊदी रियाल प्रति तीर्थ यात्री के हिसाब से दिए जाएंगे;

(4) चिकित्सक सुविधाएं :—

— मक्का में स्थायी डिस्पेंसरी (जो एक डाक्टर और दो फार्मासिस्टों) की सहायता से पूरे वर्ष के दौरान कार्य करती है।

— हज 1989 के दौरान हज के मौसम के लिए 10 पलंग वाला एक अस्पताल खोला जाएगा;

— सऊदी अरब के लिए एक चिकित्सा दल भेजा जाएगा जिसमें 22 डाक्टर और 23 सहायक चिकित्सा कर्मचारी होंगे। चिकित्सा दल के अमले में हज 1989 से वृद्धि की जा रही है।

— हज मौसम के लिए मक्का में तीन हज शाखा औषधालय खोले जाएंगे और मदीना में एक,

— भारत से लगभग पांच लाख रुपये के मूल्य की दवाएं भेजी जाएंगी;

(5) भारत से हज सीजन के दौरान कुछ सहायक हज अधिकारियों तथा कुछ हज क्लर्कों को भेजा जाएगा तथा भारतीय हज यात्रियों की देखभाल करने के लिए मक्का तथा मदीना स्थित भारतीय हज कार्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए कुछ अतिरिक्त कर्मचारी स्थानीय रूप से भरती किए जाएंगे।

(6) मक्का और मदीना में हज के दिनों में वाचनालय खोले जाएंगे। हमारी डिस्पेंसरी के भवन के भीतर जहां विभिन्न भाषाओं के भारतीय समाचार पत्र हमारे हज यात्रियों की सूचनार्थ रखे जाते हैं।

यद्यपि, सरकार हमारे हज यात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं तथा अन्य सेवाएं प्रदान करती रहेगी, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि आगामी वर्षों में क्या-क्या सुविधाएं मुहैया करा पाना संभव होगा क्योंकि उनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

तथापि सऊदी सरकार ने तय किया है कि हज 1989 के दौरान भारत से जो 24,000 हज यात्री केन्द्रीय हज समिति की ओर से जाएंगे वे मक्का और मदीना में पूर्व निर्धारित जगहों पर ठहरेंगे जैसाकि ईरान, इण्डोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान और टर्की आदि से आने वाले हज यात्री करते हैं। अब सवाल यह कि पूर्व निर्धारित निवास की योजना को हज 1989 के दौरान भारतीय हज यात्रियों के मामले में क्रियान्वित किया जा सकेगा या नहीं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन सम्बन्धी समीक्षा समिति का प्रतिवेदन

[अनुवाद]

331. श्री राजकुमार राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन संबंधी समीक्षा समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक लिए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

पंजाब में पोलिटेक्निक के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन ढांचा

332. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 में पंजाब में सरकारी और गैर-सरकारी पालिटेकनिकों में संशोधित स्टाफ ढांचा लागू करने की कोई योजना कार्यान्वित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी कार्यरत डेमोन्स्ट्रेटरों/ड्राइंग इंस्ट्रक्टरों के पदों को लैक्चररों के पदों में परिवर्तित कर दिया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और कितने पदों को अभी परिवर्तित करना शेष है;

(घ) शेष पदों को लैक्चररों के पदों में परिवर्तित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या कुछ मामलों में पदधारियों को, निर्धारित योग्यताएं पूरी न करने के कारण लैक्चररों के पद लाभ नहीं दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो डेमोन्स्ट्रेटरों/ड्राइंग इंस्ट्रक्टरों के पदधारी सभी व्यक्तियों को लैक्चरर पद के लाभ न देने के क्या कारण हैं, जबकि यह मामला केवल पदों को परिवर्तित करने से संबद्ध है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) पंजाब राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, यह योजना प्राइवेट पालिटेक्निक के मामले को छोड़कर जो राज्य सरकार के विचाराधीन है, राज्य सरकार द्वारा 1987 में लागू की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) जी, हां। पदधारियों ने निर्धारित अर्हताएं पूरी नहीं की।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का विस्तार

333. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने कोई विस्तार योजनाएं केन्द्रीय सरकार को मंजूरी हेतु भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें शीघ्र मंजूरी दिए जाने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) से (ग) बिहार में सिंहभूमि तांबा पट्टी तथा मध्य प्रदेश में मलंजखंड तांबा प्रोजेक्ट में अयस्क भण्डारों की पुष्टि और विदोहन के बारे में दो प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। सिंहभूम तांबा पट्टी विषयक प्रस्ताव के प्रसंग में, इसके समेकित विकास हेतु अध्ययन के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। मलंजखंड तांबा प्रोजेक्ट के समेकित विकास के लिए विस्तृत गवेषण तथा साध्यता अध्ययन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड से प्राप्त एक अन्य प्रस्ताव महाराष्ट्र तलोजा में स्थापित किए जा रहे अनवरत तांबा तार ढलाई संयंत्र की लाइसेंस क्षमता के विस्तार से संबंधित है। इस संयंत्र की क्षमता 60,000 मीटरी टन वार्षिक से बढ़ा कर 80,000 मीटरी टन वार्षिक करने के लिए सरकार ने आवश्यक मंजूरी दे दी है।

कश्मीर के मामले के समाधान हेतु पाकिस्तान का प्रस्ताव

334. **श्री कृष्ण सिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 1989 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित पाकिस्तान की प्रधान मंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत के साथ पाकिस्तान सम्बन्धों को पूरी तरह सामान्य बनाने के लिए तथा कथित कश्मीर के मसले का समाधान निकाला जाना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार ने इस मसले के समाधान की दिशा में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जम्मू और काश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और जिस मसले को सुलझाया जाना शेष है, वह सिर्फ यह है कि पाकिस्तान ने गैर-कानूनी तरीके से भारत के जिस प्रदेश पर कब्जा कर रखा है, उसे खाली कराया जाए।

कम्पूचिया समस्या के समाधान में भारत की भूमिका

335. **श्री कृष्ण सिंह :**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश राज्य मन्त्री जनवरी 1989 के अन्त में तीन दिन की यात्रा पर इंडोनेशिया और थाईलैंड गये थे;

(ख) क्या वहां कम्प्यूचिया समस्या के राजनीतिक समाधान हेतु भारत की अग्रणी भूमिका के प्रश्न पर चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. के.के तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उनकी इन यात्राओं के दौरान कम्पूचिया की समस्या पर भी विचार-विमर्श हुआ था जिसमें यह पहलू भी शामिल था कि इस समस्या का राजनीतिक समाधान निकालने की प्रक्रिया की दिशा में भारत किस प्रकार सहयोग दे सकता है। इस प्रक्रिया में अपनी शक्ति भर योगदान देने की भारत की तत्परता को सराहा गया है।

अमेरिका से आतंकवादी गतिविधियों में कार्यरत भारतीय आतंकवादियों पर प्रतिबंध

336. श्री कृष्ण सिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई और प्रशान्त महासागरीय कार्य संबंधी संयुक्त राज्य अमेरिका की उप-समिति ने जनवरी, 1989 में नई दिल्ली का दौरा किया था और यह आश्वासन दिया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी भूमि से भारतीय आतंकवादियों को आतकवादी गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं देगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने क्या विशेष कदम उठाए हैं; और

(ग) किन-किन अन्य देशों ने भी आतंकवादियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए उनकी भूमि के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए इसी प्रकार की कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीकी सरकार ने भारत-विरोधी आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीय आयामों का सामना करने में अपना सहयोग दिया है। अमरीकी सरकार की निम्नलिखित कार्रवाइयों विशेष रूप से गौर करने योग्य है :

(i) उग्रवादियों के उद्देश्य का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के वीजा अनुरोधों को अस्वीकार करना।

(ii) अमरीका की सुरक्षा ऐजेंसियों ने संयुक्त राज्य अमरीका आने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों और अधिकारियों की सुरक्षा के विस्तृत प्रबंध किए हैं।

(iii) अमरीका की सरकार ने सरकार ने पंजाब से सबंद्ध घटनाओं के बारे में सहायतात्मक वक्तव्य दिए हैं।

(iv) अमरीकी सरकार और भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच वर्तमान प्रत्यर्पण प्रबंधों के स्थान पर एक औपचारिक प्रत्यर्पण संधि करने के बारे में प्रारंभिक विचार-विमर्श किया है।

(v) भारतीय और अमरीकी विशेषज्ञ विमान अपहरण-विरोधी उपायों और हवाई अड्डे की सुरक्षा के प्रबंध पर सलाह-मशिवरा करते रहे हैं।

(ग) आतंकवाद के मसले पर विचार करने के लिए अन्य देशों की अपनी कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी मिशन हेतु नया भवन

337. श्री कृष्ण सिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी मिशन के लिए न्यूयार्क में एक नए भवन का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा उस पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) न्यूयार्क में सरकार का अपना एक प्लाट है और इसी पर भारत का स्थायी मिशन की इमारत और स्थायी मिशन और प्रधान कौंसलावास के राजनयिक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए मकान बनाने का प्रस्ताव है। उम्मीद है कि इस समूची परियोजना को पूरा करने में जिसमें इसकी तैयारी और वास्तविक निर्माण कार्य दोनों शामिल हैं, 39 महीने लगेंगे और इस पर लगभग एक करोड़ साठ लाख अमरीकी डालर की लागत आएगी। हमारे आर्कीटेक्ट ने नक्शा पूरा कर लिया है और सरकार ने इस परियोजना के लिए निर्माण मैनेजर का चुनाव कर लिया है जो स्थानीय अनुमोदन प्राप्त कर रहा है। उम्मीद है कि वास्तविक निर्माण कार्य 1989 की गर्मियों के शुरू में प्रारम्भ हो जाएगा और लगभग 20 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।

तेल अबीब में भारतीय वीजा कार्यालय का खोला जाना

33·. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल अबीब में भारतीय वीजा कार्यालय खोलने के लिए भारत सरकार और इजराइल के बीच राजनैतिक स्तर पर औपचारिक अथवा अनौपचारिक सम्पर्क हुए हैं;

(ख) क्या हाल ही में भारत की यात्रा पर आये अमेरिका के यहूदी संगठन के प्रतिनिधि-मंडल ने भी ऐसा प्रस्ताव किया है;

(ग) क्या भारत की यात्रा पर आये अमेरिका के एक कांग्रेस सदस्य ने भी ऐसा प्रस्ताव किया है;

(घ) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या औचित्य है तथा फिलिस्तीनी मुक्ति आन्दोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) इजराइल में भारतीय वीजा कार्यालय खोलने के बारे भारत और इजराइल की सरकारों के बीच कोई सम्पर्क नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) अमरीका के एण्टी-फेडियेशन लीग के प्रतिनिधियों के साथ अथवा अमरीकी कांग्रेस की एशिया और प्रशांत सम्बन्धी उप समिति के अध्यक्ष श्री स्टीफन सोलार्ज से ऐसे किसी प्रस्याव पर कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ।

(घ) और (ङ) सरकार इजराइल में वीजा कार्यालय खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम में संशोधन करने के बारे में अनुरोध

339. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जामिया मिलिया इस्लामिया के अध्यापकों और छात्रों से जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इसी प्रकार का ज्ञापन कुछ संसद सदस्यों ने भी दिया है;

(ग) इन ज्ञापनों में दिए गए सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इन ज्ञापनों पर पूरी तरह से विचार करने पूर्व ही अधिनियम की अधिसूचना जारी करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सुझावों पर सरकार अब किस प्रकार विचार करेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) विधान को लागू करते समय पहले ज्ञापन में उठाये गये मामलों को ध्यान में रखा गया था।

तिब्बती शरणार्थियों की स्वदेशी वापसी

340. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री की हाल की चीन यात्रा के दौरान तिब्बती शरणार्थियों की स्वदेशी वापसी के प्रश्न पर बातचीत हुई थी।

(ख) यदि हां, तो इसी संबंध में चीन की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस समय भारत में मौजूद तिब्बती शरणार्थियों की उनके परिवार के साथ उनके सुरक्षित और मान-मर्यादा सहित कब तक स्वदेश वापस लौटने की आशा है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के दौरान इस मामले पर कोई सीधी बातचीत नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह एक ओर चीन की सरकार के साथ सम्बन्ध और दूसरी ओर दलाई लामा और तिब्बती समुदाय के बीच के सम्बन्धों पर निर्भर करेगा।

गेहूं के उत्पादन का मूल्यांकन

341. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार राज्यों में गेहूं के उत्पादन का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) गेहूं का उत्पादन करने वाले उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने विभिन्न किस्मों के के गेहूं की गुणवत्ता में सुधार किया है; और

(ग) खेती के अन्तर्गत बनाये गये तथा लाये गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) गेहूं का उत्पादन करने वाले प्रायः सभी प्रमुख राज्यों, अर्थात् पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, में गेहूं की विभिन्न किस्मों की गुणवत्ता में उनकी उत्पादकता, सूखा एवं रोगों की प्रतिरोधी क्षमता की दृष्टि से सुधार हुआ है।

(ग) चालू वर्ष, 1988-89 के दौरान गेहूं का उत्पादन क्षेत्र की करीब 24 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र तक बढ़ जाने की संभावना है, जिससे 23 मिलियन हैक्टेयर के सामान्य क्षेत्र की तुलना में करीब 1 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि का पता चलता है।

फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए सोवियत संघ के साथ संयुक्त उद्यम

342. **श्री रामप्रसाद सिंह :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के साथ ऊष्ण प्रदेशीय फलों के जूस और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए सोवियत संघ के साथ कोई संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त उद्यम कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि इस संबंध में सोवियत संघ के साथ कोई समझौता हुआ हो तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सोवियत रूप के एक शिष्टमण्डल ने अपने भारत के दौरे के दौरान फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्मरत सरकारी क्षेत्र के यूनिटों तथा निजी संगठनों, दोनों से विचार-विमर्श किया था ताकि संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके। ऐसे संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए कोई समय-सारणी निर्धारित नहीं की गई है।

विशाखापतनम में वाष्प ऊष्मा शोधन प्रक्रिया के माध्यम से आम को संक्रमण रहित करने की सुविधाएं

343. **श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में वाष्प ऊष्मा शोधन प्रक्रिया के माध्यम से आम को संक्रमणरहित करने की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, अमृतसर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में क्षेत्रीय आधार पर आमों को संक्रमणरहित करने के लिए वाष्प ताप उपचार की सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर केसरा में एक नये पुल का निर्माण

344. श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में केसरा के मुनियेरू स्थान पर बने पुराने पुल पर भारी परिवहन का निषेध होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर ट्रक चालकों को हो रही असुविधा में अधिक व्यय को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार केसरा में एक नया पुल निर्मित कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) मौजूदा पुल से 30 मीटर उल्टी धारा में पहुंचमार्गों सहित नए पुल के निर्माण के लिए 499.14 लाख रुपए की अनुमानित लागत से संस्वीकृति प्रदान की गई है और शीघ्र ही कार्य शुरू होने की आशा है। इसके लिए 1991-92 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।

कोचीन गोवा और हिन्दुस्तान पोत-प्रांगणों में हुआ कार्य

345. श्री ई. अय्यपू रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन, गोवा और हिन्दुस्तान पोत-प्रांगणों के कार्यकरण के बारे में कोई जांच की गई है,

(ख) यदि हों, तो वर्ष 1988 के अंत तक इन तीनों का कुल घाटा कितना है;

(ग) क्या इनमें से प्रत्येक के लिए कोई संदर्शी योजनाएं तैयार की गई है ताकि उन्हें लाभ-प्रद और प्रतियोगात्मक बनाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने कोचीन और हिन्दुस्तान शिपयार्डों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है। रक्षा उत्पादन विभाग जो गोवा शिपयार्ड के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है, ने इसके कार्य निष्पादन की समीक्षा की है।

(ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

31.3.1988 की स्थिति के अनुसार संचित हानि	करोड़ रुपए
कोचीन शिपयार्ड	51.05
गोवा शिपयार्ड	शून्य
हिन्दुस्तान शिपयार्ड	147.23

(ग) जी, हां ।

(घ) कोचीन शिपयार्ड और हिन्दुस्तान शिपयार्ड की भावी योजनाओं में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातों की परिकल्पना है :—

(I) अधिकाधिक क्षमता उपयोग,

(II) उत्पादकता में सुधार,

(III) कार्यकलापों का विविधीकरण, और

(IV) अधिक जहाज मरम्मत कार्यक्रम ।

गोवा शिपयार्ड की भावी योजना में अन्य बातों के साथ-साथ चरणों में विभिन्न चरणों में सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव शामिल हैं । इस अवधि के दौरान शिपयार्ड नौ सेना के लिए युद्ध पोत, तट रक्षकों के लिए जहाज, पत्तन न्यासों के लिए टग और बोर्ट क्राफ्ट तथा "इन्टीच्यूट आफ ओशनोग्राफी" के लिए तटीय और अनुसंधान जहाज आदि निर्मित करेगा ।

प्रधान मंत्री का श्री लंका को उपहार के रूप में हाथी भेजना

346. श्री के. रामचन्द्र रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की ओर से श्री लंका को उपहार के रूप में एक हाथी भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उपहार स्वरूप भेजे गए इस हाथी का मूल्य कितना था तथा सरकार ने इस हाथी को भारत से श्री लंका भेजने पर कितनी धनराशि खर्च की ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : (क) जी हां ।

(ख) कीमत 40,000/-रु. थी और भारत से श्री लंका तक ले जाने में 65,000/-रुपये और खर्च हुए ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विलय

347. श्री के. रामचन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विलय पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के विलय का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस मामले में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा नीदरलैण्ड के साथ ऋण समझौता

348. **श्री प्रतापराव बी. भोसले :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ने नीदरलैन्ड के साथ किसी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस ऋण का किन-किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : जी, हां।

(ख) और (ग) प्रत्येक के लिए 41,460,00 डी.एफ.एल. की राशि के दो ट्रेलर सेक्शन ड्रेजरों को खरीद के लिए दो ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके लिए मैसर्स आई.एच.सी., हालैंड को आर्डर दे दिया गया है। यह ऋण 31 जनवरी, 1996 से पूरी नौ लगातार वार्षिक किश्तों में चुकता किया जाएगा।

स्लम क्षेत्रों में पुस्तकालय

349. **श्री प्रताप राव बी. भोसले :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्लम क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का महाराष्ट्र के स्लम क्षेत्र समूहों में ऐसे पुस्तकालय खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) और (ख) नव साक्षरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी गन्दी बस्तियों में स्थापित किये जा रहे जन शिक्षण निलयमों के कार्यकलापों का एक कार्यकलाप, उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा के उद्देश्य के लिए पुस्तकालय तथा वाचनालय की सुविधा उपलब्ध कराना है। विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों में संस्वीकृत जन शिक्षण निलयमों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) योजना के अन्तर्गत जारी की गई मार्ग दर्शी रूप रेखाओं के अनुसार, 5000 जन संख्या वाले 4-5 गांवों के समूह के लिए एक जन शिक्षण निलायम स्थापित किया जाएगा। संघन तथा विरल जन संख्या वाले क्षेत्रों के संबंध में उपर्युक्त मानदंड में छूट देने का प्रावधान है। इस मानदंड और उपलब्ध किये जा रहे स्थानीय समुदाय समर्थन की शर्त पर, राज्य सरकार एक विशेष क्षेत्र में जन शिक्षण निलायम के स्थान को अंतिम रूप देगी। महाराष्ट्र सरकार उपर्युक्त मानदंड के अनुसार राज्य के लिए संस्वीकृत 1000 जन शिक्षण निलायमों के स्थान को अंतिम रूप देगी।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघीय क्षेत्र	सस्वीकृत जन शिक्षण निलायम की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	640
2.	असम	500
3.	बिहार	1200
4.	गुजरात	2300
5.	हरियाणा	330
6.	हिमाचल प्रदेश	180
7.	जम्मू और कश्मीर	210
8.	कर्नाटक	800
9.	केरल	280
10.	मध्य प्रदेश	1250
11.	महाराष्ट्र	1000
12.	मणिपुर	125
13.	मेघालय	125
14.	नागालैण्ड	75
15.	उड़ीसा	603
16.	पंजाब	250
17.	राजस्थान	1100

1	2	3
18.	सिक्किम	48
19.	तमिलनाडु	850
20.	त्रिपुरा	90
21.	उत्तर प्रदेश	1400
22.	पश्चिम बंगाल	600
23.	अरुणाचल प्रदेश	135
24.	गोवा	8
25.	मिजोरम	23
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	25
27.	चण्डीगढ़	28
28.	दादरा और नगर हवेली	4
29.	दिल्ली	53
30.	लक्षद्वीप	18
31.	दमन और दीव	8
32.	पांण्डिचेरी	60
	कुल	14365

अधिक पैदावार देने वाले तिलहनों की किस्मों का आयात

350. श्री प्रतापराव बी. भोसले : क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिक पैदावार देने वाले तिलहनों की किस्मों का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन परिस्थितिवश इस प्रकार का आयात किया जा रहा है;

(ग) क्या सकार का विचार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अधिक पैदावार देने वाली तिलहनों की किस्म उत्पन्न करने के लिए सहायता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) इस समय तिलहनों के अधिक उपज देने वाले बीजों का वाणिज्यिक आयात करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम और तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम के अन्तर्गत तिलहनों की किस्मों/संकर किस्मों का उत्पादन एवं वितरण करके इनकी अधिक उपज देने वाली किस्मों/संकर-किस्मों को शुरू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम और छोटे व सीमान्त किसान योजना के अन्तर्गत मिनिकिट वितरण कार्यक्रम के माध्यम से हाल ही में निर्मुक्त की गई अधिक पैदावार देने वाली किस्मों/संकर-किस्मों के बीजों के प्रसार के लिए भी सहायता दी जाती है।

(ङ.) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी विश्वविद्यालयों से विभिन्न भारतीय भाषाओं के शिक्षकों की मांग

351. **डा. फूलरेणु गुहा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विश्वविद्यालयों ने विभिन्न भारतीय भाषाओं के अध्यापन कार्य के लिये भारत से शिक्षकों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) और (ख) भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद को भारतीय भाषाओं में अध्यापक भेजने के लिए निम्नलिखित चार विदेशी विश्वविद्यालयों से आवेदन प्राप्त हुए थे :—

विश्वविद्यालय का नाम	भाषा
(I) उदायना विश्वविद्यालय, डैन्पासार, बाली इण्डोनेशिया	संस्कृत
(II) सिल्पाकोर्न विश्वविद्यालय बैंकाक, थाईलैंड	संस्कृत
(III) शिक्षा विज्ञानों का मैट्रोपोलिटन विश्वविद्यालय, चिली	संस्कृत
(IV) अंकारा विश्वविद्यालय अंकारा तुर्की	हिन्दी एवं संस्कृत

यद्यपि ऊपर (I) और (II) में उल्लिखित विश्वविद्यालयों में पहले ही अध्यापक तैनात किये जा चुके हैं, आशा है कि (III) में उल्लखित विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में परिषद द्वारा नामित अध्यापक सितम्बर, 1989 तक अपना कार्यभार संभाल लेगा। ऊपर (IV) में उल्लिखित अंकारा विश्वविद्यालय ने अभी तक परिषद द्वारा नामित अध्यापक के लिए स्वीकृति नहीं भेजी है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने विभिन्न द्विभाषी सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत हिन्दी में 8, तमिल में एक और संस्कृत में एक अध्यापक विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए प्रतिनियुक्त/नामित किए हैं। त्रिनिदाद और टोबोगो सरकार के अनुरोध पर एक हिन्दी के प्रोफेसर को भी प्रतिनियुक्ति की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत-फ्रांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम की शर्तों के अन्तर्गत एक संस्कृत भाषा के अध्यापक को पैरिस-III विश्वविद्यालय के लिये नामित कर रहा है।

विदेशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों और विदेशों में हिन्दी के प्रचार की योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के कुछ अध्यापक, विदेशों में जैसे-बुल्गेरिया, सोवियत रूस, गुयाना आदि में हिन्दी पढाने के लिए प्रतिनियुक्त किये गये हैं।

महिला कैदियों संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति

352. डा. फूलरेणु गुहा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला कैदियों संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी हां।

(ख) समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य कल्याण सलाहकार बोर्डों के परामर्श से कार्यवाही शुरु की गई है।

एल्यूमिनियम पर नियंत्रण हटाने का प्रस्ताव

353. श्री हरिहर सोरन : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमीनियम पर नियन्त्रण हटाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) और (ख) एल्यूमीनियम धातु के बढ़ते हुए देशी उत्पादन से उसके अधिशेष होने के संदर्भ में, एल्यूमिनियम पर नियंत्रण समाप्त किये जाने के प्रश्न पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही है।

उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में एक इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज मेटल प्रोजैक्ट की स्थापना

354. श्री हरिहरन सोरन :
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में स्थित बरायगढ़ में एक इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज मेटल प्रोजैक्ट की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार इस परियोजना को शीघ्र ही स्वीकृति दे देगी।

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना हेतु चुने गए स्थलों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत और क्षमता का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में दूसरे स्टील संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव

355. श्री हरिहर सोरन :
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या इस्पात और खानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में दूसरा स्टील संयत्र स्थापित किए जाने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर हाल में विचार किया है,

(ख) यदि हां, तो परियोजना के लिए कौन से स्थान का चयन किया गया है ; और

(ग) परियोंजना के तेजी से कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिये निकाय की स्थापना

356. डा. सी. पी. ठाकुर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार लाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह किसी संस्था का गठन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन

357. श्री कमल चौधरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब को नकद धनराशि अथवा खाद्यान्न के रूप में सहायता प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि पंजाब सरकार को दिया गया खाद्यान्न अथवा नकद धनराशि का वितरण वास्तव में कृषि श्रमिकों को किया गया है;

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या इस सहायता का दुरुपयोग किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1988-89 के लिए पंजाब राज्य को 446.00 लाख रुपये नकद (केन्द्रीय अंश) और रियायती दरों पर हिसाब लगाए गए 60.02 लाख रुपये मूल्य के 3660 मीटरी टन खाद्यान्न आबंटित किए गए थे। इसमें से राज्य को पहली किश्त के रूप में अप्रैल, 1988 के प्रथम सप्ताह में 154.54 लाख रुपये नकद तथा 30.01 लाख रुपये मूल्य के (रियायती दरों पर हिसाब लगाए गए) 1830 मीटरी टन खाद्यान्न रिलीज किए गए थे। तथापि, पंजाब ने उन्हें आबंटित किए गए खाद्यान्नों को इस आधार पर लेने से मना कर दिया था कि उनके पास गत वर्ष का काफी फालतू स्टाक बकाया है। राज्य ने यह उल्लेख किया था कि स्टाक इतना अधिक है कि यदि उसे तेजी से उपयोग में न लाया गया तो खाद्यान्न मानवीय खपत के योग्य नहीं रहेगा। वर्ष 1988-89 के लिए खाद्यान्नों के आवंटन को रद्द करने के पंजाब के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था। राज्य को 1988-89 की आवश्यकताओं के अतिरिक्त अधिक स्टाक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भारतीय खाद्य निगम के जारी मूल्य के बराबर के मूल्य पर हस्तांतरित करने की भी अनुमति दी गई थी। इस प्रकार की नकद वसूली को वर्ष के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय नकद आबंटन के रूप में माना जाना था जिसमें राज्य सरकार को निर्धारित फार्मूले के अनुसार अंशदान करना था। बाद में राज्य सरकार को चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में 279.35 लाख रुपये की राशि भी रिलीज की गई थी।

(ग) से (च) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गए संसाधनों और साथ ही भारत सरकार के नकद अंशदान के बराबर राज्य के अंश को निर्धारित मार्गदर्शिकाओं

के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च किया जाना अपेक्षित है। भारत सरकार को पंजाब को उपलब्ध कराये गये संसाधनों का उपयोग न किये जाने अथवा दुरुपयोग किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार राज्य ने उन्हें उपलब्ध कराये गए संसाधनों में से जनवरी 1989 तक लगभग 70 प्रतिशत का उपयोग कर लिया था।

फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

358. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के राष्ट्रपति ने फरवरी, 1989 में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उक्त यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. के. तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय हितों के मामलों पर व्यापक बातचीत हुई। दोनों पक्षों के बीच इस उच्च स्तरीय बातचीत से विभिन्न क्षेत्रों में भारत-फ्रांस के बीच होने वाले आदान-प्रदान को एक नई सक्रियता मिलेगी तथा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक-दूसरे की स्थिति को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सकेगा।

(ग) और (घ) दोनों पक्षों के बीच जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध एक करार पर हस्ताक्षर किये गये। इस करार के अन्तर्गत दोनों देश अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानवीय स्वास्थ्य से सम्बद्ध जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संवर्धित करेंगे, खासतौर से उन संस्थानों में जहां संक्रामक रोग को रोकने के टीके तैयार किए जाते हैं और जो निदान-विज्ञान और अन्य प्रतिरक्षा विज्ञान और जैविकीय कार्य के क्षेत्रों में काम करते हों।

इसके अलावा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और फ्रांसीसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (इंस्टीट्यूट नेशनल डे ला सान्त ऐट डेला रिसर्च मेडीकल) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत दोनों पक्ष जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में सहयोग करेंगे।

प्राथमिक शिक्षा के लिये योजना

359. **श्री बी. एस. बासवराजू :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत निर्धारित प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजनायें भेज दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है;

(ग) शेष योजनाओं पर कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 को कार्यान्वित करने के लिए 3 नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना, गैर-औपचारिक शिक्षा की योजना (संशोधित प्रणाली) और जिला शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने की योजना वर्ष 1987-88 में चलाई गई थी। संलग्न विवरण 1, विवरण-2 और विवरण-3 में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समितियों द्वारा राज्यों तथा संघ-शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों की संस्वीकृति सम्बन्धी अद्यतन स्थिति का उल्लेख किया गया है। उन सभी प्रस्तावों को बिना किसी विलम्ब के संस्वीकृत कर दिया जाता है जो योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप होते हैं।

विवरण-1

आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना

ऐसे राज्यों के सम्बन्ध में जिनमें वर्ष 1987-88 और/अथवा 1988-89 के परियोजना प्रस्तावों को आज तक की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत कर दिया गया है।

क्रम संख्या	राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों के नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	असम
3.	अरुणाचल प्रदेश
4.	बिहार
5.	दमन एवं दीव
6.	दिल्ली
7.	दादरा और नगर हवेली
8.	गोवा
9.	गुजरात
10.	हरियाणा
11.	हिमाचल प्रदेश
12.	जम्मू एवं कश्मीर

1	2
13.	कर्नाटक
14.	केरल
15.	मध्य प्रदेश
16.	महाराष्ट्र
17.	मणिपुर
18.	मेघालय
19.	नागालैण्ड
20.	उड़ीसा
21.	पंजाब
22.	राजस्थान
23.	सिक्किम
24.	तमिलनाडु
25.	त्रिपुरा
26.	उत्तर प्रदेश
27.	लक्षद्वीप
28.	मिजोरम
29.	पश्चिम बंगाल

विवरण-2

गैर-औपचारिक शिक्षा की योजना

ऐसे राज्यों के सम्बन्ध में जिनके वर्ष 1987-88 और/अथवा 1988-89 के परियोजना प्रस्तावों को आज तक की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत कर दिया गया है।

क्रम संख्या	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	असम

1	2
3.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह
4.	बिहार
5.	चण्डीगढ़
6.	दादरा नागर हवेली
7.	हरियाणा
8.	जम्मू एवं कश्मीर
9.	कर्नाटक
10.	मध्य प्रदेश
11.	मणिपुर
12.	मिजोरम
13.	उड़ीसा
14.	राजस्थान
15.	तमिलनाडु
16.	उत्तर प्रदेश
17.	पश्चिम बंगाल

विवरण-3

जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

ऐसे राज्यों के सम्बन्ध में जिनमें वर्ष 1987-88 और/अथवा 1988-89 के परियोजना प्रस्तावों को आज तक की स्थिति के अनुसार सस्वीकृत कर दिया गया है।

क्रम संख्या	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	गुजरात

1	2
5.	हरियाणा
6.	हिमाचल प्रदेश
7.	जम्मू एवं कश्मीर
8.	केरल
9.	मध्य प्रदेश
10.	महाराष्ट्र
11.	मिजोरम
12.	गोवा
13.	नागालैण्ड
14.	उड़ीसा
15.	पंजाब
16.	राजस्थान
17.	सिक्किम
18.	तमिलनाडु
19.	उत्तर प्रदेश
20.	त्रिपुरा
21.	पश्चिम बंगाल

गाद निकर्षण पोत "मट्टनचेरी" को निकालना

360. प्रो. के. वी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में गाद-निकर्षण पोत "मट्टनचेरी" को निकालने से संबंधित कार्य किसी फर्म को दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) मामला अभी भी विचाराधीन है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के अलवाय-एर्नाकुलम सेक्शन को चार लेनों का बनाना

361. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के अलवाय-एर्नाकुलम सेक्शन को चार लेनों वाला बनाने संबंधी निर्माण को मंजूरी दे दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एस. एस. संजीवनी पोत की मरम्मत

362. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड ने एस. एस. संजीवनी पोत की मरम्मत के लिए 200 दिन से अधिक का समय लिया;

(ख) यदि हां, तो पोत की मरम्मत में विलम्ब के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं, । कार्य निष्पादन करने का समय संविदाकारी अवधि से एक महीना अधिक हो गया जिसका कारण मालिक की पहल पर विदेश से खरीदे गए उपकरण की कतिपय मदों के कार्यकरण में गड़बड़ी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अन्तर्गत बेरोजगारी समस्या को हल करने के लिये योजना

363. **श्रीमती डी. के. भंडारी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत नई योजनायें आरम्भ करके देश में बेरोजगारी की तेजी से बढ़ती हुई समस्या का हल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कार्यान्वयन के लिये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के प्रमुख उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगारों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य शामिल हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मंत्रालय की नीतियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) इन नीतियों को कार्यान्वित करने में सहायता करने के लिए विभिन्न राज्यों में नोडल एजेन्सियां स्थापित की गई हैं।

विवरण

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास लिए मंत्रिमंडल द्वारा 19.9.1988 को स्वीकृत किया गया पैकेज

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) एक सशक्त और प्रभावी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तैयार करने में पहल करना और प्रमुख शक्ति के रूप में कार्य करना।

(2) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में परिचालन और प्रबंध के बारे में सफल नीति तैयार करना जिससे उत्पादकों के लिये सीधे अधिक आय सुनिश्चित होगी जो मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित हैं।

(3) प्रारम्भिक उत्पादन विकास द्वारा और विभिन्न क्षेत्रों में प्रसंस्करण यूनिटों के बिछे जाल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषतया महिलाओं तथा बेरोजगार युवकों के संदर्भ में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना।

(4) किसानों को सहायता करने में आधुनिक प्रौद्योगिकी और बाजार विधियों का प्रयोग करना।

(5) कृषि उत्पादों के भण्डारण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी जुटाने में पहल करना।

(6) घरेलू बाजार के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्निमाण के बारे में विचार करना ताकि समग्र मांग में वृद्धि हो जिससे उल्टा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में वृद्धि होगी।

(7) यह सुनिश्चित करना कि उद्योग को निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण प्रदान सुलभ कर देश का निर्यात बढ़ाने और मूल्यवान विदेशी मुद्रा कमाने के लिए मूल्य और गुणवत्ता के अनुरूप पर्याप्त अधिशेष माल पैदा किया जाता है।

2. क्योंकि इस मंत्रालय को ग्रामीण आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार में मात्रात्मक वृद्धि करने का कार्य सौंपा गया है इसलिए कुटीर तथा लघु उद्योगों और ग्रामीण सहकारी समितियों पर प्रमुख रूप से जोर दिया जाएगा। ये उद्योग देशी उत्पादों का निर्माण करने के लिए पूर्व-प्रसंस्करण

केन्द्रों और छोटे स्वतंत्र यूनिटों के रूप में कार्य करेंगे जो न केवल ग्रामीण मंडियों बल्कि शहरी क्षेत्रों की अचार, मुरब्बा, पापड़, स्नेड फूड जैसे सुकड़ी, मरमुरा, सेव आदि जैसी वस्तुओं की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। अतः उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपना कर कुटीर और लघु यूनिटों का विकास किया सकता है जिसके लिए देश में अत्यधिक मजबूत आधार उपलब्ध है।

3. ग्रामीण जनसंख्या देश में कुल जनसंख्या 56 प्रतिशतता का है जो कृषि में लगी हुई है। ये धंधे मौसमी होने के कारण इस जनसख्या की बहुत अधिक प्रतिशतता गरीबी की रेखा के नीचे है। अत: ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण आय में वृद्धि सुनिश्चत करने की तात्कालिक आवश्यकता है जिससे आय के स्तर में पर्याप्त बढ़ोतरी हो जाएगी और शहरों में प्रवर्जन को रोका जा सकता है।

4. अनुमान है कि कटाई बाद सम्भालने की अपर्याप्त व्यवस्था होने ओ प्रसंस्करकों तथा ताजे फलों और सब्जी मण्डियों के साथ सम्पर्क के अभाव में प्रत्येक वर्ष 3000 करोड़ रुपये के मूल्य के फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। यह देखना हमारी अर्थव्यवस्था के हित में है कि ऐसी हानियों की रोकथाम की जाती है और प्रसंस्करण यूनिटों को पर्याप्त कच्चा माल दिया जाता है जिसकी क्षमता 36 प्रतिशत के आस पास है। उपभोक्ताओं के लिए ताजे फलों और सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है जिससे जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए पोषाहार सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

5 पैकेजिंग और परिरक्षण समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को परिशिष्ट-I में रखा जाएगा। इससे बड़े घरानों को परिमाण मूलवा सुलभ प्राप्त करने के लिए खाद्य प्रसस्करण क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद मिलेगी और कटाई बाद हानियों को भी रोका जा सकेगा जो आज कृषि का आधार हैं। तथापि, यह देखने के लिए प्रभावी पग उठाने होंगे कि इस प्रक्रिया में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, और लघु क्षेत्र पर असर नहीं पड़ता है। इस योजना में उनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

6. परिमाण मूलक सुलाभ प्राप्त करने और उत्पादन का ऊंचा स्तर प्राप्त करने, उपलब्ध आधारिक ढांचे का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा इस समय लघु उद्योगों के लिए उपलब्ध है।

7. खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और परिरक्षण उद्योगों को कच्चे माल और तैयार माल को लम्बे समय के लिए गोदामों में रखना होगा क्योंकि कच्चा माल केवल मौसम विशेष में उपलब्ध होता है। इसके परिणामस्वरुप, उनकी कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता बहुत अधिक है। अतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बैंक वित्त के प्रयोजन के लिए उच्च अग्रता क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।

8. प्रसंस्करण यूनिटों को कच्चे माल के प्रावधान के लिए आश्वासित आधार की आवश्यकता है। प्रसंस्करण उद्योग कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां बना कर कच्चा माल प्राप्त करने में समर्थ होगा। उन्हें आवश्यक रूप से विस्तार सेवाएं, बीज, उर्वरक आदि सुलभ करने होंगे ताकि वे कच्चे माल की समुचित सप्लाई के लिए आश्वासित हो सकें। ये प्रसंस्करण यूनिट निदर्शन प्रयोजनों के लिए कुछ भूमि भी प्राप्त कर सकते है। तथापि, यह भूमि रखना देश में मौजूदा भूमि अधिकतम सीमा के अन्तर्गत होगा।

9. उन्हें सभी आदान उपलब्ध करने और इस तरह उत्पादित समूची मात्रा को बहुत ही पहले निर्धारित मूल्य पर खरीदने के लिए उत्पादकों की सहकारी समितियों का गठन करना भी आवश्यक होगा। ऐसी सहकारी समितियां बनाते समय कच्चे माल के प्रावधान के प्रयोजन के लिए उन्हें विदेशी सहयोगियों का उपयोग करने और अन्ततः 140 प्रतिशत निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।

10. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आज सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र माना जाता है। इसके फलस्वरूप, उन पर बहुत भारी कर और शुल्क लगाए गए हैं। अतः विभिन्न मंत्रालयों विभागों के साथ परामर्श करने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन शुल्क दिये जाएंगे।

11. कच्चे माल और तैयार उत्पादकों के परिवहन के लिए शीत श्रेणी में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ यथोचित विचार-विमर्श करने के बाद उद्योग पर लगे शुल्क और अन्य उपकर फिर से निर्धारित किए जाएंगे क्योंकि ये कर इस उद्योग के लिए सहायक नहीं है। नये शीत भण्डारण को प्रोत्साहित करते समय, छोटे किसानों की आवश्यकताओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा और व्यवस्था की जाएगी।

12. देश में मछली पालन उद्योग के बारे में समग्र नीति ढांचा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

13. हमारे अण्डा के निर्यात के लिए एयर इण्डिया जैसे राष्ट्रीय वाहनों में स्थान की अनुपलब्धता और नौवहन भाड़े की ऊंची लागत, यदि भारतीय शिपिंग कारपोरेशन को यह कार्य सौंपा जाता है, के कारण कई क्षेत्रों में चिन्ता व्यक्त की गई है। संशोधित खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए रियायती भाड़ा रखने के लिए "ओपन स्काई नीति" अपनाई जाएगी इसके लिए विदेशी भाड़ा तथा वाहकों तथा भारतीय वाहकों को अपने एक सरकुलर रूटों में भारतीय बन्दरगाहों को छूने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

14. पूंजीगत उपकरणों और प्रोसेस टेकनोलाजी, दोनों के लिए अद्यतन टेकनोलाजी आयात करने की अनुमति दी जाएगी। आवृत्ति आयातों की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब देश में ऐसे माल की उपलब्धता है तो ऐसे आयातों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच में, टेकनोलाजी अपनाने और खपाने के लिए स्वदेशी क्षमताओं का विकास करने की भी कोशिश की जाएगी।

15. विदेशों में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि खाद्य उद्योग को प्रोत्साहन दिए जाएंगे। ये संयुक्त उद्यम अपने अर्ध संसाधित खाद्य पदार्थों का निर्यात, उनका आगे प्रसंस्करण और उन देशों में विपणन कर सकते हैं।

16. कुछेक विदेशी कम्पनियों के पड़ोसी देशों में अच्छे ब्रांड प्रसिद्ध हैं। हम ऐसी विदेशी कम्पनियों को अपने ब्रांड नामों से हमारे संसाधित खाद्य पदार्थों को बेचने की अनुमति देकर अपने संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात के अवसर खोजेंगे। इसके फलस्वरूप विदेशी कम्पनियों द्वारा उन देशों में ब्रांड नाम का लाभ उठाकर हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

17. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे उद्यमों में बड़े घरानों को शामिल करने की अनुमति दी

जाएगी। गहरे समुद्र में मछली क्षेत्र में भारी पूंजी निवेश निहित होने और निवेश पर लाभ बहुत धीमे होने की दृष्टि में उन्नत देशों द्वारा-सुलभ टेक्नोलाजी का उपयोग कर इस क्षेत्र में बड़े घरानों को प्रवेश करने की अनुमति देना आवश्यक पाया गया था। हमारे इस एकल आर्थिक क्षेत्र में लगी भारी पूंजी का शोषण नहीं हुआ।

18. गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं का दर्जा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए उन्हें विश्लेषण के आधुनिक उपकरण और कुशल स्टाफ दिया जाएगा जो इन प्रयोगशालाओं को चलाएंगे।

महाराष्ट्र में खाद्य परिरक्षण एकक की स्थापना

364. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में खाद्य परिरक्षण एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) भारत सरकार के पास इस आशय का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार के पास नेफको से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो फलों और सब्जियों की "डीप फ्रीजिंग" की मौजूदा क्षमता में वृद्धि करने के बारे में है।

महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन क्षेत्र

365. **श्री प्रकाश वी. पाटिल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों में गन्ना उत्पादन क्षेत्र में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की तुलना में यहां प्रति टन गन्ने से प्राप्त चीनी की मात्रा अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) जहां तक गन्ने की पैदावार का संबंध है, गन्ने की किस्म में सुधार करने हेतु कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी हां। महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के गन्ने के उत्पादन क्षेत्र के अनुमान नीचे दिए गए हैं :

महाराष्ट्र में गन्ने के उत्पादन-क्षेत्र के अनुमान

(हजार हेक्टेयर में)

1985-86	1986-87	1987-88
265.3	279.9	291.9

(ग) और (घ) जी हां। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की तुलना में महाराष्ट्र में गन्ने की प्रति टन पैदावार के अनुमान नीचे दिए गए हैं :

गन्ने की पैदावार (प्रति हैक्टेयर मी. टन में)

राज्य	1985-86	1986-87	1987-88
महाराष्ट्र	89.4	86.1	85.6
उत्तर प्रदेश	49.0	50.5	51.7
बिहार	33.6	33.3	38.0
पंजाब	64.7	63.0	55.0

(ङ) गन्ने की उन्नत नई किस्में अभिज्ञात कर ली गई है तथा उनकी अगेती, मध्यवर्ती तथा पिछेती मौसम में पिराई करने की सिफारिश की गई है। वे किस्में हैं :—

अगेती किस्म :	सी. ओ.-7219, सी. ओ.-671 और सी. ओ.-7704
मध्य देरी से होने : वाली किस्में	सी. ओ. एम.-7125 और सी. ओ.-740
पिछेती किस्में	सी. ओ.-7527

महाराष्ट्र में तिलहनों का उत्पादन

366. श्री प्रकाश बी. पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान मूंगफली सहित तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसमें और वृद्धि करने के लिए क्या संबंधी योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ग) सातवीं योजना के लिए यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तो वे क्या हैं और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) महाराष्ट्र मे गत तीन वर्षों के दौरान मूंगफली सहित तिलहनों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

(लाख मी. टन)

वर्ष	उत्पादन
1985-86	9.8
1986-87	8.4 (सूखा वर्ष)
1987-88	12.5

(ख) तिलहनों का विकास करने के लिए महाराष्ट्र में चल रही दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि परियोजना, 1989-90 के दौरान भी जारी रहेंगी। इन योजनाओं के अन्तर्गत, बड़े पैमाने पर तिलहनों की खेती करने के लिए राज्य को क्वालिटी बीज, वनस्पति रक्षण उपायों, उन्नत फार्म-उपकरणों, केल्सियम सल्फेट का प्रयोग, बड़े आकार के प्रदर्शनों आदि जैसे प्रमुख आदानों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(ग) राज्य में सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष (1989-90) के लिए 15.5 लाख मी. टन तिलहनों का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे मौसम की अनुकूल परिस्थितियों के तहत प्राप्त किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में अनाजों के उत्पादन में सुधार

367. **श्री प्रकाश बी. पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में अनाजों के उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के कुछ जिलों में उत्पादन में संतोषजनक सुधार नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए अब क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) 1985-86 से 1987-88 तक (गत तीन वर्षों के दौरान) वर्ष-वार उत्पाद निम्न-लिखित हैं :—

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
1985-86	76.15
1986-87	61.69
1987-88	96.50

राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान मौसमी परिस्थितियों के कारण अनाज के उत्पादन में घटा-बढ़ी हुई।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में 1988-99 से, जिलों को योजना की इकाई के रूप में लेकर, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 12 जिले चुने गये हैं जहां 7 जिलों में चावल और 5 जिलों में अरहर के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित है।

पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण एकक

368. श्री एन. टोम्बी सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणीपुर तथा असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यो में प्राथमिकता के आधार खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान है, सिल्चर में एक अनन्नास जूस सांद्रण संयंत्र की स्थापना कर रही है। इस यूनिट का निर्माण-कार्य अन्तिम चरण में है।

आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई भाषाओं का संवर्धन और विकास

369. श्री एन. टोम्बी सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आठवीं अनुसूची में शामिल न की गई भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए भाषा-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भाषाओं और बोलियों के वर्तमान वर्गीकरण के बारे में मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण भाषाई समूहों में असन्तोष व्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रामाणिक और वास्तविक आधार पर पुनः वर्गीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ अन्य भाषाओं को शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। सभी भाषाओं की सांस्कृतिक और साहित्यिक दाय को आठवीं अनुसूची में उन्हें शामिल किए जाने को ध्यान में रखे बगैर उनका विकास करने के लिए भारत सरकार का प्रयास है।

विवरण

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली तथा साहित्य अकादमी नई दिल्ली, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल न किए गए भाषाओं के संवर्धन और विकास के कुछ कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

1. **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर**

यह संस्थान जनजातीय और लघु भाषाओं के संवर्धन और विकास में लगा हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा इस सम्बन्ध में किया गया व्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि
1985-86	8,38,000/- रुपए
1986-87	8,85,000/- रुपए
1987-88	13,15,000/- रुपए

2. **राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद**

रा.शै.अनु.प्र.परि. एक ऐसी परियोजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत कुछेक जनजातीय भाषाओं में प्रवेशिका/पाठ्य-पुस्तकें जनजातीय क्षेत्रों में स्थित प्राइमरी स्कूलों में कक्षा-I और-II में पढ़ रहे बच्चों के उपयोग के लिए क्षेत्रीय भाषा-लिपि का प्रयोग करते हुए तैयार की जा रही हैं। इस परियोजना पर किया गया व्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि
1987-88	13,486/- रुपए
1988-89	28,330/- रुपए
1989-90	43,500/- रुपए

3. **साहित्य अकादमी**

साहित्य अकादमी का 22 भाषाओं में कार्यकलापों का एक कार्यक्रम है जिसमें संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 15 भाषाओं और अंग्रेजी, डोगरी, मैथिली, राजस्थानी, मणिपुरी,

नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है। अकादमी का व्यय कुल मिलाकर (भाषावार प्रावधान के मुकाबले में) तक समग्र प्रावधान करते हुए, उपर्युक्त भाषाओं में भारतीय साहित्य के संवर्धन के सामान्य प्रयोजन के लिए है।

पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग

370. **श्री एन. टोम्बी सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों के वर्तमान परिसीमन तथा खामियों का मूल्यांकन कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मणिपुर की मांग के विशेष संदर्भ में तीसरे राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अध्ययन कराने का कोई प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) यातायात के परिमाण को ध्यान में रखते हुए इस समय मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का पर्याप्त सड़क नेटवर्क है और इसलिए, इस समय और भी राष्ट्रीय राजमार्ग के अभिनिर्धारण के लिए आगे अध्ययन करना अपेक्षित नहीं है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चरणबद्ध रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबन्ध ग्रहण

371. **श्री एन. टोम्बी सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चरणबद्ध रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबन्ध ग्रहण किए जाने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूर्वोत्तर राज्यों के किन राजमार्गों को इस संबंध में प्राथमिकता प्रदान की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री ((श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी भाषा का विकास

372. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली पहाड़ी भाषा को मान्यता देने तथा उसके विकास संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब और किससे प्राप्त हुआ था; और

(ग) क्या सरकार ने इस भाषा और इसके साहित्य के विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) और (ख) जी, हां।

हिमाचल पहाड़ी साहित्य सभा, दिल्ली के दिनांक 8.4.88 के प्रस्ताव की एक प्रति मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्राप्त हुई थी। यह प्रस्ताव पहाड़ी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने और साहित्य अकादमी द्वारा इसे मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में था।

(ग) केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर हिमाचल प्रदेश की महासू, सिरमौरी जैसी कुछ पश्चिमी पहाड़ी भाषाओं पर कार्य कर रहा है और इसने हिमाचल प्रदेश का एक सामाजिक-भाषिक सर्वेक्षण भी किया है, ताकि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं के प्रयोग का पता लगाया जा सके। ऐसे कार्यक्रमों पर व्यय भाषाओं के विकास हेतु इसके द्वारा आवंटित कुल धनराशि में से किया जाता है।

साहित्य अकादमी ने उन भाषाओं के विकास के लिए एक भाषा विकास बोर्ड का गठन किया है, जो अकादमी द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने की इच्छुक हैं। अकादमी ने निम्नलिखित का प्रकाशन कार्य शुरू करने का निर्णय किया है : (i) लोक साहित्य संग्रह; (ii) पड़ोसी भाषाओं से अनुवाद तथा पड़ोसी भाषाओं में अनुवाद; और (iii) कुछ महत्वपूर्ण शब्दकोशों और व्याकरणों का पुनर्मुद्रण, ताकि इन भाषाओं का पर्याप्त विकास हो सके और तब अकादमी द्वारा बाद में इन्हें मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जा सके। अकादमी द्वारा व्यय मान्यता की इच्छुक भाषाओं के भारतीय साहित्य के संवर्धन के सामान्य प्रयोजन के लिए किया जाता है। इस भाषा के लिए किसी निर्धारित बजट आवंटन की व्यवस्था नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा तकनीकी जानकारी का प्रस्ताव

373. श्री वी. तुलसीराम :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन की परियोजनाओं को ग्रामीण रोजगार हेतु किन-किन राज्यों में प्रारम्भ किया जाएगा; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1989 और 1990 में राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री के. एस. राव (मछलीपटनम) : महोदय आन्ध्र प्रदेश में एक विधान सभा सदस्य श्री पी. एम रंगा राव की हत्या कर दी गई है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है···

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) महोदय, चुनाव आयुक्त ने दुर्ग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनाव की घोषणा की है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता···

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : एक ही रिक्त स्थान नहीं है, अनेक स्थान रिक्त हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पुनः वही बात कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं कर सकता···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : पंजाब में डाक्टरों ने भूख हड़ताल का नोटिस दिया है। पिछले दो महीनों से डाक्टर्स हड़ताल पर हैं, पंजाब के अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। स्थिति को सुधारने के लिए सरकार से कहिए··· (व्यवधान)

12.01 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा ।

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 03 की उपधारा (2) के अन्तर्गत न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 7223/89]

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा, दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 7224/89]

(2) (एक) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 7225/89]

(3) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7226/89]

(4) उपयुक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7226/89]

(5) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7227/89]

राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड विनियम, 1988 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उर्वरकों की सप्लाई के बारे में आदेश

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 20 के अंतर्गत राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड विनियम, 1988 जो, 27 अक्टूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 990 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 7228/89]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत 1 अक्टूबर, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा वस्तु बोर्ड को उर्वरकों के स्वदेशी निर्माताओं द्वारा उर्वरकों की सप्लाई बताने वाले आदेश, जो 21 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1 89 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 7229/89]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. नामग्याल) : मैं महापत्तन न्यास, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा. का. नि. 1170 (अ), जो 12 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1·88 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा. का. नि. 1172 (अ), जो 12 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) संशोधन विनियम, 1988 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा. का. नि. 1174 (अ), जो 14 दिसम्बर1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाओ पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) पहला संशोधन विनियम 1988 अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा. का. नि. 1175 (अ), जो 14 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाओ पत्तन कर्मचारी (अधिवर्षिता तथा सेवा-निवृत्ति की आयु) पहला संशोधन) विनियम, 1988 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा. का. नि. 1176 (अ). जो 14 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (निवास का आवटन) संशोधन विनियम, 1988 का अनुमोदन किया गया।

(छः) सा. का. नि. 1185 (अ), जो 19 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतिकोरिन पत्तन कर्मचारी (आचरण) पांचवां संशोधन विनियम, 1988 का अनुमोदय किया गया है।

(सात) सा. का. नि. 1986 (अ), जो 19 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) पांचवां संशोधन विनियम, 1988 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा. का. नि. 20 (अ), जो 10 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (जलयान करस्थम् या बन्दी बनाना और विक्रय) विनियम, 1988 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7530/89]

12.02 म.प.

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

51 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी): महोदय मैं एयर इण्डिया यात्री किराया पहलू के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 51 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

———

12.02½ म.प.

पशुओं और पक्षियों की बलि के बारे में दिनांक १.१२.१९८८ के तारांकित प्रश्न संख्या २९५ के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : महोदय, मैं, सदन का ध्यान 1.12.88 को इस सदन में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 295 से संबंधित उत्तर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पहले दिए गए उत्तर के भाग (क) के उत्तर में दूसरी पंक्ति में, हरियाणा राज्य का नाम हटाया जाना है।

मूल विवरण निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा पहले भेजी गई सूचना पर आधारित था। निदेशक, पशुपालन हरियाणा से बाद में प्राप्त सूचना का अवलोकन करने से यह पता चला कि हरियाणा राज्य सरकार ने पशुओं और पक्षियों को बलि रोकने के लिए कानून नहीं बनाया था। इसलिए, निदेशक, पशु पालन, हरियाणा से अनुरोध किया था कि वह संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।

हालांकि इस प्रश्न का उत्तर सत्र के आखिरी सप्ताह में दिया गया था, तथापि समय की कमी होने के कारण उसी सत्र में इस विवरण को सभा-पटल पर नहीं रखा जा सका।

अतः उपर्युक्त की दृष्टि में रखते हुए मैं इस सदन से अनुग्रह की कामना करता हूं।

———

[हिन्दी]

श्री चरनजीत सिंह अटवाल (रोपड़) : अध्यक्ष जी, यू. एस. पार्लियामेंट में एक बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ है जिसमें यह है कि हिन्दुस्तान में ह्यूमन राइट्स एक्जीस्ट नहीं ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चरन जीत सिंह अठवाल : हम वाक-आउट करते है ।

इस समय श्री चरनजीत सिंह अठवाल और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले जायेंगे।

———

12.03 म.प.

विशेषाधिकार समिति

प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए समय का बढ़ाया जाना

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ—

"कि यह सभा श्री के. पी. उन्नीकृष्णन्, संसद सदस्य द्वारा 10 दिसम्बर, 1987 को अविश्वास प्रस्ताव' पर चर्चा के दौरान वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) के विरुद्ध लगाये गये आरोप के बारे में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री कप्प ।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, आपने इसी विषय से संबंधित विशेषाधिकार प्रस्ताव को 15 दिसम्बर, 1987 को अस्वीकृत कर दिया था और गुप्तरूप से पुनः एक प्रस्ताव लाया गया था। इस सभा के सदस्यों द्वारा उठाये गये । सभी प्रिक्रिया संबंधी आपत्तियां एवम् सभी संसदीय प्रक्रियाओं की उपेक्षा करते हुए गुप्त रूप से पुन: एक प्रस्ताव पिछले बजट सत्र मे इस सभा के समक्ष लाया गया था। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में वे समय बढ़ाये जाने की मॉग क्यों कर रहे है। इस तरह समय और शक्ति की बरबादी क्यों की जा रही है ? यह सब केवल प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा बयानों के लिए किया जारहा हैं जिन्होने बिना परिणाम सौंप इस सभा में दावा किया था। एक प्रेस विज्ञाप्ति के अनुसार स्वयं श्री उन्नीकृष्णन् और कुछ अन्य सदस्यों द्वारा किये गये प्रश्नो का उत्तर देने में वित्त मंत्रालय अपना समय नष्ट कर रहा है और श्री उन्नीकृष्णन् और कुछ अन्य सदस्यों द्वारा मांगी गयी कुछ फाइले उन लोगों ने अभी तक उपस्थित नहीं की हैं। दूसरी बात यह है कि इस देश में कोई भी जांच देश के कानून के अनुसार ही की जानी चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या समिति श्री उन्नीकृष्णन् एवम् कुछ अन्य सदस्यों द्वारा कहे गये साक्षियों की जांच कर रही है।......(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, यह क्या अनुरोध हैं। यह केवल समय बढ़ाये जाने का एक प्रस्ताव है।

प्रो. मधु दण्डवते (राजपुर) : नहीं, नहीं, इसका विरोध किया जा रहा है। एक सूचना दी गई है। आपको प्रक्रिया की जानकारी नहीं हैं।

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, यदि एक उचित जांच पड़ताल की जानी है तो तब उन्हें श्री अमिताभ बच्चन और उनके भाई की ही जांच करनी चाहिए। क्या वे उनकी जांच पड़ताल करने जा रहे हैं ? मैं श्री शरद दिघे से स्पष्ट रूप से इन प्रश्नों का उत्तर चाहूंगा। अन्यथा वे अपनी प्रतिष्ठा बचाने हेतु समय बढ़ाना चाह रहे हैं।

प्रो. मधुदंडवते : अध्यक्ष महोदय, पूर्व सूचना से मैं समय बढ़ाये जाने का विरोध करता हूं और मैं आपने समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहूंगा जो भविष्य में समय वृद्धि का मार्ग दर्शन करेंगे। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि श्री पी. आर. कुमार मंगलम ने पहले ही आपके समक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना रखी थी। (व्यवधान) महोदय, मेरे कथन का पूर्वानुमान वह कैसे लगा सकते हैं ⋯ (व्यवधान) मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। कृपया मुझे सुनने का कष्ट करें (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा, आप क्यों कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो. मधुदंडवते : महोदय, मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। क्या मैंने चुनौती दी है ?

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

प्रो. मधु दंडवते : धन्यवाद महोदय। उस अवसर मैंने पहले ही आपका ध्यान दिलाया था कि आपने विशेषाधिकार सूचना को अस्वीकृत कर दिया है और तत्पश्चात श्री उन्नीकृष्णन् द्वारा श्री दास मुंशी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के फलस्वरूप उठे विवाद को विशेषाधिकार समिति निर्देशित कर दिया गया है। आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि विशेषाधिकार समिति को दिया गया मामला आवश्यक रूप से विशेषाधिकार विषय है ही नहीं। महोदय हम लोगों के लिए यह बहुत ही प्रकाश डालने वाली बात है कि विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया मामला विशेषाधिकार संबंधी विषय नहीं है। किसी के लिये यह मामला जांच पड़ताल हेतु दिया जाना वाला है और आपके यहां एक समिति उपलब्ध देखकर मामला इसे सौंप दिया। मैं बहुत खुश हूं कि इसे स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित परामर्श दात्री समिति को नहीं सौंपा गया। किसी प्रकार इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया। अतः समिति को सौंपे जाने के पश्चात्⋯⋯

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, साहब आप एक बात भूल गये कि ऐसा सदन की स्वीकृत से किया गया था। यह सभा का निर्णय था, मेरा नहीं।

प्रो. मधु दंडवते : सदस्य कुछ भी कह सकता है। अन्ततः आपका बुद्धिमता पूर्ण निर्णय ही सदन में प्रचलित होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में लिये जाने वाले सामूहिक निर्णय को व्यक्त करने का मैं एक माध्यम हूं।

प्रो. मधु दंडवते : इसलिये महोदय, आपको यह बताना चाह रहा था कि श्री दिघे ने जब सभा के समक्ष समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाये जाने की मांग की है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह मांग कितनी अनुचित है। महोदय, इस विषय से सम्बन्धित

तथ्यों में विशेषाधिकार समिति और आगे जांच-पड़ताल करने योग्य नहीं रह गयी है। वास्तव में यह विशेषाधिकार का विषय नहीं था। उन्होंने विशेषाधिकार के विषय पर काम करने का इरादा कर लिया है और उन्हें विशेषाधिकार के विषय से भिन्न विषय दिया गया है इसलिए शुरू से ही उन्होंने एक अन्तर्निहित कठिनाई के साथ शुरूआत की। (व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : महोदय वह कटाक्ष कर रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बीच में गड़बड़ करते हैं।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दंडवते : कोई कटाक्ष नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना ध्यान रख सकता हूं।

प्रो. मधुदंडवते : यह ठीक है, महोदय।··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बिना मतलब हाउस का समय आधा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं इसे रद्द कर सकता हूं और मैं स्वयं एक निर्णय ले सकता हूं। मैंने वह निर्णय ले लिया है और मैं इस पर भी एक निर्णय ले सकता हूं।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : अतः महोदय आप इस बात से सहमत हों कि कोई कटाक्ष नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

प्रो. मधुदंड वते : धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बार-बार धमकियां मिल रही हैं।

प्रो. मधुदंड वते : अतः महोदय, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ तथ्य पेश करूंगा जिससे सभा जान पायेगी कि यदि इस लोक सभा के अन्त तक अथवा अगामी लोक सभा तक की अवधि बढ़ा दी जाए तो भी इससे कुछ भी होने वाला नहीं है और इसका कारण इस प्रकार है। महोदय, श्री उन्नीकृष्णन् ने समिति को कुछ सुझाव दिये थे। इस समिति ने कोई समय नहीं दिया है, उनके सुझावों पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें आवश्यक उत्तर दे दिया है। उन्होंने कुछ साक्षियों को बुलाने की मांग भी की थी। ये आवश्यकताएं भी पूरी नहीं की गई हैं और यदि समिति इस विशेष तरीके के अनुसार कार्य कर रही है तो हम समिति पर लांछन नहीं लगा सकते लेकिन हम इस तरीके का उल्लेख कर सकते हैं जिसके मुताबिक यह कार्य कर रही है क्योंकि इसी से यह निर्णय होगा कि क्या समय अवधि बढ़ाना आवश्यक है, क्या अवधि बढ़ाई जा सकती है. इस तरीके के अनुसार यह कार्य कर रही है। महोदय मेरा कहना है कि श्री उन्नीकृष्णन् तथा संबद्ध दल ने कुछ बातें कही जिसका कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने कुछ साक्षियों के बारे में पूछा तो कोई उत्तर नहीं मिला, उन्होंने कुछ समस्याओं की जांच के

लिए कहा तो कोई उत्तर नहीं मिला। यदि यह समिति जवाब नहीं दे सकती है तो इसकी अवधि बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, इसलिए मैं प्रस्ताव पेश करने वाले महोदय को सुझाव देता हूं तथा मांग करता हूं कि इस मुद्दे को समाप्त कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस तथ्य के होते हुए भी कि आप भी इससे संबंधित थे। अब श्री शरद दिघे बोलें।

श्री शरद दिघे : महोदय, क्या मैं श्री दंडवते द्वारा उठाए गए मुद्दे पर बोल सकता हूं ? जैसा कि आप पहले ही कह चुके हैं कि इस सभा ने यह मामला पहले ही इस समिति को सुपुर्द कर दिया है और समिति के पास यह सारा मामला विचाराधीन है। यह सभी मुद्दे श्री उन्नीकृष्णन ने समिति के सम्मुख भी उठाए थे और समिति इन मुद्दों पर भी निर्णय देगी। समिति में जो कुछ हो रहा है वह निःसन्देह गुप्त मामला है और मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूं। मैं नहीं जानता कि श्री दंडवते को यह कैसे पता लगा कि समिति में अमुक बात हुई। (व्यवधान) महोदय, प्रतिवेदन इस सभा को दिया जाएगा। अभी तक 12 बैठकें हुई और मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा कि इनमें से पांच बैठकें स्वयं श्री उन्नीकृष्णन के अनुरोध पर स्थगित कर दी गई थी और बाकि सात बैठकों में कार्यवाही बहुत अच्छी तरह से चली। श्री उन्नीकृष्णन ने लिखित अनुरोध किए थे तथा इन पर मंत्रालय से टिप्पणियां मांगी गई थी जो प्राप्त हो चुकी हैं और समिति के सम्मुख मामला विचाराधीन है तथा इस पर फैसला किया जाएगा। अतः यह अवधि बढ़ाना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा श्री के पी. उन्नीकृष्णन्, संसद् सदस्य द्वारा 10 दिसम्बर, 1987 को 'अविश्वास प्रस्ताव' पर चर्चा के दौरान वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) के विरुद्ध लगाये गये आरोप के बारे में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.12 म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

65वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 22 फरवरी 1989 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के पैंसठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय :

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 22 फरवरी 1989 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्यमंत्रणा समिति के पैंसठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.13 म.प.

रेल बजट, १९८९-९०

अध्यक्ष महोदय : श्री माधव राव सिंधिया।

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष जी, आप जरा देखिये, मंत्री जी कैसे आस्तीन चढ़ा कर खड़े हुए हैं, इनसे बचाइये।

अध्यक्ष महोदय : लगता है मुकाबला अच्छा होगा।

बाद में चढ़ाने से, पहले चढ़ा लेना अच्छा होता है। पानी आने से पहले ही फंदा झटका लेना अच्छा होता है।

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल बजट का मामला है, माननीय माधवराव जी हमारे प्रिय हैं, हमारे पूज्य हैं इस बजट से पहले मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं :—

हम-सफर हमदम रहे पर मेरा दम निकले नहीं :
रेल पटरी पर रहे, बस पटरियां बदलें नहीं॥ **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं भारतीय रेलों के 1988-89 के संशोधित अनुमान और 1989-90 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं।

प्रस्तावना

2. श्रीमन्, देश के आर्थिक विकास में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमि का आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक उपयोग परिवहन द्वारा ही किया जाता है। इसी से उद्योग और कृषि उद्योगों का विकास होता है। इसी से व्यापार और वाणिज्य बढ़ता है और यही श्रम और पूंजी को नयी सीमाएं खोजने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हमारा निष्पादन केवल महत्वपूर्ण ही नहीं, अपरिहार्य भी है। हमारे देश में रेलवे, परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक है और इसीलिए इसकी भूमिका एक नया आयाम प्राप्त कर लेती है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में निष्पादन

3. बजट वर्ष 1989-90, पांचवीं योजना का अन्तिम वर्ष है। अतः यह उपयुक्त ही होगा कि इस अवसर पर योजना के आरंभ में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में भारतीय रेलों के समग्र कार्य-निष्पादन की संक्षिप्त रूप से समीक्षा कर ली जाए।

3.1 सातवीं योजना में आस्तियों के अधिकतम उपयोग, कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि और प्रणाली के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया गया था। भारतीय रेलों ने इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत माल परिवहन की कठिनाइयों को काफी हद तक कम कर दिया है।

3.2 सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों में माल भाड़ा परिवहन में लगभग 27 प्रतिशत और यात्री किलोमीटर में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। माल डिब्बे, सवारी डिब्बा बेड़े और समेकित रेल इंजन शक्ति (कर्षण प्रयास) में थोड़ी कमी के बावजूद और चालू रेलपथ किलोमीटर और जनशक्ति में 0.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि करने से ही यह उपलब्धि हासिल हुई। दक्षता सूचकांक से साफ जाहिर है कि आस्तियों के उपयोग में सुधार हुआ है। बड़ी लाइन पर प्रति माल डिब्बा प्रति दिन शुद्ध टन किलोमीटर में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मीटर लाइन पर 29 प्रतिशत की। बड़ी लाइन पर सवारी डिब्बों का उपयोग (यात्री किलोमीटर प्रति हजार बैठने की क्षमता) 16 प्रतिशत बढ़ा और मीटर लाइन पर 22 प्रतिशत। प्रति यात्री यातायात इकाई के हिसाब से कर्मचारी उत्पादकता में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सातवीं योजना के प्रत्येक वर्ष में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछले वर्ष के रिकार्ड से अधिक सुधार हुआ। समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्तर पर भारतीय रेलों के पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक टीम के रूप में कार्य किये बिना यह सम्भव नहीं था।

3.3 इस अवधि में, प्रणाली आधुनिकीकरण के व्यापक कार्यक्रम पर भी बल दिया गया था। क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग होने से, रेल परिवहन के लिए निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए महंगे प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों में निवेश अपरिहार्य हो गया। आस्तियों के पुनर्स्थापन कार्यक्रम में भारी पूंजी निवेश के अलावा रेल इंजनों, सवारी डिब्बों, माल डिब्बा बोगी अभिकल्प, रेलपथ संरचना, सिगनल और दूर संचार नेटवर्क के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन आरंभ किए गए थे।

3.4 इन उपायों के संचयी प्रभाव से कुशलता में सुधार आया और परिवहन निर्गत में परिणामी वृद्धि वित्तीय परिणामों में उपयुक्त रूप से परिलक्षित हुई। सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों में, भारतीय रेलों ने सामान्य राजस्व को लगभग 1,725 करोड़ रुपये के कुल लाभांश का पूरा भुगतान किया और प्रत्येक वर्ष के अनुमानों से अधिशेष भी अधिक रहा।

4. अब 1987-88 के माल यातायात निष्पादन पर गौर करें। सदन को स्मरण होगा कि देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर भागों में बाढ़ के कारण रेल सम्पर्क अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण, रेल परिवहन पर बुरा असर पड़ा था। इसके बावजूद, रेलों ने 318 मिलियन टन प्रारंभिक यातायात ढोया जो बजट लक्ष्य से 5 मिलियन अधिक था और इस प्रकार कुल माल यातायात निर्गत 231 बिलियन शुद्ध टन किलोमीटर हुआ जबकि 223 का निर्धारित किया गया था। वस्तुतः सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों में कुल मिलाकर 49.1 बिलियन शुद्ध टन किलोमीटर अधिक यातायात हुआ है जो पिछले दस वर्षों के यातायात में कुल मिलाकर हुई समग्र वृद्धि से अधिक है।

1987-88 में माल यातायात का निष्पादन

5. वर्ष 1987-88 के वित्तीय परिणाम समान रूप से उत्साहवर्धक थे। 69 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में प्राप्त अधिशेष 84.29 करोड़ रुपये था। यहां

1987-88 में वित्तीय निष्पादन

यह बताना समीचीन होगा कि इस अधिशेष का हिसाब सामान्य राजस्व को 638.86 करोड़ रुपये के पूर्ण लाभांश के भुगतान के बाद लगाया गया है।

1988-89 में माल यातायात का निष्पादन

6. देश की अर्थव्यवस्था और परिवहन प्रणाली एक दूसरे को अनुपूरक और सम्पूरक होती हैं। एक का निष्पादन दूसरे के निष्पादन को अनेक रूपों में प्रतिभाव करता है और यह प्रभाव एक दूसरे के निष्पादन में परिलक्षित भी होता है। इस अन्तर्प्रभाव को विश्व भर में माना जाता है। पिछले वर्ष के शताब्दी के सबसे भयंकर सूखे और इस वर्ष उत्तरी क्षेत्र में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण वर्ष 1988-89 में प्राप्त होने वाले माल यातायात में कमी आयी, विशेषकर खाद्यान्नों में जिसकी प्रतिबद्धता और कार्यक्रमबद्ध आधार पर ढुलाई की जाती है।

अधिक से अधिक वैकल्पिक यातायात की ढुलाई करके इसकी प्रतिपूर्ति करने के विशेष प्रयास किए गए है। इन प्रयासों से कुछ सफलता मिली है और हमें आशा है कि कमी नहीं रहेगी तथा समेकित माल यातायात की ढुलाई के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

1988-89 में वित्तीय निष्पादन

7. कम यातायात की प्राप्ति से आमदनी प्रभावित हुई थी। बहरहाल, अन्य क्षेत्रों में राजस्व प्रयास बढ़ाकर इस अन्तर को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बजटोपरांत उतार-चढ़ावों के कारण साधारण संचालन व्यय भी बढ़ गया है जिसमें उच्चतर उत्पादकता सम्बद्ध बोनस का भुगतान और कोयला तथा इस्पात के मूल्यों में वृद्धि शामिल है। बहरहाल, मैं सदन से किसी अतिरिक्त अनुदान की मांग नहीं कर रहा हूं। मेरा अभी भी विश्वास है कि आंतरिक बचतों और कड़े वित्तीय प्रबंध से संपूर्ण बजटोपरांत प्रभाव समाहित हो जायेगा और साधारण संचालन व्यय बजट स्तर पर रखा जा सकेगा। इससे सामान्य राजस्व को 719 करोड़ रुपये लाभांश के पूर्ण भुगतान के बाद प्रक्षेपित अधिशेष को बनाये रखने में सहायता मिलेगी।

यात्री सेवाएं

8. श्रीमन्, यात्री गाड़ियों के लिए मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। बहरहाल, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में यह आवश्यक है कि रेलें यात्री गाड़ियों के लिए मांग और माल यातायात की ढुलाई की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाये रखें। सदन इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि संसाधनों की कमी है और मांगों की तुलना में क्षमता सीमित है। तो भी, बढ़े हुए माल यातायात की पूरी ढुलाई करने के साथ-साथ, हमने चालू योजना में अनेक यात्री गाड़ियां चलायी हैं अथवा उनका चालन क्षेत्र बढ़ाया है। सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों में 114 गैर-उपनगरीय और 183 उपनगरीय नई गाड़ियां चलाई गई थीं, 170 गैर-उपनगरीय और 96 उपनगरीय गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया गया और 42 गैर उपनगरीय गाड़ियों के फेरे बढ़ाये गये थे। चालू वर्ष 1988-89 के दौरान अब तक 66 गैर-उपनगरीय और 42 उपनगरीय नई गाड़ियां चलाई गई है तथा 8 गैर-उपनगरीय और 23 उपनगरीय गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया गया है तथा 22 गैर-उपनगरीय गाड़ियों के फेरे बढ़ाये गये हैं।

8.1 सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि ग्रीष्मकालीन समय सारिणी से अनेक नई गाड़ियां चलायी जाएंगी। ये हैं :—

(1) अमृतसर और नई दिल्ली के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी।

(2) पटना के रास्ते कटिहार और दिल्ली के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी।

(3) सिकन्दराबाद और निजामाबाद के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी।

(4) भावनगर और अहमदाबाद के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी।

(5) आसनसोल और धनबाद के बीच एक दैनिक पैसेंजर गाड़ी।

(6) मेरठ और नई दिल्ली के बीच एक दैनिक पैसेंजर गाड़ी :

(7) गोरखपुर और जम्मू तवी के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी।

(8) जबलपुर के रास्ते तिरूपति और वाराणसी के बीच सप्ताह में तीन दिन चलनेवाली एक एक्सप्रेस गाड़ी।

(9) सहरसा और सोनपुर के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी।

(10) गुना और बीना के रास्ते उज्जैन से हरिद्वार तथा देहरादून तक सप्ताह में दो दिन चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी।

(11) छपरा और सियालदह के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी।

(12) लखनऊ और भोपाल के रास्ते गोरखपुर और हैदराबाद के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी।

(13) झांसी और भोपाल के रास्ते लखनऊ और मद्रास के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी।

(14) अहमदाबाद और पुणे के बीच सप्ताह में एक दिन चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी।

(15) हापा (जामनगर) और जम्मू तवी के बीच सप्ताह में एक दिन चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी।

8.1.1 अनेक गाड़ियों के फेरे बढ़ाये जाएंगे। ये हैं :—

(1) 103/104 हवड़ा-नई दिल्ली (पटना के रास्ते) एक्सप्रेस गाड़ी सप्ताह में दो दिन के बजाय चार दिन चलेगी।

(2) 171/172 बम्बई सेण्ट्रल-जम्मू तवी सुपरफास्ट गाड़ी सप्ताह में दो दिन के बजाय चार दिन चलेगी।

(3) 929/930 हैदराबाद-कोचीन एक्सप्रेस गाड़ी सप्ताह में एक दिन के बजाय दो दिन चलेगी।

(4) 911/912 गोरखपुर-कोचीन एक्सप्रेस गाड़ी सप्ताह में एक दिन के बजाय दो दिन चलेगी।

(5) दिल्ली और उदयपुर के बीच 515/516 गरीब नवाज सुपरफास्ट गाड़ी सप्ताह में तीन दिन के बजाय छः दिन चलेगी।

8.1.2 वर्तमान पांच गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। ये हैं :—

(1) 18 /182 अहमदाबाद-नई दिल्ली सर्वोदय सुपरफास्ट गाड़ी का जम्मू तवी तक।

(2) 951/952 कोचीन-हवड़ा सुपरफास्ट गाड़ी का सप्ताह में एक दिन पटना तक।

(3) 903/904 तिरुवनन्तपुरम-अहमदाबाद सुपरफास्ट गाड़ी का राजकोट तक।

(4) 931/932 हैदराबाद-अहमदाबाद सुपरफास्ट गाड़ी का राजकोट तक।

(5) 83/84 वाराणसी-दिल्ली गंगा यमुना एक्सप्रेस गाड़ी का भिवानी तक।

8.1.3 बम्बई क्षेत्र में 27 अतिरिक्त बिजली गाड़ियां चलाने का भी विनिश्चय किया गया है।

8.1.4 20-2-1989 से नई दिल्ली-झांसी शताब्दी एक्सप्रेस का चालन-क्षेत्र भोपाल तक बढ़ा दिया गया है। 24-3-89 से नई दिल्ली और कानपुर के बीच ऐसी ही एक और अन्तर्नगरीय एक्सप्रेस चलाई जाएगी जो रास्ते में कहीं रुकेगी।

8.1.5 यह भी विनिश्चय किया गया है कि :—

(1) रायपुर-विजयनगरम खंड पर चलने वाली पैसेंजर गाड़ी डीजल इंजन से चलायी जायेगी।

(2) कर्नाटक एक्सप्रेस गुलबर्गा-वाडी-रायचूर के रास्ते प्रतिदिन दो इंजनों से चलायी जाएगी।

(3) उद्यान एक्सप्रेस शोलापुर और बेंगलूरु के बीच दो इंजनो से चलायी जायेगी ताकि इस गाड़ी में इस क्षेत्र के लोगों के लिए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जा सके।

8.2 रेलों ने महाकुम्भ मेले के अवसर पर तीर्थयात्रियों के बहुत बड़े समागम की सुविधा के लिए इलाहाबाद जंक्शन, इलाहाबाद सिटी, नैनी, विंध्याचल, प्रयाग, प्रयाग घाट, फाफामऊ, झूंसी और दारागंज स्टेशनों पर व्यापक प्रबन्ध किए हैं। लगभग 2,000 सवारी डिब्बे जुटाये गए हैं और 266 अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियां खोली गई हैं। पेय जल, चिकित्सा सहायता, स्वच्छता और सार्वजनिक उद्घोषणाओं के लिए बड़े स्तर पर प्रबन्ध किए गए हैं। संगम मेला क्षेत्र में एक बुकिंग-एवं-पूछताछ परिसर खोला गया है।

8.3 यात्री सेवाओं के क्षेत्र में हमारी नीति निम्न और मध्यम आय वर्गों के व्यक्तियों की यात्रा संबंधी जरूरतों को पूरा करने पर विशेष बल देने की है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन क्षमता का अधिकांश भाग दूसरे दर्जे के गद्दीदार शयनयानों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। चालू वर्ष में, इस बेड़े में दूसरे दर्जे के 575 शयनयान बढ़ाये गये हैं जबकि अगले वर्ष का कार्यक्रम अन्य

दूसरा दर्जा और वातानुकूल शयनयान

700 शयनयानों की व्यवस्था करने का है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे नीति-निर्देश के अनुसार शयनयानों के सम्पूर्ण मौजूदा बेड़े में अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक गद्दीदार शायिकाएं लगा दी जाएंगी। इसके अलावा, चालू वर्ष में यात्रियों की अधिक सुविधा के लिए इस बेड़े में 90 वातानुकूल शयनयानों और कुर्सी यानों की वृद्धि की गयी है तथा अगले वर्ष इतने ही और जोड़े जाने का कार्यक्रम है।

यात्री सुविधाएं

9. वर्ष 1988-89 का रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने सदन को अवगत कराया था कि यात्री सुविधाओं के लिए नीति विषयक दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में कारगर समन्वय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय में एक निदेशालय की स्थापना की जा रही है। अब इस निदेशालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यात्री सुविधा संबंधी कार्यों के लिए आबंटन को छठी योजना के 5.1 करोड़ रुपये के वार्षिक औसत से पर्याप्त रूप में बढ़ाकर सातवीं योजना में 15.8 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 1989-90 के लिए भी आबंटन को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है जो चालू वर्ष की अपेक्षा 30 प्रतिशत अधिक होगा।

कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण

9.1 श्रीमन, कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली को यात्रियों का बहुत ही व्यापक समर्थन मिला है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अत्यन्त जटिल साफ्टवेयर पूर्णतः स्वदेशी प्रयास से तैयार किया गया है। मद्रास में कुछ गाड़ियों को छोड़कर जिन्हें भी इस कलेंडर वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया जायेगा, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास चार महानगरों को शामिल करने से संबंधित कार्यक्रम का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। कम्प्यूटर प्रणालियों को एक दूसरे से जोड़ दिये जाने से दिल्ली और कलकत्ता के यात्रियों के लिए वापसी और आगे की यात्रा के आरक्षण की एक और सुविधा उपलब्ध हो गयी है।

9.1.1 दिल्ली क्षेत्र में आरक्षण के कम्प्यूटरीकरण का दूसरा लाभ यह है कि अब प्रत्येक गाड़ी के लिए आरक्षित स्थान की उपलब्धता का वास्तविक-समय प्रदर्शन सम्भव है। स्वदेश में विकसित की गई इस प्रणाली को दूरदर्शन टेलीटेक्स्ट से जोड़ा गया है और टी.वी. मानिटर पर डिकोडर की सहायता से वर्तमान स्थिति का तत्काल पता लगाया जा सकता है।

9.1.2 कम्प्यूटरीकरण के द्वितीय चरण में, हमने अहमदाबाद, बेंगलूर, भोपाल, लखनऊ और सिकन्दराबाद को शामिल करने के लिए पांच और परियोजनाएं शुरू की है। 1989-90 में इनके पूरा हो जाने से भारतीय रेलों पर कुल आरक्षण का लगभग 57 प्रतिशत आरक्षण कम्प्यूटर से होने लगेगा।

9.1.3 मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि अगले वित्तीय वर्ष में शुरू किये जाने वाले तृतीय चरण के भाग के रूप में 9 और स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है। ये हैं-भुवनेश्वर, कटक, गोरखपुर, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू तवी, पटना, पुणे और तिरुवनन्तपुरम।

9.2 पिछले वर्ष, मैंने सदन को अवगत कराया था कि रेलों को रेलवे पूछताछ कार्यालयों के कार्यकलापों में गुणात्मक सुधार लाने के निर्देश दिये गये हैं। अतिरिक्त टेलीफोन की व्यवस्था,

यात्री-सूचना सेवा

हाट लाइनों को स्थापना, इलेक्ट्रानिक प्रदर्शन बोर्डों की व्यवस्था और आमने-सामने की पूछताछ का टेलीफोन पर पूछताछ से पृथक्करण जैसे उपायों के माध्यम से 73 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पर्याप्त प्रगति हुई है। कुछ नगरों में यात्री गाड़ियों के चालन के बारे में टेप में रिकार्ड की गई सूचना भी दी जाती है। यात्रियों की जानकारी के लिए हमने हाल ही में, प्रक्रियाओं, नियमों और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में एक "गाइड बुक" प्रकाशित की है।

बिस्तर

9.3 वातानुकूल शयनयान काफी लोकप्रिय हुए हैं। पहले मांग-पर्ची दिये बिना, मौके पर मांग करने पर सभी यात्रियों को बिस्तर सप्लाई करने के लिए कुछ चुनी हुई गाड़ियों के प्रत्येक वातानुकूल शयनयान में पर्याप्त संख्या में बिस्तर उपलब्ध करा कर इन सवारी डिब्बों की ऐसी सेवाओं में और सुधार लाने के प्रबंध किये जा रहे हैं।

आदर्श स्टेशन

9.4 जैसा कि सदन को मालूम है, 67 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। इन आदर्श स्टेशनों के विकास पर कुल लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इनमें से अधिकांश स्टेशनों पर कार्य चल रहा है। इस कार्य के कुछ चरण पूरे हो चुके हैं।

नेहरु यात्री टिकट

9.5 नेहरू शताब्दी समारोह के एक भाग रुप में, रेलों ने 14-11-1988 से "नेहरू यात्री टिकट" शुरू किये हैं। देश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व वाले स्थलों का भ्रमण करने के लिए इकसठ यात्रा कार्यक्रम रखे गये है।

संरक्षा

10 भारतीय रेलों पर होने वाली कोई भी गाड़ी दुर्घटना हमारे लिए बेहद चिन्ता और दुख का विषय है। सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था करने के हमारे लक्ष्य के प्रति रेल कर्मचारियों में अत्यधिक संरक्षा और जागरूकता की भावना जागृत करने का, हमारा प्रयास जारी है। बड़ी संख्या में उत्तर आधुनिक संरक्षा उपकरण लगाये जा रहे हैं जिनमें सहायक चेतावनी प्रणाली, रेलपथ परिपलन, रूप रिले अन्तर्पाशन और धुरा काउंटर शामिल हैं। यातायायत में पर्याप्त वृद्धि होने के बावजूद भी, समग्र संरक्षा रिकार्ड में सुधार हुआ है। पिछले तीन वर्षों में दुर्घटनाओं की संख्या में हर वर्ष कमी आयी है और पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्येक वर्ष सुधार हुआ है। प्रति मिलियन गाड़ी किलोमीटर दुर्घटनाओं में हिसाब से संरक्षा कार्य-निष्पादन सूचकांक 1984-85 के 1.50 से सुधर कर 1987-88 में 1.02 रह गया अर्थात् 32 प्रतिशत का सुधार हुआ है और इसी अवधि में गाड़ी दुर्घटनाओं की कुल संख्या तेजी से घटकर 26 प्रतिशत रह गयी है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जनवरी, 1989 के अन्त तक गाड़ी दुर्घटनाएं 12 प्रतिशत कम होने के कारण यह सुधार चालू वर्ष में भी जारी रहा मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि संरक्षा हमारे लिए सर्वाधिक महत्व का विषय है जिसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता और न ही कोई लघुतम विधि अपनायी जा सकती है।

11. श्रीमन् रेलवे कार्य प्रणाली के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति जारी रखने की हमारी सामर्थ्य अन्ततोगत्वा कुल योजना आबटन पर निर्भर करती है। लागतोंमें प्रत्याशित मूल्य-वृद्धि को लेखे में लेने के बाद, योजना के आखिरी वर्ष में 340 मिलियन टन प्रारम्भिक यातायात

योजना आबंटन यात का लक्ष्य पूरा करने के लिए रेलों की मूल योजना राशि 16,917 करोड़ रुपये होती है। योजना के पहले चार वर्षों में रेलों को 11,908 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए आबंटन 4,450 करोड़ रुपये है, इस प्रकार समग्र सातवीं योजना के लिए यह कुल 6,358 करोड़ रुपये बनता है जो योजना राशि से कम है। तथापि, मुझे मालूम है कि योजना आयोग ने संसाधनों की समग्र उपलब्धता के भीतर आबंटन के भरसक प्रयास किये हैं। फिर भी, सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस कम निवेश के बावजूद भारतीय रेलवे को, सातवीं योजना के अंतिम वर्ष में 340 मिलियन टन प्रारम्भिक माल यातायात के लदान के लक्ष्य से अधिक लदान करने की आशा है। जहां तक माल परिवहन प्रयास का सम्बन्ध है, प्रणाली का निर्गत 252 बिलियन शुद्ध टन किलोमीटर तक पहुँच जाने की आशा है तथा यह योजना के अन्तिम वर्ष के लिए निर्धारित किये गये मूल लक्ष्य से 9.1 प्रतिशत अधिक है। सीमित संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, जन शक्ति उत्पादकता में निर्धारित वृद्धि और आस्तियों के गहन तथा युक्तिसंगत उपयोग के कारण ही यह निष्पादन स्तर सम्भव हो पाया है।

11.1 चालू योजना में निवेश के स्वरूप की एक असाधारण विशेषता, समग्र योजना में रेलों के आंतरिक अंशदान में वृद्धि है। भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा किए गए निवेश को हिसाब में लेने के बाद, सातवीं योजना में भारतीय रेलों द्वारा संसाधनों में किया गया आंतरिक 61 प्रतिशत रहा जबकि छठी योजना में यह केवल 42 प्रतिशत और पाँचवीं योजना में 25 प्रतिशत था।

11.2 सदन इस बात से सहमत होगा कि प्रणाली का अधिकतम उपयोग करने के हमारे प्रयास में काफी सफलता मिली है। उपयोग के उच्च स्तर का एक स्पष्ट संकेत यह है कि योजना आयोग द्वारा 1990 तक प्राप्त किये जाने के लिए मूलत: निर्धारित 1,350 शुद्ध टन किलोमीटर प्रति माल डिब्बा प्रतिदिन के लक्ष्य को योजना के तीसरे वर्ष में ही पार कर लिया गया है। यह मेरी सुविचारित राय है कि अब समय आ गया है जब निधि की समुचित रूप से व्यवस्था करके प्रणाली के विस्तार पर भी कुछ बल देना होगा।

12. मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हमने लालाबाजार-जमीरा, बालीपारा-भमानी और करूर-डिंडीगुल खंडों पर कुल 117 किलोमीटर लम्बी नई लाइनें खोली हैं। हमें आशा है कि और 197 कि. मी. के चित्तौड़गढ़ और गुना-मियाना खण्ड 31 मार्च, 1989 तक पूरे हो जाएंगे।

नयी लाइनें

12.1 अगले वित्तीय वर्ष के यातायात के लिए कई नई खण्डों को खोलने की भी हमारी योजना है। ये हैं:—

(1) एर्णाकुलम-अलेप्पी	57 कि.मी.
(2) चित्तौड़गढ़-नीमच	56 कि.मी.
(3) मियाना-कोलरस	47 कि.मी.
(4) तालचेर-अंगुल	18 कि.मी.
(5) राय मेहतपुर-ऊना	11 कि.मी.
(6) भटिंडा बाईपास	2 कि.मी.

12.2 हमारे देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देने के बारे में जैसा कि प्रधान मन्त्री का निर्देश है, उसी के अनुसरण में बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 1989-90 में भारतीय रेलें उस क्षेत्र में चार नई रेल लाइन परियोजनाओं को पूरा करने की अपनी वचनबद्धता पूरी कर लेंगी। ये हैं :—

(1) सिलचर-जीरीबाम	49 कि.मी.
(2) लालाबाजार-भैराबी	48 कि.मी.
(3) बालीपारा-भालुकपोंग	35 कि.मी.
(4) धर्मनगर-कुमारघाट	33 कि.मी.

पांचवीं परियोजना, आमगुड़ी-तुली भी पूरी हो जाती यदि सम्बन्धित दो राज्य सरकार के बीच भूमि विवाद पैदा न होता।

12.3 अगले वित्तीय वर्ष में, कुछ महत्वपूर्ण नयी लाइन परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। ये हैं :—

(1) पश्चिमी तट लाइन के दूसरे चरण की मंगलोर-उदीपी बड़ी लाइनका निर्माण,

(2) वर्तमान पश्चिमी गलियारे का वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए गोधरा-दाहोद-सरदारपुर-धार इन्दौर और देवास-मकसी बड़ी लाइन सम्पर्कों को निर्माण,

(3) गोइंदवाल साहिब औद्योगिक काम्पलेक्स को सेवित करने के लिए व्यास और गोइंदवाल के बीच एक रेल सम्पर्क का निर्माण, और

(4) गुवाहाटी-बर्निहाट बड़ी लाइन रेल सम्पर्क का निर्माण।

12.4 योजना के अन्त में 2,315 किलोमीटर लम्बाई की 26 चालू परियोजनाएं रह जायेंगी जिनके लिए 1,781 करोड़ रुपये की अवशिष्ट निधि की आवश्यकता होगी।

13. 256 किलोमीटर लम्बाई वाली दो महत्वपूर्ण आमान परिवर्तन परियोजनाओं अर्थात् सूरतगढ़-लालगढ़ और मुरादाबाद-रामनगर का कार्य चालू वर्ष में पूरा कर लिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में 130 किलोमीटर लम्बाई वाली गुन्टूर-माचेरला आमान परिवर्तन परियाजना का कार्य पूरा किये जाने का प्रस्ताव है।

आमान परिवर्तन

13.1 171 किलोमीटर लम्बे छपरा-औंडिहार मीटर लाइन खण्ड का आमान परिवर्तन लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना से उत्तर रेलवे के वाराणसी-मुगलसराय और पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-छपरा खंडों के बीच सीधा रेल सम्पर्क उपलब्ध हो जायेगा जिससे उत्तरी बिहार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर यातायात का निर्बाध संचलय सुलभ हो सकेगा।

13.2 योजना के अन्त में 1,205 किलोमीटर लम्बाई वाली आमान परिवर्तन की आठ परियोजनाएं बची रहेंगी जिनके लिए 442 करोड़ रुपए की अवशिष्ट राशि की आवश्यकता होगी।

13. चालू वित्तीय वर्ष में नयी लाइनों की 14 परियोजनाओं (2,432 किलोमीटर) तथा आमान परिवर्तन की 6 परियोजनाओं (1,726 किलोमीटर) के लिए सर्वेक्षण-कार्य प्रगति पर है।

सर्वेक्षण कुछ महत्वपूर्ण सर्वेक्षण जिन्हें शुरू किया गया है, वे इस प्रकार हैं :—

(1) सवाई माधोपुर,जयपुर-फुलेरा-मेड़ता रोड-जोधपुर और मेड़ता रोड-लालगढ़ खण्ड के आमान परिवर्तन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण तथा जयपुर और फुलेरा के बीच समानान्तर बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण;

(2) गोरखपुर के निकट सहजनवाँ से दोहरीघाट तक नयी बड़ी लाइन के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण तथा दोहरीघाट-इन्दारा मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए सर्वेक्षण; और

(3) हस्तिनापुर के रास्ते मेरठ के निकट दौराला और बिजनौर के बीच नई लाइन के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

14·1 अगले वर्ष में जिन सर्वेक्षणों को करने का करने का प्रस्ताव है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) रामनगर और चौखुटिया के बीच एक नयी लाइन,

(2) ललितपुर-खुजराहो-सतना, महोबा-खुजराहो और रीवा-सीधी-सिंगरौली के बीच नयी लाइनें और

(3) बुढवल-सीतापुर खंड का आमान परिवर्तन (मी. ला. से ब. ला.)

श्री एच. रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : सम्पूर्ण बजट मध्य प्रदेश के लिए हैं न कि आन्ध्र प्रदेश के बारे में।

श्री माधव राव सिंधिया : 14.2 अमरावती और नरखेड़ के बीच नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण पर भी विचार किया जा रहा है।

15. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 12 ऊपरी और निचले सड़क पुलों को पूरा किए जाने की आशा है। ऐसे निर्माण-कार्यों के लिए वर्ष 1989-90 में 23.3 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है जबकि वर्ष 1988-89 में ऐसे कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था।

ऊपरी और निचले सड़क पुल

16. सदन इस बात के महत्व से अवगत है कि रेलपथ नवीकरण का पिछला बकाया कार्य निपटाने के लिए, जो कि सातवीं योजना के प्रारम्भ में 19,000 किलोमीटर था, हम पुनःस्थापना कार्यक्रम की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वर्ष 1985-86 से रेलपथ के नवीकरण के काम में और अधिक तेजी लायी गयी है। हम निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं और और हमें आशा है कि आठवीं योजना के अन्त तक पूरा बकाया कार्य निपटा दिया जायेगा।

रेलपथ का नवीकरण

17. रेलें उच्च घनत्व वाले मार्गों पर विद्युत कर्षण अपना रही हैं। जिन मार्गों को प्राथमिकता दी गयी है उनमें से पश्चिम रेलवे के दिल्ली-बम्बई मार्ग को पहले ही पूरी तरह विद्युतीकृत कर दिया गया है और दिल्ली-मद्रास तथा बम्बई-हवड़ा मार्गों को 1989-90 के अन्त तक विद्युतीकृत कर दिये जाने की संभावना है। जहां तक मध्य रेलवे के दिल्ली-बम्बई मार्ग का संबंध है, दिल्ली से भोपाल तक तथा बबई से भुसावला तक विद्युत कर्षण उपलब्ध है। आठवीं योजना के प्रारम्भ तक इस मार्ग को पूरी तरह विद्युतीकृत कर दिये जाने की संभावना है। कम आबंटनों के बावजूद, सातवीं योजना में कुल 3.150 किलोमीटर मार्ग को विद्युतीकृत किये जाने की सभावना हैं, जो कि छठी योजना में विद्युतीकृत किए गए कुल किलोमीटर मार्ग का दो गुना है। सातवीं योजना के अन्त तक हमारी बड़ी लाइन का लगभग 33 प्रतिशत रेलपथ विद्युतीकृत हो चुका होगा।

रेल विद्युतीकरण

18. जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, भारतीय रेलों ने प्रौद्योगिकी के व्यापक उन्नयन के लिए अनेक उपाय किये हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए सदन को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई **प्रौद्योगिकी की उन्नयन** प्रगति से अवगत कराना चाहूंगा।

18.1 रेलपथ के लिए हम उच्च तनन क्षमता वाली रेल पटरियों, बेहतर झलाई तकनीकों और पूर्वप्रबलित कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग कर रहे हैं। अनुरक्षण और नवीकरण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आधुनिक मशीनों का अधिकतम इस्तेमाल किया जा रहा है। मौजूदा पटरियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए दो रेल रिप्रोफाइलिंग मशीनों की खरीद की गयी है और उनके शीघ्र ही काम मे लगाये जाने की संभावना है। एक कम्प्यूटरयुक्त स्वनोदित पराश्रव्य रेल पटरी दोष संसूचक कार भी प्राप्त की गयी है। इससे दोषपूर्ण रेल पटरियों का समय पर ही पता लगाने और उन्हे बदलने में सहायता मिलेगी।

रेलपथ

18.2 दो स्टेशनों पर सालिड स्टेट अन्तर्पाशन प्रणाली के विकास और उसके सफलतापूर्वक परीक्षणों के आधार पर अब 38 और स्टेशनों पर यही प्रणाली शुरू करने की योजना है।

सिगनल एवं दूरसंचार

18.2.1 दिल्ली-मुगलसराय व्यस्त खंड पर गाड़ी कर्मी दल तथा गाड़ी नियन्त्रण कक्ष के बीच रेडियो सम्पर्क उपलब्ध कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस खण्ड पर चुनी हुई गाड़ियों में गार्ड और ड्राइवर के बीच सीधे सम्पर्क की व्यवस्था भी की जायेगी।

18.2.2 चर्चगेट और विरार के बीच आप्टीकल फाइबर संचार प्रणाली पहले ही स्थापित की जा चुकी है। बम्बई वी टी-कल्याण खण्ड पर यह कार्य प्रगति पर है। चालू वर्ष में लगभग 700 किलोमीटर लम्बाई वाले तीन खंडों पर कार्य शुरू किया गया है।

18.2.3 गहन उपयोग वाले टर्मिनलों और जंक्शन स्टेशनों की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली क्षेत्र में "गाड़ी संसूचक प्रणाली" की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है और इसके 1990 के मध्य तक पूरा हो जाने की संभावना है। 1989-90 में मद्रास क्षेत्र के लिए भी ऐसी ही सुविधा सबंधी कार्य करने का प्रस्ताव है।

रेल इन्जन

18.3 जहाँ तक चल स्टाक की प्रौद्योगिकी के उन्नयन का संबंध है, थाईरिस्टर नियन्त्रित 6000 अश्व शक्ति वाले अठारह रेल इन्जन प्राप्त हो गए हैं और उनका परीक्षण चल रहा है। यह भी विनिश्चय किया गया है कि 3-फेस अतुल्यकालिक प्रौद्योगिकी वाले, मालगाड़ियों के 30 और सवारी गाड़ियों के 10 रेल इन्जन खरीदे जाएं।

सवारी डिब्बे

18.4 हमने हाल ही में उच्च गति वाले 42 सवारी डिब्बों के लिए आर्डर दिया है। इन सवारी डिब्बों के डिजाइन में हलका भार, क्षरण-रोधी तत्व, बेहतर वायुगति और आधुनिक अवलम्बन प्रणाली जैसी विशेषताएं हैं।

2×25 के. वी. प्रौद्योगिकी

18.5 इस समय हमारा विद्युतीकरण 25 के वी-ए सी, 50 चक्र प्रणाली पर आधारित है। हाल ही से प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के कारण एक नयी 2×25 के. वी. आटो-ट्रांसफारमर प्रणाली अब उपलब्ध है और यह विदेशों में कुछ प्रमुख रेल प्रणालियों पर उपयोग में लायी जा रही है। इसे भारतीय रेलों पर परीक्षण के तौर पर अपनाये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

अनुसंधान और विकास

18.6 जैसा कि सदन को ज्ञात है, अनुसंधान और विकास को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी प्रगति अन्ततोगत्वा स्वदेशी प्रौद्योगिकी को तैयार करने में हमें मिलने वाली सफलता पर निर्भर करेगी। बदलते हुए परिवेश के अनुरूप अपना दायित्व निभा सकने के लिए, न केवल अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन का पुनर्गठन किया गया है बल्कि यह भी विनिश्चय किया गया है कि प्रत्येक उत्पादन कारखाने में अलग से एक अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना की जाये। अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन में अनुसंधाये एवं विकास सम्बन्धी सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए समवेत योजना अवधि में 280 करोड़ रुपये के निवेश की व्यवस्था की गयी है ताकि यह भावी पीढ़ी की रेल प्रणालियों के स्वदेशी विकास के लिए यथार्थ रूप में एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में काम कर सके। एकीकृत विकास के लिए प्रमुख प्रौद्योगिक क्षेत्रों का पता लगाया गया है और मिशनपरक सहक्रिया समूहों की स्थापना की गयी है, जिनमें अनुसंधान, अभिकल्प एव मानक संगठन, उद्योग और उच्च शिक्षा केन्द्रों को शामिल किया गया है। कुछ क्षेत्रों में उत्साहवर्धक परिणाम पहले ही दिखाई पड़ने लगे हैं। माल डिब्बे के टेयर भार में 2 टन से भी ज्यादा कमी होने की प्रत्याशा है जिससे माल डिब्बों की वहन क्षमता में वृद्धि हो जायेगी। प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि डीजल इन्जनों की विशिष्ट ईंधन खपत में पर्याप्त कमी करने की गुंजाइश है। अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन के मेन फ्रेम कम्प्यूटर के व्यापक उपयोग के लिए किये गये विकासात्मक कार्यों में बहुत तेजी से प्रगति हुई है। कम्प्यूटर की सहायता से तैयार किये जाने वाले अभिकल्पों, अनुसंधान और माइक्रोप्रोसेसर पर विकासात्मक कार्य के संबंध में भी इसी प्रकार की प्रगति हुई है। अगली पीढ़ी के मोटर आमान के चल स्टाक के लिए माल डिब्बों, सवारी डिब्बों और रेल इन्जनों के अभिकल्प का कार्य भी चल रहा है। ऐसी सम्भावना है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र म इस प्रगति का आगामी दशक में रेलवे की कार्य प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

19· रेलों पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊर्जा की बचत का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। रेलों द्वारा इस क्षेत्र में किये जाने वाले उपायों की ओर लगभग दो वर्ष पहले विशेष

रूप से ध्यान दिया गया था । इन उपायों में भाप रेल इंजनों को तेजी से

ऊर्जा की बचत

समाप्त करना, डीजल रेल इंजन उप प्रणाली का बेहतर रख-रखाव, उच्च गति डीजल और स्नेहक तेल की खपत की कम्प्यूटर द्वारा निगरानी इंजनों के लिए ऐसे उपायों का समावेश करना जिससे उन्हें कम से कम समय के लिए निष्क्रिय खड़ा रहना पड़े, रेल और फ्लैंज स्नेहकों का प्रयोग और प्रमुख रेल सस्थापनाओं का ऊर्जा अंकेक्षण आदि शामिल हैं । वास्तव में सातवीं योजना के दौरान 2,000 भाप रेल इंजनों को नाकारा करने का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है जो कि निर्धारित समय से डेढ़ वर्ष पहले ही पूरा हो गया है। हम इस गति को बनाये रखना चाहते हैं ताकि 2000 ईस्वी से पहले ही भाप रेल इंजनों को रेल सेवा से पूरी तरह हटाया जा सके ।

19.1 पूरी रेल प्रणाली, रेलवे कालोनियों, स्कूलों और स्थापनाओं में ऊर्जा की बचत करने के लिए जोरदार अभियान चलाये जाते हैं और सभी स्तरों पर रेल कर्मचारियों को इस कार्य के लिए प्रेरित और उत्साहित किया जाता है । इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में किये गये किसी भी अच्छे कार्य को यथोचित मान्यता दी जाती है ।

19.2 इन सभी प्रयासों के उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं और 1987-88 में हम ऊर्जा की खपत में (प्रति हजार सकेल टन किलोमीटर कोयला यूनिटों के हिसाब से) 5% की कमी करने में समर्थ हुए हैं । हमें आशा है कि कमी की यह प्रक्रिया 1988-89 मे भी बनी रहेगी ।

20. 1987-88 में हमारे उत्पादन कारखानों का निष्पादन संतोषजनक रहा है । सभी उत्पादन कारखानों द्वारा 1988-89 में अपने उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लेने की संभावना है । वस्तुतः

उत्पादन कारखाने

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि चालू वर्ष 1988-89 में चितरंजन रेल इन्जन कारखाने के बिजली रेल इंजनों के उत्पादन में 33 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि होगी । 31 मार्च, 1988 को पहला सवारी डिब्बा तैयार होकर बाहर आने के साथ, कपूरथला के नये सवारी डिब्बा कारखाने में उत्पादन शुरू हो गया है ।

20.1 चल स्टाक की मांग को ध्यान में रखते हुए हमारे उत्पादन कारखानों में कुछ विस्तार करने का प्रस्ताव है। 22.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चितरंजन रेल इंजन कारखाने की क्षमता प्रति वर्ष 100 बिजली रेल इंजनों से बढ़ाकर 120 बिजली रेल इंजन कर दी जायेगी । 19.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी की क्षमता में प्रति वर्ष 10 और डीजल रेल इंजनों की वृद्धि और 31.9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पहिया और धुरा संयंत्र, बेंगलूरू की क्षमता प्रति वर्ष 70,000 से बढ़ाकर 85,000 पहिये करने का भी प्रस्ताव है ।

21. श्रीमन्, चालू योजना में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की वर्तमान महानगर परिवहन परियोजनाओं में प्रगति करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये गये हैं । विगत में अनेक अवसरों पर

महानगर परिवहन परियोजनाएं

मैंने सदन को सूचित किया है कि सरकुलर रेलवे परियोजना के लिए अपेक्षित मौजूदा रेलवे भूमि पर से अतिक्रमणों को हटाने और कलकत्ता मेट्रो परियोजना के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण भूखण्डों को सौंपे जाने में विलम्ब के कारण कलकत्ता क्षेत्र में दो परियोजनाओं की प्रगति में बाधा पड़ी है । बम्बई में, राज्य

सरकार और रेलों के संयुक्त वित्तीय प्रयासों से मानखुर्द-बेलापुर परियोजना की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है। थाणे क्रीक पर देश के सबसे लम्बे पूर्व प्रबलित कंक्रीट रेलवे पुल का निर्माण इस परियोजना की एक अनुपम विशेषता है। तैरने वाली केसन विधि द्वारा कूप नींव की ढलाई वाली निर्माण की नई तकनीक जिसमें पहले से ढाले गये केसन किनारे पर तैयार किए जाते हैं और उसके बाद विशेष अवगाहन-क्षम नौकाओं द्वारा निर्माण स्थल के लिए तैरा दिए जाते हैं, अपनाई गई है। मद्रास में, मद्रास बीच-लुज द्रुत पारगमन प्रणाली की प्रगति वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए उपलब्ध निधि के अनुरूप रही है।

21.1 द्रुत आर्थिक प्रगति और परिणामी शहरीकरण के साथ-साथ, दैनिक यात्रियों के परिवहन की मांग बहुत बढ़ रही है। नगर परिवहन परियोजनाओं में पूंजी निवेश इतना अधिक है कि किसी एक एजेंसी के लिए अपने ऊपर इसकी जिम्मेवारी लेना सम्भव नहीं है। अतः मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि संयुक्त प्रयासों से ही समाधान निकल सकता है जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें और शहरों के प्रशासन शामिल हों, जैसा कि सामान्यतया समूचे विश्व में होता है। मैं आशा करता हूं कि इस बड़ी समस्या को सुलझाने में सभी संबंधित शीघ्रता से सकारात्मक रुख अपनायेंगे अन्यथा यह हमें विकट स्थिति में डाल देगी।

22. श्रीमन्, रेलवे एक श्रम बाहुल्य संगठन है और इसकी सर्वाधिक मूल्यवान आस्ति इसकी जन-शक्ति है। उनकी सामर्थ्य और मनोबल पर हमारी सफलता निर्भर करती है।

कर्मचारी मामले

22.1 मैंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि रेल परिवार भारतीय रेलों पर विद्यमान सामान्य समृद्धि के वातावरण का अधिकाधिक लाभ महसूस करे। हमने रेलवे कार्य-कलापों में लगे उन रेल कर्मचारियों को, जो अपने जीवन में दिन-प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली चिन्ताओं और तनावों से प्रभावित हैं, राहत देने का उत्तरोत्तर प्रयास किया है। सेवारत कर्मचारियों की एक प्रमुख चिन्ता सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके परिवार के रहने के लिए मकान के निर्माण की है। रेल कर्मचारियों को स्व-वित्त व्यवस्था के आधार पर मकान के निर्माण में सहायता देने के लिए मैंने मंत्रालय को भूमि के अधिग्रहण, उसके विकास और निर्माण से सम्बन्धित अन्य कार्य-कलापों में रेल कर्मचारियों की मदद करने के लिए एक स्वतन्त्र शीर्षस्थ निकाय की स्थापना करने की व्यवहारिकता की जांच करने का निर्देश दिया है।

आवास

22.2 रेल कर्मचारियों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने पर विशेष महत्व दिया जा रहा है ताकि वे पर्याप्त प्रबन्धकीय और तकनीकी कौशल प्राप्त कर सकें। वर्ष 1987-88 के दौरान, विभिन्न संस्थानों में लगभग एक लाख रेल कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण

22.3 वर्ष 1987-88 के लिए 44 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता सम्बद्ध बोनस की घोषणा की गई जो अब तक का सर्वाधिक बोनस है।

उत्पादकता सम्बद्ध बोनस

22.4 कर्मचारी क्वार्टरों और अन्य सुविधाओं के लिए आबंटन दुगुने से भी अधिक रखा गया है। यह छठी योजना के लगभग 20 करोड़ रुपए के वार्षिक औसत की तुलना में सातवीं योजना में

कर्मचारियों के लिए क्वार्टर और सुविधाएं

लगभग 47 करोड़ रुपये हैं। मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 1989-90 के लिए आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करके इसे 65 करोड़ रुपये कर दिया जाये, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।

साक्षरता मिशन

22.5 निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसरण में इस वर्ष के दौरान रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय रेलों पर लगभग 400 प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं।

शैक्षणिक सुविधाएं

22.6 रेलवे शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं। हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई सहायता की सराहना करते हैं, जिनकी मदद से चालू वर्ष में अन्य 12 केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए मंजूरी प्राप्त की जा सकती है।

खेल-कूद गतिविधियां

22.7 राष्ट्रीय खेलकूद के क्षेत्र में भारतीय रेलों ने पिछले वर्ष में कायम किये गये 16 रिकार्डों को पार करते हुए वर्ष 1987-88 में 18 राष्ट्रीय खिताब जीतकर अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाये रखी। रेलों के तीन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

औद्योगिक सम्बन्धसोहम

23. वर्ष 1988-89 के दौरान रेलों ने श्रम संगठनों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखे। लगभग चार दशकों से अब तक भारतीय रेलों पर एक सुस्थापित स्थाई वार्ता तन्त्र कार्य कर रहा है। समवेत उद्यम समूहों की नियमित बैठकें होती हैं और उन बैठकों में एक ओर प्रबन्ध के प्रतिनिधि और दूसरी ओर अधिकारी और श्रम संगठन भाग लेते हैं जो सच्चे रूप में हमारी प्रणाली में विद्यमान सहयोग की भावना को प्रतिबिंबित करते हैं। हम श्रम संगठनों द्वारा निभाई गई उत्तरदायित्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका की सराहना करते हैं। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि अन्तिम विश्लेषण में, सफलता और विफलता के बीच अन्तर करने वाला "मशीन चलाने वाला मनुष्य" ही है। सातवीं योजना अवधि के अनुक्रम में यह चौथा वर्ष है जिसमें रेलवे का कार्य—निष्पादन बहुत अच्छा रहा है। मैं इस अवसर पर प्राप्त की गयी उपलब्धियों के लिए भारतीय रेलों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करना चाहूंगा जिसका अधिकांश श्रेय उन्हीं को जाता है। मेरा विश्वास है कि उनमें अवश्य उत्साह बना रहेगा और उनका मनोबल ऊंचा रहेगा ताकि वे राष्ट्र की सेवा में अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक पूरा करते रहें।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

24. मैं अब रेल मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा करना चाहूंगा। 1987-88 में, इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी (इरकान) ने 208·5 करोड़ रुपये का कारोबार करके रिकार्ड कायम किया तथा कर का भुगतान करने के बाद, 14.31 करोड़ रुपये का लाभ कमाया और लगभग 20 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की। चालू वर्ष में कम्पनी ने चार महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय ठेके प्राप्त किये अर्थात् मलेशिया और तुर्की में एक-एक ठेका तथा बांग्ला देश में दो ठेके। 1988 में, कम्पनी ने सात पुरस्कार प्राप्त किये, जिनमें वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा संस्थापित राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार और सर्वाधिक कारोबार तथा

अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इण्डिया पुरस्कार शामिल हैं।

24.1 वर्ष 1987-88 में रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज (राइट्स) ने कर का भुगतान करने के बाद 5.56 करोड़ रुपये का लाभ और 19.14 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करके उत्कृष्ट प्रगति बनाये रखी। चालू वर्ष में कम्पनी ने मैक्सिको, श्रीलंका और जोर्डन में अपने कार्य पूरे किये। इस समय उनके द्वारा जो एक बड़ा ठेका निष्पादित किया जा रहा है वह है—इराक में उच्च गति वाली रेल लाइन का परिचालन और अनुरक्षण। चालू वर्ष में कम्पनी ने घाना, नाइजीरिया और जिम्बाब्वे में पांच महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय ठेके प्राप्त किये हैं। 1988 में कम्पनी ने प्रौद्योगिकी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ट्राफी सहित तीन पुरस्कार प्राप्त किये।

24.2 भारतीय रेल वित्त निगम ने अब तक लगभग 960 करोड़ रुपये जुटाये हैं। इसने चालू वर्ष में तीसरी बार 600 करोड़ रुपए के रेलवे बांड जारी किये हैं। मैं इस पर पुनः बल देना चाहूंगा कि ये संसाधन रेलवे योजना के एक भाग हैं। इनसे कोई अतिरिक्त काम नहीं किया जा सकता।

24.3 अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू कंटेनरों की सम्हलाई के लिए अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं के जालतन्त्र का विकास करने के लिए 100 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी से भारतीय कंटेनर निगम की स्थापना की गई है।

24.4 रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस) रेल मन्त्रालय के अधीन एक सोसायटी के रूप में कार्य कर रहा है और यह भारतीय रेलों पर कंप्यूटर प्रणालियों के विकास में जुटा है माल गाड़ी परिचालन सूचना प्रणाली के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर हेतु आर्डर दिया जा चुका है और इसके शीघ्र स्थापित किए जाने की प्रत्याशा है। इस संगठन ने कई अन्य लाभप्रद/परियोजनाएं भी शुरू की है, जिनमें विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणालियों को एक-दूसरे से जोड़ने, अस्पताल प्रबन्ध प्रणाली के लिए साफ्टवेयर का विकास करने, कार्मिक प्रबन्ध प्रणाली और सवारी डिब्बा निगरानी प्रणाली और अनारक्षित टिकटों को जारी करने के कार्य शामिल हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

25. वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में रेल मन्त्रालय ने सोवियत संघ और फ्रांस की सरकारों तथा आस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे कमीशन के साथ तीन समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये। इन ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य पारस्परिक हित, चुनींदा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उन्नयन और हस्तांतरण तथा संयुक्त परामर्श सेवाएं प्रदान करना तथा तीसरे देशों की निर्माण परियोजनाओं के क्षेत्रों में अधिकाधिक सहयोग करना है।

1989-90 के बजट अनुमान

26. श्रीमन्, अब मैं अगले वित्तीय वर्ष 1989-90 के बजट अनुमानों का उल्लेख करूंगा। रेलवे योजना की राशि 4,450 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है और प्रारम्भिक टन भार के लिए 345 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 316 मिलियन टन राजस्वउपार्जक है। कुल यातायात निष्पादन का लक्ष्य 252 बिलियन शुद्ध टन किलोमीटर निर्धारित किया गया है।

26.1 यात्री यातायात में 3 प्रतिशत, फुटकर आमदनी में 4 प्रतिशत तथा सामान, पार्सल और अन्य प्राप्तियों में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। इस परिकल्पनाओं के आधार

पर और किराये तथा माल भाड़े की दरों के वर्तमान स्तर पर यातायात में सकल प्राप्तियां 9,757 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 के संशोधित अनुमानों से 381 करोड़ रुपये अधिक है।

26.2 साधारण संचालन व्यय 7,373 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 698 करोड़ रुपये अधिक है। अतिरिक्त धनराशि की जो मांग की जा रही है, वह अधिकांशतः कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धियों, महंगाई भत्ते के भुगतान, कोयले और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि, बढ़ी हुई गतिविधियों से संबंधित लागतों और भारतीय रेल वित्त निगम को देय पट्टा संबंधी किराये की दायिताओं को पूरा करने के लिए है।

2 .3 मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान को 1988-89 के 1,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1989-90 में 1,715 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

26.4 पेंशन निधि में अंशदान को भी चालू वर्ष के 550 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़ाकर अगले वर्ष में 700 करोड़ रुपये किया जा रहा है। सरकार ने पेंशनीय लाभों को उदार बनाने के संबंध में जो विभिन्न निर्णय लिये हैं, उनके अनुपालन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया है।

26.5 रेल अभिसमय समिति, 1985 रेलवे कार्य-संचालन के कई पहलुओं पर विचार कर रही है। रेल मंत्रालय द्वारा, रेलवे वित्त और सामान्य वित्त के बीच वित्तीय प्रबन्धों से संबंधित ज्ञापन, समिति के विचारार्थ प्रस्तु कर दिया गया है। इसी बीच, वर्ष 1988-89 की दर पर ही 1989-90 के लिए लाभांश की व्यवस्था की गयी है इस विषय पर समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने और उन पर विचार कर लेने के पश्चात्, संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव रखे जाएंगे।

26.6 साधारण संचालन व्यय में वृद्धि होने तथा रेलवे निधियों में अंशदान के कुल संचालन व्यय 9,788 करोड़ रुपये हो जाने की प्रत्याशा है। 100 करोड़ रुपये को शुद्ध विविध प्राप्तियों को लेखे में लेने के बाद शुद्ध राजस्व 69 करोड़ रुपये रह जायेगा जो 805 करोड़ रुपये की लाभांश दायिता पूरी करने के लिए अपर्याप्त होगा अर्थात् 736 करोड़ रुपये कम पड़ेंगे।

27. श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि सदन के सभी दलों के माननीय सदस्य यह पूर्णतः स्वीकार करेंगे कि यह रेलवे प्रणाली के दीर्घकालिक हित में है कि संगठन अपनी वित्तय अर्थ-क्षमता बनाये रखे। यदि सामान्य राजकोष को हम लाभांश का भुगतान न कर पाये तो सरकार के ससाधनों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, साधन-सामग्रियों की लागतों में वृद्धि हो जाने के कारण तथा योजनागत निवेश हेतु अधिकाधिक आन्तरिक वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए, दरों में कुछ समायोजन करना अपरिहार्य हो गया है। अतः दरों में कुछ परिवर्तन करने का मेरा प्रस्ताव है जो 1-4-1989 से लागू की जायेंगी।

टैरिफ प्रस्ताव

27.1 माल यातायात की दरों में 11 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तथापि, समाज के कमजोर और ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को राहत देने के लिए तथा विशेषतः किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, मैंने कतिपय वस्तुओं, अर्थात् खाने के नमक, फल और सब्जियां, गुड़ और खांडसारी, खाद्य तेल, तिलहन, खली, चारा, पशुधन और जैविक खादों को, इस वृद्धि से मुक्त रखने का निश्चय किया है।

27.2 कम दर वाली वस्तुओं के वर्गीकरण में संशोधन करके माल भाड़ा संरचना को भी युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। अभी सभी वस्तुओं का वर्गीकरण श्रेणी 80 और श्रेणी 300 के बीच है। इस समय न्यूनतम और अधिकतम श्रेणी दरों में बहुत अधिक अन्तर है। अतः खाद्यान्नों, दालों और उर्वरकों के वर्गीकरण में एक स्तर की वृद्धि की जायेगी तथा अन्य वस्तुओं के माल डिब्बा भार और गाड़ी भार वर्गीकरण में, जिन पर अभी श्रेणी 80 विशेष और श्रेणी 150 के बीच की दरों पर प्रभार कर लिया जाता है, दो स्तर की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

27.3 पार्सल और सामान की दरों में भी 11 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष जी, मुझे एक बात कहनी है :

आपने पानी पीया, मुझको पसीना आ गया,
हो न हो, मझधार में मेरा सफीना आ गया।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : अतः मैं 1.4.89 से प्रभावी होने वाले माल भाड़े में कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

27.4 जहां तक यात्री यातायात का संबंध है, रेल उपयोगकर्ताओं में मध्यम और निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, यात्री किरायों में वृद्धि करने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रस्तावों के लिए वित्तीय प्रयास

28. उपर्युक्त प्रस्तावों से 876 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है। इस लेखे में लेने और सामान्य राजकोष को 805 करोड़ रुपये के पूर्ण लाभांश का भुगतान करने के पश्चात्, 1989-90 का वित्तीय वर्ष 140 करोड़ रुपये के अधिशेष से समाप्त होने की आशा है। प्रक्षेपित अधिशेष, केवल विकास निधि को प्रभार्य निर्माण-कार्यों जैसे यात्री सुविधाओं, कर्मचारी कल्याण और आरक्षण के कंप्यूटरीकरण को निष्पादित करने के लिए यथेष्ट होगा।

रियायतें

29. पिछले दो वर्षों के दौरान, विभिन्न सुपात्र और अभावग्रस्त व्यक्तियों को रियायतें दी गई थीं। वे थे-युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले बहादुरों की विधवाएं, मूक और बधिर, किशोर अध्यापक, बच्चे, खिलाड़ी तथा संघर्ष में मारे गए पुलिस और भारतीय शांति सेना के जवानों की विधवाएं। ये रियायतें जारी रहेंगी। यह वर्ष नेहरु शताब्दी का वर्ष होने के कारण मैंने दूसरे दर्जे की यात्रा में और अधिक रियायतें देने का विनिश्चय किया है। ये हैं—

खेलकूद के प्रख्यात कोचों के लिए

द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को-50 प्रतिशत की रियायत।

शूरवीरों के लिए

देश की रक्षा में साहस और वीरता का परिचय देने वाले वीर चक्र और अशोक चक्र श्रेणी के पुरस्कार प्राप्त सभी वीरों तथा मरणोपरांत ऐसे ही पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं को-50 प्रतिशत की रियायत।

बहादुरों के लिए

वीरता हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक और भारतीय पुलिस पदक प्राप्त करने वाले वीरों को, जिन्होंने सेवा में शौर्य और निर्भयता का प्रदर्शन किया है-50 प्रतिशत की रियायत।

वरिष्ठ नागरिकों के प्रति आदर और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए

500 कि. मी. से अधिक दूरी की यात्रा के लिए, 65 वर्ष और इससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को-25 प्रतिशत की रियायत।

30. श्रीमन्, 15 अगस्त, 1947 के दिन से-जब रात के 12 बजे उपनिवेशीय शासन से भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की-लगभग बयालीस वर्ष बीत चुके हैं। चार महत्वपूर्ण दशकों ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। एक राष्ट्र, एक देश के रूप में हमें अपनी शक्ति का अहसास हुआ है और हमारी कमजोरियां सामने आयी हैं। साथ ही हमने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं और हमें कुछ असफलताएं भी मिली हैं।

निष्कर्ष

30.1 भारतीय रेलों पर हमने जो एक प्रबंध व्यवस्था विकसित करने की कोशिश की है, वह है, कठिन और दुरुह मुद्दों को सुलझाने की सामर्थ्य और इसके परिणामस्वरूप लिये गये साहसी निर्णयों के आधार पर उनका कार्यान्वयन। परिवर्तन लाने के लिए हमें एक ओर उद्यमी राज्य व्यवस्था और दूसरी ओर विकासोन्मुख प्रबन्ध व्यवस्था स्थापित करने का निरन्तर प्रयास करना है। प्रधानमंत्री जी से हमें जो निरंतर प्रोत्साहन मिला है, उससे हमे स्फूर्ति मिलती रही। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि उनसे माननीय सदस्यों से और जन सामान्य से प्राप्त समर्थन के कारण, रेलवे की गतिविधियों में नयी चेतना आयी है। आलोचना में भी, हमें समझदारी और सहानुभूति की एक प्रबल धारा महसूस हुई है। श्रीमन्, हमारा सौभाग्य है कि अपने साथी देश-वासियों की हमारे प्रति ऐसी सद्भावनाएं है। हमें अपने गंभीर दायित्व का पूर्ण अहसास है और हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें अभी और लम्बा रास्ता तय करना है। यह परिवर्तन रातों-रात नहीं आ सकता। यह ऐसी प्रक्रिया है, जिसे अनवरत जारी रखना है। अब तक प्राप्त समर्थन और सद्भाव से हमें विश्वास है कि हम भावी चुनौतियों का सामना कर पायेंगे और एक ऐसी आधुनिक और कुशल रेल प्रणाली की स्थापना कर सकेंगे जिस पर सारे राष्ट्र को गर्व हो।

31. श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन में 1989-90 का रेल बजट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित होती है तथा 2.15 म. प. पर पुन: समवेत होगी।

1.15 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.15 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.20 म. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.20 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेंगे।

(एक) जनगणना निदेशालय में 1961 में बनाए गए अस्थायी पदों को समाप्त करने वाले आदेश को वापस लिए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री के. एन. प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में हर दस वर्षों में जनगणना की जाती है। इसके लिये हर राज्य में जनगणना निदेशालय है जिसके पद केन्द्रीय सरकार स्वीकृत करती है।

1961 में जनगणना निदेशालय में कार्य करने हेतु अस्थाई पद स्वीकृत किये गये थे तथा विभिन्न विभागों से आये कर्मचारी उन पदों पर तभी से कार्य करते आ रहे हैं। इस बीच अधिकतर कर्मचारी एक-एक पदोन्नति भी पा चुके थे।

अब इन पदों के अचानक केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। यह अपने पैरेन्ट डिपार्टमेंट में छोटे पदों पर ही जा सकेंगे और उनको मिलने वाले वेतन तथा अन्य भत्तों में भारी कमी आ जायेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि 1991 को जनगणना की तैयारी के लिये 8-10 माह बाद पुन. इन पदों को फिर भरना पड़ेगा। अब केन्द्र सरकार ऐसे आदेश को वापस लेकर इन कर्मचारियों के साथ होने वाले अन्याय को समाप्त करे।

(दो) पेय जल परियोजनाओं के लिए अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

डा. फूलरेणु गुहा (कन्टाई) : अनेक गांव पेयजल की कमी से प्रभावित हैं। यह कहा जाता है कि पेयजल परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि नहीं दे रही है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करे और पेय जल परियोजनाओं के लिए धनराशि दे।

(तीन) उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद में एक कैंसर संस्थान खोले जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार लगातार प्रतिवर्ष कैंसर से ग्रस्त रोगियों तथा उससे मरने वाले लोगों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उस अनुपात में कैंसर से बचाव, निदान तथा उपचार हेतु सरकार द्वारा उचित व्यवस्था अब तक नहीं की जा सकी है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही न्यून है, लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। अभावग्रस्त दयनीय जीवन बिताने वाले हजारों की संख्या में निदान और उपचार की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण असमय मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। कैंसर उपचार की उपयुक्त व्यवस्था राज्य सरकार अपने सीमित साधनों से करने में असमर्थ है। ऐसी परिस्थिति में पूर्वी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए एक क्षेत्रीय कैंसर संस्थान खोलना आवश्यक है।

मैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूं कि अविलम्ब उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपद बस्ती में स्थित खलीलाबाद में एक क्षेत्रीय कैंसर संस्थान खोलने की कृपा करें ताकि वहां पर निवास करने वाली गरीब जनता का उपचार समय से हो सके।

(चार) भूजल संगठन को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री जी. एस. बासवराजू (टुमकुर) : केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत कर्नाटक में भूमिगत जल संगठन को मजबूत करने के लिए 1988-89 के दौरान 8,99,517 रुपये के उपकरण खरीदने हेतु कर्नाटक सरकार ने 20 मई 1987 को यह मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा था। राज्य सरकार ने आयात लाइसेंस तथा 13 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा देने का अनुरोध भी किया था। इस बारे में केन्द्र सरकार ने अभी तक अपना निर्णय नहीं बताया है।

मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में कार्यवाही करें।

(पांच) गुजरात के किसानों के फसल बीमा दावों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाना।

[हिन्दी]

श्री शांति लाल पटेल (गोधरा) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्य में लगातार 3 वर्षों तक सूखा पड़ने के कारण गुजरात के किसान बहुत कठिन स्थिति में पड़ गये हैं। वर्ष 1986 के खरीफ मौसम के अधिकांश फसल बीमा दावों का वर्ष 1988 के अप्रैल के माह में ही निपटान हो पाया था। भुगतान में विलम्ब के कारण किसानों में घोर असंतोष व्याप्त है। राज्य के किसान वर्ष 1987 के खरीफ मौसम के फसल बीमा दावों की समय पर अदायगी की मांग कर रहे हैं। वर्ष 1987 के खरीफ मौसम के दावों का यदि और विलम्ब से निपटारा होगा तो व्यापक पैमाने पर आन्दोलन हो हो सकता है।

अपेक्षित उपज सम्बन्धी आंकड़े, जो वर्ष 1987 के खरीफ मौसम के फसल काटने के अनुभव पर आधारित हैं, राज्य सरकार द्वारा साधारण बीमा निगम को भेजे जा चुके हैं। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के कदम उठाने चाहिए कि फसल बीमा दावों का शीघ्रता से निपटान किया जाय।

(छ) ग्रामीण बेरोजगारी दूर किए जाने और ग्रामीण लोगों की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए जाना।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत गांवों का देश है। इन गांवों में 70 प्रतिशत किसान व मजदूर बसे हुए हैं लेकिन गांवों की हालत दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है जिससे किसान व मजदूर दोनों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कृषि घाटाकर होती जा रही है। किसान और मजदूर दोनों वर्ग के नौजवान गांव छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। देश में बेकारी का अम्बार लग गया है जिसके कारण देश की एकता, अखंडता को भी खतरा नजर आने लगा है। अगर देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है तो गांव का विकास तेजी से करना होगा। बाढ़ों को रोकने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाने होंगे तथा विकास योजनाओं को गांव स्तर तक ले जाना होगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा व गांवों में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोल कर गांवों से नौजवानों को बाहर जाने से रोकना होगा तभी गांवों से भुखमरी व बेरोजगारी दूर होने की कुछ आशायें हो सकती हैं। सरकार को तुरन्त इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

(सात) उड़ीसा के गंजम जिले में एक कृषि कालेज स्थापित किए जाने की संभाव्यता का अध्ययन किए जाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विशेषज्ञों का एक दल भेजे जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उड़ीसा राज्य में गंजम जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। इस क्षेत्र के लोग कठोर परिश्रम करने वाले हैं तथा सभी तरह की कठिनताओं में भी खेतों में काम करने से नहीं चूकते हैं। वस्तुतः उनका मुख्य कार्य कृषि है। जिले के छात्र इस जिले में एक कृषि कालेज स्थापित करने के लिए आन्दोलन करते रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिले में कृषि कालेज खोलने की संभावना हेतु आवश्यक आंकड़े एकत्रित करे। ऐसी संस्था क्षेत्र के छात्रों को कृषि के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक सुविधाएं देने में काफी सहायक सिद्ध हो सकती है। इस कालेज के खुलने पर इसे उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाए।

मैं सुझाव देता हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को यह दायित्व सौंपा जाए कि वह कृषि विशेषज्ञों का एक दल जिले में भेजे और उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा उड़ीसा सरकार की सलाह से एक कालेज स्थापित करने की संभावना का पता लगाए।

जिले में एक कृषि कालेज खोलने की मांग काफी पुरानी है। केन्द्र सरकार को इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए तथा शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

(आठ) भारत एल्युमीनियम कम्पनी के मुख्यालय को दिल्ली से मध्य प्रदेश में बिलासपुर या कोरबा में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डा. प्रभात कुमार मिश्र (जांजगीर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश कोरबा में बाल्को प्लांट स्थित है एवं वहीं एक बाल्को का कारखाना भी है जो कि लाभ में चल रहा है। सारे देश में बाल्को

के दो ही प्लान्ट हैं जिनमें कोरबा का प्लान्ट प्रमुख है परन्तु विडम्बना यह है कि इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है जिसके कारण अधिकारियों को प्रत्येक कार्य के लिए दिल्ली आना पड़ता है जिससे बहुत ज्यादा खर्चा होता है तथा काम का नुकसान होता है। यदि मुख्यालय बिलासपुर या कोरबा में स्थापित कर दिया जाए तो अधिकारियों का बार बार का दौरा कम होगा तथा दौरे पर उठने वाला खर्च भी कम होगा तथा काम का हर्जा भी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त बाल्को पर आधारित उद्योग भी वहां पर स्थापित हो सकेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार नाल्को का मुख्यालय उड़ीसा में ले जाया गया है, उसी प्रकार बाल्को का भी मुख्यालय बिलासपुर या कोरबा में ले जाया जाये।

2-28 म. प.

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक-जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 22 फरवरी, 1989 को श्री एस. बी. चव्हाण द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार प्रारम्भ करेगी :—

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर विधेयक। अधिनियम, 1958 और प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री एस. बी. चव्हाण अपना उत्तर जारी रखें।

वित्त मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : महोदय, कल मैंने इस सभा में माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट की गई शंकाओं के सम्बन्ध में विद्यमान स्थिति बताई थी। मैं इस बारे में कुछ और भी कहना चाहूंगा।

पहले तो मैं धन-कर की मूल्यांकन व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। विपक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि धन-कर के मूल्यांकन तथा इसके लिए की जाने वाली प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि एक आम आदमी यह समझ सके कि नियम क्या हैं और अनुसरण करने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं ताकि अपनी कर सम्बन्धी विवरण भरने के लिए उसे किसी कर सलाहकार के पास न जाना पड़े। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि धन-कर के अन्तर्गत मूल्यांकन से कोई आम आदमी प्रभावित नहीं होगा। एक विशेष सीमा के बाद ही व्यक्ति धन कर से संबंधित विवरण भरेंगे। प्रक्रिया बना दी गई है और यह नियम 7 में निहित है जो कि अचल सम्पत्ति के बारे में पूर्णतया स्पष्ट है चाहे यह मुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्ति हो या पट्टाधृति सम्पत्ति हो अथवा यह अर्जित सम्पत्ति हो। यह तीनों ही इस प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 को पृष्ठ 41 पर भाग ख में स्पष्ट किये गए हैं। इसमें अचल सम्पत्ति के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है। मैं इसे उद्धृत करता हूं :—

"3, नियम 4, नियम 5, नियम 6, नियम 7 और नियम 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए धारा 7 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति का मूल्य, जो भवन या उससे संलग्न भूमि है या उसका भाग है वह रकम होगी जो शुद्ध संधार्य किराए को अंक 15.5 से गुणा करके आए :

परन्तु किसी ऐसी सम्पत्ति के संबंध में जो किसी पट्टाधृति भूमि पर सन्निर्मित है यह नियम ऐसा प्रभावी होगा मानो अंक 12.5 के स्थान पर—

(क) जहां ऐसी भूमि के पट्टे की अनवासित अवधि 50 वर्ष या अधिक है, वहां अंक 10.0 रख दिया गया है; और

(ख) जहां ऐसी भूमि के पट्टे की अनवसित अवधि 50 वर्ष से कम है वहां अंक 8.0 रख दिया गया है ;

परन्तु यह और कि जहां ऐसी सम्पत्ति 31 मार्च, 1974 के पश्चात अर्जित की गई है या जिसका सन्निमार्ग पूरा किया गया है वहां यदि इस प्रकार निकाला गया मूल्य अर्जन की लागत या सन्निर्माण की लागत जिसे दोनों ही मामले में ऐसी सम्पत्ति में किए गए किसी सुधार की लागत को जोड़ दिया गया है, कम है तो इस प्रकार दर्शित यथास्थिति अर्जन को लागत या सन्निर्माण की लागत इस नियम के अधीन सम्पत्ति का मूल्य मानी जाएगी।"

अत: यह खण्ड 3 इस बारे में पूर्णतया स्पष्ट है कि इन सब की गणना किस प्रकार की जानी है। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। यथार्थ किराए के संबंध में खण्ड 4 पूर्णतया स्पष्ट है। मैं नहीं समझता कि यहां किसी प्रकार की अस्पष्टता की गुंजाइश है तथा इसीलिए मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि माननीय सदस्य ने यह कहते हुए क्या सोचा था कि सारा मामला इतना पेचीदा है कि आम लोग यह नहीं समझ पाते कि उपबन्ध क्या हैं और इसी वजह से वे कर सलाहकारों के पास जाने को बाध्य हो जाते हैं और बाद में उनके माध्यम से अपने कर विवरण जमा कराते हैं।

मेरे विचार से इस प्रकार की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।

माननीय श्री व्यास ने भूतपूर्व नरेशों के जेवरातों और जेवरातों की कीमत के मुद्दे को उठाया है। इन जेवरातों का मूल्यांकन कौन करेगा ? यदि जेवरातों का मूल्य 5 लाख से कम है तो उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है परन्तु यदि उनका मूल्य 5 लाख से अधिक है तो जागीरदार अथवा नरेश के पास उन जेवरातों का सही मूल्य निर्धारित करने का उत्तरदायित्व विशेषज्ञों को सौंपा जाता है। मैं नहीं समझता कि इस बारे में किसी अस्पष्टता अथवा गलत व्याख्या की गुंजाइश है। यह हो सकता है कि विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता के बारे में ही मतभेद उत्पन्न हो जाये। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। परन्तु मैं समझता हूं कि मामले को एक बार विशेषज्ञों को सौंपने के बाद हम उनके मूल्यांकन को मानने के लिए बाधित हैं जब तक कि इस बारे में कोई प्रथम दृष्ट या साक्ष्य न मिले कि ऐसा बदनीयती से किया गया है यदि यह प्रमाणित नहीं किया जाता है तो सरकार साधारणत मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है।

श्री एच. एम. पटेल द्वारा एक अन्य मुद्दा भी उठाया गया है। वे एक समय वित्त मंत्री थे और इसीलिए इस मुद्दे को स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि इन नियमों को एक नियम के रूप में रखने के बजाय संविधि का अंग क्यों बनाया गया है। मेरा ध्यान भी इस मुद्दे पर जाता है। परन्तु हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि नियमों के बारे में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार की व्याख्या में दी जा रही थी। इस बारे में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए और मामला बिलकुल स्पष्ट होना चाहिए। इसीलिए इस मामले को यहां लाया गया है। मैं भली प्रकार यह

समझता हूं यदि अलग से नियम बनाये जाते हैं तो उनमें अधिक लचीलापन रहता है। यदि संविधि के अन्तर्गत नियम बनाए जाते हैं तो उससे सरकार को नियम बनाने की अधिक शक्ति प्राप्त होती है। परन्तु मैं समझता हूं कि हमने अपनी शक्तियां को कम कर दिया है और उसे सदन के सामने ला दिया है। वास्तव में यह सरकार के लिए एक कठिन कार्य होगा क्योंकि यदि नियमों में कोई परिवर्तन करना होगा तो हमें इस सदन के द्वारा नियमों में संशोधन करना होगा। परन्तु यह बात सम्बन्द्ध दल के विरुद्ध नहीं है। इसीलिये मैं उनके मुद्दे को सही तरह से नहीं समझ पाया हूं। संभवत वे यह कहना चाहते थे कि सरकार के पास नियम बनाने की और अधिक शक्तियां होनी चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं परन्तु इन विशेष मामलों में बनाये जा रहे नियमों के बारे में बहुत सी व्याख्यायें दी गई थी इसीलिए हमने इसे संविधि के अन्तर्गत लाना आवश्यक समझा।

एक अन्य महत्वपूर्ण उपबन्ध जो वास्तव में एक विवाद का विषय था वह था धार्मिक और दानशील न्यासों और उन न्यासों में निवेश की गई राशि की दुरुपयोग को संभावना के बारे में था। इस मुद्दे का उल्लेख माननीय सदस्य श्री व्यास द्वारा किया गया था। मुझे खेद है कि वे यहां उपस्थित नहीं है। मुझे उनके द्वारा उठाये गये मुद्दे को स्पष्ट करना था।

माननीय सदस्य श्री एच. एम. पटेल द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है कि क्या इसका कोई भूतलक्षी प्रभाव पड़ेगा। खंड का अध्ययन करने पर मैं समझता हूं कि इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि इस खंड की इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है कि इसका कोई भूतलक्षी प्रभाव पड़ेगा मैं नहीं समझता कि हमारा ऐसा करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1987 अधिनियम के समय जब विधेयक को पारित किया जा रहा था तो मेरे पूर्वाधिकारी ने सदन में एक आश्वासन दिया था कि हम धार्मिक और धर्मार्थ न्यासों के लिए उपबन्धों में संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं। अतः इस बारे में शायद ही कोई गुंजाइश है कि उस समय के दौरान कुछ व्यक्तियों ने न्यासों को पंजीकृत कराया होगा और इसीलिए इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाये। परन्तु यदि मैंने माननीय सदस्य श्री एच. एम. पटेल की बात को ठीक प्रकार से समझा है तो वे मुझसे यह मालूम करना चाहते थे कि इसका भूतलक्षी प्रभाव होगा अथवा नहीं। मैं इस बात को पूर्णत स्पष्ट करता हूं कि इसे भूतलक्षी बनाने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं है क्योंकि सरकार के आशय को स्पष्ट कर दिया गया था। ऐसे कुछ न्यासों के मामले में न्याय की विफलता की शायद ही कोई संभावना है, जिन्होंने इस प्रकार के परिवर्तन के बारे में न जानते हुए अपना पंजीकरण कराया है। इसीलिए सरकार की इच्छाओं को जानने के बाद यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो मैं नहीं समझता कि वह इस धारा के अन्तर्गत किसी लाभ का दावा कर सकता है। इसीलिए इसका अग्र-दृष्टि प्रभाव होगा भूतलक्षी प्रभाव नहीं।

एक अन्य अच्छी विशेषता यह है कि हमने इस उपलब्ध में न्यासों के लिये सुरक्षापायों का समावेश किया है। वास्तव में सरकार के ध्यान में ऐसे मामले लाए गए है कि व्यापार सम्बन्धी कार्यों के लिए धनराशि का उपयोग किया जा रहा था और इस कार्य के लिए कुछ न्यासों का उपयोग किया जा रहा था। परन्तु अब विधेयक के उपबन्धों में ही इस बात को पूर्णत: स्पष्टत कर दिया गया है कि आप व्यापार कर सकते है और व्यापार से होने वाले लाभ को न्यास में जमा किया जायेगा बशर्ते उस व्यापार का लाभ भी न्यास के उद्देश्यों से आनुषंगिक हो। यदि यह आनुषंगिक नही है तो भी आप व्यापार के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु उस पर कर लगेगा यदि छूट लाभ उठाना है तो उसे न्यास के उद्देश्यों से आनुषंगिक करना चाहिए और इस मामले में भी इस बात को पूर्णत स्पष्ट किया गया है।

न्यासों के बारे में रखी गई अन्य शर्तें यह हैं कि धन को विशेष परिसम्पत्तियों में ही रखा जाना चाहिए। धन का उपयोग केवल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही किया जायेगा, आपका समय केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यदि व्यवसाय से होने वाली आय का उल्लेख उद्देश्य से तदरूप नहीं है तो उसमें छूट नहीं दी जायेगी सभी न्यासों को लेखा परीक्षण किये हुए खाते रखने होंगे और अनुमोदन अथवा नवीनीकरण के समय विभाग उनकी जांच करेगा। वास्तव में यह छूट सदा के लिए नहीं दी गई है जैसा कि पहले किया गया था। अब आपको दी गई छूट के नवीनीकरण के लिए नियमित अन्तराल के बाद आना होगा और अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह यह जांच करे कि इस धारा के अन्तर्गत जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है उन शर्तों का इन लोगों ने ईमानदारी से पालन किया है जो इस धारा के अन्तर्गत छूट पाना चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया अगला मुद्दा 20 प्रतिशत उस अतिरिक्त कर के बारे में है जिसे इस धारा 141(1क) के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है यदि मूल्यांकित आय और घोषित आय में कुछ भिन्नता है। और हमने भी यह कहा है कि चूंकि हम एक ऐसी नई प्रणाली आरम्भ कर चुके हैं जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा स्वैच्छिक विवरण को स्वीकृत किया जायेगा हम 97 प्रतिशत मामलों में निर्धारिती द्वारा दर्ज किए गए विवरण को स्वीकार करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, मुश्किल से 3 प्रतिशत मामले ही ऐसे हैं जिनमें नियमित रूप से जांच की जायेगी। अतः यह उन व्यक्तियों पर पूर्णत विश्वास करने का एक मामला है जो अपने विवरण दर्ज करने आ रहे हैं। और इसीलिये इन रियायतों के दुरुपयोग की संभावना को दूर करने के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया गया है और यदि किसी प्रकार की गणना सम्बन्धी गलती भी की जाती है तो उसे 20 प्रतिशत अधिक कर की अदायगी करनी होगी। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि उसने जान बूझकर उस आय को छिपाया है जो उसे विवरण में दर्शानी चाहिए थी तो निश्चित रूप से भारी दंड दिया जाता है। पहले यह दंड 200 प्रतिशत था जिसे बढ़ाकर 300 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि कुछ ऐसे तत्वों द्वारा आरम्भ की गई नई प्रणाली के उद्देश्य को विफल न किया जा सके जो इस उदार उपबन्ध का लाभ उठाना चाहते हैं। अतः इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार की इच्छा स्पष्ट है और माननीय सदस्य श्री एच. एम. पटेल ने एक और मुद्दा उठाया था कि पहले अपील की व्यवस्था है अथवा नहीं। मैं समझता हूँ कि सुधार के उपलब्ध के अन्तर्गत वह मूल्यांकन करने वाले अधिकारी के पास जा सकता है और यदि वह निर्णय से खुश नहीं है तो निश्चित रूप से अपील करने के उपबन्ध की व्यवस्था है। अतः वह एक ऐसा सहारा है जिसका वह लाभ उठा सकता है और मैं नहीं समझता कि इसके अन्तर्गत किसी प्रकार का अन्याय हो सकता है।

श्री अमल दत्ता द्वारा एक मामले के बारे में एक मुद्दे को उठाया गया था जिसका उन्होंने हवाला दिया था। वह मामला नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक के बारे में है क्योंकि एक जांच लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। उनके अनुसार सरकार को 8 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। माननीय सदस्य को यह याद होगा कि इस योजना को आरम्भ करने से पहले स्वैच्छिक मूल्यांकन की एक और योजना थी। विवरणी दर्ज की जाती थी। पहले सीमा 25 हजार रुपये की थी जिसे बढ़ाकर 50 हजार रु. और पुन बढ़ाकर 1 लाख रु. कर दिया गया था। इसकी अधिकतम राशि 2 लाख रुपये थी। अतः इस प्रणाली को लागू किया गया था। मैं यह नहीं जानता कि उन्होंने किस तर्क के आधार पर यह निर्णय लिया है। यदि दर्ज किये गये विवरणों की उचित जांच की गई होती तो सरकार लगभग 8 करोड़ रुपया वसूल चुकी होती। इससे वास्तव में यह स्पष्ट होता है

कि सरकार द्वारा लिये गये नीति निर्णय के बारे में वे अधिकारी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जो यह कह रहे हैं कि उन्हें 8 करोड़ रुपये की हानि हुई है। यह एक अलग बात है कि यह सही है अथवा गलत। मैं नहीं समझता कि इस बारे में कोई व्यक्ति प्रश्न उठा सकता है। मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा यह समझबूझकर स्वैच्छिक निर्णय लिया गया था और निर्धारितों के लिए स्वैच्छिक विवरण दर्ज करने के विकल्प की व्यवस्था की गई थी।

श्री ग्रमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : मैंने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। क्या आप यह कह रहे हैं कि यह पता लगाने पर भी कि उस नीति के कारण सरकारी राजस्व को हानि हो रही है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सरकारी नीति के मामलों की जांच अथवा जनता के ध्यान में इस बात को लाना क्या उनका कर्त्तव्य नहीं है कि नीति का पालन करने से राजस्व को इतनी अधिक हानि हो रही है।

श्री एस. बी. चव्हाण : मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया होता किन्तु आप लोक लेखा समिति के सभापति भी है और मैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के विरुद्ध कुछ कहना नहीं चाहता। इस समस्या के बारे में मेरा यह विचार है कि जहाँ तक नीति संबंधी मामलों का संबंध है सरकार को इस बात का निर्णय लेने का पूरा अधिकार है कि क्या किया जाना चाहिए, और क्या सांविधिक रूप से लागू 97 प्रतिशत स्वैच्छिक कर निर्धारण का दावा किया जाना चाहिए अथवा नहीं। यह अन्ततोगत्वा इस सरकार का और सभा का अधिकार है। यदि कल को कोई यह सवाल करे कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को इतने धन का नुकसान हुआ है, और यही कारण है कि यह नीति सही नहीं है तो मेरे विचार से इस प्रकार के विचार प्रकट करना उनका अधिकार नहीं है।

श्री ग्रमल दत्ता : यदि हमें इस नीति का विरोध करना है तो हम किस प्रकार करेंगे ? जब तक कोई पुख्ता तौर पर इसे हमारी जानकारी में नहीं लाता, जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से किया है, तो हम अपना मत किस प्रकार बनाएंगे ? क्या हमें अपने विचार केवल आपसे उधार लेने होंगे।

श्री एस. बी. चव्हाण : क्योंकि नीतियां ज्ञात हैं इसलिए विचारों का पता है।

श्री ग्रमल दत्ता : किन्तु घाटा कितना है ?

श्री एस. बी. चव्हाण : जब सरकार कर-निर्धारण की विवरणों करने की स्वैच्छिक योजनाएं आरम्भ करने के बारे में निर्णय लेती है उस समय सरकार सोच विचार से निर्णय लेती है और उसके पश्चात् योजनाएं लागू होती हैं। अब यदि, कुछ लोगों द्वारा एक सांविधिक योजना को भी चुनौती दी जाती है, तो मेरे विचार से किसी भी व्यक्ति को मत कहने का अधिकार नहीं है कि यदि सरकार ने यह नीति न अपनाई होती तो सरकार को इससे अधिक वसूली होती। यह एक ऐसी बात है जिसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यह तो एक विचारधारा का मामला है इसलिए, मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि आयकर विभाग ने भी इसकी छानबीन की है। उन्होंने कहा है कि यह राशि नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक ने बतायी है। मैं इस विवाद में तो नहीं पड़ना चाहता कि नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक ने क्या कहा है। मैं केवल नीति निर्णयों के बारे में बात कर रहा हूं और मैं नहीं समझता कि कोई सरकार द्वारा लिए गए नीति संबंधी निर्णयों की चुनौती दे

सकता है जो उसने ऐसी घटनों की पूरी जानकारी के साथ लिए हों कि उसे कितने धन की लाभ या हानि हो सकती है।

श्री अमल दत्ता : सवाल यह है कि क्या आपको इन सभी घटनों के बारे में जानकारी थी।

श्री एस. बी. चव्हाण : हो सकता है, हमारी जो सीमाएं थी उनके अनुसार जानकारी हो। माननीय सदस्यों की भान्ति हमारी भी कुछ सीमाएं है। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं पूर्ण व्यक्ति हूं। अपनी जानकारी के अनुसार मैं कुछ मामलों पर निर्णय लेने का प्रयत्न करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब अगला मुद्दा अवधि को घटाए जाने के बारे में है अर्थात् यह दो वर्ष से घटाकर 6 मास किया गया है। मैं नहीं समझता कि दो वर्ष की अवधि को कम करके 6 मास किया गया है।

श्री अमल दत्ता : मैंने यह नहीं कहा।

श्री एस. बी. चव्हाण : तब शायद मैंने आपकी बात गलत सुनी।

श्री अमल दत्ता : 6 मास है किन्तु मांग के लिए समय को चार वर्ष से घटाकर अब दो वर्ष किया गया है।

श्री एस. बी. चव्हाण : मेरी नोटिंग के अनुसार यह अवधि दो वर्ष थी जिसे अब कम कर दिया गया है। यह अवधि पहले थी और यही अवधि अब भी है। मुख्य बात यह है कि 6 मास की अवधि की क्या प्रासंगिकता है। नई प्रणाली के अनुसार एक बार विवरणी भर देने के पश्चात 97 प्रतिशत को स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है, यदि कर-निर्धारण अधिकारी यह अनुभव करता है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए तो न केवल 6 मास के भीतर बल्कि उस वित्तीय वर्ष के दौरान सूचित करना चाहिए कि उस मामले में उन्हें त्रुटि नजर आयी है और इसलिए वह इस मामले की नियमित जांच करने जा रहे हैं और जांच के पश्चात उन्हें दो वर्ष की अवधि के भीतर आदेश पारित करने होते हैं इसलिए, दो वर्ष की अवधि संबंधित पार्टी को एक प्रकार का नोटिस देने के लिए रखी गई है कि अधिकारी प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक मामला पार्टी के विरुद्ध है और वह इस मामले की गहरी छानबीन के बाद भी इस पर निर्णय लेना चाहते हैं इसमें केवल यही बात है। मैं नहीं समझता कि इसमें समय अवधि या अन्य किसी बात से कोई विचलन है।

श्री अमल दत्ता : यह विचलन तो है ही किन्तु आप इसे उचित ठहरा रहे हैं।

श्री एस. बी. चव्हाण : ठीक है, यह एक सरकारी विधेयक है और मुझे यह सही ठहराना ही है।

अन्तिम बात लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने के बारे में है। इस बात पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। किन्तु, यदि मैं माननीय सदस्य को यह बताऊं कि हम यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम अधिक-से-अधिक लोगों को जानकारी दे रहे हैं ताकि उन्हें यह पता लग

सके कि क्या उपबन्ध है और उन्हें क्या करना है। मैं अभी भी यह देखता हूं कि इसमें सुधार की गुंजायश है। सुधार किए जाने और लोगों को बताए जाने की जरूरत है कि उपबन्ध क्या है और उन्हें अपनी विवरण किस प्रकार भरना है। हम उपलब्ध प्रचार साधनों का अधिक-से-अधिक लाभ उठा रहे हैं किन्तु मैं अब भी नहीं कह सकता कि यह सब पूर्ण है और इसमें सुधार की कोई गुंजायश नहीं है। सुधार की संभावना तो हमेशा ही रहती है।

मेरी अन्तिम बात पिछड़े क्षेत्रों के बारे में है उस माननीय सदस्य ने जिसने यह मुद्दा उठाया कहा कि कर संबंधी लाभों के इस साधन का लाभ पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी किया जाना चाहिए। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उन्हें पूर्ण जानकारी दे सकता हूं।

सबसे पहले, लघु उद्योगों के लिए रियायत का उपबन्ध है। विशेष कर पिछड़े क्षेत्रों में 20 प्रतिशत रियायत पहले से ही दी जा रही है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जो अधिकांश जनजातीय क्षेत्र है, रियायतें उपलब्ध हैं। चूंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिकांश जनजातीय क्षेत्र हैं, इसलिए, मैं नहीं समझता कि उन पर आयकर लगता है। उन्हें काफी रियायतें दी जाती है। पिछड़े क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कई रियायतें दी जाती है और वास्तव में हम उन पक्षकारों को, जो उस क्षेत्र में अपने उद्योग लगाना चाहते हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम उन्हें केन्द्रीय निवेश आर्थिक सहायता आयकर लाभ देते हैं तथा दीर्घावधिक संस्थानों से रियायती वित्त उपलब्ध कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में अपनी ईकाइयां लगाने के इच्छुक लोगों को इन प्रमुख रियायतों का पूरा लाभ उठाना चाहिए, और इन क्षेत्रों को देश के शेष भागों के समकक्ष लाने का प्रयत्न करना चाहिये। इस पूरे मामले के पीछे यही भावना है और इसीलिए पिछड़े क्षेत्रों को लाभ देने के लिए हमने जानबूझ कर और सोच विचार कर उपबन्ध रखे हैं।

ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए गए थे और जिन्हें मैंने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। मेरा कुछ और कहने का इरादा नहीं है। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि आय कर अधिनियम, 1961, धन कर अधिनियम, 1957, दान कर अधिनियम, 1958 और प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब इस पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड 2 धारा 2 का संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 2 पर श्री शान्ति लाल पटेल का एक संशोधन है। वह सदन में उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 4

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 4, पंक्ति 29 में, "लागू नहीं होगी" के पश्चात् "जब तक कि वह कारबार उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक नहीं है और उस द्वारा ऐसे कारबार की बाबत पृथक लेखा बहियां रखी जाती हैं।" रखा जाए। (3)

पृष्ठ 5, पंक्ति 43 में "लागू नहीं होगी" के पश्चात् "जब तक कि वह कारबार उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक नहीं है और उस द्वारा ऐसे कारबार की बाबत पृथक लेखा बहियां रखी जाती हैं।" रखा जाए। (4)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 6 धारा 32क का संशोधन

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 8, पंक्ति 13 से 17 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये

"परन्तु उपधारा (8ख) में विनिर्दिष्ट पोत या वायुयान या मशीनरी या संयंत्र की बाबत यह उपधारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो" पच्चीस प्रतिशत शब्दों के स्थान पर "बीस प्रतिशत" शब्द रखे गए हैं। (5)

पृष्ठ 8, पंक्ति 33 में "लागू" नहीं होगी" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये

"जब तक कि उपधारा (8ख) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में ऐसा पोत या वायुयान अर्जित या ऐसी मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित न कर दिया जाए और निर्धारिती उस खंड में यथा विनिर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में साक्ष्य प्रस्तुत न कर दें।" (6)

पृष्ठ 9, पंक्ति 1 से 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(8ख) उपधारा (8) में या उसके अधीन जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्यांक सा. का. नि. 870 (अ), तारीख 12 जून, 1986 की अधिसूचना में सिकिसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध निम्नलिखित के संबंध में लागू होंगे :—

(क) (i) 31 मार्च, 1987 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1988 के पूर्व अर्जित कोई नया पोत या नया वायुयान, यदि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसने 12 जून, 1986 के पूर्व, यथास्थिति, उसके निर्माता या विनिर्माता या स्वामी के साथ ऐसे पोत या वायुयान के क्रय के लिए संविदा कर ली थी;

(ii) 31 मार्च, 1987 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1988 के पूर्व प्रतिष्ठापित कोई नई मशीनरी या संयंत्र, यदि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत करे कि 12 जून, 1986 के पूर्व उसने ऐसी मशीनरी या संयंत्र का क्रय कर लिया था या ऐसी मशीनरी या संयंत्र के विनिर्माता या स्वामी या व्यवहारी के साथ ऐसी मशीनरी या संयंत्र के क्रय के लिए संविदा कर ली थी या जहां ऐसी मशीनरी या संयंत्र निर्धारिती के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम में विनिर्मित किया गया है वहां ऐसी मशीनरी या संयंत्र के विनिर्माण के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया था;

परन्तु उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात इस खंड में निर्दिष्ट किसी पोत या वायुयान या मशीनरी या संयंत्र की बाबत किसी पूर्व वर्ष में कटौती का दावा करने के लिए निर्धारिती को, 1 अप्रैल, 1989 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के सिवाए, हकदार नहीं बनाएगी;

(ख) 31 मार्च, 1988 के पश्चात् किन्तु ऐसी तारीख के पूर्व जो केन्द्रीय सरकार यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अर्जित कोई नया पोत या नया वायुयान या प्रतिष्ठापित कोई नई मशीनरी या संयंत्र। (7)

पृष्ठ 9 पंक्ति 10 से 12 में 'उक्त निर्धारण वर्ष में और ऐसे निर्धारण वर्ष के ठीक पश्चात् वर्ती चार निर्धारण वर्षों में के स्थान पर" उक्त निर्धारण वर्ष में (जैसे इसमें इसके पश्चात् प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष कहा गया है) और प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष के ठीक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से प्रारम्भ होने वाली चार वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के ब्लाक में रखा जाए। (8)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

श्री शान्तिलाल पटेल : अनुपस्थित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7, धारा 32 क ख का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 9, पंक्ति 17 से 19 में उक्त निर्धारण वर्ष में और ऐसे निर्धारण वर्ष के ठीक पश्चात्-वर्ती चार निर्धारण वर्षों में के स्थान पर उक्त निर्धारण वर्ष में जैसे इसमें इसके पश्चात् प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष कहा गया है) और प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष के ठीक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से प्रारम्भ होने वाली चार वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के ब्लाक में रखा जाए। (9)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 8 से 12 पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 से 12 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 से 12, विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 13-धारा 80 ग का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12, पंक्ति 20 में "महाविद्यालय" के पश्चात्" या स्थानीय प्राधिकरण अंतः स्थापित किया जाए। (10)

(श्री एस. बी चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 14 और 15 पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है।

"कि खंड 14 और 15 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 16-संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में उपार्जनों की बाबत कटौती के बारे में नई धारा 80 ज ज छ का अन्तः स्थापन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 13, पंक्ति 5 में "होटल" के पश्चात् "या पर्यटन प्रचालक" अन्तःस्थापित किया जाए। (11)

पृष्ठ 13, पंक्ति 40 में, "यात्रा अभिकर्ताओं" के पूर्व "इस रूप में पहले से अनुमोदित पर्यटन प्रचालकों या" रखा जाए। (12)

पृष्ठ 14, पंक्ति 35 में, "होटल" के पश्चात् "या पर्यटन प्रचालन" रखा जाए। (13)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड, 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 17 और 18 पर कोई संशोधन नहीं है :

प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 और 18 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 और 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 19-धारा 115 ग का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 16 पंक्ति 26 में, "उपधारा (3)" के पश्चात् "या उपधारा (3क)" अंतःस्थापित किया जाए। (14)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 20 पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 21 श्री शान्ति पटेल। उपस्थित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 22 से 39 पर कोई संशोधन नहीं है। खण्ड 21 से 39 को एक साथ रखा जाए।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 21 से 39 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 से 39 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

3.00 म.प.

खंड 40-धारा 234 ग का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 22, पंक्ति 23 में "कर की किस्त" के पश्चात् "या जहां, ऐसी कोई किस्त ऐसे देय नहीं है वहां वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक देय अग्रिम कर की किस्त" रखा जाए । (15)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 40, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 40, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 41-धारा 244 क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 22, पंक्ति 45 में "उपधारा (1)" के पश्चात् "या धारा 144" अतःस्थापित किया जाए । (16)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 41, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 41, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्य महोदय : खण्ड 42 से 49 पर कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 42 से 49 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 42 से 49 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड 50-धारा 271 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25, पंक्ति 17 में "1988" के स्थान पर "1989" रखा जाए। (17)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 50, संशोधित में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 50, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया।

खंड 51-धारा 373क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25, पंक्ति 35 में "1988" के स्थान पर "1989" रखा जाए। (18)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 51, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 51, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 52 से 55 पर कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 52 से 55 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 52 से 55 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 56-प्रथम अनुसूची का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 28, पंक्ति 12 का लोप किया जाए। (19)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 56, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 56, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 57-पारिणामिक संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 30, पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(4) धारा 273ख में (प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 114 द्वारा यथासंशोधित)" धारा 270, "के स्थान पर धारा 270 की उप-धारा (1) का खंड (ख)" रखा जाएगा। (20)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 57, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 57, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 58 से 67 पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 58 से 67 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 58 से 67 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 68-धारा 18 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 36, पंक्ति 24 में "1988" के स्थान पर "1989" रखा जाए। (21)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 68 संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 68, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 69 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 69 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 70-धारा 18 ख का संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 70 में सरकार ने एक संशोधन की सूचना दी है।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 37, पंक्ति 42 में "1988" के स्थान पर "1989" रखा जाये। (22)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 70, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 70, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 71 और 72 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 71 और 72 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 73-धारा 34क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 38, पंक्ति 26 में "उपधारा (3)" के पश्चात् या उपधारा (5) अन्तःस्थापित किया जाए। (23)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 73, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 73, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 74 से 77 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 74 से 77 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड-78-नई अनुसूची-तीन का अन्तः स्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 41, पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह भी कि निर्धारिती के एक मकान का मूल्य अवधारित करने के लिए दूसरे परन्तुक के उपबन्ध उस दशा में लागू नहीं होंगे जब ऐसे मकान को अर्जित किया है या जिसका निर्माण 31 मार्च, 1974 के पश्चात् पूरा किया गया है और मकान का उपयोग मूल्यांकन की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की सम्पूर्ण कालावधि में निर्धारिती द्वारा स्वयं अपने आवासीय प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से किया गया है और यथास्थिति, अर्जन की लागत या निर्माण की लागत, दोनों में से किसी दशा में मकान में किए गए किसी सुधार की लागत को बढ़ाकर निम्नलिखित से अधिक नहीं"

(क) यदि मकान मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास में स्थित है, पचास रुपए :

(ख) यदि मकान किसी अन्य स्थान में स्थित है, पच्चीस लाख रुपए :

"परन्तु यह भी कि जहां निर्धारिती अपने एक से अधिक मकानों का अनन्य उपयोग अपने आवासीय प्रयोजनों के लिए करता है वहां तीसरे परन्तुक के उपलन्ध ऐसे मकानों में से केवल एक के सम्बन्ध में, जो निर्धारिती अपने विकल्प पर इस निमित विनिर्दिष्ट करे, लागू होंगे।" (24)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 78, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 78, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 79 से 85 विधेयक का अंग बनें।

खंड 79 से 85 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड-86-धारा 17 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 59, पंक्ति 3 में "1988" के स्थान पर "1989" रखा जाए। (25)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 86, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 86, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 87 से 89 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 87, से 89 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड-90-धारा 33क का संशोधन

संशोधित किया गया :

पृष्ठ 60, पंक्ति 39-40 में "उपधारा (3)" **के पश्चात्** "या उपधारा (5)" **अन्तः स्थापित किया जाये।** (26)

(श्री ऐस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 90, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 90, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 91 से 94 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 91 से 94 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 95-1988 के अधिनियम 4 का संशोधन

संशोधन किया गया :

संशोधन लागू नहीं होता। (27)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 95, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 95, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-1-संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1 पंक्ति 6 में "1988" **के स्थान पर** "1989" **रखा जाए।** (2)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपसभाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "उनतालीसवें" **के स्थान पर** "चालीसवें" **रखा जाए।** (1)

(श्री एस. बी. चव्हाण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव किया गया :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

श्री बनातवाला।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोनानी) : उपाध्यक्ष महोदय, हम मन्त्री महोदय श्री एस. बी. चव्हाण के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने प्रत्यक्ष करों के संबंध में धर्मार्थ न्यासों के संबंध में हमारे

निवेदनों की ओर ध्यान दिया है। मैं विशेषकर उनके उत्तर के लिए उन्हें धन्यवाद देने उठा हूं। फिर भी उत्तर थोड़ा पक्षपाती था। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनकी ओर ध्यान है।

उपाध्यक्ष महोदय, खंड 80(च) के अन्तर्गत किसी धर्मार्थ न्यास को सहायता देने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कुछ शर्तें लागू कर सकता है और ऐसी शर्तों में न्यास बोर्ड में सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति भी शामिल हैं··· (व्यवधान)

श्री एस. बी. चव्हाण : वह खंड अब इसमें नहीं है।

श्री जी. एम. बनातवाला : इसीलिए ही तो मैं आप को धन्यवाद देने के लिए उठा हूं। यह एक महत्वपूर्ण उपबन्ध था जो प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक 1987 द्वारा लाया गया था। सरकार ने बहुत कृपा की है कि इतनी गम्भीर अनियमितता दूर कर दी है। महोदय, फिर भी मैं विशेष रूप से इस बात के लिए उठा हूं कि सरकार को याद दिलाऊं कि जो न्यास, किसी विशेष समुदाय या जाति के हित के लिए प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 के लागू होने के पश्चात बनाए गए हैं वे कर की छूट के हकदार हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं नहीं समझ सका हूं कि भेदभाव क्यों नहीं किया गया है और इस पर सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि वित्त विधेयक में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

महोदय, थोड़ी सी शंका अभी भी है और यह जरूरी है कि शंका भी दूर की जाए। अर्थात न्यासों को ब्याज-मुक्त ऋण देने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिन्हें न्यासों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर्जेहसना कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस मामूली मुद्दे की ओर भी सरकार विचार करेगी। महोदय, न्यासों को भी ब्याज न देने वाले कामों में पूंजी लगाने की अनुमति दे दी जानी चाहिए जिनमें अचल सम्पत्ति आदि में निवेश भी शामिल होना चाहिए। मामला अभी निर्धारित नहीं हुआ है और मुझे आशा है कि आवश्यक निर्धारण और आवश्यक नियमों के समय इस विशेष मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा। इस विषय का एक लम्बा इतिहास है जिसमें मैं इस समय में जाना नहीं चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि धारा-80च के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति सहित सूचन देने वाले निवेश के लिए न्यासों को स्वीकृति दी जायेगी। कर की सर्वाधिक सीमान्त दर जो कि 52.5 प्रतिशत है अधिक कठोर होगी। दान देने वाले न्यासों और वक्फों की अपेक्षा इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन दान देने वाले न्यासों और वक्फो, का हमने प्रतिनिधित्व किया था उनके अनेक मुद्दों पर सरकार ने जो हमारा समर्थन किया है। उसके प्रति मैं उनका कृतज्ञ हूं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर सरकार को आवश्यक रूप से ध्यान देने और उनका समर्थन करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि जब सरकार वित्त विधेयक लेकर आयेगी, तब उन्हें सरकार का समर्थन मिलेगा।

श्री ए चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : इतना विस्तृत विधेयक लाने के लिए मैं माननीय मन्त्री का कृतज्ञ हूं। 1987 में जब यह संशोधन विधेयक पारित किया गया था तो यह शिकायत की गई थी कि यह शीघ्रतापूर्वक पारित करा लिया गया और सभा को इसका अध्ययन करने और इस विधेयक पर वाद-विवाद करने का पर्याप्त समय ही नहीं मिला। वास्तव में इसके पश्चात् अनेक शिकायतें आयीं कि इस विधेयक की कुछ धारायें आम व्यक्ति और विशेषकर दान देने वाली न्यासों के लिए अहितकर हैं। मैं माननीय मन्त्री का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस पूरे विषय पर उचित ध्यान दिया, शिकायतों को सुना और तब एक विस्तृत विधेयक लाये।

जैसाकि मैंने पहले ही बताया था कि देश भर में 36,000 अनाथों की देख-रेख करने वाले अनेक बड़े न्यास थे इन दान देने वाले न्यासों को दी जाने वाली छूटें 1987 के संशोधन द्वारा समाप्त कर दी गयीं तो सारे अनाथ गलियों में भटकने लगें। हमें डर है। कि उनके साथ क्या होगा। मैं समझता हूं कि अनेक ऐसी संस्थायें हैं जिन पर इस संशोधन का बुरा प्रभाव पड़ा था। यद्यपि कुछ प्रतिबन्ध है, मैं महसूस करता हूं कि ये प्रतिबंध होने चाहिए। इन दान देने वाले न्यासों को छूट देने के कारण मैं माननीय मंत्री का कृतज्ञ हूं। देश में अनाथों की देख-भाल करने वाले संगठनों को यह लाभ पहुंचेगा।

दूसरी प्रमुख विशेषता है कि एक समरूप वर्ष स्वीकार कर लिया गया है। इससे गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो गयी है। मैं समझता हूं कर अपवचन का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है।

इस विस्तृत विधेयक का विस्तार पूर्वक अध्ययन एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार कर सकता है। यह एक हैरानी की बात है। फिर भी यह वर्तमान ढांचे में एक सुधार है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री को इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री एस. बी. चव्हाण : अब सरकार द्वारा लाये गये संशोधनों का समर्थन करने के लिए मैं दोनों माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञ हूं। श्री बनातवाला कुछ भ्रमित प्रतित होते हैं। वास्तव में पुराने अधिनियम की कोई भी छूट हम समाप्त नहीं कर रहे। वे सभी न्यास जो 1987 से पहले रियायतें पा रही थी उन्हें अब भी इसलिए रियायतें प्राप्त हो रही थीं क्योंकि 1987 का अधिनियम 1 अप्रैल 1989 से लागू होना था सभा में व्यक्त विचारों के कारण ऐसा सोच समझ कर किया गया था। अतः वे रियायतें लागू हैं। और इस विधेयक के अधिनियम बनने के बाद भी वे लागू रहेंगी। इस प्रकार सभी रियायतें बरकरार हैं। यदि वे पहले मिलती रहीं थीं, अब भी मिलती रहेंगी। लेकिन अब तरीका यह है कि उन्हें आवेदन दे कर अनुमति प्राप्त करनी होगी और यह रियायत भी एक सीमित समय के लिए होगी।

माननीय सदस्य ने जिन सम्पत्तियों की चर्चा की है उनमें निहित मुख्य सिद्धान्त यह है कि बन्ध-पत्रों और अन्य सरकारी चीजों में निवेश एक निर्दिष्ट तरीके से होता है और यदि कोई अन्य व्यापार या निवेश किये जा रहे हो तो वह उस लक्ष्य के अनुषंगी होना चाहिए। जब तक उस आधार भूत सिद्धांत का पालन किया जा रहा है मैं नहीं समझता हूं कि उस विषय से सम्बन्धित किसी गलत व्याख्या की संभावना होगी। मैं समझता हूं दोनों माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया मुद्दा सिर्फ वही है।······ (व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला : प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 की घोषणा के बाद किसी विशेष समुदाय और जाति के हित के लिए स्थापित न्यास भी रियायत के हकदार होने चाहिए।

श्री एस. बी. चव्हाण : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में मैं उस मुद्दे को स्पष्ट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन चूंकि उस मुद्दे को दुहराया गया है मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी समुदाय विशेष के न्यास को सरकार द्वारा कोई रियायत नहीं दी गयी है। अन्ततः इसे सम्पूर्ण समुदाय के

लिए हित कर होना चाहिए। किसी विशेष समुदाय के लिये यह नहीं हो सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई रियायत पहले दी गई थी ·····(व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स । महोदय, मैं उसका स्वागत करता हूं कि कोई भी विशेष समुदाय किसी न्यास को स्थापित कर सकता है बशर्ते यह सम्पूर्ण समुदाय के लिए हितकर हो । हम लोग यही चाहते हैं और इसका स्वागत करते हैं।

श्री एस. बी. चव्हाण : महाशय, ट्रस्ट का उद्देश्य सम्पूर्ण समुदाय को लाभ पहुंचाने वाला होना चाहिए । इसे किसी विशेष वर्ग के लिए सीमित नहीं होना चाहिए । इस समस्या के संबंध में मेरा यह विचार है । मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य भी इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि उनके समुदाय के सदस्य भी न्यास की स्थापना कर सकते हैं लेकिन न्यास का उद्देश्य सम्पूर्ण समुदाय के हित मे होना चाहिए। इससे लाभान्वित होने वालों में जाति और धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए । इस विषय में इस मुद्दे को ही हमें ध्यान में रखना चाहिए ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : न्यास स्थाहित करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय अथवा किसी विशेष धर्म का हित करना हो सकता है ।

श्री एस. बी. चव्हाण : सारी स्थितियों को मान लेना और उनका स्पष्टीकरण करना मेरे लिये बहुत ही कठिन होगा । किसी भी शंका के समाधान हेतु अन्ततः पदाधिकारी हैं जिनसे आप स्पष्टीकरण हेतु सम्पर्क कर सकते हैं ।

श्री जी. एम. बनातवाला : आपको पीछे नहीं करना चाहिए। आपको भी वही होना चाहिए ।

श्री एस. बी. चव्हाण : क्या मैं स्थति स्पष्ट कर सकता हूं ? स्थिति यह है कि दान देने वाले न्यासों और धार्मिक न्यासों की स्थापना की गयी थी और राशी का उपयोग विशेष कम्पनियों पर प्रभुत्व जमाने के लिए किया जा रहा था । यह ब्याज सहित है अथवा ब्याज रहित अर्थहीन है मुख्य बात है कि क्या ट्रस्ट के उद्देश्यों से इसका कोई संबध है । मेरे विचार से यदि ब्याज रहित भी है और जब तक यह हमारे उद्देश्यों को बढ़ावा नहीं देता है मैं नहीं समझता कि हम उस प्रस्ताव को स्वीकार कर पायेगें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप, में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.24 म. प.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 12 लेंगे-राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री वी. एन. गाडगिल ।

श्री वी. एन. गाडगिल (पुणे) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :

"कि इस सत्र में सम्वेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 1989 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

महोदय, संसदीय जीवन में, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जाना एक ऐसा अवसर है जब राष्ट्र जिन समस्याओं का सामना करता है उनकी समीक्षा की जाती है और सरकार को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को बताने का अवसर मिलता है। लेकिन चर्चिल के अनुसार इस अवसर का प्रयोग इस सदन को राष्ट्र के एक प्रमुख मंच के रूप में बदलने और राष्ट्र के कार्यों की जांच पड़ताल करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। जहां तक संभव हो प्रत्येक पहलू में विस्तार से जाये बिना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को उठाना मेरा प्रयास होगा। निसंदेह मेरा पहला मुद्दा राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में है। जब वर्तमान सरकार 1985 में सत्ता में आई उस समय अगर कोई व्यक्ति भारत का नक्शा देखे तो उस समय उत्तर में चीन के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे पश्चिम में, पाकिस्तान के साथ पूर्णतया सशस्त्र था और हिन्द महासागर में डिएगोगार्शिया एक सैनिक अड्डा है। दक्षिण में श्री लंका में हमारे विरुद्ध लोग अपने पैर जमाने की कोशिश में लगे हुए थे। उत्तर, में बंगला देश में भारत के विरुद्ध प्रचार करने की कोशिश की जा रही थी और आगे उत्तर में 'करण' तथा अन्य विभिन्न जनजातियाँ जो शस्त्रों से लैस थीं हमारे विरुद्ध थीं। आन्तरिक दृष्टि से पंजाब असम और कई समस्याएं हमारे सामने थी। अतः 1985 में, यह देखने पर ऐसा लगता था अगर चीन पाकिस्तान डिएगोगार्शिया श्री लंका, बंगलादेश जनजातीय सीमा क्षेत्र बनाई गई योजना द्वारा हमें बाहर से घेर रहे थे। तथा अंदरूनी अस्थिरता पैदा कर रहे थे। 1985 में यह स्थिति थी। लेकिन अब क्या स्थिति है चीन से हमारी वार्ता शुरू हुई है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबधों में सुधार आया है। श्री लंका में राजीव गांधी के बुद्धिमतापूर्ण और अत्यन्त निर्भीक निर्णय के कारण जिसके अन्तर्गत उन्होंने वहां भारतीय सेनाएं भेजी वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत हुई और इसके अतिरिक्त उत्तर में बंगलादेश में तथा उसकी सीमाओं पर स्थिति सुधर गई है। इस तरह से बाहर हमें घेरे जाने की धमकी तथा अंदरूनी अस्थिरता काफी हद तक कम हो गयी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब ठीक ठाक है। हम सतर्क रुप से आशावादी रह सकते हैं। अब इन चार वर्षों में यह गुणात्मक परिवर्तन कोई अर्थहीन उपलब्ध नहीं है। यह इस सरकार की प्रथम उपलब्धि है। कृषि, उोग और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में आन्तरिक रुप से विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त की है, जिनका राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। मैं उन्हें दोहराऊगां नहीं। लेकिन मैं स्वयं से पूछना चाहता हूं इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का क्या कारण है? मेरा नम्र उत्तर यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी नींव रखी गयी थी जिनका जन्म शताब्दी हम इस वर्ष मना रहे हैं। उन्होंने प्रजातान्त्रिक समाजवाद की नींव मिश्रित अर्थव्यवस्था और योजना के साथ रखी थी।

महोदय, चार महीने पहले मुझे एक समाजवादी देश में, समाजवाद पर एक सेमिनार में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। यह चार दिन तक चला। इस सेमिनार में पूर्व और पश्चिम से साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा के सैकड़ों प्रसिद्ध दार्शनिक, बुद्धिवादी और शिक्षाविद आये थ। इन चार दिनों में क्या वार्ता हुई "समाजवाद का संकट, उत्पीड़न नागरिक स्वतन्त्रता का न रहना, आशा न रहना, 'अन्तिम मौका,' अन्धकार भय समय, वातावरण ऐसा था कि अफ्रीका के एक प्रतिनिधि ने कहा आप लोग ईमानदार क्यों नहीं बनते और यह क्यों नहीं कहते कि आप पून्जीवाद से समझौता करना चाहते हैं और आप बुर्जुआ लोकतन्त्र वापिस लाना चाहते हैं? भारत के सी. पी. आई. प्रतिनिधि ने कहा "मैंने भारत के सी. पी. आई. प्रतिनिधि से कहा" मैं भारत वर्ष निराश होकर जा रहा हूं। भारत में हम बहु-राष्ट्रीय और राजनीतिक अस्थिरता की बात करते हैं और यहां आप पश्चिम के बहुराष्ट्रीयों का हार्दिक स्वागत करते हैं।

सोवियत संघ में क्या हो रहा है? निजी उद्यमियों के लिए वहां अधिक अवसर हैं। चीन एक कदम आगे चला गया है। अगर समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर विश्वास किया जाये तो उन्होंने बहुराष्ट्रीयों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है कि अगर वे सन 2001 तक निश्चित सीमा तक उत्पादन की प्रतिज्ञा करें तो, सभी प्रकार की रियायतें दी जायेंगी जिसमें उन पर श्रम कानून भी लागू नहीं किया जायेगा उस सीमा तक वे चले गये हैं। इससे नेहरू की विचारधारा की बुद्धिमता स्पष्ट होती है जो कि योजना और मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से लोकतान्त्रिक समाज स्थापित करना चाहते थे। मैं कहूंगा एडम स्मिथ असफल हो गये लेकिन नेहरू सफल हो गये, कार्ल मार्क्स असफल हो गये लेकिन नेहरू सफल हो गये। यही आधार है (व्यवधान) चार वर्षों की हमारी सफलता का यही आधार है।

महोदय इन्दिरा जी ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया था। इस वित्तीय वर्ष के बाद हमारा लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए होना चाहिए। इसीलिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किये जा रहे है, विभिन्न नये कार्यक्रमों का सुझाव दिया जा रहा है—प्राईमरी स्कूलों में बच्चों के मध्याह्न का भोजन, एक परिवार मे एक रोजगार और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में उन सब का उल्लेख किया गया है महोदय, विपक्ष ने भी इस बारे में बातें की हैं, मैं यह नहीं कहता 'नहीं' केवल अन्तर यह है हम इसे शीघ्र लागू कर देते हैं, वे समाधान ढूंढते रहते हैं। मुझे भगवान कृष्ण की एक कहानी याद है। एक दिन उनकी उंगली कट गई थी, खून निकल रहा था और फिर क्या हुआ। उनकी पत्नी रूकमणी कपड़े का एक टुकड़ा ढूढने लगी वह इधर उधर कपड़ा ढूंढ रही थीं तब उनकी बहन द्रोपदी ने क्या किया उसने जल्दी अपनी कीमती साड़ी फाड़ी और उनके हाथ पर पट्टी बांध दी। महोदय, भारतीय राजनीति में विपक्ष रूकमणी के समान है और कांग्रेस द्रोपदी के समान है। हमने शीघ्र ही (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : आपकी द्रोपदी वस्त्रहरण। (व्यवधान)

श्री वी. एन. गाडगिल : मैंने शुरू में ही कहा था मैं विपक्ष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। अगर आप मुझे उत्तेजित करना चाहते हो तो मुझे कहना पड़ेगा।

महोदय, यह कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों के लिए है जिसे हमें क्रियान्वित करना है। मेरे अनुसार देश जिन बुनियादी मुद्दों का सामना कर रहा है यह उनमें से एक है कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनका सुधार कैसे किया जाये। महोदय, शर्म की बात है चालीस वर्षों के बाद भी देश में लाखों ऐसी महिलाएँ है जिनके पास तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं है। महोदय, आपको एटनबोरो की फिल्म "गांधी" का एक दृश्य याद होगा कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने समूचे भारत का भ्रमण किया। वह एक गांव में गये एक छोटे से तालाब में नहाने के लिए गये कुछ दूरी पर एक गरीब ग्रामीण महिला थी। वह घबरा गई थीं क्योंकि उसके पास तन ढंकने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं था और फिल्म में दिखाया है कि जब गांधी जी ने उसकी व्याकुलता देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गये थे इन लोगों के लिए हमने अपने आर्थिक कार्यक्रम तैयार किये हैं। ऐसे परिवार हैं जहां पति नौकरी करता है, पत्नी नौकरी करती है, भाई नौकरी करता है, बहन नौकरी करती है, बेटा बेटी और परिवार का प्रत्येक व्यक्ति नौकरी करता है। दूसरी तरफ, ऐसे परिवार हैं जहां किसी व्यक्ति के पास नौकरी नही है। लक्ष्य यह होना चाहिए अगर अभ्यार्थी में समान योग्यता है तो नौकरी उस अभ्यार्थी को मिलनी चाहिए जिसके परिवार में कोई व्यक्ति नौकरी नहीं करता

है। इन्दिराजी की परम्परा का पालन करते हुए हमें प्रकार के कार्यक्रम तैयार करने हैं। हमें उन्हें क्रियान्वित करना चाहिए। इसलिए मैं दोबारा कहता हूँ कि मुख्य मुद्दा यह है गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर कैसे उठाया जाये इस प्रकार के आर्थिक कार्यक्रम होने चाहिए। यहां मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक कठिनाई है हम अच्छे कार्यक्रम बना सकते हैं हम अच्छी योजनाएँ तो बना सकते हैं लेकिन प्रश्न उन्हें क्रियान्वित करने का है। मैं भारतीय सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य सभी सेवाओं को विश्व में सबसे कुशल सेवाएँ मानता हूँ लेकिन कभी-कभी उनका दृष्टिकोण नकरात्मक होता है।

मुझे याद है कि जब मैं विद्यार्थी था तब सरदार पटेल द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के तत्काल बाद ही तथा कथित सेवा से भारत को एकीकृत करने की अपील की गई थी और उन्होंने भारत को एकीकृत और संगठित किया था इसी तरह की आशा हम सिविल सेवा के कार्मिकों से करते गरीब हैं लोगों के लिए बनाई गई विकासात्मक परियोजनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक होनी चाहिए।

यह हम सभी का अनुभव है, सभी नहीं लेकिन ऐसे अनेक प्रशासनिक कर्मचारी हैं जिनका दृष्टिकोण नकारात्मक है। आप उनके पास जाइए। वे सबसे पहले यही कहेंगे कि यह "नहीं हो सकता है।" वे प्रत्येक व्यावहारिक रूप से संभव मामले के संबंध में 'नहीं' कहेंगे। हम राजनीतिज्ञ हर मामले में 'हां' कहते हैं क्योंकि हमें चुनाव जीतने होते हैं। तभी तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक बार कहा था: भारत तभी तरक्की करेगा जब सिविल कर्मचारी 'हां' कहने लगेंगे और राजनीतिज्ञ 'नहीं' कहेंगे। "इस प्रकार यह सब हो रहा है। सिविल कर्मचारी पहले कहेंगे: यह दूसरे विभाग से सम्बद्ध है। आप उस विभाग से सलाह करें।" ठीक है, आपने सलाह की। जब आगे जाएंगे तो वे कहेंगे कि: "मंजूरी आवश्यक है।" ठीक है, मन्जूरी मिल जाती है। फिर वे कहेंगे: "कोई धन राशि उपलब्ध नहीं है।" लेकिन जब आप आर्थिक व्यवस्था कर लेते हैं तो उनका आखिरी उत्तर होगा: "नियम अनुमति नहीं देते हैं।" यह हमारा आम अनुभव है। हम पूछते हैं कि नियम मनुष्यों के लिए हैं या मनुष्यो नियमों के लिए हैं। लेकिन यह तो आखिरी हथियार के रूप में एक मानक तर्क है।

हमारे एक वित्त मन्त्री ने पहले एक अत्यन्त रुचिकर बात बतायी कि हमारे सिविल कर्मचारी नियमों से बंधकर किस प्रकार कार्य करते हैं। एक नगर में एक मन्दिर था और मेरे जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता कलक्टर के पास गया और कहा: "इस नगर में क्या हो रहा है? यह एक महत्वपूर्ण मन्दिर है। हर व्यक्ति जूते और चप्पलों सहित मंदिर में जा रहा रहा है। यह किस प्रकार का राज है? "कलक्टर ने कहा: चिन्ता मत कीजिए: मैं नियम बना दूंगा।" उन्होंने यह नियम बनाया कि जब तक हर व्यक्ति चप्पल तथा जूते नहीं उतारता है तब तक उसे मन्दिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आठ दिन बीत गए। फिर वही व्यक्ति कलक्टर के पास आया और कहा: क्या हो रहा है? आदमी बोला: आपने नियम बना दिया। लेकिन लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं।" कलक्टर ने कहा: 'ठीक है, मैं मन्दिर के बाहर सूचना पट्ट पर यह लिखवा दूंगा कि 'कृपया जूते उतारिए, केवल तभी आपको अन्दर जाने की अनुमति है।" यह सूचना पटट लगा दिया गया फिर आठ दिन बीत गए। फिर वही व्यक्ति आया और बोला: महोदय, कुछ नहीं हो रहा है। "कलक्टर ने कहा:" क्या गलत हो गया? "आदमी ने कहा:" लोग केवल पढ़ते हैं। वे चप्पलों सहित घुस जाते हैं। कलक्टर ने कहा: "मैं इसे लागू करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दूंगा।" कलक्टर ने जिस अधिकारी को नियुक्त किया वह गलत प्रकार का सिविल कर्मचारी था

जिसके बारे में मैं अब बता रहा हूं। आठ दिन और बीत गए। वही आदमी फिर कलक्टर के पास आया और कलक्टर ने पूछा : "अब क्या है ?" आपने मुझे एक नियम बनाने के लिए कहा था तो मैंने नियम बना दिया। आपने मुझे सूचनापट लगाने के लिए कहा तो मैंने सूचनापट लगा दिया और आपने इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा तो मैंने अधिकारी नियुक्त कर दिया। अब क्या गलत है "आदमी ने कहा :" यह अधिकारी किस प्रकार का है। "कलक्टर बोला :" क्या हुआ ?" आदमी ने कहा : "कल शाम को मैं वहां पर जूते अथवा चप्पल के बगैर ही नंगे पैर गया। उन्होंने मुझे रोका। मैंने पूछा कि वह मुझे क्यों रोक रहे हैं। "अधिकारी ने कहा : सरकार का एक नियम है। आप जब तक जूते नहीं उतारते तब तक आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 'आदमी ने कहा :' मैंने कोई जूता चप्पल नहीं पहन रखा है।" इस पर वह अधिकारी बोला : सरकार का नियम है कि जब तक आप आप अपने चप्पल नहीं उतारते हैं आप मन्दर नहीं जा सकते हैं" फिर उन्होंने पुनः कहा : आप सरकार के पास जाइए और नियम बदलवा दीजिए। आदमी ने कहा सरकार के पास जाकर नियम बदलवाने का समय नहीं है। मैं नंगे पैर हूं, मैं नंगे पैर ही आया था। मेरे पास कुछ नहीं है। अधिकारी ने कहा—"घर जाइए, चप्पल और जूते पहनिए और यहां आइए तथा उन्हें उतारकर मन्दिर में प्रवेश कीजिए। (व्यवधान) यदि आपके पास इस प्रकार के सिविल कर्मचारी हैं तो विपक्ष को भी सर्वश्रेष्ठ योजनाएं बन्द हो जाएंगी। (व्यवधान) इसलिए मेरी प्रशासन से अपील है कि जिस प्रकार उन्होंने भारत को मजबूत तथा संगठित करने के सरदार पटेल के आह्वान पर कार्य किया था उसी भावना से गरीब लोगों के लिए बनाए गए विकास कार्यक्रमों पर भी कार्य करें।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह मुद्दा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बी. एन. गाडगिल : मैं इस प्रकार के मामलों का उल्लेख कर रहा हूं। वास्तविक गरीबी तो ग्रामीण क्षेत्रों में है। क्यों ? मैं विचार करता हूं और संभवतः मैं यह कह सकता हूं कि मैंने देखा है कि ऐतिहासिक स्तर पर ब्रिटिश राज के दौरान तीन बातें घटित हुई। कृषि का व्यावसायिकरण हो गया, उद्योग शहरीकृत हो गये तथा शक्तियों का केन्द्रीयकरण हो गया कृषि के व्यावसायिकरण, उद्योग के शहरीकरण तथा शक्ति के केन्द्रीयकरन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शोषकों का एक नया वर्ग उत्पन्न कर दिया। इसने शीघ्र ही शहर में व्यापारियों तथा महानगर में एकाधिकारवादियों से सम्पर्क कायम कर लिया। ये तीनों एक साथ हो गए और वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश बन गए—एक उत्पत्ति करता था, दूसरा बनाता था और तीसरा पूर्ति तथा मांग की बाजारी शक्तियों का नाश करता था। इसका क्या इलाज है ? हमें फिर पंडित नेहरू की बात याद आती है। उन्होंने कहा : इलाज यह है कि यदि आप ग्रामीण निर्धनों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको सहकारी समिति को मजबूत करना चाहिए।" इस संगठन के माध्यम से आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं इससे गरीब लोग अधिक मजबूत बन सकेंगे। राजनीतिक स्तर पर आपको पंचायती राज लागू करना चाहिए ताकि शक्ति लोगों के हाथ में हो। पंडित नेहरू द्वारा शुरू किए गए पंचायती राज के 20 वर्षों के अनुभव के बाद हम क्या पाते हैं। अब सभी यह कहते हैं कि गुजरात, कर्नाटक आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में यह प्रयोग अत्यधिक सफल रहा है, मैंने महाराष्ट्र का सबसे बाद में उल्लेख किया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : पंचायत।

श्री वी. एन. गाडगिल : पंचायती राज । इन राज्यों के संबंध में भी मैं इस बारे में संतुष्ट नहीं हूं कि शक्ति का पर्याप्त अन्तरण अथवा विकेन्द्रीकरन हुआ । मेरे अपने राज्य का मुझे कुछ अनुभव है । मैं आपको कहता हूँ कि उन्हें पर्याप्त आर्थिक शक्ति दिए बगैर यह कहना कि हमने लोगों को शक्ति दे दी है, पूर्णतया सत्य नहीं होगा । आप मुझसे विशेष रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में उल्लेख करवाना चाहते थे और मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंचायती राज का उल्लेख है । अब राजनैतिक तौर पर इस प्रकार के दृष्टिकोण की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि देश के सम्मुख विभिन्न मुद्दों में एक मुद्दा यह भी है कि लोगों को वास्तविक शक्ति किस प्रकार दी जाए । शक्ति लोगों में निहित है । यदि शक्ति लोगों में निहित है तो उन्हें यह जानना चाहिए कि उनकी वास्तविक शक्ति वित्तीय प्रशासनिक तथा अन्य अनेक पहलुओं में निहित है । अतः मैं इसका स्वागत करता हूं ।

मैं विपक्ष पर प्रहार नहीं करना चाहता क्योंकि वे स्वयं यह कार्य इतनी अच्छी प्रकार से करते हैं कि मेरे लिए प्रहार करना आवश्यक नहीं है । लेकिन मैं सभा का ध्यान दो या तीन मुद्दों की ओर दिलाना चाहूंगा । आपने नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति के बारे में काफी कुछ सुना है । मैं इसमें क्या पाता हूँ ? मैं पाता कि : भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर मुख्य मन्त्री के खिलाफ एक आन्दोलन छेड़ा जाता है, छात्र इस मुद्दे को उठाते हैं, पचास से अधिक छात्र मारे जाते हैं. कोई व्यक्ति भूख हड़ताल कर देता है, विधान सभा भंग कर दी जाती है और मुख्य मन्त्री निलम्बित कर दिए जाते हैं । और क्या होता है ? इसके बाद शीघ्र ही वह विपक्ष के एक आदरणीय तथा पूजनीय सदस्य बन जाते हैं । फिर एक मुख्य मन्त्री इस्तीफा देते हैं तो एक अत्यन्त लोकतांत्रिक व्यक्ति उन्हें कहते हैं कि आप इस्तीफा नहीं दे सकते क्योंकि मैं अपना वोटों के अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं । यह नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति है । कांग्रेस के 103 वर्षों के इतिहास में मैंने दो बाते कभी भी नहीं पाई । एक तो यह है कि पार्टी के अध्यक्ष उठ कर पार्टी से वाकआउट कर जाते हैं । हम इस प्रकार की नई मूल्यों पर आधारित राजनीति पा रहे हैं । फिर हम ऐसी मूल्यों पर आधारित राजनीति पाते हैं जहां दो भूतपूर्व साथी एक दूसरे पर फौजदारी मुकदमा चलाने और 2 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर करने की धमकी देते हैं । ऐसा भी सौ वर्षों में नहीं हुआ है । हमें उनके द्वारा मूल्यों पर आधारित राजनीति में किए गए योगदान की अवश्य ही प्रशंसा करनी चाहिए ।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : वह प्रधान मन्त्री के अत्यन्त निकट सहयोगी थे । (व्यवधान)

श्री वी. एन. गाडगिल : हमारी 21 सदस्यों की कार्यकारी समिति है । अतः उनकी अवश्य ही 180 सदस्यों की कार्यकारिणी होनी चाहिए (व्यवधान) हमारा 21 सूत्रीय कार्यक्रम हैं, अतः उनका 71 सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए । यदि मुझे ठीक तरह से याद है तो एक कार्यक्रम मद सख्या 53 न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का सम्मान है । इस मूल्यों पर आधारित राजनीति में हम पाते हैं कि एक विपक्षी नेता उच्चतम न्यायालय के सामने फैसले की एक प्रति जलाने की धमकी देते है तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने के लिए एक सौ संसद सदस्यों के हस्ताक्षर एकत्र करने की धमकी देते है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपने शाहबानो के मामले को किस प्रकार नष्ट किया ? प्रधान मन्त्री ने उच्चतम न्यायालय की किस प्रकार भर्त्सना की ? श्री शिवशंकर ने क्या किया ?

अध्यक्ष महोदय : जब आपका समय आए, आप तब बोलें।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : मैं चाहूँगा कि वह शाहबानों के मामले से संबंधित श्री जियाउर्रहमान अन्सारी के भाषण का अध्ययन करें। सभापति को उन्हें यह याद दिलाना पड़ा कि वह संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे थे।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : मोहन कुमार मंगलम् द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आलोचना करने के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री वी. एन. गाडगिल : जिन जस्टिस खन्ना की मूर्ति वे न्यूयार्क में लगवाना चाहते थे, उन्होंने भी कल जारी एक वक्तव्य में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर इस आक्रमण की पूर्णरूप से निन्दा की है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, मैं और अधिक समय बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि यह तो वे स्वयं ही बहुत अच्छी तरह से करते हैं।

प्रो. मधु दंडवते : मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रपति के स्थान पर उन्हें अब भारत के राष्ट्र-पति कहना चाहिए।

श्री वी. एन. गाडगिल : यदि मैं प्रो. दंडवते की अप्रासंगिकता के स्तर को स्वीकार करूं तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या बोलूंगा।

यह कुछ मौलिक मुद्दे हैं। सुरक्षा का वातावरण, लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा, गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए कार्यक्रम तथा जनता को शक्तियां देना आदि कुछ मौलिक मुद्दे हैं।

मैं देश के सामने एक वास्तविक मौलिक मुद्दे पर पुनः बोलना चाहता हूं। वह मुद्दा इस देश की अखण्डता और एकता का है। सभी प्रकार की शक्तियां उभर कर आई हैं। मैं यहां एक पार्टी के सदस्य के रूप में नहीं बोल रहा हूं। सभी प्रकार की पृथकतावादी शक्तियां उभर कर आ रही है जोकि देश की एकता और अखंडता को खतरा है। हम क्या कर सकते हैं इस बारे में अनेक सुझाव दिए गए हैं। परन्तु मैं अनुभव करता हूँ कि वे कौन सी बातें हैं जो हमें विभाजित करने के बजाए संगठित करती हैं।

यदि आप स्वर्ण मन्दिर में जायें तो आपको कृष्ण और सुदामा की कहानियों के चित्र मिलेंगे मुसलमानों के धार्मिक दिनों में वे कव्वाली गाते हैं। सबसे अच्छा कव्वाली गायक कौन है ? शंकर शम्भू। हरि ओम तत् सत सबसे अच्छी प्रकार किसने गाया ? बड़े गुलाम अली ने। महाराष्ट्र में भक्ति के गीतों की एक विशेष परम्परा है जो संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम ने शुरू की थी। उन्होंने एक विशेष धुन प्रयोग की। संत ज्ञानेश्वर की धुन को सबसे अच्छा कौन गाता है ? शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद कहते हैं :

[हिन्दी]

"शेख मोहम्मद हृदयी गरोवर,
गर्मी परमेश्वर सामावरमा।"

[अनुवाद]

शेख मोहम्द का हृदय परमेश्वर की भक्ति से परिपूर्ण है—शेख मोहम्मद ने संत ज्ञानेश्वर

की धुन का प्रयोग किया है। ये बात ऐसी है जिन पर हमें बल देना चाहिए तथा उन ताकतों से संघर्ष करना चाहिए जो भारत की एकता और अखंडता को भंग करने की को कर रही है। मैं आश्चर्य कर रहा था कि इन बातों पर किस प्रकार बल दिया जाए। अनिच्छापूर्वक मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह संदेश राजनीतिज्ञों से सही रूप में प्राप्त नही होता है यह वैज्ञानिकों तथा इन्जीनियरों से भी प्राप्त हो सकता है।

हम भारत में टेलीविजन देखते हैं। हजारों मील की दूरी पर कपिल देव छक्का लगाता है और हम यहां उसकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु हम यह बहुत कम सोचते हैं कि ऐसा किस प्रकार होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्दिराजी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने आश्चर्य जनक उपलब्धि प्राप्त की। उन्होंने इन्सेट-I बी आकाश में छोड़ा। यह कितनी ऊंचाई तक गया है। यह आकाश में 22000 मील की ऊंचाई तक गया। ये लोग कौन है ? ये हैं। पंजाब के डा. धवन, महाराष्ट्र के श्री प्रमोद काले तथा 35 वर्ष के युवा इन्जीनियर श्री असलम जिनकी मातृभाषा कन्नड़ है। जब पंजाबी, महाराष्ट्री, कन्नड़ भाषी, गुजराती, बंगाली, हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक साथ मिले तो भारत विश्व में ऊपर उठ गया। हम वैज्ञानिकों से यह संदेश प्राप्त कर सकते हैं तथा निश्चय कर सकते है कि भारत का कभी विभाजन नहीं होगा। यह देश हमेशा एक रहेगा। इसलिए हमें इस अवसर पर संकल्प करना चाहिए कि हम अपने विश्वास और सच्चाई के साथ इन ताकतों से निपटने के लिए हम सब एक जूट आगे बढ़ेंगे।

[हिन्दी]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव जो गाडगिल साहब ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की है और कुछ बातें जो हम पूरे तौर पर नहीं कर पाये हैं उनका भी वर्णन किया है। जो बातें हम कर पायें हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया है कि देश में इकोनोमी की ग्रोथ 3.6 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि पिछले साल देश में शताब्दी का सबसे बड़ा अकाल आया था। उसके बावजूद भी इस देश मे काफी प्रगति हुई है, इस बात की उन्होंने चर्चा की है। जब पिछले साल अकाल आया था उस समय प्रधान मन्त्री जी ने सब जगह का दौरा करके कार्यक्रमों की मानीटरिंग करके उस अकाल की स्थिति को ठीक किया था। दूसरी उपलब्धि हमने कृषि में की है। कृषि में देश में काफी प्रगति हुई है। सरकार ने कई तरह के कानून बनाये हैं, कई तरह की सहूलियतें दी हैं किसानों को, ताकि देश में उत्पादन बढ़े और उसने कर्जे की राशि 1800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये कर दी है। बैंकों को हिदायतें दी गई कि वह किसानों को ज्यादा से ज्यादा लोन दे और उनकी जरूरतों को पूरा करे। पिछले साल 17 प्रतिशत कर्मीशियल बैंकस बैंक्स ने उनको ज्यादा लोन दिये। इसी तरह ग्रामीण बैंकों को भी कहा कि जमींदार किसानों की सहायता की जाये और उन्होंने पूरी कोशिश करके उनको ज्यादा से ज्यादा कर्जे दिये। इसके अलावा सरकार अच्छे बीज पानी का इन्तजाम और खाद का इन्तजाम किया। पिछले साल 12 प्रतिशत ज्यादा खाद उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब इस आठ महीनों में 34.5 प्रतिशत ज्यादा खाद इस देश में पैदा करके किसानों को दी गई जिससे देश की खेती बढ़े जिससे इस देश की खेती बढ़ी। इसी तरीके इन्डस्ट्रीज के क्षेत्र में भी हमारी प्रगति उल्लेखनीय रही है। पिछले साल मैन्युफक्चरिंग सैक्टर में हमारा 10 परसेंट ग्रोथ हुआ। सरकार ने देश में ऐसा क्लाईमेट बनाया जिससे अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो सके। बैंकों ने भी कारखाने वालों को काफी रुपया दिया और सरकार ने भी अपनी पौलिसी बदलकर सहूलियतें दी, रा-मैटीरियल उपलब्ध कराया और इम्पोर्ट का इन्तजाम भी किया

किसी भी इण्डस्ट्री को बढ़ाने के लिए उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ता है, इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमने बहुत उपलब्धियां हासिल की। कोयला क्षेत्र मे 7.3 परसेंट, रेलवे, फ्रंट में 7.6 परसेंट, सेलेबल स्टील में 7.6 परसेंट, सेलेबल स्टील में 7.6 परसेंट, पोर्ट हैण्डलिंग में 10.2 परसेंट, पावर सैक्टर में 9.6 परसेंट तथा सीमेंट के मामले में 10 परसेंट वृद्धि हुई जिससे इस देश की इण्डस्ट्रीज का इन्फ्रास्ट्रक्चर काफी सशक्त बना और उत्पादित सामान मे बढ़ोत्तरी हुई। इन एचीवमैंटस के अलावा सरकार ने हाउसिंग और इरीगेशन के क्षेत्रों में तथा दूसरी स्कीमो में काफी मदद की, जिससे खास तौर पर गरीबों को बहुत लाभ मिला, जिसकी चर्चा अभी गाडगिल साहब ने विस्तार से की। हमारे सामने, सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां में, इन्टरनेशनल फ्रंट पर मिली सफलताएं रहीं, जिससे हमारी फौरेन पौलिसी कामयाब सिद्ध हुई। राजीव गांधी जी ने जो फारेन पौलिसी अख्तयार की उसके कारण हिन्दुस्तान का नाम सारी दुनियां मे ऊंचा हुआ। हमारी पौलिसी की हर जगह चर्चा की जा रही है। उन्होंने यू. एन. ओ. में जाकर एड्रैस किया तथा अन्य कई देशों मे उसका प्रचार किया। हमारे में उन्होंने अफ्रीका फण्ड कायम किया। इसके अलावा गोर्बाचोव साहब के साथ बैठकर दिल्ली डिक्लेयरेशन पर हस्ताक्षर किये, जिसकी सारी दुनिया में प्रशंसा की जा रही है। परिणामस्वरूप रूस को अपनी पौलिसी छोड़ कर नाम-वायोलेंस की नीति पर चलने के लिये मजबूर होना पड़ा, वायदा करना पड़ा। इस कारण हिन्दुस्तान का नाम और उसकी पौलिसी को शलाखा सारी दुनिया में हुई। इन्टरनेशनल एरिना मे हिन्दुस्तान की फौरेन पौलिसी की वजह से काफी रिलैक्शन महसूस किया जाने लगा। आई. एन. एफ. ट्रीटी हुई, और दुनिया की दो बड़ी ताकतें, आपस में लड़ने की बजाय, को-आपरेशन के आधार पर अपनी समस्यायें तय करने पर राजी हो गयी। ईरान-इराक वार बन्द हुई और पैलेस्टाइन स्टेट कायम हुआ। नामीबिया और कम्पूचिया में भी बातचीत चल रही है और उनके मसले हल होने की पूरी संभावनाएं हैं। इस तरह दुनिया कन्फ्रन्टेशन की बजाय को-आपरेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसका फायदा भारत ने अपने रीजनल में भी उठाने की कोशिश की है ताकि सभी पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्ध सुधर सकें और विरोधी देशों के साथ भी मिल-बैठ कर हमने अपने मसले तय करने का प्रयत्न किया, जिनसे हमारे ताल्लुकात नहीं चल रहे थे। मैं आपके सामने सबसे पहले प्रधान मन्त्री की चीन यात्रा की चर्चा करना चाहता हूं। भारत का प्रधान मन्त्री 34 साल बाद चाइना गया और यह विजिट हिस्टोरिकल विजिट सिद्ध हुई है। उनके वहां जाने से क्लाइमेट आफ ट्रस्ट बना, एक दूसरे पर भरोसे का जरिया बना और हमने चाइना के साथ ट्रैवल, ट्रेड और कल्चर के क्षेत्र में तीन समझौते किये। जैसा गाडगिल साहब ने बताया, चीन के साथ पहले हमारे सम्बन्ध ठीक नहीं थे, लेकिन प्रधान मन्त्री की विजिट से दोनों देश एक दूसरे के करीब आ गये हैं। स्वयं चाइना ने उनकी विजिट को इम्पोरटेंट माना है और हमारे साथ को-आपरेशन का वायदा किया है। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। चाइना के साथ बाउण्ड्री का झगड़ा सबसे प्रमुख था, उसे सुलझाने के लिये एक कमीशन बना दिया गया है, उसकी मीटिंग शुरू हो गयी है और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की जायेगी।

4.00 म.प.

चायना के साथ हमारे कोआपरेशन से बहुत फायदे होंगे। पहला फायदा यह होगा कि 100 करोड़ इंसानों को मार्केट हमारी इकोनोमी के लिए खुल जाएगी और हिन्दुस्तान की इंडस्ट्री शार्ट कट से इस बात का फायदा उठा सकेगी और वहां पर हम अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकेंगे। चायना ने अब यह आशा प्रगट की है कि हिन्दुस्तानी कैपीटल भी वहां लगे। वे ज्वाइंट वैंचर में आने के

लिए तैयार हैं। उन्होंने वहां पर 5 इकनोमिक सेंटर्स बनाए हैं जहां वे चाहते हैं। कि यहां के लोग वहां कारखाने लगाएं। लेबर उनकी चीप है, जगह वे देंगे, मकान बनाकर वे देंगे और वन मैन वन विडो के हिसाब से वहां दूससे मुल्कों की तरह कोई शिकायत नहीं है। हिन्दुस्तानी चाहें, तो वहां जाकर इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, कारोबार बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने कहा पहले। फायदा तो यह होगा कि हमारे लिए 100 करोड़ लोगों की मार्किट ओपन होगी। दूसरा फायदा यह होगा कि उनके साथ कोआपरेशन होने से हम अपने डिफेंस का एक्सपेंडीचर कम कर पाएंगे। क्योंकि लड़ाई की जगह, कन्फंटेशन की जगह या मिसअंडरस्टेंडिंग की जगह जब कोआपरेशन हो जाती है, तो वहां से फिर एक दूसरे को डर नहीं रहता है। इसलिए हम अपनी फौज में भी कमी कर सकते है और अपने एक्सपेंसेस डिपेंस की तरफ से कम कर के अपने देश के डवलपमेंट में लगा सकते हैं। तीसरा फायदा यह होगा कि भारत और चायना दोस्त बन गए, तो इससे जिओ पॉलिटिकल सिचुएशन में इतनी बड़ी चेंज आएगी जिसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के साथ भी बातचीत शुरू की है। खुशी की बात है कि वहां पर मिसेज भुट्टो वोट लेकर एक डेमोक्रेटिक वे से लीडर बना है जिसको मैं समझता हूं कि केवल सदन के इस तरफ के नहीं दूसरी तरफ के सदस्यों ने भी वैलकम किया है और पाकिस्तान के साथ, मिसेस भुट्टो के साथ प्राइम मिनिस्टर की जो बातचीत हुई हैं उससे हमने देखा है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आए हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी पहले 3 वार हो चुकी हैं और पाकिस्तान मुल्क का ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एरिया है। वहां पर लोग दखल दे रहे हैं और उसको हथियार दे रहे हैं तथा एक टैन्शन भी पैदा कर रहे हैं ताकि भारत भी अपने हथियार बनाए इसकी तैयार में पड़ जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की मिसेस भुट्टो के साथ बातचीत के बाद एक नया रास्ता कोआपरेशन और दोस्ती का खुला है और हमें इस बात की उम्मीद है कि इस तरफ से कोआपरेशन बढने से जो टेंशन है उतमें कमी होगी और दोस्ती का रास्ता अपनाकर म्युचुअल बेनि- दोनों देशों को होगा।

इसके अलावा भारत का श्रीलंका के साथ जो समझौता हुआ है, जिसकी चर्चा गाडगिल जी ने की है कि हमारी फौजें उनके कहने पर वहां गई हमने अपने आप नहीं भेजी हैं। उन्होंने अपनी सहायता के लिए फौजें मांगी। तामिल को वहां सरकारी लैंग्वेज बना दिया गया है और वहां इलेक्शन भी हो गए हैं और वहां नार्मलसी आ रही है। वहां से हमारी कुछ फौजें आ गई हैं और बाकी भी पूर्णरूप से शांति स्थापि हो जाने की बाद आ जाएंगी। भारत ने श्रीलंका में अपना एक ऐसा फर्ज निभाया है जो कि बहुत जरूरी था।

इसके अलावा मालदीव में मिस्टर गयूम की सरकार खत्म करने के लिए, सरकार का तख्ता पलटने के लिए, कुछ लोगों ने कार्यवाही की, उस वक्त उन्होंने हमसे मदद मांगी, तो उस मौके को राजीव गांधी ने बहुत शानदार तरीके से निभाया, बहुत हिम्मत से निभाया और हिन्दुस्तान का नाम दुनिया में ऊंचा हुआ है क्योंकि हमने एक दोस्त की मदद की है। यह बात साबित करती है कि हिन्दुस्तान की पालिसी एक प्रिंसीपल पालिसी है। हमारी जो नान एलाइनमेंट की जो पालिसी है, हम हर इश्यू को उस आस्पेक्ट से देखते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर का यह फैसला एक बेहतरीन फैसला है। जहां हमने अपने देश की पालिसी चर्चा की है, वहां कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना

चाहिए और उनको ठीक करना चाहिए। उसमें प्राइसेज का मामला हमारे देश के सामने है, इसमें हम सब लोग बहुत चिन्तित हैं, कीमतें बढ़ रही हैं और गरीब लोग मारे जा रहे हैं और फिक्स्ड ग्रुप पिसे जा रहे हैं। इसको ठीक करना चाहिए गवर्नमेंट को अपने खर्च कम करने चाहिए। इसके अलावा बौरोइंग्स कम करनी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए ताकि कीमतें सतह पर आएं। इसको मेन्टेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे देश में 40 परसैंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है।

दूसरी बात मैं पंजाब के हालात के बारे में अर्ज करूंगा। मिजोरम और नागालैंड में हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया उन प्रदेशों को वह कौमी धारा, डैमोक्रेट प्रोसेस में लाए हैं। पिछले 40 साल से वह आर्म्स रखे हुए थे। और लड़ाई झगड़ा करते थे। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री सब जगह शांति करते हैं, उन लोगों से फैसला कर के उनको कौमी विचारधारा में वह लाए हैं, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका जिक्र किए बगैर मैं रह नहीं सकता हूं। लेकिन हमें यह दुःख है कि पंजाब के हालात अभी तक ठीक नहीं हुए हैं।

पिछले 8 साल से पंजाब में टैरेरिस्ट, लोगों को मार रहे हैं और हम इस बात में कामयाब नहीं हुये हैं कि किसी तरीके से पंजाब में स्थिति को ठीक किया जा सके। वहां बाहर से आर्म्स आते हैं बार्डर के जरिए आते हैं या कौन लाता है, कैसे लाता है, इसको देखना हमारी सरकार का फर्ज बन जाता है। हमें इस बात को कड़ाई से देखना होगा कि किस तरीके से हम बार्डर को सील कर के या उसका कोई ऐसा प्रबन्ध करें जिससे बाहर से हथियार न आएं। दूसरा यह कि जो हथियार आते हैं, उसका इंतजाम अपने प्रदेश में भी होना चाहिए। मेरी जाती राय में पंजाब में ऐसा कानून आप बनाइए कि जिसके पास भी हथियार हों उनको गोली मार दी जाए और जो सरकार के दिए हुए लाइसेंस लोगों के पास है, वह वापिस ले लिये जाएं। जब तक आप यह नहीं करेंगे तो वहां पर दिन में तो पुलिस का राज होता है और रात को राज उग्रवादियों का होता है और वह रात में अपनी बन्दूकें और स्टेनगन लिये हुए खुले फिरते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कानून के जरिए सुधार की जरूरत है। जिनके पास पंजाब में लाइसेंस हैं, उनसे सरकार वापिस ले ले और बाकी ऐसा कानून बनाए कि जिसके पास भी हथियार हों उसको गोली से मार दीजिए। यही एक तरीका है जिससे पंजाब में उग्रवाद समाप्त होगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है।

असल में मैं यह कहूंगा कि जिस तरह प्रधान मंत्री की रूपरेखा इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर बढ़ी हैं, हमारी उपलब्धियां इंटरनेशनल फील्ड में हुई हैं, उनको देखते हुए हमें सरकार को मुबारकबाद देना चाहिए और जो यह धन्यवाद का मोशन है उसे हमें यूनैनिमसली पास करना चाहिए।

जहां तक यह सवाल हमारे दोस्तों का है, पंजाब में जो यह हालात पैदा हुए हैं, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ेगा, हम पंजाबी तो बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि किसी भी अपोजिशन के लीडर ने इसको कन्डैम नहीं किया है। आज तक वी. पी. सिंह ने पंजाब की स्थिति पर कोई बयान नहीं दिया है, उन्होने उग्रवाद को कन्डैम नहीं किया है। पंजाब में इन्नोसैंट लोग मारे जा रहे हैं, उनके बारे में भी कोई हमदर्दी का लफ्ज आज तक उनके मुंह से नहीं निकला है। इस तरह ये लोग सोचते हैं कि आल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाऐंगे, कांग्रेस का आल्टरनेटिव बनाएंगे तो यह कैसे बनाएंगे ?

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : नहीं बना पाएंगे ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : ये लोग जो आपस में इकट्ठे नहीं हैं, 4 इनके लीडर हैं, एक एन. टी. आर. हैं, दूसरे देवी लाल हैं और तीसरे वी. पी. सिंह हैं और चौथे चन्द्रशेखर हैं । सबसे पहले एन. टी. आर. और चन्द्रशेखर ने वी. पी. सिंह को इर्रेलेवेन्ट कर दिया, उनकी अपनी ही स्टेट से उनका अपना नोमीनिचेयरमैन नहीं बनने दिया । वह बड़े प्यार से हमारे भाई मंगल पांडे को ले गए थे कि उनको लीडर बनाएंगे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन आज वी. पी. सिंह को पता चल गया होगा कि जिन हाथों में वह खेल रहे हैं, वह उनको बेवकूफ बना रहे हैं । असली लट्ठमार आदमी देवी लाल है, उसने वहां यू. पी. में भी अपना चेयरमैन बना लिया है । इसके बाद यह देवीलाल को हटायेंगे और देवीलाल के बाद वी. पी. सिंह को । इनका कौन नेता है यह कोई नहीं जानता । क्या ऐसे में देश इन लोगों पर भरोसा कर सकता है । अभी इन लोगों को पावर नहीं मिली और इलैक्शन भी ड्यू हैं, लेकिन अभी से अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं । ऐसे में यह देश को क्या बचायेंगे । खास तौर से पंजाब के लोग इनके रवैये को देखकर यह महसूस करते हैं कि जब हम मर रहे हैं तो यह अपनी कुर्सियों की लड़ाई लड़ रहे हैं । मैं तो यह कहूंगा कि देश इन लोगों के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और यह लोगों को गुमराह कर रहे हैं । इनका कोई फ्यूचर नहीं है । यह लड़-लड़ कर मर जायेंगे, इकट्ठे यह कभी हो नहीं सकते हैं । कांग्रेस पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है जिस का कि इतिहास है और कांग्रेस पार्टी ने केवल तीन साल दे कर बाकी समय इस देश में राज किया, सब को इकट्ठा किया और देश को नीतियां दी व उन नीतियों पर चल कर ही यह देश आगे बढ़ा है जिससे देश का नाम हुआ है । यह लोग आज इकट्ठे नहीं है । इस कारण यह देश को मजबूत सरकार नहीं दे सकते । हमारे देश के लोग राजनीतिक तौर पर सचेत हैं । वह कोई भेड़-बकरियां नहीं हैं । लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश को आगे ले जा सकती है और राजीव गांधी जी के हाथों में सत्ता सौंपने से यह देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी 1989 को एक साथ समवेत संसद का दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के धन्यवाद सम्बन्धी संशोधन परिचालित कर दिये गये हैं और यदि वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो क्रम सख्या बताते हुए प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधनों की पर्चियां पन्द्रह मिनट में सभा पटल पर भेज दें । तत्पश्चात उन संशोधनों को प्रस्तुत समझा जायेगा ।

प्रस्तुत संशोधनों की एक सूची शीघ्र ही नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी जिन सदस्यों को कोई विसंगति मालूम पड़े वे बिना किसी बिलम्ब टेबिल अधिकारी को बतायें ।

श्री दिनेश गोस्वामी : संख्यायें देने के बजाएं हम कह सकते हैं कि मैं अपने सभी संशोधन प्रस्तुत करता हूं। क्या ऐसा किया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : संख्यायें बताने के प्रचलित तरीके का पालन किया जाए।

प्रो. मधु दंडवते : वे हमारी इस बात को प्राथमिकता देंगे कि हम अपने सभी संशोधनों को वापस लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी बोलें।

श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता जो हमारे समक्ष है। अभी हमने प्रस्तावक तथा प्रस्ताव का समर्थन करने वालों के भाषण बड़े धैर्य से सुने मुझे आश्चर्य है कि उनमें से किसी ने भी अभिभाषण में उल्लेखित विषयों का जिक्र नहीं किया है। वे यह बताकर राजनैतिक भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं कि

[हिन्दी]

यह लोग लड़-लड़कर मर जायेंगे।'' अगर लड़ कर मरने वाले हैं तो फिर आपको चिंता क्यों है, हम लड़कर मर जायेंगे।

[अनुवाद]

यदि कांग्रेस के उन सदस्यों की चर्चा का यह स्तर है जो अनुभवी हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

प्रो. मधु दंडवते : आप निधन की सूचनायें पहले से दे सकते हैं।

श्री सी. माधव रेड्डी : [हिन्दी] कौन जिन्दा रहता है और कौन मरता है यह तो वक्त बतलायेगा।

4.14 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री सी माधव रेड्डी : महोदय, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता जो हमारे सामने है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इसमें उन महत्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख नहीं किया गया है जो कि देश के सामने हैं। अभिभाषण में भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा अच्छा चित्रण किया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है तथा आज यह देश की प्रत्येक विचारणीय स्थिति में सबसे ऊपर है। यह उस तुलन पत्र की तरह है जिसमें परिसम्पत्ति का उल्लेख किया गया है परन्तु उन देनदारियों का उल्लेख नहीं किया गया है जो परिसम्पत्ति से कई गुना अधिक हैं। यह भारत सरकार की वित्तीय स्थिति के समान है जिसमें वित्तीय घाटा हो रहा है परन्तु इसका कोई जिक्र नहीं है।

अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करने से पहले मैं दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं। सबसे पहले माननीय सदस्य श्री गाडगिल ने पंचायती राज प्रणाली के पुनर्गठन के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। क्योंकि आजकल इसकी बहुत चर्चा हो रही है। इसके सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट कहा है

कि निचले स्तर पर पंचायती राज को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि अभिभाषण में इस प्रणाली को बहुत महत्व दिया गया है।

पंचायती राज प्रणाली के सम्बन्ध में हम में मतभेद नहीं है जिसका निचले स्तर पर पंच-वर्षीय योजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए साधन की तरह प्रयोग किया जा रहा है। हम सब इसका समर्थन करते हैं। वस्तु जिस तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है वह बहुत आपत्तिजनक है। हमारे पास ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज के पदाधिकारियों की बैठक की कुछ रिपोर्टें हैं जो जनवरी में प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बुलाई थी जिसमें 7000 लोगों ने भाग लिया था। किसी को यह नहीं मालूम कि बैठक में किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ तथा क्या निर्णय लिये गए; क्योंकि 7000 लोगों की भीड़ में क्या चर्चा की जा सकती है इन सम्मेलनों का क्या उद्देश्य है? आप ऐसा क्यों करते हैं?

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : कम-से-कम उन ग्राम प्रधानों को विचार विमर्श के विषय मालूम होने चाहिए जिन्होंने बैठक में भाग लिया था। आपको भी मालूम नहीं है कि किन बातों पर विचार विमर्श किया था।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : आपकी पार्टी नार्टर्न इण्डिया में है ही नहीं, आपकी पार्टी आंध्र प्रदेश में है तो पंचायत सम्मेलन का आपको क्या पता।

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ? आप क्या बोल रहे हैं, क्या डिस्कस हुआ, आप बतायेंगे न।

श्री सी. माधव रेड्डी : मेरी जानकारी डायरेक्ट होने की जरूरत नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों जिद कर रहे हैं, आप अपने टाइम पर बोलिये।

श्री हरीश रावत : हम तो मदद कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी मदद नहीं चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दंडवते : दक्षिण भारत, भारत का हिस्सा नहीं है।

श्री सी. माधव रेड्डी : मैं अपने दल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं ·· (**व्यवधान**)

महोदय, पंचायती राज प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। अभी प्रस्तावक ने कहा था कि यह प्रणाली पहले से ही अच्छी है। यह ठीक प्रकार से कार्य कर रही है यद्यपि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा एक अथवा दो राज्यों में इसमें कुछ दोष पैदा हो गए हैं। इन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली के सम्बन्ध में हमारा बहुत अनुभव है तथा अन्य राज्यों को इस प्रयोग का निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहिए। यदि यह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है तो इसमें इसका दोष है। यदि उत्तर प्रदेश बिहार अथवा उत्तर भारत के किसी भाग में विगत दस वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे हैं तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। उसके लिए कौन

जिम्मेदार है ? क्या उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है । किसी प्रकार के नियमित चुनाव नहीं हुए हैं । किसी प्रकार की शक्तियां नहीं दी जा रही है । किसी प्रकार की शक्तियों का अन्तरण नहीं हो रहा है । उत्तर में पंचायती राज प्रणाली पर दोषारोपण के लिए आपके पास कारण हैं परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि यह स्थिति प्रत्येक राज्य में है जहां यह प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य कर रही है तथा जहां वास्तविक रूप से शक्ति का अन्तरण ग्रामीण स्तर तक किया जा रहा है आपनेइस प्रणाली का कतई अध्ययन नहीं किया है कि यह प्रणाली राज्य सरकारों के ऊपर किस प्रकार कार्य कर रही है तथा सम्मेलन क्यों आयोजित किये जा रहे हैं । बंगलौर में एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है । मुख्य मंत्री ने सम्मेलन आयोजित करने अथवा इस बारे में अन्य कुछ कार्य करने से इन्कार कर दिया था । हाल ही में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : यह गलत है । मुख्य मंत्री महोदय ने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है ।

श्री सी. माधव रेड्डी : मैं इस बात पर बाद में आऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है । उन्होंने यह कहा था कि यदि आप हमें यह बताते हैं कि राज्य सरकारें सम्मेलन आयोजित करेंगी, आप आइये, भाषण दीजिये और समस्याओं के बारे में चर्चा कीजिये । उन्होंने यही कहा था । परन्तु आप राज्य सरकारों की उपेक्षा करके राज्य सरकारों के मुखियाओं के अलावा ये सम्मेलन आयोजित नहीं कर सकते । क्या आप इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित करना चाहते हैं ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पंचायती राज प्रणाली का विकेन्द्रीकरण होने जा रहा है । क्या यह विकेन्द्रीकरण का एक तरीका है अथवा जैसा कि किसी व्यक्ति ने कहा है—गुप्त रूप से विकेन्द्रीकरण का एक तरीका है ? केन्द्रीयकरण के नाम पर आप गांव के पंचायत प्रधानों से सीधे ही सम्बन्ध रखना चाहते हैं ?

आपको ऐसा क्यों करना चाहिए ? क्या यह व्यवहार्य है ? क्या दिल्ली सीधे ही पंचायतों से सम्बद्ध रख सकती है ? क्या राज्य सरकारों की अनदेखी करके दिल्ली सीधे ही पंचायतों को धन-राशि भेज सकती है ? आप क्या करने जा रहे हैं ? यदि एक मात्र यही उद्देश्य नहीं है तो इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करने की क्या आवश्यकता है ? आपका उद्देश्य यह है कि आप इस विषय को बदलकर समवर्ती सूचि में लाना चाहते हैं । आप राज्य सरकारों के उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेना चाहते हैं और राज्य सरकारों को केवल सामाञ्जस्य स्थापित करने वाली एजेंसियां बनाना चाहते हैं । राज्य-सरकारों को कोई शक्ति नहीं दी जायेगी और पंचायतों को प्रत्यक्ष रूप से शक्तियां और कार्य दिए जायेंगे (व्यवधान) ठीक है परन्तु आप क्या करने जा रहे हैं ? ऐसा करके आप लोकतांत्रिक संघीय ढांचे की जड़ें खोद रहे हैं और यह बात बहुत आपत्तिजनक है, राज्य सरकारें विशेष रूप से विरोधी दलों द्वारा संचालित राज्य सरकारें कभी भी इसका समर्थन नहीं करेंगी, केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह पहले इस मामले के बारे में मुख्यमन्त्रियों से बातचीत करें । यहां मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था । आपने उस सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं की ? यह मुद्दा उनसे सम्बन्धित था । परन्तु आप इस मुद्दे पर चर्चा करने में विफल रहे इसके विपरीत आपने कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा की और फिर सभा को विसर्जित कर दिया । यदि आप इस मुद्दे पर चर्चा करने नहीं जा रहे हैं तो फिर आप किन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं ?

केन्द्र और राज्य के मध्य एक विवाद है। आप क्या करने जा रहे हैं ? राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उसमें केवल यह कहा गया था कि पंचायत प्रणाली को मजबूत बनाया जायेगा। परन्तु वास्तव में पंचायत प्रणाली को मजबूत नहीं बनाया जायेगा उसे नष्ट किया जायेगा। हम पंचायती राज प्रणाली की इस प्रकार की अवधारणा का कड़ा विरोध करते हैं जिसमें दिल्ली पंचायतों से सीधे ही सम्पर्क रखना चाहती ह ताकि त्रिवेन्द्रम से पंचायत प्रधान दिल्ली आये और फिर यहां कई दिन रहकर धनराशि के लिए विनय करते रहें और फिर आप उनको धनराशि दें। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं ? क्या ऐसी बात नहीं है कि आप समानान्तर सत्ता प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं। आपको ऐसा क्यों करना चाहिए ? यह एक ऐसी पंचायती राज प्रणाली है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने सम्मेलन इत्यादि आयोजित करने में अपना बहुत अधिक समय लगाया है, यह बिलकुल गलत है और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं।

संकल्प प्रस्तुत करते समय यहां उठाये गये बहुत से मुददों के प्रश्न पर आते हुए, विशेष रूप से चीन, पाकिस्तान और बहुत से अन्य देशों के साथ हमारे सम्बधों के बारे मे विदेशी मामलों पर बहुत ध्यान दिया गया है क्योंकि सरकार ने सोचा था कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकार को कुछ लाभ हैं और वे इस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां दिखा सकते हैं। परन्तु हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बारे में भारत सरकार की गतिविधियों का समर्थन करते हुए मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि सीमा पर शांति प्राप्त करके जिसे आप समझते हैं कि आपने सीमा पर शांति प्राप्त कर ली है, आपको इसका क्या लाभ हुआ है। क्या आपने विशेष रूप से केन्द्रीय क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र से अपनी कुछ सेनाओं को वापस बुलाने के बारे में कोई कार्यवाही की है ? इन क्षेत्रों में लगभग 7-11 डिवीजने, पर्वतीय डिवीजने तैनात हैं। इस सैन्यदलों की गतिविधियों पर हम करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं क्योंकि वहां भू-प्रदेश इतने कठिन हैं कि वहां अपने सैन्यदलों को तैनात रखना खर्चीला है परन्तु हम वहां अपने सैन्यदलों को रख रहे हैं। अब जब आप यह अनुभव करते हैं कि चीन के साथ समझौता करने के कारण सीमा पर शांति है यद्यपि मैं जानता हूं कि चीन से समझौता किया है और वह केवल ऐसी शर्तों पर आपसे बातचीत करेगा जोकि उन्हें स्वीकार्य और लाभदायक होगी। हम जानते हैं कि चीन अतीत में क्या करता रहा है हमें यह खुशी है कि अब तनाव कम हुआ है परन्तु मुददा यह है कि हमें इससे क्या लाभ मिलता है ? पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ हमने जो बातचीत की थी उसका हमे क्या लाभ हुआ ? हम पाकिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का स्वागत करते हैं और हमारे प्रधान मंत्री महोदय को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री महोदय से जाकर बातचीत करना एक अच्छी बात है। परन्तु मेरा मुददा यह है कि जब वे यह कहते हैं कि शिमला समझौते का पालन किया जाना चाहिए और प्रत्येक समझौता शिमला समझौते के अनुसार हो होना चाहिए तो हम यह जानना चाहेंगे कि यह शिमला समझौता क्या है ? उन्होंने शिमला समझौते की एक अलग तरह से व्याख्या की है और हमने उस समझौते की व्याख्या एक अलग ढंग से की है। कि सियाचिन ग्लेशियर अब वे यह कहते हैं क्षेत्र से हमारे सैन्यदलो को वापस बुलाया जाना चाहिए। अब क्या हम उन्हें वापस बुलाने के लिए तैयार है.?

इसी प्रकार पाकिस्तान इस बात पर सहमत हुआ है कि वह कश्मीर और पंजाब में दखलंदाजी नहीं करेगा। परन्तु आज स्थिति क्या है ? जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री चीन गए थे तब क्या स्थिति थी ? उन्होंने यह कहा था कि उन्हें भारतीय इरादों के बारे में कुछ संदेह हैं क्योंकि भारत की परमाणु पनडुब्बियां हिन्द महासागर में हैं और उन्हें इससे भय है। यद्यपि हम जानते है

कि उन परमाणु पनडुब्बियों में कोई परमाणु हथियार नहीं है वे केवल परमाणु शक्ति प्राप्त पनडुब्बियां हैं तथापि उनके बारे में उन्हें संदेह है और उन्होंने उन संदेहों को चीन के लोगों के सामने व्यक्त किया है। और अब वे यह कहते है कि हमें ग्लेशियर क्षेत्रों से अपने लोगों को वापस बुला लेना चाहिए।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : हमने उन्हें बधाई दी है।

श्री सी. माधव रेड्डी : हां, हमने उन्हें बधाई दी है। मुद्दा यह है कि हम अपने कुछ दृष्टिकोणों के बारे में बहुत व्यवहार्य नहीं है। यह सच है कि हमें धीरे-धीरे सम्बन्ध बनाने चाहिए परंतु यह इतना आसान कार्य नहीं है हम इसे एक ही दिन में नहीं कर सकते हैं, मुद्दा यह है कि इस बारे में हमारे उद्देश्य बिलकुल स्पष्ट होने चाहिए कि हम इन समझौतो से क्या प्राप्त करना चाहते है। हमारे उद्देश्य हमारे सामने बिलकुल स्पष्ट होने चाहिए।

इसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब व्याप्त शांति का भी उल्लेख किया गया है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग भारतीय मुख्य धारा में हैं। परन्तु मुद्दा यह है कि आज उन लोगों की क्या स्थिति है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की क्या भावना है। मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा, के लोगों की आज क्या भावनाएं है ? वे अनुभव करते है कि उन्हें निराश किया गया है, वे अनुभव करते हैं कि चुनाव केवल एक ढोंग था। उचित और निष्पक्ष चुनाव नही कराये गये थे। आज श्री लालडेंगा की क्या अनुभूति है ? वे कैसा अनुभव करते है ?

उनके साथ शांति समझौतों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें राष्ट्र मुख्य धारा में लाने के बाद अब हम इतमीनान से पछता रहे हैं। हम कुछ ऐसी शर्तों का पालन नहीं करना चाहते जिनके बारे में हम सहमत हुए थे और अन्ततः हम इस बारे में पछता रहे हैं कि हमने ये समझौते क्यों किये थे। और अब स्थिति का लाभ न उठा सकने की स्थिति मे है। किन्तु आज हम पछता रहे हैं कि हमने ये समझौते क्यों किए थे। हम सदैव ऐसा ही करते है। हमने प्रत्येक समझौते पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर किए और इतमीनान से पछताये। इन समझौतों की यह स्थिति है।

आर्थिक स्थिति की बात पर आते हुए यह कहा गया है कि हमारी सकल घरेलू उत्पाद के विकास में वृद्धि हुई है। यह विकास दर बढ़कर 9 प्रतिशत हो गई है और वृद्धि दर लगभग 3.6 प्रतिशत रही है। इसी प्रकार हमारी कृषि उपज बहुत अधिक रही है हम रबी की भरपूर फसल प्राप्त करने जा रहे हैं। यह दिखाने के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि अर्थ व्यवस्था में अद्भुत विकास हुआ है। हम अर्थ व्यवस्था की निराशाजनक स्थिति को देखना नहीं चाहते। जब आप संतुलन पत्र प्रस्तुत करते हैं तो आपको परिसम्पत्तियाँ और देनदारियां दर्शानी चाहिए। उसमें देनदारियों को नहीं दिखाया गया होता और परिसम्पत्तियों की केवल उज्ज्वल तस्वीर ही आप दिखाते है और हमें यह बताते हैं कि हमारे पास ये परिसम्पत्तियां हैं और हमारा संतुलन पत्र बहुत अच्छा है। बजट में और अन्य बातों के बारे में यह एक अच्छी बात है परन्तु परिसम्पत्तियों और देनदारियों का संतुलन पत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

श्री राम प्यारे पनिका : हमें यह बजट में दिखाना चाहिए। इस बारे मे सर्वेक्षण किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सी. माधव रेड्डी : देनदारियों के बारे में बोलते हुए अभिभाषण में इनकी चिन्ताजनक स्थिति के बारे में उल्लेख किया गया था। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक अलग संतुलन पत्र है। यह बजट सन्तुलन पत्र नहीं है।

श्री सी. माधव रेड्डी : अभिभाषण में कीमतों की चिंताजनक स्थिति के बारे में उल्लेख किया गया है। कीमतों में वृद्धि हो रही है और आज फरवरी के महीने में थोक मूल्य सूचकांक 439.3 है जोकि सम्पूर्ण वर्ष में सबसे अधिक है। यह थोक मूल्य सूचकांक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : थोक मूल्य-सूचकांक में वृद्धि हुई हैं। (**व्यवधान**)

श्री सी. माधव रेड्डी : यह स्थिति तो थोक मूल्य सूचकांक की है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और अधिक बढ़ रहा है।

हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति में बहुत खराब है। यद्यपि हमारा निर्यात बढ़ गया है तथापि हमारे आयात में वृद्धि चिन्ताजनक है। आयात के उदारीकरण के कारण हमें जितना निर्यात करना चाहिए हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि हम महसूस करते हैं रुपये के अवमूल्यन के कारण, कि हमारा निर्यात बढ़ गया है, तथापि, विदेशी मुद्रा में हम उतना निर्यात बढ़ा नहीं पाये हैं जितना बढ़ा सकते है महोदय, जहां, तक पंजाब के मुद्दे का संबंध है, मुझे आशा थी कि मेरे मित्र श्री भाटिया पंजाब की वास्तविक स्थिति के बारे में विस्तार से बोलेंगे। हाल ही में वहां आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं और न केवल आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं बल्कि लोगों की हत्या करने का ढंग भी बदल गया है। अब लोगों को फांसी पर लटकाया जा रहा है और वे रेलवे को उड़ाने और लोगो को मारने के लिए बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि सरकार कतिपय कार्यवाहियां करने जा रही है और सरकार इस समस्या का राजनीतिक हल निकालने जा रही है। राजनीतिक हल क्या है ? श्री भाटिया कह रहे थे कि कोई विपक्षी नेता पंजाब में हो रहीं हिंसा की निंदा नहीं कर रहा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि श्री बरनाला, जो किसी समय हमारे मित्र थे और जिन्हें हमें समर्थन दिया था और आतंकवादियों का विरोध किया था आज उनका त्याग कर दिया गया है। उन्हें तनखैया घोषित किया गया और उन्हें गुरुद्वारों में जूते साफ करने पड़े। आज यह स्थिति है। आज हमने बरनाला की स्थिति इस सीमा तक कम कर दी है आज पंजाब में आपका मित्र कौन है ? अखिल भारतीय स्तर पर विपक्षी नेताओं की तो बात ही क्या, मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा विपक्षी नेता या आपका अपना नेता है जो आतंकवाद का मुकाबला कर सकता है। जो कोई ऐसा वक्तव्य देता है, उसे अगले रोज मार दिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निन्दा करना नहीं चाहते किन्तु आप उनसे क्या आशा करते हैं। पंजाब में कोई भी ऐसे नेता नहीं हैं जो सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे और पंजाब समस्या को सुलझाने में आपकी सहायता करेंगे क्योंकि सरकार लोगों से बिल्कुल अलग थलग है। यह दावा किया जाता है कि आतंकवाद से निपटने की सबसे बड़ी ताकत लोगों की ताकत होती है। लेकिन ये तो केवल दावे होते हैं। लेकिन लोग कहां हैं ? निश्चय ही लोग आतंकवाद में शामिल नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूं। लेकिन मुद्दा यह है कि आज सरकार का समर्थन कौन कर रहा है और वहां प्रशासन किस प्रकार का है-भ्रष्ट प्रशासन-जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय ने स्वयं उल्लेख किया था। जब वे गुरदासपुर में थे तब उन्होंने यह

कहा था और प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में जानता है। हम नहीं जानते कि पंजाब में कौन कौन सी राजनीतिक पहल की गई है। अभी भी लोग जोधपुर जेल में कष्ट पा रहे हैं और उनके लिए कोई समाधान नहीं निकला है। दूर दराज दक्षिण की जेलों में अकाली दल के नेता श्री प्रकाश सिंह बादल और श्री तोहरा को रखा गया है। मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में किस प्रकार के समाधान हैं लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि शीघ्र ही विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई जाये और आप उनसे सलाह करें कि क्या समाधान निकाला जाए तथा अगला क्या कदम उठाया जाए। पहले ही लगभग दो वर्ष बीत चुके हैं। हमने मई 1987 में राष्ट्रपति शासन लागू किया था और मई में दो वर्ष हो जायेंगे। मैं नहीं जानता कि हम वहां कब तक राष्ट्रपति शासन जारी रखेंगे जहां तक सरकार की नीतियों का का सम्बन्ध है मुझे पंजाब के बारे में कोई आशा दिखायी नहीं देती है क्योंकि नीतियां बिल्कुल लाभदायक नहीं हैं और मुझे कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है।

जहां तक कश्मीर का संबंध है न तो प्रस्तावक और नही अनुमोदक द्वारा कोई उल्लेख किया गया है। क्या आप जानते हैं कि आज काश्मीर में क्या हो रहा है। वहां हिंसा की घटनाएं हो रही है विशेष कर अलगाववादी हिंसा वहां इतनी तीव्र है कि लोग संगठित होकर यह प्रयास कर रहे हैं कि काश्मीर को देश से अलग कर दिया जाए। वास्तव में लोगों ने जो कुछ जम्मू, अनन्तनाग, काश्मीर घाटी और श्रीनगर में हुआ है उसे देखा होगा।

खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों ने मिलकर दोनों झंडे देखाकर एक जुलूस निकाला था। इससे पता चलता है कि वहां की सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। यदि यही स्थिति विपक्षी दलों द्वारा शासित किसी अन्य राज्य में उत्पन्न हुई होती तो वहां के मुख्यमंत्री को शीघ्र ही हटा दिया गया होता। मैं वह नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यदि अलगाववादी गतिविधियां घटित होती है तो केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। राज्य सरकार कार्यवाही करने के योग्य नहीं है, परन्तु केन्द्र सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। जब श्रीनगर और जम्मू में अलगाववादी हिंसा इती तीव्र है तब केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कुछ गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के प्रश्न पर आते हुए जिसका भाषणों में उल्लेख किया गया है, यह कहा गया था कि कई योजनाएं शुरू की गई हैं जिससे कि लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को मिलाने और फिर इन कार्यक्रमों को रोजगार आश्वासन कार्यक्रम मे पुकारने का प्रस्ताव है। आप इन कार्यक्रमों को मिलायें या न परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि जब तक इन कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन आबंटित नहीं किया जाता तब तक इन कार्यक्रमों का कुछ होने वाला नहीं है। विभिन्न विशेषज्ञ निकायों द्वारा कई अध्ययन किये गये हैं जिनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा हाल ही में किया गया अध्ययन भी शामिल हैं जिसके अनुरुप ऋण मेलों में दिये गये ऋणों में 80 प्रतिशत ऋण बिचौलियों को दिया गया और शेष 20 प्रतिशत ऋण लाभभोगियों को दिए गए। यह टिप्पणी स्वयं प्रधानमन्त्री द्वारा दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को सम्बोधित करते हुए की गई थी। उन्होंने कहा था कि 80 प्रतिशत धन जो गरीब लाभ भोगियों को दिया जाना है वह बिचौलियों को मिल रहा है और मुश्किल से 20 प्रतिशत लोगों को मिल रहा है। भगवान ही जानता है कि वहां कितने बिचौलिये हैं। यदि यही स्थिति है तो आप क्या कर सकते हैं। राज्यों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ता है ?

देश में सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के बारे में उल्लेख किया गया है। सरकार देश में सूखे की स्थिति से निपटने का श्रेय ले रही है। मेरा निवेदन है कि सूखे की स्थिति से निपटने का सारा श्रेय राज्य सरकार को दिया जाये। केन्द्र सरकार ने कुछ धन दिया है। वह धन भी केवल कुछ ही राज्यों को मिला है जितना वे वास्तव में चाहते थे। सच तो यह है कि जितने धन की राज्यों को आवश्यकता थी उसका यह दसवां हिस्सा भी नहीं था और उन्हें विभिन्न साधनों से धन की व्यवस्था करनी पड़ती है। उन्हें सूखे व बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है। केन्द्र सरकार ने राज्यों को बहुत थोड़ा धन दिया है। अतः राज्यों को सूखे की स्थिति से निपटने का श्रेय दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, राज्यों के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों और परियोजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कई राज्य, विशेषतया विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्य ऐसे हैं जहां से बहुत से प्रस्ताव आ रहे हैं किन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। चाहे वे प्रस्ताव परियोजनाओं के बारे में हो या कोई प्रस्ताव हों, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि जो विधेयक स्वीकृति के लिए यहां आते है उन पर भी विचार नहीं किया जाता।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात और वह अन्तिम बात है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा और फिर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा यह घटक राज्यपालों के बारे में है। राज्यपालों की नियुक्ति राज्यों के लिए बहुत ही परेशानी का विषय रही है कुछ राज्यपालों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित किया जाता है। प्रो. नुरूल हसन, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, को अपनी कार्यविधि पूरी करने से पहले ही उड़ीसा में स्थानान्तरित कर दिया गया था। उनकी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई थी। केन्द्र सरकार को राज्यपालों को स्थानान्तरित करने की शक्ति किसने दी है? यदि आप किसी राज्यपाल को बरखास्त करके किसी दूसरे राज्यपाल को नियुक्त करते हैं तो यह बात मेरी समझ में आ सकती है किन्तु केन्द्रीय सरकार को एक राज्यपाल को दूसरे राज्य में स्थानान्तति करने की शक्ति प्राप्त नहीं हैं। फिर भी राज्यपालों को स्थानान्तरित किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि कि प्रो. नुरूल हसन को केवल इस कारण से स्थानान्तरित किया गया है क्योंकि वह ज्योति बसु के साथ निरन्तर रूप से संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें ऐसे राज्यपाल चाहिए जो राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ झगड़ा मोल लेते रहे हैं, उन्हें ऐसे राज्यपाल चाहिए जो कांग्रेस नेताओं की तरह कार्य कर सके हैं, उन्हें ऐसे राज्यपाल चाहिए जो राजभवन में कांग्रेस का कार्यालय स्थापित कर सके, उन्हें ऐसे राज्यपाल चाहिए जो विधायकों को स्वीकृति न दें, जो विधान मंडल द्वारा पारित विधेयकों को सहमति न दें। कई ऐसे विधानमंडल है जिन्होने राज्यपालों के विरूद्ध संकल्प पारित किये हैं लेकिन विधानमंडल द्वारा स्पष्ट रूप से संकल्प पारित किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ये राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेन्टों के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे राज्यों के संवैधानिक मुखियाओं की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं। इस रवैये का बदला जाना चाहिए क्योंकि जब तक यह रवैया नहीं बदला जाता तब वह केन्द्र और राज्य के बीच संबंधों को अच्छी तरह से नही बनाय रख सकता जो इस देश में संघीय नीति के सुचारू रूप से परिचालन के लिए नितांत आवश्यक है।

डा. दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभभाषण में महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को हल करने के लिए विवादास्पद सीमा क्षेत्र में लोगों की राय जानने का कोई उल्लेख नहीं है। (13)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बम्बई में कपड़ा मिल मालिकों द्वारा अतिरिक्त भूमि की बिक्री करने देने की केन्द्रीय सरकार की नीति, जिससे कुछ कपड़ा मिलें बन्द हो गई और 30 हजार मजदूर बेरोजगार हो गये हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (20)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दोषपूर्ण होने के कारण कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कमी आई है जब आवश्यक वस्तुओं, परिवहन प्रभार, आवास आदि के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है।' (23)

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल त्रासदी के शिकार लोगों को पर्याप्त मुआवजा देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (33)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल के नागरिकों के प्रति अपराध के दोषी यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों को दण्डित कराने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (34)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मण्डल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने के कारण पिछड़े वर्गों तथा अन्य अल्पसंख्यकों में बढ़ते हुए असन्तोष का कोई उल्लेख नहीं है।" (35)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगपतियों द्वारा देय भविष्य निधि के अंशदान की बकाया भारी राशि का कोई उल्लेख नहीं है।" (36)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मिलों में मिलों में हड़ताल के दौरान बम्बई मे छटनी किए गये हजारों श्रमिकों के पुनर्वास की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (37)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सूखाग्रस्त राज्यों को उचित समय पर तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (38)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाढ़ से प्रभावित राज्यों को उचित समय तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (39)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड दिया जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी को रोजगार देने की विशिष्ट समय-बद्ध योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (40)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (41)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मण्डल आयोग की सिफारिशों को तुरंत कार्यान्वित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (42)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा-विवाद संबंधी महाजन आयोग के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (174)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्नाटक में विजय नगर इस्पात संयंत्र की स्थापना, जिसके लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री ने 1971 में आधारशिला रखी थी, के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (175)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् .—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब-समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले ठोस उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (176)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश में साम्प्रदायिक उपद्रवों को समाप्त करने के लिए किए जाने वाले ठोस उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (177)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में नक्सलवादी समस्या के समाधान के बारे में उल्लेख नहीं है ।" (178)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है मि अभिभाषण में देश में राज्य विद्युत बोर्डों के प्रशासन में सुधार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (179)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्नाटक के विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड के अधिग्रहण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (180)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के प्रमुख नगरों की परिवहन प्रणाली में सुधार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (181)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में नगरों की गंदी बस्तियों के निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है ।" (182)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तशासी निकाय बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (183)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र-राज्य संबंधों पर 'सरकारिया आयोग' के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (184)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगों में बढ़ती जा रही रुग्णता की समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (185)

किन्तु प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासन से कदाचार समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में कोइ उल्लेख नहीं है।" (186)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कर्नाटक में कुछ और मार्गों को राष्ट्रीय राज्य-मार्ग घोषित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (187)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्निलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंगलौर विमान पत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (188)

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यकत वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में हुए परिवर्तन की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई असंगत वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (58)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुग्ण हो रहे बड़े और छोटे उद्योगों की निरन्तर बढ़ रही संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (59)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्द महासागर को शांति-क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बार-बार स्थगित करने पर सरकार की चिंता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (60)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (61)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में परियोजनाओं को समय से पूरा करने उनकी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करने जैसे उपाय करके सरकारी क्षेत्र के एककों को अर्थ-क्षम बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (62)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों के लिए लाभप्रद मूल्य, कृषि उपज और औद्योगिक उत्पादों और आदानों के मूल्यों के बीच समानता, मुख्य उत्पादकों को किये गये भुगतान और वास्तविक उपभोक्ताओं से वसूल किए गए मूल्यों के बीच के अन्तर को कम करके 20 प्रतिशत करना और थोक व्यापारियों का राष्ट्रीयकरण करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नियन्त्रित मूल्यों पर सभी आवश्यक वस्तुओं की गारन्टी-शुदा सप्लाई सुनिश्चित करके एक संघटित मूल्य नीति के क्रियान्वयन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (63)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन और प्रकार करने, जो मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए जरूरी है, और लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (64)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटसन, कपास, वस्त्र, चीनी, वनस्पति, औषध और अन्य आवश्यक खाद्य उत्पादन करने वाले उद्योगों का राष्ट्रीयकरण के संबंध में उपाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।' (65)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए आवंटित की गई धनराशि मुख्य रूप से धनी वर्ग को लाभ पहुंचाने में खर्च हो जाती है और निर्धन वर्ग इन सुविधाओं से वंचित रह जाता है।" (66)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अधिकांश राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा और किसानों की अतिरिक्त भूमि के वितरण सहित भूमि सुधारों के क्रियान्वयन का कार्य बिल्कुल ठप्प हो गया है।" (67)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार तथा प्रशासन पर भू-स्वामियों के प्रभाव के कारण न्यूनतम कृषि सम्बन्धित विद्यमान कानूनों को अनेक राज्यों में ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है।" (68)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस समय पर गंभीर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि भारत के स्वतन्त्र होने के 41 वर्ष पश्चात् भी भारत के लगभग एक-तिहाई गांवों में अभी भी पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है।" (69)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि कर्मकारों के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनाने की तुरन्त आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (70)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस देश से बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों तथा बड़े व्यापार घरानों द्वारा लाभ, ब्याज, रायल्टी तथा लाभांश के विप्रेषण के कारण हमारे राष्ट्रीय संसाधनों के अपक्षय पर प्रभावी नियन्त्रण लगाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (71)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते हुए क्षेत्रीय असन्तुलन तथा उसे दूर करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (72)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए' अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (73)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन का कारगर ढंग से पता लगाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (74)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ट्रेड यूनियनों को गुप्त मतदान द्वारा मान्यता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (75)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक नीति को एकाधिकारियों तथा बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के पक्ष में निरंतर उदार बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (76)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में दहेज की बढ़ती हुई समस्या तथा दहेज के कारण होने वाली मौतों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (77)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं की बेरोजगारी की समस्या का हल ढूंढने के लिए सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने के प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (78)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में अवैध खनन में लगे हुए खान मालिकों द्वारा आदिवासियों का निरन्तर शोषण किए जाने पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई।" (79)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव सुधारों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सम्मिलित किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (80)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के फलस्वरूप और अधिक लोगों के गरीबी की रेखा से नीचे चले जाने के बारे में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।"(81)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए कृषि आय पर कर लगाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (82)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मोटर गाड़ी नीति की पुनः जांच करने की आवश्यकता तथा कुशल एवं विश्वसनीय सार्वजनिक यातायात के साधनों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (83)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् ।—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में वृद्ध एवं अशक्त लोगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना बनाने के लिए किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है ।" (84)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध द्वारा ऋण देने में की जा रही अनियमितताओं धोखाधड़ी तथा अन्य कदाचारों में हो रही वृद्धि तथा मामले में स्वतन्त्र जांच कराने और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के खातों को पृथक लेखा परीक्षा आयोग द्वारा लेखा परीक्षा कराने की आवश्यकता को गम्भीरता से नहीं लिया गया है ।" (85)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण अश्वेत नेता श्री नेल्सन मंडेला के लम्बे कारावास पर गंभीर चिंता व्यक्त नही की गयी है तथा दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदी शासन से उनको तुरन्त बिना शर्त रिहा करने के लिए अनुरोध की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है ।" (86)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आयोध्या में विवादग्रस्त राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद काम्पलेक्स को खोलने के बाद देश के विभिन्न भागों में व्याप्त साम्प्रदायिक तनाव तथा इस काम्पलैक्स को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके पुरातत्व विभाग को सौंप कर विवाद का हल करने की आवश्यकता को गम्भीरता से नहीं लिया गया है ।" (87)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आय और व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है ।" (88)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विदेशी बैंकों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने और उनके राष्ट्रीयकरण के लिए कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं है ।" (89)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'काम के अधिकार' को संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (90)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरी भूमि की, विशेषकर महानगरों में, कीमतों में बेरोकटोक वृद्धि होने तथा भूमि की कीमतों के बारे में सभी प्रकार की सट्टेबाजी समाप्त करने की दृष्टि से प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता को गम्भीरता से नहीं लिया गया है।" (91)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण आवास समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (92)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभषण में देश में विभिन्न राज्यों के बीच लम्बे समय से चले आ रहे नदी जल विवादों, जिनसे अनेक सिंचाई और पनबिजली परियोजनाओं की प्रगति में रुकावट आई है और देश को कृषि तथा विद्युत क्षेत्र में भारी हानि हो रही है, के तुरन्त समाधान की आवश्यकता को गम्भीरता से नहीं लिया गया है।" (93)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों में नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति और इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता पर गम्भीर चिंता व्यक्त नहीं की गई है।" (94)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"कि खेद है कि अभिभाषण में अधिकतर गांवों, विशेषकर देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रदान की गई चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं और ऐसे गांवों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक व्यापक कार्य-क्रम तैयार करने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया है।" (95)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र का धीरे-धीरे निजीकरण होने और सरकारी क्षेत्र में बहुराष्ट्रिकों और एकाधिकारियों के प्रवेश तथा देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए इस नीति पर तुरन्त रोक लगाने की आवश्यकता के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (96)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रौद्योगिकी और वस्तुओं के बड़े पैमाने पर आयात, जो स्वदेशी उद्योग के विकास के लिए हानिकारक है, को तुरंत रोकने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं है।" (97)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत कम महिलाओं द्वारा भाग लिए जाने तथा अधिकतम एक किलो मीटर की दूरी के अंदर प्रत्येक बालक के लिए प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराने, स्कूल के बच्चों को दोपहर का निःशुल्क भोजन देने, और कार्यशील महिलाओं के बच्चों के लिए देखभाल केन्द्र बनाने, जैसे उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त नहीं की गई है।" (98)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार के विद्युत प्रणाली और विद्युत उत्पादन को गैर-सरकारी क्षेत्र और बहुराष्ट्रिकों को सौंपने, जो अर्थव्यवस्था की आत्म-निर्भरता और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के हित में नहीं है, सतत् प्रयासों पर चिंता व्यक्त नहीं की गई है।" (99)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के औद्योगिक घरानों के बढ़ते एकाधिकार को समाप्त करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (100)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के कार्यान्वयन में की गयी प्रगति का कोई उल्लेख नहीं है।" (101)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा उसे पुनः सक्रिय बनाने के लिए प्रस्तावित उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (102)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने में मुख्य रूप से अमरीकी साम्राज्यवाद के बाधक होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (103)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि विश्व शांति और खासतौर से यूरोप में शांति को किन देशों से खतरा है।" (104)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में डियागो गार्शिया में अमरीकी सैनिक अड्डे के बढ़ते विस्तार तथा वहां पर परमाणु अस्त्र सहित अन्य अस्त्रों के भंडारण का उल्लेख नहीं है।" (105)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में संविधान संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली मणिपुर, मैथिली, कोंकणी, सन्थाली और भोजपुरी भाषाओं को सम्मिलित करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।" (106)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

परंतु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के बढ़ते शिकंजे का कोई उल्लेख नहीं है।" (107)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बंधुआ मजदूरों सम्बन्धी प्रथा को समाप्त करने और उन मजदूरों के समुचित पुनर्वास के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (108)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ और पड़ने वाले सूखे को कारगर ढंग से रोकने के लिए किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (109)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वृद्ध खेतीहर मजदूरों को पेंशन दिए जाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (110)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश में हरिजनों और आदिवासियों पर लगातार हो रहे नृशंस अत्याचारों का कोई उल्लेख नहीं है।" (111)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण मे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम आदि के कार्यान्वयन में विद्यमान कदाचार का कोई उल्लेख नहीं है।" (1.2)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में मजदूर संघो के अधिकारों पर आक्रमण और दमनकारी उपायों के प्रति सरकार की नीति और आवश्यक सेवाएं बनाए रखना अधिनियम जैसे कानूनो का निरसन करने में सरकार की हिचकिचाहट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (113)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी ऋण की अदायगी सम्बन्धी लगातार बढ़ रहे दायित्व का कोई उल्लेख नहीं है।" (114)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय महिलाएं जो रुढ़िवाद और अर्ध-सामन्तशाही दृष्टिकोण की शिकार हैं तथा जिन्हें संविधान में की गयी लिंग की समानता की घोषणा के बावजूद समान पारिश्रमिक के साथ-साथ समान व्यवहार से भी वंचित रखा जाता है, उसका कोई उल्लेख नहीं है।" (115)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक सद्भाव को भंग करने वाली हिंसा के बार-बार भड़कने का कोई उल्लेख नहीं है। (116)

कि प्रस्ताव के अंत में जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में किए गए उपबन्ध के अनुसार चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (117)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए प्रभावी और अविलम्ब उपाय किए जाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (118)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में सभी प्रमुख नगरों में विद्यमान गन्दी बस्तियों तथा गन्दी बस्तियों के निवासियों की दशा में सुधार के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (119)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों में सूखा पीड़ित की दशा में सुधार करने के लिए पर्याप्त धन मंजूर करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (120)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रबंध में मजदूरों की सहभागिता की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (121)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान क्षमता के उपयोग को प्रभावित करने वाले विद्युत संकट को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया है।" (122)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए हस्तक्षेप के बारे में और विश्व बैंक द्वारा खाद्य तथा उर्वरक सहायता को समाप्त करने की मांग करने तथा लोगों के उपभोग के स्तर में गिरावट लाने के लिए विवश किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (123)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी सेवाओं में आरक्षणों के बारे में मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (124)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देशी पूंजीगत वस्तु उद्योग पर उदार आयात नीति के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (125)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर वृद्धि और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए किन्हीं ठोस कदमों उल्लेख नहीं किया गया है।" (126)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सम्पूर्ण देश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है।" (127)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्निलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कैपिटेशन फीस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (128)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सम्पूर्ण देश में जूनियर डाक्टरों के लिए एक समान वेतन नीति बनाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (129)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हजारों गांवों में की जा रही जोरदार मांग के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए भवनों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध किए किए जाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है जब कि माडल विद्यालयों एवं रिहायसी विद्यालयों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। (130)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में देश में दहेज प्रथा को प्रभावी रूप से समाप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (131)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला खानों में हो रही दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (132)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खानों में भारी मात्रा में कोयले की चोरी तथा तस्करी का उल्लेख नहीं किया गया है।" (133)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लगातार बढ़ती हुई श्रमिक समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं है।" (215)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों की समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं है जबकि देश भर के लाखों किसान अपने उत्पादों के लाभकारी मूल्य तथा अन्य मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं।" (216)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (217)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू और कश्मीर में हाल ही में हुई साम्प्रदायिक घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।" (218)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत सरकार और बहुराष्ट्रीय कम्पनी यूनियन कार्बाइड के बीच हुए समझौते के विरुद्ध जन-असंतोष का कोई उल्लेख नहीं है, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त मुआवजे के लिए सहमति हुई है।" (219)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों, जैसे बलात्कार, छेड़खानी, लड़कियों की बिक्री, पत्नियों के साथ मार-पीट दहेज के कारण होनेवाली मौतों आदि को रोकने के लिये और अधिक सख्त कानून बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (220)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दहेज की परिभाषा को संशोधित करने और महिलाओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कानूनों का कार्यान्वयन कराने के लिए प्रभावी तन्त्र की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं है।" (221)

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ;

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल त्रासदी के पीड़ितों को समुचित मुआवजा उपलब्ध करने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (134)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यूनियन कार्बाइड के दोषी प्राधिकारियों को भोपाल के नागरिकों के प्रति किए गए अपराध के लिए दंड दिलवाने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (135)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मंडल आयोग की सिफारिशों के तत्काल कार्यान्वयन की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (136)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मंडल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किये जाने के कारण पिछड़ी जातियों तथा अन्य अल्प संख्यकों में बढ़ रहे असंतोष का कोई उल्लेख नहीं है।" (137)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगपतियों की ओर देय भविष्य निधि की भारी भारी बकाया राशि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (138)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोडा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बम्बई में मिलों की हड़ताल की अवधि के दौरान छटनी कर दिये हजारों कर्मकारों के पुनर्वास को आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (139)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सूखे से प्रभावित राज्यों को समय पर और पर्याप्त सहायता प्रदान करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (140)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाढ़ से प्रभावित राज्यों को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (141)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए किसी विशिष्ट समय बद्ध योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (142)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (143)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दूरदर्शन और आकाशवाणी को एक स्वायत्त निगम बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (144)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्तर्राज्यीय परिषद् की शीघ्रता से स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।" (145)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है। (146)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के प्रत्येक गांव में पेय जल उपलब्ध कराने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (147)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में परिवार नियोजन कार्यक्रम को और व्यापक बनाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (148)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाल श्रम उत्पादन की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (149)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आय और व्यय में असंतुलन कम करने के उपायों की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (150)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (151)

कि प्रस्ताव के अन्त में जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब समस्या को सुलझाने के लिए किसी हल का कोई उल्लेख नहीं है।" (152)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विघटनकारी एवं पृथकतावादी ताकतों और धार्मिक कट्टरपंथियों से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बढ़ते हुए खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (153)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों के बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (154)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि आर्थिक नीतियों के श्रेष्ट वर्ग के पक्ष में होने के परिणामस्वरूप जनसाधारण में गरीबी और घोर निराशा व्याप्त हो गई है।" (155)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ससाधनों और विकास के लाभों के संतुलित वितरण के अभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (156)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में काले धन के बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (157)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भयप्रद दूर से बढ़ते हुए बाह्य और आंतरिक ऋण दायित्व, जिसके परिणामस्वरूप भारत ऋण के जाल में फंस गया है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (158)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सीमेंट, इस्पात कोयला और चावल के लागू मूल्यों में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (159)

"कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों के वित्तीय साधनों पर केन्द्र द्वारा अतिक्रमण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (160)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब समझौते को क्रियान्वित करने और पंजाब समस्या का समाधान करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (161)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए राज्यों को खाद्यान्न की पूर्ति करने में केन्द्र सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (162)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ समझौता करने में सरकार की असफलता, जिसके परिणामस्वरूप वे आन्दोलन करने के लिए बाध्य हो गये हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (163)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अहितकर नये उपभोक्ता सूचकांक के लागू किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (164)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध को गैर-सरकारी क्षेत्र में अन्तकरण करके सरकारी क्षेत्र को गैर-सरकारी बनाने में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (165)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के अधिकांश भागों में बिजली कटौती में वृद्धि के कारण देश में बिजली की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (166)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वदेशी विकास और आत्म-निर्भरता के अहित में प्रौद्योगिकी के अंधाधुंध आयात के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (167)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को लाभप्रद मूल्य और कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (168)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि केवल 38 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है और नई शिक्षा नीति केवल कुछ लोगों तक ही सीमित है।" (169)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं को अत्याचार से बचाने और महिलाओं के लिए विद्यमान संरक्षात्मक विधान के क्रियान्वयन सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (170)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनेक उद्योगों में बढ़ती हुई रुग्णता के परिणामस्वरूप कारखानों के बन्द होने तथा उनकी तालाबन्दी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (171)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (172)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार में कोई उल्लेख नहीं है।" (173)

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब समस्या को हल करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (190)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल गैस त्रासदी के बारे में भारत सरकार और यूनियन कारबाईड के बीच हुए समझौते से लोगों में व्याप्त व्यापक असंतोष के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (191)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में बढ़ते हुए अलगाववादी आन्दोलन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (192)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समान कीमत पर आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (193)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते हुए विदेशी ऋण तथा उसे चुकाने के बढ़ते हुए दायित्व के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (194)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के भुगतान संतुलन की बिगड़ती स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (195)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (196)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आधारभूत भूमि सुधार करने के लिये उठाये जाने वाले किसी कदम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (197)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के संविधान की आठवीं अनुसूचि में नेपाली भाषा को सम्मिलित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (198)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले के औद्योगिक विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (199)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में पश्चिमी दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर उपमंडल में ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (200)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'काम पाने के अधिकार' को संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (201)

श्री ई. अय्यपु रेड्डी (कुरनूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायिक मामलों को निपटाने में असाधारण विलम्ब की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विधि आयोग के 125 वें प्रतिवेदन में उच्चतम न्यायालय का पुनर्गठन करने के बारे में दिये गये सुझाव के बावजूद न्यायिक सुधारों का कोई उल्लेख नहीं है।" (202)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोक लेखा समिति के सर्वसम्मत प्रतिवेदन, जिसमें तत्काल प्रशासनिक सुधार करने का सुझाव दिया गया है, के बावजूद प्रशासन में जवाबदेही निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु अत्यावश्यक प्रशासनिक सुधारों का कोई उल्लेख नहीं है।" (203)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर के, विशेषकर दक्षिण भारत की गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के, जल संसाधनों के अपव्यय और अर्धउपयोग की तुरंत ध्यान देने योग्य समस्या का कोई उल्लेख नहीं है।" (204)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा जैसे सूखाप्रवण क्षेत्रों में असंतुलन और अर्धविकास को दूर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (205)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी और अर्धरोजगार की बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिए ठोस कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (206)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरी धनिकों और ग्रामीण निर्धनों के बीच बढ़ती असमानताओं, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक और आर्थिक मूल्य तथा ढांचा पूर्णतया असतुलित हो गये हैं, का कोई उल्लेख नहीं है।" (207)

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम तथा अन्य राज्यों में बाढ़ की विभीषिका और स्थायी उपचारात्मक उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (213)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम समझौते के कार्यान्वयन में केन्द्र की उदासीनता का कोई उल्लेख नहीं है।" (214)

[हिन्दी]

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब समस्या का कारगर सर्वसम्मत निराकरण निकालने के लिए किसी ठोस कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।" (232)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि वर्तमान में निर्माणाधीन परियोजनाओं को जो अपने निर्धारित समय में पूर्ण होने से पिछड़ गयी हैं, एक निर्धारित अवधि में पूरा कर लेने के सम्बन्ध में दृढ़ संकल्प का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (233)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि गत नवम्बर, 1984 में देश में हुए दंगों के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (234)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि असम समझौते को अब और विलम्ब किये बिना लागू करने की दिशा में कोई कारगर कदम उठाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (235)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि भारतीय रुपये की क्रयशक्ति में निरन्तर आ रही गिरावट को रोकने के लिए कोई कारगर कार्यक्रम का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (236)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि देश के सभी पहाड़ी, पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति को प्राथमिकता के आधार पर तेज कर देश के सामान्य विकास के स्तर पर उन्हें लाने के लिए विशेष योजनायें क्रियान्वित करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (237)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि कृषि में उत्पादन की लागत में कमी करने के लिए प्रभावी कोई ठोस कदम उठाने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (238)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद के आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को सरकारी संस्थाओं द्वारा अब और भविष्य में न बढ़ाने के आश्वासन की घोषणा का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (239)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि कृषि क्षेत्र में शीघ्र कार्य एवं आधुनिकतम टैक्नोलौजी का किसानों द्वारा उपयोग कराये जाने के लिए किसी ठोस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (240)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि शिक्षा के क्षेत्र में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बालकों को दी जाने वाली शिक्षा सम्बन्धी वर्तमान विषम व्यवस्था तथा सुविधाओं को समाप्त करने के लिए कारगर कदम उठाने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (241)

"कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि देश में सभी स्तरों पर न्यायालयों में अनिर्णित मामलों बढ़ती हुई संख्या को समाप्त करने के लिए कोई कारगर उपाय करने का अभिभाषण में संकेत नहीं है।" (242)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि सरकारी क्षेत्र में संचालित औद्योगिक संस्थानों के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अविलम्ब श्वेत पत्र प्रकाशित करने का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (243)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि देश के औद्योगिक विकास में श्रम-प्रधान परियोजनाएं निर्माण कर निरन्तर बढ़ती हुई बेरोजगारी को एक निश्चित अवधि तक समाप्त कर लेने के दृढ़ निश्चय का अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (244)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थों के लिये देश में विभिन्न वर्गों द्वारा की जा रही हिंसक गतिविधियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (245)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि भोपाल गैस कांड के पीड़ित लोगों के साथ हुए अन्याय एवं बहुदेशीय कम्पनियों के प्रति सरकार के नरम रवैये का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।"(246)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री त्रिलोचन सिंह तुर :
श्री दिनेश गोस्वामी :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है अभिभाषण में कतिपय विदेशी व्यापारिक सौदों में दलाली के भुगतान के बारे में आम आदमी के मन में उत्पन्न हुए सन्देह को दूर करने के बारे के लिए तथ्यों का पता लगाने हेतु ठोस प्रयास करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (247)

श्री त्रिलोचन सिंह तुर :
श्री दिनेश गोस्वामी :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीयों द्वारा स्विटजरलैंड के बैंकों में अवैध रूप से जमा धनराशि का पता लगाने, जिससे कि दोषियों का पता लगाया जा सके और उन्हें दंड दिया जा सके, की तत्काल आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (248)

[अनुवाद]

श्री डी. बी. पाटिल (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि प्रस्ताव के अन्त के निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में शाहबानो मामले के निर्णय को बदलने के पश्चात तत्संबंधी विधान के अन्तर प्रभावों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (249)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में राम जन्म-भूमि बाबरी मस्जिद विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (250)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हजारों उद्योगों के बन्द होने तथा तालाबन्दी करने के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी की समस्या का कोई उल्लेख नहीं है।" (251)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारों को पर्याप्त बेरोजगारी भत्ता देने के लिए उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (252)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक कर्मकारों तथा कृषि श्रमिकों के लिए सामान्यत: श्रम विधियों तथा विशेषत: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कार्यान्वित न किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (253)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभुत्व तथा इसे रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (254)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन का पता लगाने तथा इसके पनपने पर रोक लगाने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (255)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण तथा इस नीति को रोकने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (256)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी ग्रामों तथा उप-ग्रामों को स्वच्छ तथा पर्याप्त पीने के पानी की सप्लाई के लिए समय—बद्ध कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (257)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गैर-प्रायोजन व्यय में वृद्धि को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।,' (258)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में वायु तथा जल प्रदूषण के संबंध में विधान बनाए जाने के बावजूद भी इस प्रदूषण के कारण बढ़ते खतरे का कोई उल्लेख नहीं है।" (259)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं और औद्योगिक उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच बिचौलियों को समाप्त करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (260)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पदों की सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे के न भरे जाने तथा उन्हें भरने हेतु विशेष प्रयास करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (261)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में हिंदमहासागर में विदेशी शक्तियों की बढ़ती उपस्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (262)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपजाऊ कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों हेतु उपयोग रोकने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (363)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए' अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में मण्डल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (275)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा-विवाद का समाधान करने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (276)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों के लिए विकास बोर्डों की स्थापना करने में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (277)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड की स्थापना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (278)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को कृषि उपज के लिए लाभकर मूल्य देने में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (279)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार के लिए नया कानून बनाने में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (280)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि भूमि संबंधी कानून के प्रभावों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जिसमें त्रुटियों के कारण किरायेदारों को बेदखल होना पड़ रहा है और अतिरिक्त भूमि हथियाली गई है।" (281)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि परियोजनाओं की स्थापना से प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों को पर्याप्त रोजगार अवसर प्रदान करके उन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए किसी ठोस योजना का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (282)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में शहरी और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों पर रोक लगाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (283)

कि प्रस्ताव के अंत निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आदिवासी क्षेत्रों पर्वतीय क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं ऐसी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है।" (284)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार रोकने के लिए कारगर उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (285)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने हेतु उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (286)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा छोटे किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (287)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि रोकने तथा उन वस्तुओं का मूल्य कम करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (288)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति का कोई उल्लेख नहीं है।" (289)

कि प्रस्ताव के अंत मे निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उपजों के अलाभकर मूल्यों के कारण किसानों द्वारा देय ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (290)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए राज्यों को पर्याप्त सहायता देने में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (291)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में धार्मिक कट्टरवादिता की बुराईयों को समाप्त करने में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (292)

श्री के. रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में रायल सीमा और राजस्थान जैसे तथा देश के अन्य चिर सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में अकाल के स्थाई निराकरण के प्रति उदासीनता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (264)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आंध्र प्रदेश के अनुसार जैसे क्षेत्र में अकाल की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (265)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सूखा बहुल क्षेत्रों विशेषकर अनन्तपुर जिले में विभिन्न उद्योग स्थापित करने के उपाय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (266)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारों की भारी संख्या पर ध्यान नहीं दिया गया है।" (267)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में किसानों को पर्याप्त ऋण देने के किन्हीं उपायों तथा उन्हें कम व्यय दर पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (268)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को लाभकारी मूल्य देने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (.69)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समूचे देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (270)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् : —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब के लोग जो आतंकवादियों द्वारा नियमित रूप से खत्म किए जा रहे हैं और आतंकवादियों से वहां की गरीब जनता के जीवन की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (271)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कई वर्षों से चली आ रही पंजाब-समस्या को हल करने में पहल किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (272)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित यह जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिगड़ते हुए केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (273)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तेजी से बढ़ते मूल्यों, जिनके कारण गरीब लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, को रोकने और उनका सामना करने के लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (300)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बिजली की भारी कमी और उसके उत्पादन में ढिलाई के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (301)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन औद्योगिक मजदूरों की कठिनाईयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जो उद्योगों के बन्द हो जाने के कारण बेरोजगार हो गए हैं।" (302)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़ी संख्या में बन्द हो गए उद्योगों को फिर से चालू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (303)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में श्रमिक अशांति को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (304)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (305)

कि प्रस्ताव के अंत मे निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंध्र प्रदेश में तेलुगू गंगा जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण राज्य-परियोजनाओं को मंजूरी देने के बारे में निरन्तर चुप्पी का कोई उल्लेख नहीं है।" (306)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंध्र प्रदेश में कृष्णा-गोदावरी नदियों के बेसिन में उपलब्ध गैस के विशाल भंडार का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (307)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंध्र-प्रदेश में अनन्तपुर और आनन्दापेट में उपलब्ध भूमिगत खनिज भंडारों का उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (308)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र गति से औद्योगिक की करण करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (309)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीब लोगों को ऋण देने के लिए राज्य सरकारी को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (310)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (311)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में गरीब जनता को चावल, चीनी और कपड़े जैसी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई रियायती दरों पर किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (312)

[हिन्दी]

डा. गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे आश्चर्य है कि आपने मुझ जैसे जूनियर मेम्बर को कैसे बोलने का मौका दिया।

मैं अभी अपने माननीय दोस्त को बड़े गौर से सुन रहा था और सोच रहा था कि दिन को रात कहने से क्या रात हो जाएगी। हमारी जो उपलब्धियां हैं, वे जग जाहिर हैं, उनके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सूरज को दिया दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। गाडगिल जी ने ठीक कहा कि आज से तीन चार वर्ष पहले के माहौल को और आज के माहौल को जरा देखिए तो पता लगेगा कि बहुत परिवर्तन हुआ है।

4.44 म. प.

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

आप देखें कि हम होस्टाइल नेबर्स से घिरे हुए थे। चीन से परेशान थे, पाकिस्तान से परेशान थे, नेपाल से परेशान थे, बंगला देश से परेशान थे। (व्यवधान) सारी स्थिति को हमने एक एक करके ठीक किया है। आज हमने चीन से दोस्ती की, वह अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। आप कभी यह कह सकते कि चीन से दोस्ती करके हमने गलत काम किया है। आप चीन के तीन हजार वर्ष के इतिहास को पढ़ लीजिए। चीन ने किसी देश के साथ इस तरह दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। चीन का इतिहास मैंने पढ़ा है इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं। बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से हमने गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। डेंग और राजीव जी जब बहुत देर तक हाथ मिलाते रहे तो सारी दुनिया में इसका रिपरकशन हुआ और एक नया अध्याय इन्टरनेशनल रिलेशन्स में जुड़ने जा रहा है। यह एक छोटी बात नहीं है। सीमा की समस्या को सुलझाने के लिए कमेटी बनी है जिस पर गौरपूर्वक विचार हो रहा है। व्यापार और

सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों में बढ़ेंगे। सही अर्थ में एशिया के दो जायन्ट, जिन्हें जायन्ट कहा जाता था, एक साथ आ जायेंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन दुनियां में होने जा रहा है। पाकिस्तान के साथ भी जो हमने अच्छे संबंध कायम किए हैं, वह भी और देशों के लिए मिसाल होगी। सबसे बड़ी बात है जिस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है और वह यह कि जापान से हमने अपने संबंध अच्छे किए हैं और आज की तारीख में इकोनोमिक डवलपमेंट का जवाब है जापान और कोई दूसरा देश नहीं है। जापान आर्थिक समृद्धि में दुनिया में सबसे आगे बढ़ गया है, वह अमेरिका से भी आगे बढ़ गया है। सही अर्थों में हमने अपने संबंध जापान से बहुत अच्छे कर लिए हैं। अन्तरर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है, उसका प्रभाव हमारे यहां हमारी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ने जा रहा है। मेरी कांस्टीच्युऐंसी नेपाल के बगल में है। जब तक चीन हमारे संबंध खराब थे तो नेपाल रोज आंखें दिखाता था। जब से चीन से संबंध ठीक हो गए तो चीन रास्ते पर आ गया, हमें व्यक्तिगत फायदा हुआ है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अन्तरराष्ट्रीय संबंध ठीक होने से उसका सीधा-सीधा असर हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ा है और आज भारत की इकोनोमिक स्टेबिलिटी के सभी कायल हैं। वर्ल्ड बैंक, आइ एम एफ, जापान और दुनियां के सभी बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भारत ने जो प्रगति की है, वह बेमिसाल है और अब कहां का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। मैं कहता हूं कि सच्चाई को देखने और समझने की हिम्मत होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है कि एक्सट्रीमिस्ट्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश हो रही है, उसमें आन्ध्र प्रदेश और बिहार के एक्सट्रीमिस्ट्स की भी चर्चा है। हमें यह जानकर खुशी हुई कि केन्द्र सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। बिहार में उग्रवादी बड़ी तेजी से सिर उठा रहे हैं और यह समस्या वहां मूलत. आर्थिक कारणों से पैदा हुई है। लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें दो समय को रोटी नहीं मिलती। जिनके सिर पर छत नहीं है और खुले आकाश में, भयानक सर्दी में रहते हैं। मैं उनकी गतिविधियों की निन्दा करता हूं, परन्तु कारण बताना चाहता हूं जिसके कारण बिहार में उग्रवाद पनप रहा है। मेरा केन्द्र से आग्रह है कि इस समस्या को गम्भीरता से ले। कुछ ऐसा करें जिससे बिहार का आर्थिक उत्थान हो सके, वहां के बेरोजगार लोगों को जो लाखों की संख्या में दिल्ली, फरीदाबाद गाजियाबाद और बल्लभगढ़ आये है नौकरी के लिए उन्हें न आना पड़े। आप रोज ये बात कहते हैं कि बाहर के लोग आकर दिल्ली की खूबसूरती की, दिल्ली की इकोनोमी को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन होगा कि इन्हें उन्हीं जगहों पर रोजगार के अवसर दें जहां के ये रहने वाले हैं। काफी सम्पन्न लोग हैं उत्तरी बिहार में, हर साल बाढ़ के कारण वे तबाह हो गये हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनके पास 50-60 एकड़ जमीन है, परन्तु वे मजदूर बन गये हैं और दिल्ली में चांदनी चौक में मजदूरी करते हैं। मैं उनकी दुर्दशा देखता हूं तो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए कुछ ऐसे उपाय किये जाने चाहिए कि नेपाल से उत्तर बिहार में आने वाली नदियों को नेपाल में ही बांधा जाये और नेपाल को समझाया जावे कि इससे नेपाल को भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। इससे बेशुमार बिजली पैदा होगी जो नेपाल उपभोग नहीं कर सकेगा, उससे हमारे सारे उत्तर भारत को औद्योगिक नक्शा बदल जायेगा। इस समस्या को गम्भीरता से लेना चाहिए और इसके लिए यदि फंड्स की कमी हो तो विश्व बैंक से उसका इन्तजाम कराना चाहिए। यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। उत्तर बिहार के खेतों में हर साल सोल्ड आ जाती है इसका एक जबर्दस्त कारण यह है कि नेपाल में बड़ी तेजी से जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। कुछ ऐसा एग्रीमेंट करना चाहिए जिससे नेपाल में एफारेस्टेशन को प्रोविजन फिर से हो सके और हमारे यहीं के जंगलों के कर्मचारी जाकर नेपाल में

फिर से जंगल लगायें। उनके जंगल होने से सीधे लाभ हमें होगा। दोनों देशों के सहयोग से हमारा बहुत बड़ा हित होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के कारण देश में काफी स्थिति गरीबों को सुधरी है। आप मुझे माफ करेंगे, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर उन जरूरतमन्द लोगों को सहायता नहीं मिल पाती है जिनकी सहायता मिलनी चाहिए। खुद प्रधान मन्त्रीजी ने कहा है कि बीच के लोग उनका हिस्सा मार ले जाते हैं और जरूरतमन्द लोगों को सहायता नहीं मिल पाती हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, मनिटरिंग सिस्टम को इस तरह से चुस्त-दुरुस्त करना चाहिए कि जो पैसा गरीबों की भलाई के लिए खर्च होने वाला है वह सही अर्थ में गरीबों पर ही खर्च हो, बीच के लोग उसको न ले पायें। मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा। चुनाव सुधार करके हमारी सरकार ने एक बेजोड़ काम किया है। लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है कि हमने बूथ केप्चरिंग को कग्नीजेबल आफेंस कर दिया है और अब बूथ कैप्चरिंग होना बंद हो जायेगा। मैं अत्यन्त विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सिर्फ कानून बना देने से यह बीमारी दूर नहीं हो जाएगी। आपको देखना चाहिये कि इसे कैसे इम्पलीमैंट कराया जाये। इसके लिए जितनी सक्त से सक्त कार्यवाही संभव हो, उसे करिये, क्योंकि राइटिंग ऑन वाल्स के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यदि आपने बूथ कैप्चरिंग नहीं रुकवाया तो अगले इलैक्शन में इस देश से डैमोक्रेसी खत्म हो जायेगी। अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां लाठी, बन्दूक या बमों के बल पर बूथ लूट लिये जाते हैं और लाठियां लिए हमारे सिपाही चुपचाप सब कुछ सहन करने को मजबूर हो जाते हैं, एक स्कूल का शिक्षक जो वहां पोलिंग ऑफिसर या प्रेजाइडिंग ऑफिसर बनाकर बिठाया जाता है, अपनी जान के डर से बैठा सब कुछ देखता रहता है। यह सीधा-सीधा पोलिटिकल ब्लैकमेल है। यदि इस पोलिटिकल ब्लैकमेल को आपने बंद करने का प्रयास नहीं किया तो इस देश में प्रजातंत्र का भविष्य खतरे में है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि इलैक्शनों के दौरान जिन राज्यों में बूथ कैप्चरिंग का खतरा होता है उन राज्यों में दूसरे राज्यों की पुलिस भेजी जाए, दूसरे राज्यों के पोलिंग ऑफिसर प्रेजाइडिंग ऑफिसर भेजे जायें, तभी वहां निष्पक्ष चुनाव होना संभव है।

मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगा। पिछले दिनों बड़ी बहादुरी से हमारी सरकार ने देश में पड़े भीषण सूखे का मुकाबला किया, लेकिन जिस साल पूरे हिन्दुस्तान में सूखा था, हमारे उत्तर बिहार में बाढ़ से चारों ओर तबाही फैली थी। वहां ऐसी बाढ़ आयी, जो पिछले 100 सालों में नहीं आयी थी। हम अकेले ही उस बाढ़ से लड़ते रहे, कोई हमारे साथ नहीं आया। मैं तो कहता हूं कि केन्द्र के कोई मंत्री उस बाढ़ में हमारी मदद के लिए आते तो हम उसे अपना सौभाग्य समझते। बिहार में इस बार भूकंप आया। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी कृपा की और वे भूकंप से प्रभावित गांवों में गये, उन्होंने सारी हालत स्वयं देखी, परन्तु भूकंप राहत में जितनी सहायता हमें मिलनी चाहिये थी, उतनी राहत हमें नहीं मिली। मैं जानता हूं कि सारा देश मुसीबत में है, कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है, कहीं भूकंप से तबाही हो रही है लेकिन राष्ट्र की जिम्मेदारी तो आप ही के कधों पर है, आपको ही सब कुछ करना है, हम सब ने मिलजुल कर राष्ट्र को खींचना है। यदि हम ही रास्ते में कहीं खो जायेंगे तो इन विपदाओं से प्रभावित लाखों लोग कहां जायेंगे।

अन्त में, मैं एक्सपोर्ट के सम्बन्ध में एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस देश ने काफी तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं, हमने अभी मूमैंटम पकड़ा है। यदि आप एक्सपोर्ट को इसके

अलावा कुछ और इन्सैंटिव दें तो इस देश की ओर ज्यादा आर्थिक तरक्की हो सकती है। वैसे ही पब्लिक सैक्टर में पहले की अपेक्षा यद्यपि सुधार हुआ है, लेकिन वह इतना संतोषप्रद नहीं है, जितना संतोषप्रद हम समझते हैं। मेरी धारणा है कि जब तक हमारे देश में पब्लिक सैक्टर ठीक नहीं होगा, देश तेजी से आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह अभिभाषण शब्दों का एक ताना-बाना मात्र है और पुन: यह सरकार द्वारा जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास है। लेकिन जनता ने तमिलनाडू चुनाव द्वारा और भारत में आम चुनावों के बाद हुए उपचुनावों द्वारा उत्तर दे दिया है। भारत की जनता अब मूर्ख नहीं बनाई जा सकती है। 1977 में उन्होंने जवाब दे दिया। अब पुन: तमिलनाडू चुनाव द्वारा जवाब दे दिया गया है। वे आगामी चुनावों में भी उत्तर देंगे। वे लोकतान्त्रिक व्यवस्था के आधार हैं जो लोगों में अब भी विश्वास बनाये हुए हैं। इस बार हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण का अर्थ अब जनता समझ सकती है जिसके द्वारा अनेक वायदे किये गए और पहले किए गए वायदों को छिपा लिया गया।

5.00 म. प.

श्री वी. एन. गाडगिल ने अपने भाषण में उस स्थिति का संकेत किया जब देश को बाहरी खतरा रहता है और 1985 में हम लोग इस प्रकार की स्थिति में थे इस स्थिति को टाला जा सकता है और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बेहतर संबंध कायम किये जा सकते हैं है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि पूर्व स्थिति के जिम्मेवार कौन है ? यदि हमारी विदेश नीति ऐसी हो कि हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकें तो देश का भविष्य कुछ और ही होता। वे व्यक्ति जो उक्त स्थिति के लिए पहले उत्तरदायी थे अब यह दावा नहीं कर सकते हैं कि अब शांति है, और वह स्थिति अब नहीं रह गई है। मैं समझता हूं इनमें से बहुत सी स्थितियां अप्राकृतिक रूप से उत्पन्न की गयी हैं, सिर्फ लोगो को यह दिखाने के लिए कि इस तरह की स्थितियां हैं अत: आप हमें वोट दें क्योंकि सिर्फ हम ही इसका समाधान कर सकते हैं। यह तो किसी रोते हुए बच्चे को यह कह कर डराने के समान है कि कोई भयानक जीव बाहर बैठा है जो आ कर उस बच्चे को पकड़ लेगा। श्री वी. एन. गाडगिल ठीक उसी प्रकार कह रहे थे कि पड़ोसी राष्ट्र भारत के विरुद्ध हैं और स्थिति ऐसी है कि यह सिर्फ डराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह प्रस्ताव पेश करने की अपेक्षा श्री वी. एन. गाडगिल यदि पूर्व राष्ट्रपतियों द्वारा दिये गए पांच अभिभाषणों का अध्ययन उन किये गए वायदों की व्याख्या हेतु करते जोकि पूरे नहीं किये गये हैं और उन्हें दुहराये भी गया है तो उन्हें स्पष्ट हो जाता कि सरकार अपने किये गये वायदों से किस प्रकार मुकर गयी है। प्रत्येक बजट सत्र के पूर्व और लोक सभा चुनाव के पश्चात् पिछले राष्ट्रपतियों द्वारा दिये गये गये पांच अभिभाषणों का मैंने अध्ययन किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि यह संसद का अंतिम वर्ष है। मैं आशा करता हूं कि यह अन्तिम सत्र नहीं होगा। अभिभाषण के चौथे परिच्छेद में यह कहा गया है कि यह अभिभाषण अन्तिम संसद को दिया जा रहा है। मुझे भय है कि कांग्रेस सरकार द्वारा इस देश के प्रजातांत्रिक ढांचे को खतरा है क्यों कि संविधान में संसद की निरन्तरता बतायी गयी है और फिर जब राज्य सभा भंग नहीं होती है, इसके सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं तथा राष्ट्रपति स्वयं भी इस संसद का एक भाग है और सिर्फ इस लोक सभा की अवधि

समाप्त होने वाली है। मैं कहता हूं कि यह इस संसद का पांचवां वर्ष है और राष्ट्रपति ने अपना पांचवां अभिभाषण दिया है। यदि आप पहले दिये गये अभिभाषणों का अध्ययन करें तो आप पायेंगे कि पिछले वर्ष दिये गए अभिभाषण में कुछ वायदे किए गए थे। एक तो सभी के लिये पेय-जल की सुविधा उपलब्ध कराना और दूसरे वायदे थे-निरक्षरता उन्मूलन सार्वदेशिक-प्रतिरक्षण, तेल-बीजों के उत्पादन में सुधार, खाद्य तेलों का उत्पादन और संचार व्यवस्था में सुधार। ये सब पिछले वर्ष वर्ष हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण के 14वें अनुच्छेद में कहे गये थे और इन वायदों की स्थिति आज क्या है? आप इसका तुलनात्मक अध्ययन करें आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि 1,50,000 गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं है। पिछले वर्ष किये गये वायदों और इस वर्ष उनके कार्यान्वयन के बीच का अन्तर बिल्कुल स्पष्ट है। देश की स्वतंत्रता के समय की जनसंख्या के मुकाबले अब देश में कहीं अधिक निरक्षरता व्याप्त है। पिछले वर्ष यह वायदा किया गया था कि निरक्षरता का उन्मूलन किया है। इस वर्ष जब उन्होंने इसे दुहराया कि निरक्षरता की समस्या व्याप्त है। भारत की स्वतंत्रता के समय की जनसंख्या से अधिक निरक्षर व्यक्ति अब देश में है। आप पायेंगे कि अभिभाषणों में किये गए वायदों में से कोई भी वायदा पूरा नहीं किया गया है और उनमें से किसी भी वायदे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाये गये हैं।

दूसरा मुख्य मुद्दा यह है कि अब हम लोग पंजाब समस्या, धार्मिक समस्याओं और अन्य समस्याओं की बात कर रहे हैं और जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे तो उन्होंने सेन्ट्रल होल में सांसदों को सम्बोधित कर कहा था कि सरकार राजनीति' को धर्म से अलग करने के लिए कदम उठायेगी। क्या वह वायदा अब तक पूर्ण किया गया? भारतीय राजनीति में अभी भी धार्मिक संस्थाओं और कट्टर पंथी लोगों का प्रभुत्व है और उन लोगों ने इसे बनाये रखा है और प्रत्येक जगह उन्हें सभी प्रकार की प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। मेरठ की घटना, भिवंडी घटना, राम जन्म भूमि एवं बाबरी मस्जिद विवाद तथा अहमदाबाद की घटना अभी तक बरकरार है। हर चीज अपने दर्रे के अनुसार जारी है। यहां तक कि पिछले सत्र में प्रस्तुत किए गए निर्वाचन सुधारों में भी यह नहीं कहा गया है कि धार्मिक पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगेगा। इन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बजाय आप इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा दिये गये पांच भाषणों को गौर से देखें। किन-किन बातों को पूरा करने की प्रतिज्ञा की गई थी? और आज स्थिति क्या है? हर मसले पर प्रतिगामी कदम उठाए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा लोगों ने स्वाभाविक रूप से इन सभी बातों पर उचित प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कीमतों में वृद्धि और व्यापार संतुलन में अन्तर बढ़ने की बात स्वीकार की है। कीमतों में वृद्धि हुई है। कीमतों में वृद्धि इस ढंग से क्यों हो रही है? पिछले वर्ष जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो घाटा लगभग 3000 करोड़ रुपए या इससे थोड़ा अधिक था। इस्पात में संचालन मूल्य में वृद्धि, रेल भाड़े में वृद्धि और डाक घरों में वृद्धि से मुद्रा सफीति उत्पन्न हुई और अन्ततः 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ। सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां ऐसी थी कि उनसे उलझनें पैदा होती गई। कीमतें अपने-आप बढ़ रही है। कीमतों में वृद्धि स्वाभाविक है। इसकी सफाई में यह कहा गया कि कीमतों में इतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी कि अपेक्षित थी। किन्तु वास्तविकता यह है कि आम आदमी की क्रय शक्ति समाप्त हो चुकी है। आम आदमी के जीवन में सुधार लाने के सभी प्रयासों को नजर-अन्दाज किया गया है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लगभग पांच वर्ष पहले जनसंख्या का 35

प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे था। अब यह 48 प्रतिशत है। क्या सुधार हुआ है ? आपका दृष्टिकोण क्या कहता है ? सरकार का इस सम्बन्ध में आधारभूत दृष्टिकोण क्या है ? क्या यह सरकार यह दावा कर सकती है कि उन्होंने गरीबों के हितों की रक्षा की है ?

महोदय, मुझे बेरोजगारी के सम्बन्ध में उठाए गए प्रश्न याद नहीं हैं। किन्तु मुझे बेरोजगारी की महत्ता की जानकारी है। आज भी बेरोजगारी के अनुपात में वृद्धि हो रही है। आज माननीय रेलवे मन्त्री ने रेलवे बजट प्रस्तुत किया है। मुझे उत्तर मिल गया। कुछ समय पहले सदन में यह कहा गया था कि रेलवे लगभग 17 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। किन्तु आज रेलवे की रोजगार नामावली इसमें यह संख्या 14 लाख से भी कम है। एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एक या दो वर्ष की अवधि के भीतर तीन लाख तक रोजगार सम्भाव्यता की कमी कर सकता है। देश की बेरोजगार जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ? इसी प्रकार निजी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में पिछले वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि निजी क्षेत्र के उपक्रम और अधिक रोजगार उत्पन्न नहीं कर सकते। इसके बजाय वे इसमें 107 प्रतिशत तक कमी कर सकते हैं। केवल सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ रोजगार बढ़ाया जा सकता है। स्थिति क्या है ? इस देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है ? यहां तक कि मेरे छोटे से राज्य में 35 लाख से भी अधिक नवयुवकों ने रोजगार केन्द्रों में अपने नाम दर्ज कराये हुए हैं और वे नौकरी की प्रतीक्षा में हैं। क्या सरकार ने कोई वायदा किया है ? क्या सरकार इस बात से सहमत होगी कि बेरोजगार लोगों को नौकरी देना सरकार का कर्तव्य है ? मैं काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाए जाने के लिए एक गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक प्रस्तुत किया था।

महोदय, राजस्थान के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जीने के अधिकार और काम करने के अधिकार में आपस में संबंधित हैं। जिस व्यक्ति को जीने का अधिकार है उसे अपनी रोजी-रोटी कमाने का भी अधिकार है और अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए यदि सरकार समाजवाद को समर्पित है तो उस व्यक्ति को काम देने की जिम्मेवारी सरकार की है। क्या यह सरकार ऐसा कर सकती है ? इसके बजाय, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार इस स्थिति को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकी।

महोदय श्री गाडगिल ने अपने भाषण में प्रधान मंत्री के चीन दौरे का जिकर किया। मुझे भी लगभग आठ वर्ष-पूर्व-वर्ष 1980 में चीन जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं चीनी विचार धारा का समर्थक नहीं हूं। किन्तु मैं यह तो कहूंगा के उनमें वचनबद्धता है। उन्होंने क्या किया है ? उन्होंने शत-प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया है। आवास सरकार उपलब्ध कराती है। वे कहते हैं कि वे सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराएगें। खाद्य सामग्री के पूर्ति करते हैं। हर व्यक्ति को एक दिन में एक समय या दो समय का भोजन दिया जाता है। इस देश की स्थिति क्या है ? कितने व्यक्ति भूख से मर रहे हैं ? क्या आप लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते है ? यदि प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया है और वह उनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम इस आदर्श के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए कि यह सरकार कम से कम इस देश की जनता को प्रतिदिन एक समय का भोजन उपलब्ध कराएगी। सरकार की नीति को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। क्या इसके लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ? ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी बढ़ती जा रही है। जब हम इन बातों की ओर ध्यान देते हैं तो हमें पीड़ा और

दुःख का अनुभव होता हैं। दूसरी ओर क्या है? भ्रष्टाचार का बोल-बाला है। सरकार जो भी कदम उठाती है, वह उसे अपने प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाती है। अन्तिम बात एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी अर्थात यूनियन कार्बाइड की गैस त्रासदी में यूनियन भारतीय लोगों को बेचने के विषय में है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पास एक प्रतिनिधि के रूप में गया था। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विषय में मुझे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रस्ताव याद है। भोपाल गैस त्रासदी के तुरन्त बाद मैंने उस सत्र में भाग लिया था। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में उन्होंने ने इस बात पर चर्चा की कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की अन्यायपूर्ण देयता का आधार उस देश की, जिसकी वे हैं, की देयता पर आधारित होगा। यदि ऐसा मामला है और यदि यूनीयन कार्बाइड की अन्याय पूर्ण देयता यूनाइटिड स्टेटस के स्तर पर नियत की जाती हो तो भारत को भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा क्या होगी। यदि 478 करोड़ रुपये पर समझौता हुआ है तो मैं समझता हूं कि इसमें कुछ संदिग्धता है। मैं उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों से निवेदन कर रहा हूं जो इस राशि पर सहमत हुए। आज समाचार पत्र में यह समाचार छपा है कि उच्चतम न्यायालय के उन्हीं लोगों ने यह याचिका दायर की है कि यूनीयन कार्बाइड ने पिछले वर्ष जो 600 मिलियन डालर का प्रस्ताव रखा था अब उसे घटाकर 470 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस 600 मिलियन डालर का कारण क्या है? किसी व्यक्ति ने इसके बारे में मुकदमा दायर किया है। जितनी राशि का प्रस्ताव किया गया था क्या उतनी राशि दी गई है। जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं तो इससे वास्तव में विश्व के मनुष्यों की चेतना को धक्का पहुंचा है क्योंकि जब लोग यह कहते है कि भोपाल गैस त्रासदी को दोहराया नहीं जाना चाहिए तो बहुराष्ट्रों द्वारा अविकसित और विकाशील देशों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। और जब कभी किसी विकासशील देश या तृतीय विश्व के देशों का मामला हो और यदि कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी वहां स्थापित हो तो उस कम्पनी का स्तर अपने देश का ही होना चाहिए। किन्तु हमारी सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है।

मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि भारत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए बाजार और चराहगाह बन गया है। कम-से-कम पेप्सी कोला वापिस आ गई है। कोका-कोला भी आ रही है। ये सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने लाभ के लिए इन विकासशील और अविकसित देशों में उन्हें उपलब्ध अवसरों का उपयोग कर रही हैं। इस सरकार की नीति भी ऐसी ही है कि यह सरकार स्वदेशी प्रौद्योगिकी और भारतीय जनता को दांव पर लगाकर ऐसे लोगों को न्यौता दे रही है। यदि फिर भी कोई भारतीय उद्योगपति उभरा हो या किसी भारतीय उद्योग का विकास हुआ हो और आप उस विकास पर एक नजर डालें तो आप पाएगें कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। आप हाल ही में रिलायन्स ने बहुत अधिक लाभ कमाया है। अम्बानी अच्छा लाभ कमा सकता है। कैसे टैक्सटाइल फाइबर पर शुल्क में छूट दी गई और एक ही दिन में वह 238 करोड़ रुपये का लाभ कमा सकता है। एक अकेला व्यक्ति एक राज्य के विकास के लिए आवश्यक राशि से भी अधिक धन कमा सकता है। जिन लोगों को भरा जा रहा है और जिन्हें सरकार से सहायता दी जा रही है वे लोग धन कमा सकते है। दूसरों के लिए, यह कार्य सम्भव नहीं है।

सार्वजनिक मामलों में सरकार किसानों के बारे में बातें करती है। मुझे याद है पिछले सत्र में हमने बोट क्लब का वह दृश्य देखा था जहां लाखों की संख्या में किसान एकत्रित हुए और उन्होंने धरना दिया था। यह वही सरकार है जिसने किसानों के सामने बहानाबाजी करके उनके सामने

पाश्चात्य (पांव) संगीत बजा रही थी। क्या यह एसी सरकार का उदाहरण नहीं है जो इस देश की जनता के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है। जब किसान अपनी आधारभूत आवश्कताओं की मांग कर रहे थे तो पुलिस ने पाश्चात्य (पांव) संगीत बजाकर माइक का प्रयोग किया। यह इस सरकार की नीति का प्रतीकात्मक उदाहरण था। नीति और जनता के लिए कुछ भी नहीं किया गया। आप औद्योगिक क्षेत्र पर नजर डालिए। कितने उद्योग बंद हो चुके हैं जब मैंने वर्ष 1985 में इस सदन में यह प्रश्न किया था उस समय बंद उद्योगों की संख्या 65,000 थी और वर्ष 1986 में यह संख्या लगभग 82,000 हो गई थी वर्ष 1987 में 1 लाख पांच हजार और वर्ष 1988 में एक लाख अड़तालीस हजार उद्योग बंद थे। हम इस मामले में क्या कदम उठा सकते थे। ये उद्योग आज भी बंद हैं और इनमें काम करने वाले कामगार बेकार हो गए है। औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि हमने अपने दिमाग का सही प्रयोग किया होता और यदि हमने इस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ाने के लिए सभी स साधनों का उपयोग किया होता तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना अधिक हो गया होता ? इन कारखानों के बंद होते हुए और अन्य कोई कोई बया साधन न होते हुए जब हम इतना लाभ कमा सकते हैं तो यदि हम सम्पूर्ण संसाधनों और अवसरों का उपयोग करते तो इस देश से भुखमरी समाप्त हो चुकी होती और गरीबी कम हो चुकी होती। इसलिए सरकार इन मामलों को हल करने में असफल हो गई है। उन्होंने इस ओर से अपनी आखें मूंद ली हैं।

श्री ए. चार्ल्स : विकास के बावजूद।

श्री तम्पन्न थामस : विकास तो नाम मात्र का है। यदि सरकार ने इन चीजों का उचित प्रयोग किया होता तो विकास दस गुणा अधिक हुआ होता। गरीबी कम हो सकती थी।

मुझे तमिलनाडु में प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया भाषण याद है जिसमें वह कह रहे थे कि समाजवाद भारत के लिए मंहगा है हम इसे सहन नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट प्रेस में छपी थी। उन्होंने संविधान में दिए गए वचन का खण्डन किया। इसके बाद उन्होंने बम्बई में कुछ और कहा।

श्री ए. चार्ल्स : मैं भी तमिलनाडु में था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। यह तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और यह असत्य है।

श्री तम्पन थामस : जब आपकी बारी आए आप तब बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बम्बई में इसका खण्डन किया। (व्यवधान) भुगतान शेष के बारे में भुगतान शेष में घाटा अथवा वह स्थिति क्यों उत्पन्न कर रहा है ? ऐसा आयात-निर्यात नीति के कारण है। राष्ट्रपति ने बड़ी ही चतुराई से आयात के बारे में कुछ भी नहीं कहा।

मैं हीरे-जवाहरात के आयात के बारे में जानता हूं। उन्हें प्राप्त किया जाता है। उनकी पालिश की जाती है तथा उनको निर्यात द्वारा वापस भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि यह एक अच्छी निर्यात है। गत वर्ष निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में हीरे-जवाहरात में सबसे अधिक पूंजी-निवेश किया गया था। हीरे जवाहरातों का आयात किया जाता था और फिर उनकी पोलिश की जाती थी और वापस भेज दिया जाता था। दूसरी ओर सभी क्षेत्रों में जहां भी हम देखते हैं आयात में वृद्धि हुई है। इस प्रकार व्यापार संतुलन स्थापित हुआ है। इसका कारण सिद्धांतों का गलत रूप में इस्तेमाल है।

मैं राज्यपालों का जिक्र करूंगा। सरकारियों की आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध केवल में बहुत प्रभावित हुआ है। बिना कोई जांच किए हुए हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (ई) के एक महासचिव को राज्यपाल नियुक्त किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से एक को राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर केरल भेज दिया गया। विश्वविद्यालय में उनके द्वारा लोगों की नियुक्ति किए जाने पर केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि विश्वविद्यालय कुलाधिपती के रूप में राज्यपाल ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया था मैं समझता हूं कि राज्यपाल को कम से कम संविधान में वर्णित राज्यपाल की भूमिका से अवगत होना चाहिए।

अब राज्यपाल ही ऐसा करेंगे तो अधिकारीगण क्या करेंगे ? अब वे कांग्रेसियों के ऐजेन्ट हैं। मैं जानता हूँ कि केरल में क्या हो रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा सिविल सेवाओं का उपयोग अपने स्वार्थपूर्ति के लिए किया जा रहा है। राज्यपाल जोकि राज्य कार्यकारी प्रमुख है, वह ऐसा कर रहे है। यदि राज्यपाल ही राजनीति में लिप्त रहेंगे तो सचिव जिन्हें इस देश के करदाताओं द्वारा अदा की गयी राशी से वेतन दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के विश्वस्त सेवक बन जायेगें। फिर प्रजातंत्र कहां रह जाता है ?

इसलिये मैं आशा करता हूँ कि इस भाषण में कहे गये शब्द संसद का अन्तिम वर्ष सत्य नहीं होगा। प्रजातंत्र कायम रहेगा और इस देश का प्रजातंत्र कायम रहेगा और इस देश का प्रजा-तांत्रिक ढांचा भी कायम रहेगा और इस देश की जनता इस संबंध में सतर्क रहेगी।

श्री एन. टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

यह एक बहुत ही विस्तृत एवम् अन्तर्निहित दस्तावेज है। सरकार की नीतियों से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दे इसमें शामिल हैं। विगत चार वर्षों में श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गयी सारी नीतियों और उपलब्धियों का यह एक सारांश है। यह वर्ष 8वीं लोक सभा सत्र का अन्तिम वर्ष है और यह अन्तिम बजट सत्र है अतः यह बिल्कुल उचित है कि इस भाषण द्वारा विगत वर्षों की कार्यवाहियों का बयान हो।

महोदय, राष्ट्रपति ने बिल्कुल उचित रूप से जिक्र किया कि इस वर्ष हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मना रहे है। भाषण की शुरूआत में ही मुख्य रूप से कहा गया है कि सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अब देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था से सम्बद्ध हो चुका है। उत्तर-पूर्वी प्रान्त के छोटे राज्यों के प्रति पंडित नेहरू की विशेष सहानुभूति और जागरूकता के कारण यह बहुत ही संगत है। यह नीति स्वतंत्रता के बाद तुरन्त शुरू की गयी थी तथा श्रीमति इन्दिरा गांधी द्वारा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से निभायी गयी और अब हमारे वर्तमान नेता श्री राजीव गांधी द्वारा बहुत ही कुशलता पूर्वक निभायी जा रही है और इस सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि सभी राजनैतिक दल दलगत भावना से उपर उठ कर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान है।

महोदय, मैंने श्री सी. माधव रेड्डी का भाषण बहुत ध्यान पूर्वक सुना था। वह यह आरोप

लगा रहे थे कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की जनता प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा उपेक्षित कर दी गयी मैं नहीं जानता हूँ कि उन्होंने किस आधार पर यह बात कही है क्योंकि मैं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का ही हूं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने तैंतालिस वर्ष के नागरिक जीवन में मैं उत्तर-पूर्वी प्रांत के राजनैतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक विकास हेतु उठाये गये सभी राजनैतिक कामों से संलग्न रहा हूं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने हेतु किये गये प्रयासों में मुझे अपनी युवावस्था में अनेक अवसरों पर पंडित जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जानता हूं उत्तर-पूर्वी प्रांत के प्रति पंडित कितनी सहानुभूति रखते थे और ये सहानुभूति और गहरी समझ ही उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सात निकटवर्ती राज्यों के वर्तमान राजनीतिक पुनर्गठन का कारण है। अतः मैं नहीं जानता हूं कि विपक्ष के नेता का आरोप किस आधार पर सही है कि कांग्रेस ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की उपेक्षा कर दी है। कांग्रेस किस प्रकार उत्तर-पूर्वी प्रान्त की उपेक्षा कर सकती है? विगत चुनाव प्रचार के दौरान मैं मिजोरम नागालैंड में था और मुझे मिजोरम और नागालैंड की आम जनता से बातें करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि चूंकि लालडेंगा केन्द्र और उनकी सरकार के बीच उचित संबंध बनाये रखने में असफल हो गए इस कारण हम लोग मुख्य मन्त्री के रूप में उनका समर्थन किस प्रकार कर सकते हैं क्योंकि मिजोरम राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग नहीं रह सकता है। उन्हें अपनी सरकार और केन्द्र के बीच उचित संबंध बनाये रखना चाहिए। वहां वे असफल हो गये। वे स्वयं अपने और अपने लोगों के बीच संबंध बनाये रखने में भी असफल हो गये। उन्होंने वहां रहना ही पसंद किया जहां वे अपने भूमिगत दिनों में थे।

महोदय, मुख्य मुद्दा है कि पंडित जी जन्म शताब्दी वर्ष होने के कारण हम उनकी स्वाभाविक नीतियों के निष्कर्ष को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। विभिन्न विरोधों के बावजूद भी छोटे राज्यों की स्थापना की गयी। अब वे स्थिर हो चुके हैं और एक कल्याणकारी राज्य होने के कारण हमें पिछड़े राज्यों की देखभाल करनी है और उनका उत्तरदायित्व भी उठाना है। इस राजनीतिक समझौते के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू की इस जन्म शताब्दी वर्ष में इन सारे मुद्दों को हमें अपने प्रतिभावान और युवा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हल कर लेना चाहिए क्योंकि अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इन नीतियों का निष्कर्ष कुछ और निकाला जायेगा उदाहरण के तौर पर मैं संविधान की आठवीं अनुसूचि के संबंध में भाषाओं की राष्ट्रीय नीति का उल्लेख करना चाहता हूँ। उस अनुसूचि में पहले ही बहुत सी भाषाएं हैं। हमारी सरकार के बहुत से नेता यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के पक्ष में हैं और हम भाषाओं की संख्या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम यह समझ सकते हैं। पंद्रह भाषाएं भी तो एक बड़ी संख्या हैं। जब हमारे 16 या 17 राज्य तो हमने कहा कि हमारे बहुत से राज्य हैं। अब हमारे 24 राज्य हैं और अधिक राज्य बनने की आशा है क्योंकि हम प्राकृतिक निर्णयों को नहीं रोक सकते हैं। भारत में भाषाएं हैं। मैं हर भाषा के पक्ष में नहीं हूँ। हमें भाषा के गुणों के आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिए। मेरा मुद्दा है कि भाषाओं को गुणों के आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिए।

उदाहरण के तौर पर मैं मणिपुरी का उदाहरण देता हूं। मणिपुरी 1891 तक हम प्रभु सत्ता सम्पन्न राज्य की भाषा थी जब ब्रिटिशों ने मणिपुर सम्मिलित किया। इसके पश्चात् 1949 तक कुछ दशकों के लिए यह ब्रिटिश इण्डिया बना जब सरदार पटेल के नेतृत्व और दीक्षा में सभी

देशीय राज्यों का विलय हुआ। 1949 पूरे देश के लिए एक निर्णायक वर्ष था क्योंकि इसी वर्ष संविधान को अन्तिम रूप दिया गया। 26 जनवरी, 1950 को हमारा वर्तमान संविधान लागू हुआ। हमने संविधान के अनुसार काम करना आरम्भ किया। भाषाओं की सूचि का निर्णय 1950 से पूर्व मणिपुर का भारतीय संघ में एक संघटक राज्य के रूप में सम्मिलित होने से पूर्व किया गया था। यह एक विशेष स्थिति है शैक्षिक तौर पर इस भाषा का प्रयोग उच्च माध्यमिक और ऐसे कालिजों में होता है जहां आनर्स कक्षाएं पढ़ाई जाती हैं, मणिपुरी एक विषय है और फिर एम. ए. पी. एच. डी. और अनुसंधान यह मणिपुरी में लिखा हुआ है।

मणिपुरी एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय है। बंगलादेश में भी मणिपुरी है। बर्मा मे भी मणिपुरी है। राष्ट्रीय संदर्भ में यह पूरी तरह फैला हुआ है यह मणिपुर तक ही सीमित नहीं है। असम में मणिपुरी क्षेत्रीय हैं। उदाहरण के तौर पर कचार में बंगालियों के पश्चात मणिपुरी एक महत्वपूर्ण और दूसरा समुदाय है। त्रिपुरा में बाहरी लोगों में बंगालियों के बाद मणिपुरियों का नम्बर आता है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में नवद्वीप जिले में, मणिपुरी बस्तियां भी हैं। मथुरा, वृन्दावन और राधाकुंण्ड में समृद्ध मणिपुरी समुदाय है। केवल राधाकुण्ड और गोवर्धन में ही महत्वपूर्ण स्थानों पर मणिपुरी समुदाय द्वारा प्रबन्धित लगभग 25 बड़े मन्दिर है। यह समुदाय काफी दूर तक फैला हुआ आधुनिक विकास के दृष्टिकोण से मणिपुरी भाषा साहित्य द्वारा अकादमी विकसित और मान्यता प्राप्त भाषा है। संभवत: यह कुछ लोगों के लिए मामूली बात हो सकती है जो साहित्य अकादमी के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि हिन्दी तथा अन्य विद्वानों में हम देखते हैं कि साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता का कोई विशेष महत्व नहीं है। यह कैसी स्थिति है ? वे बोलियों को भी मान्यता देते हैं। यह कुछ ऐसे विद्वानों का विचार है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एन. टोम्बी सिंह : यह एक अत्यन्त विरला अवसर है। मैं केवल अपने राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं किंतु मैं एक बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे कुछ मिनट और बोलने की अनुमति देंगे जिस प्रकार आप मुझ पर अन्य अवसरों पर भी कृपालु रहें हैं।

महोदय, इस भाषा का विकास हो रहा है। अनुवाद के क्षेत्र में इन भाषा में महाभारत, रामायण, गीता, उपनिषद और पुराण जैसे सभी संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद हुआ है। ऐसा काम आठवीं अनुसूचि में सम्मिलित अन्य भाषाओं में से कुछ में ही किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम मुख्यधारा से पूरी तरह जुड़े हुए है। यह एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत पर आधारित नहीं है। यदि आप इस भाषा को आठवीं अनुसूचि में सम्मिलित करेंगे तो आप एक अच्छी कार्य करेंगे अर्थात् एक ऐसी भाषा को मान्यता देंगे जो संस्कृत समूह की नहीं है। इसका संबंध में चीनी-तिब्बती अथवा मंगोली समूह से है। यह अत्यन्त विकसित भाषा है और दफ्तर शाही लोगों द्वारा और सामान्य: मंत्री महोदय द्वारा भी यही उत्तर दिया गया उत्तर यह है कि यदि वे इस भाषा को सम्मिलित करते हैं तो उन्हें अन्य भाषाओं की ओर से समस्याएं उत्पन्न होंगी। अन्य भाषाओं की ओर से समस्याएं हो भी सकती हैं नहीं भी। इसी लिए मैंने यह सुझाव दिया कि हमें न्याय की दृष्टि से और गुणों के आधार पर इस भाषा की ओर ध्यान देना चाहिए। हर भाषा का अपना गुण और अपना औचित्य हो सकता है। मैं इनके बीच रुकावट नहीं बनना चाहता हूं। उन

भाषाओं के बारे में भी चर्चा हो किन्तु मैं निवेदन करता हूं कि आठवीं अनुसूचि का संशोधन किया जाए। मेरा विचार है कि हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में यह निर्णय इस वर्ष जवाहरलाल नेहरु की जन्म शताब्दी में किया जाएगा। मैं यह सुझाव देते समय व्यर्थ नहीं कह रहा हूं। मैं यह सुझाव उन लोगों को दे रहा हूं जो इस पर कुछ कर सकते हैं और इस बारे में समझ सकते हैं। और समझने वाले जाए।

अगला मुद्दा पंचायती राज के संबंध में है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और मैं इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री इस विषय के संबंध में अत्यन्त उत्सुक हैं। हमें उनकी उत्सुकता पसंद है और उन्हें सफल होना चाहिए। कुछ कठिनाइयां हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण और जिला स्तर पर कुछ संगठन हैं। नाम अलग-अलग हो सकते हैं। यह कठिनाई अन्य राज्यों में भी हो सकती है। जब हम शक्ति विकास और धन के केन्द्रीकरण की बात करते हैं तो वही व्यक्ति दो अलग-अलग '' पर विभिन्न स्तरों पर बोलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति पंचायत का नेता है, तो वह पंचायत के पक्ष में बोलता है। जब वह एक रात में ही मंत्री बन जाता है तो वह मंत्री के कार्य और अधिकार के केंद्रीकरण में अधिक रुचि ले लेता है। मेरे इलाके में ऐसा होता है। वहां जिला परिषदें हैं। मणिपुर के लोग चाहे वे जनजातीय हों या गैर-जनजातीय या मुसलमान या ईसाई सभी एक समान हैं। हमारे पास छठी अनुसूचि नहीं है। स्वाभाविक है कि पर्वतीय क्षेत्रों को जिला परिषदों द्वारा स्वायत शासन प्राप्त है। जिला परिषदों का काम केन्द्रीकृत अधिकार में होना चाहिए। जिला परिषद् का सभापति विधान सभा का सदस्य बन सकता है। फिर तो वह पर्वतीय क्षेत्रों को कोई शक्ति, धन आदि देने के विरुद्ध होगा। केन्द्रीकरण तो ठीक है किंतु मैं अपने नेता को चेतावनी देना चाहूंगा कि हमारे उच्च नेताओं को जो दो अलग-अलग स्तरों पर दो अलग-अलग तरह की बातें पर बोलते हैं इसको रोका जाना चाहिए।

अन्तिम मुद्दा ग्रामीण औद्योगिकीकरण के संबंध में है। यह एक अच्छा मुद्दा है क्योंकि हमारे क्षेत्र में ग्रामीण औद्योगिकीकरण ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि बड़े घराने वहां नहीं आए हैं और वे वहां नहीं जाना चाहते हैं। वे छोटी औद्योगिक परियोजनाओं से संतुष्ट रहते हैं। इस उद्देश्य से, संसद के पिछले सत्र में मैंने अपने तारांकित प्रश्न का एक पूरक प्रश्न उठाया था। उद्योग मंत्री ने लघु उद्योगों की एक छोटी सूची दे दी जो बहुत लम्बी थी और जिसमें साइकल वर्कशाप, पान की दुकानें आदि थे। यह एक बड़ी सूची थी जिसमें असम के समेत सभी राज्य थे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हमें व्यवहार्य होना चाहिए। कुछ ही मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो उस क्षेत्र के लिए उचित हो। मुद्दे अधिक नहीं होने चाहिए। वे अर्थपूर्ण होने चाहिए जो ताकि वहां के लोगों के लिए उपयुक्त हों।

महोदय, अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है। न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्रीय सरकार तथा उद्योग के महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान कर पाए हैं ताकि स्थिति में सुधार हो। यदि इसको इस वित्त वर्ष या अगली पंचवर्षीय योजना की योजना प्रक्रिया के दौरान सही सामने में लिया जाए तो यह उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास के लिए उचित कदम होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आप का धन्यवाद करता हूं और मैं श्री वी. एन. गाडगिल के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुला रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाबे चेअरमेन, मैं इस मोशन आफ थैंक्स की हिमायत में खड़ा हुआ हूं। ताहम मुझे इस सिलसिले में चूंकि कुछ इशूज जो कि इस हाउस से उठे हैं उनके बारे में भी कुछ कहना है। श्री माधव रेड्डी जी ने जो कि तेलुगु देशम से ताल्लुक रखते हैं कुछ वाकयात की तरफ इस हाऊस की तवज्जो दिलाई है। उनका कहना है कि कश्मीर में टेरोरिज्म बढ़ चुका है और इसके बारे में उन्होंने यहां तक कहा है कि मरकजी सरकार को इस टेरोरिज्म को दबाने के लिए अपने तमाम अख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए। खुद तेलुगु देशम सरकार एक स्टेट में हुकूमत में है। जब भी उसे स्टेट में तेलुगु देशम की स्टेट में मरकज की तरफ से मदाखलत की बात होती है या वहां गवर्नमेंट आफ इण्डिया कुछ करना चाहती है तो तेलुगु देशम की तरफ से शिकायत की जाती है कि उनका स्टेट में मदाखलत की जा रही है। मुझे इस बात का बहुत दुःख पहुंचा है जब उन्होंने मरकज की सरकार पर यह दबाव डाला कि वह वहां ताकत का इस्तेमाल करे और वहां बकौल उनके टेरोरिज्म को दबाए।

जनाबे चेअरमेन, जहां तक टेरोरिज्म का ताल्लुक है, मैं इस ऐवान में वाजे करना चाहता हूं कि उस रियासत में टेरोरिज्म का इतनी गहरी शक्ल और सूरत नहीं है तो हम रियासत के अन्दर नाराजगी बहुत बढ़ चुकी है और मुझे इस बात का एतराज करना पड़ेगा कि नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस पर से लोगों का एतमाद बहुत हद तक उठ गया है। रियासत के अन्दर जो अकोर्ड कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस में हुआ था उससे लोगों को यह इत्मीनान हुआ था कि वहां तरक्की के लिए रिसोंसिज का इस्तेमाल होगा, वहां बेरोजगारी का खात्मा होगा और पसमन्दगी का खात्मा होगा। वहां जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की प्राब्लम है, वहां जो लोगों की गुरबत और लोगों का फाकाकशी का मामला है उसका कुछ मदावा होगा, उसका कुछ इलाज होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं यह कहूंगा कि यह जो नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस का इरोजन हो रहा है और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है इसके लिए वहां की मौजूदा सरकार जिम्मेदार है।

बदकिस्मती से मैं भी नेशलन कांफ्रेंस से ताल्लुक रखता हूं लेकिन जम्मू-कश्मीर में जो हालात बिगड़ रहे हैं, उसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। मुझे इस बात का एतराम करना पड़ेगा कि रियासत की लीडरशिप और सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतों और बुनियादी रिक्वारमेंट्स को पूरा नहीं कर पायी है। डा. फारूक अब्दुल्ला ने वहां के लाखों नौजवानों को भरोसा दिलाया था कि उनकी बेरोजगारी खत्म होगी, वहां पर तरक्की के काम होंगे, वहां की पसमंदगी दूर होगी, लेकिन इस सिलसिले में वहां की सरकार ने कोई काम हाथ में नहीं लिया है। इससे रियासत के अन्दर लोगों की यकीनदहानी खत्म हो रही हैं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : आप नेशनल कांफ्रेंस के मेम्बर हैं ?

श्री अब्दुल रशीद काबुली : जी हां, मैं नेशलन कांफ्रेंस का मेम्बर हूं। लेकिन जहां तक नेशनल इन्ट्रेस्ट की बात हो, कौमी मफाद की बात हो, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि अगर उनसे मेरा पार्टी नेशनल कांफ्रेंस के लीडर को तकलीफ पहुंचे, डा. फारुख अब्दुल्ला को दुःख हो। लेकिन जहां तक जम्मू-कश्मीर का ताल्लुक है वहां आज ऐसे हालत पैदा हो रहे हैं कि अगर उनका इलाज वक्त से नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि उनसे नेशनल इन्ट्रेस्टस को जबर्दस्त ठेस पहुंचेगी। इसीलिए इस ऐवान के अन्दर जब हम सदरे जम्हूरिया के एड्रेस पर पूरे मुल्क के मफाद

के बारे में बात करना चाहते हैं। प्रेसीडेंट एड्रेस के कांटेक्स्ट में नेशनल इन्टीग्रेशन की बात होगी, वही बात मैं करना चाहता हूँ। वहां पर करप्शन बलुन बढ़ रहा है, यह बहुत दुख की बात है। रियासत के नोजवान कभी गरीबो के लिए, कभी महंगाई के लिए, कभी बिजली के लिए जो कि हफ्ते में 5 दिन बिलकुल गायब हो चुकी है, गुरबत की इन्तहा हो चुकी है, श्रीनगर-जम्मू हाई-वे टूटता रहता है,

[अनुवाद]

पयटन पूरी तरह असफल रहा है और यह काफी संकटपूर्ण स्थिति में है।

[हिन्दी]

ऐसी हालत में अगर नोजवान तबका, बेरोजगारी के खिलाफ, रोटी मांगने के लिए सड़कों पर आ जाए तो हिन्दुस्तान में उसको यह हक है कि वह अपने हुकूक को मनवाए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी नई गवर्नमेंट जो बनी है, वह इसको नहीं सुन रही है।

[अनुवाद]

सड़कों पर इनकी हत्या की गई। दर्जनों युवक मार गये हैं।

[हिन्दी]

हमारे छोटे बच्चों को, मुझे दुख हो रहा है कि मेरी अपनी कांस्टिट्यूएंसी में 15 से 18 साल के बच्चों को गोलियों से, लाठियों से जख्म किया गया, मैं मरकज सरकार को यह बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

जल भूतल परिवाहन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. नामग्याल) : क्या आपने कहा कि 1506 युवक मारे गये हैं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुला रशीद काबुली : नहीं, मैंने यह कहा कि 15 से 17 साल के, 12 से 18 साल के बच्चों को जो कि बिजली की कमी के खिलाफ, इण्डस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए तथा बाकी मांगों के लिए सड़कों पर आए, उनको मांगों को डिसकस करने के बजाए मुतमइन करने के बजाए, हुकूक दिलाने के बजाये, उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। केन्द्रीय सरकार का फर्ज है कि वह इस सबको देखे कि हमारी रियासत में क्या हो रहा है। हमें बताया जा रहा है कि करोड़ों, अरबों रुपए मरकजी सरकार, राजीव जी यहां से भेज रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उस रुपए का क्या हुआ। मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि वहां पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। सारे मिनिस्टर किसी न किसी करप्शन में लिप्त हैं। कुछ कांग्रेस के और कुछ नेशनल कांफ्रेंस के मिनिस्टर लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने घर और जेबें भर रहे हैं और दोनों पार्टियों को इन्होंने बदनाम कर दिया है, दोनों पार्टियों का वकार रियासत में खत्म हो चुका है।

मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल कांफ्रेंस ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रूपी से काम किया और उसका एक शानदार ट्रेडीशन है। मुझे इस बात का फख्र है और मैं नेशनल कांफ्रेंस का वालंटियर हूं, आखिरी वक्त तक नेशनल कांफ्रेंस के उसूलों और प्रोग्राम पर चलता रहूंगा जो सन 1931

से नये कश्मीर के अन्दर वहां के लोगों के सामने सेकुलरिजम और डेमोक्रेसी का ख्वाब हमने देखा है, उस पर कायम हूँ और कायम रहूँगा, लेकिन अफसोस है कि नेशनल कांफ्रेंस की बुनियादी आइडियालाजी को वहां की सरकार तोड़ रहा है, हमारे बुनियादी आदर्श खत्म हो रहे हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी और नेशनल कांफ्रेंस अपोजीशन में बैठती थी तो वह कांग्रेस सरकार की कोताहियों का पर्दाफाश करती थी और जब नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार थी और कांग्रेस अपोजीशन में थी तो वह लोगों के इन्ट्रेस्ट के लिए लड़ती थी लोगों के मफाद का महफूज रखती थी, इस तरह से एक बैलेंस रहता था। आज मैं इस आगस्त हाऊस में बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के कुछ मिनिस्टर आज अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने मफाद को देख रहे हैं और लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया राज्य सरकार के काम की आलोचना मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : अगर लोगों की जायज मांगों को नहीं सुना जाएगा तो वहां पर इन्तहापसन्दी पैदा हो सकती है, इसका ही मुझे खतरा है। अगर यंगर जेनरेशन की जेनविन ग्रिवांसेस को रिजाल्व नहीं करेंगे तो अगर वे इन्तहापसन्दी की तरफ जाएं हाथ में हथियार उठाएं तो उसमें किसी का दोष नहीं है। अगर दोष है तो वहां की सरकार का है।

मैं अर्ज करता हूँ कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया, राजीव जी की सरकार का फर्ज बनता है कि वह इन सब बातों को देखे, वह देखे कि जो इनवेस्टमेंट पिछले अकांर्ड के तहत हुआ है, उसका लाभ लोगों को मिला है या नहीं मिला है। मैं जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार काफी पैसा, काफी मदद हमारी स्टेट को दे रही है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह रुपया लोगों तक नहीं पहुंचा है। इसी वजह से वहां पोलिटिकल अनरेस्ट पैदा हुआ है और इन नोजवानों को जो आज इंतिहा पसंदी की तरफ गए हैं, मोहब्बत से उनकी प्राबलम्स को हल करके उनको वापिस लाने को कोशिश होनी चाहिए। उनको रुथलेसली क्रश करने से कुछ काम नहीं चलेगा। माइनर से माइनर इन्सीडेंट पर गोली, बंदूक और लाठी का इस्तेमाल होता है। वहां के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि···

[अनुवाद

सभापति महोदय : नहीं इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। आप संसद में अपने मुख्य मंत्री के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : बहरहाल, मैं केन्द्री सरकार से यह कहना चाहता हूं कि कुछ समस्याएं तो काश्मीर की हल कीजिए। हमारी बिजली की प्राबलम इतनी ज्यादा हैं और लोगों की जो एस्पीरेशन्स थी वह पूरी नहीं हो पा रही हैं। बिजली के डवलपमेंट के लिए भारत सरकार को स्पेशल कुछ प्रोविजन करना चाहिए ताकि काश्मीर में जो छह-छह दिन बिजली गायब रहती है उसका इलाज हो सके। दूसरी बात यह है कि करप्शन चार्जेस जो वहां के मिनिस्टर्स के खिलाफ हैं, इसको देखना मरकजी सरकार का काम है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यहां इस मंच पर उन मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लेख मत कीजिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : महोदय यह अति संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है। इस लिए मैं यह मुद्दा इस संदर्भ में उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह राज्य का आंतरिक मामला है। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि वहां के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खतरा पैदा हो चुका है। 1987 में काश्मीर में इलैक्शन्स के दौरान जो कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, जो इलैक्शन मैलप्रैक्टिस हुई उससे पूरे नेशनल इन्टीग्रेशन को खतरा पैदा हो जायेगा। इस मुल्क के अन्दर सबसे बड़ी ताकत है वोट का इस्तेमाल और मुझे एक ट्रैजडी दिखती है वहां की रियासत के अन्दर कि जितने भी डेमोक्रेटिक इन्स्टीच्यूशन्स हैं उनको डेलीबरेटली डेस्ट्राय किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि वहां के जो डेमोक्रेटिक और इकोनॉमिक राइट्स हैं उनको रेस्टोर किया जाए, प्रेजीडेंट का यह काम है कि जो राइट्स पूरे मुल्क और दूसरे प्रान्तों को हासिल हो रहे हैं, वह वहां के लोगों को मिलें और यह देखा जाए कि चाहे कोई भी सरकार हो, मेरी पार्टी की हो या किसी भी पार्टी की हो, अगर वह इनजस्टिस, अप्रेशन और लूट पर अपना काम चलाए तो

[अनुवाद]

इसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र के हित में नहीं है। इस देश की अखंडता के लिए चाहे कोई भी राज्य का प्रधान हो ऐसे अनाचार को जारी रखने नहीं दिया जाना चाहिए।

हिन्दी]

राष्ट्रपति जी का जो एड्रेस पढ़ा गया है और मोशन आफ थैंक्स पर जो माढ़िया जी रेजो-ल्यूशन लाए हैं, मैं उससे मुकम्मिल ताईद करता हूं और उसकी हिमायत करता हूं। जो बातें मैंने कहीं हैं उन पर मैं इसरार चाहूंगा और चाहूंगा कि हमारी केन्द्रीय सरकार इन तमाम मुश्किलात की तरफ तवज्जह दे और काश्मीर की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए मुअस्सर कार्यवाही करे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر): جناب چیئرمین۔ میں اس موشن
تھینکس کی حمایت میں کھڑا ہوا ہوں۔ تاہم مجھے اس سلسلے میں چونکہ کچھ اشوز
جو کہ اس ہاؤس میں اٹھے ہیں ان کے بارے میں بھی کہنا ہے۔ شری مادھوریڈی
جی نے جو کہ تیلگو دیشم سے تعلق رکھتے ہیں کچھ واقعات کی طرف اس ہاؤس کی توجہ
دلائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں ٹیرارزم بڑھ چکا ہے اور اس کے بارے میں
انھوں نے یہاں تک کہا ہے کہ مرکزی سرکار کو اس ٹیرارزم کو دبانے کے لیے

اپنے تمام اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے۔ خود تیلگو دیشم سرکار ایک اسٹیٹ مین حکومت میں ہے۔ جب بھی اس اسٹیٹ مین تیلگو دیشم کی اسٹیٹ مین مرکز کی طرف سے مداخلت کی بات ہوتی ہے یا وہاں گورنمنٹ آف انڈیا کچھ کرنا چاہتی ہے تو تیلگو دیشم کی طرف سے شکایت کی جاتی ہے کہ ان کی اسٹیٹ میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ پہنچا ہے جب انھوں نے مرکز کی سرکار پر یہ دباؤ ڈالا کہ وہ وہاں طاقت کا استعمال کرے اور وہاں بقول ان کے ٹیرارزم کو دبائے۔

جناب چیئرمین۔ جہاں تک ٹیرارزم کا تعلق ہے میں اس ایوان میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس ریاست میں ٹیرارزم کا اتنی گہری شکل اور صورت نہیں ہے تاہم ریاست کے اندر ناراضگی بہت بڑھ چکی ہے اور مجھے اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس سے لوگوں کا اعتماد بہت حد تک اٹھ گیا ہے۔ ریاست کے اندر جو کہ اکارڈ کانگریس اور نیشنل کانفرنس میں ہوا تھا اس سے لوگوں کو یہ اطمینان ہوا تھا کہ وہاں ترقی کے لیے ریسورسز کا استعمال ہوگا۔ وہاں بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا اور پسماندگی کا خاتمہ ہوگا۔ وہاں جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کی پرابلم ہے وہاں جو لوگوں کی غربت اور لوگوں کی فاقہ کشی کا معاملہ ہے اس کا کچھ مداوا ہوگا اس کا کچھ علاج ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا ایروزن ہو رہا ہے اور لوگوں میں ناراضگی بڑھ رہی ہے اس کے لیے وہاں کی موجودہ سرکار ذمہ دار ہے۔

بدقسمتی سے میں بھی نیشنل کانفرنس سے تعلق رکھتا ہوں لیکن جموں کشمیر میں جو حالات بگڑ رہے ہیں اس کے لیے موجودہ سرکار ذمہ دار ہے۔ مجھے اس بات

کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ریاست کی لیڈر شپ اور سرکار لوگوں کی بنیادی ضرورتوں اور بنیادی ریکوائرمینٹس کو پورا نہیں کر پائی ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے وہاں کے لاکھوں نوجوانوں کو بھروسہ دلایا تھا کہ ان کی بے روزگاری ختم ہوگی وہاں پر ترقی کے کام ہوں گے۔ وہاں کی پسماندگی دور ہوگی لیکن اس سلسلے میں وہاں کی سرکار نے کوئی کام ہاتھ میں نہیں لیا ہے اس سے ریاست کے اندر لوگوں کی یقین دہانی ختم ہو رہی ہے۔

شری رام سنگھ یادو (الور): آپ نیشنل کانفرنس کے ممبر ہیں۔

شری عبدالرشید کابلی: جی ہاں میں نیشنل کانفرنس کا ممبر ہوں۔ لیکن جہاں تک نیشنل انٹریسٹ کی بات ہو قومی مفاد کی بات ہو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر ان سے میری پارٹی نیشنل کانفرنس کے لیڈر کو تکلیف پہنچے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو دکھ ہو لیکن جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے وہاں آج ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر ان کا علاج وقت سے نہیں کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے نیشنل انٹریسٹ کو زبردست ٹھیس پہنچے گی۔ اس لیے اس ایوان کے اندر جب ہم صدر جمہوریہ کے ایڈریس پر پورے ملک کے مفاد کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ پریزیڈینٹ ایڈریس کے کانٹینٹ میں نیشنل انٹیگریشن کی بات ہوگی وہی بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر کرپشن بہت بڑھ رہا ہے یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ ریاست کے نوجوان کبھی غریبی کے لیے کبھی مہنگائی کے لیے کبھی بجلی کے لیے جو ہفتے میں چھ دن بالکل غائب ہو چکی ہے غربت کی انتہا ہو چکی ہے سری نگر جمہوریہ سائن دے تو ٹوٹتا رہتا ہے۔

Tourism is a complete failure and it is in a shambless.

ایسی حالت میں اگر نوجوان طبقہ بے روزگاری کے خلاف روٹی مانگنے کے لیے سڑکوں کے لیے سڑکوں پر آجائے تو ہندوستان میں اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کو منوائے لیکن بدقسمتی سے ہماری نئی گورنمنٹ جو بنی ہے وہ اسس کو نہیں سن رہی ہے۔

Dozens of youngmen have been killed. They were massacred on the roads.

ہمارے چھوٹے بچوں کو مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میری اس کانسٹی چینوئنسی میں پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو گولیوں سے لاٹھیوں سے قتل کیا گیا۔ میں مرکزی سرکار کو یہ بتانا چاہتا ہوں

Shri P. Namgyal: Did you say that 1506 youngmen have been killed ?

شری عبدالرشید کابلی: نہیں میں نے یہ کہا کہ پندرہ سے سترہ سال کے بارہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو جو کہ بجلی کی کمی کے خلاف انڈسٹری کے ڈیولپمینٹ کے لیے تھا باقی مانگوں کے لیے سڑکوں پر آئے ان کی مانگوں کو ڈسکس کرنے کے بجائے مطمئن کرنے کے بجائے حقوق دلانے کے بجائے ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ کیندریہ سرکار کا فرض ہے کہ وہ اس سب کو دیکھے کہ ہماری ریاست میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کروڑوں اربوں روپے مرکزی سرکار

راجیو جی یہاں سے بھیج رہے ہیں مدد کر رہے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں پر بھرشٹاچار اپنی چرم سیما پر پہنچ چکا ہے۔ سارے منسٹر کسی نہ کسی کرپشن میں ملوث ہیں۔ کچھ کانگریس کے اور کچھ نیشنل کانفرنس کے منسٹر لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اپنے گھر اور جیبیں بھر رہے ہیں اور دونوں پارٹیوں کو انھوں نے بدنام کر دیا ہے دونوں پارٹیوں کا وقار ریاست میں ختم ہو چکا ہے۔

میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس نے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر کام کیا اور اس کا ایک شاندار ٹریڈیشن ہے۔ مجھے اس بات کا فخر ہے اور میں نیشنل کانفرنس کا والنٹیر ہوں آخری وقت تک نیشنل کانفرنس کے اصولوں اور پروگرام پر چلتا رہوں گا جو سنہ ۱۹۳۱ء سے نئے کشمیر کے اور وہاں کے لوگوں کے سامنے سیکولرزم اور ڈیموکریسی کا خواب ہم نے دیکھا ہے اس پر قائم ہوں اور قائم رہوں گا لیکن افسوس ہے کہ نیشنل کانفرنس کی بنیادی آئیڈیولوجی کو وہاں کی سرکار توڑ رہی ہے ہمارے بنیادی آدرش ختم ہو رہے ہیں۔

میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب کانگریس سرکار میں ہوا کرتی تھی اور نیشنل کانفرنس اپوزیشن میں بیٹھتی تھی تو وہ کانگریس سرکار کی کوتاہیوں کا پردہ فاش کرتی تھی اور جب نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی اور کانگریس اپوزیشن میں تھی تو وہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے لڑتی تھی لوگوں کے مفاد کو محفوظ رکھتی تھی اس طرح ایک بیلنس رہتا تھا۔ آج میں اس اوگشت ہاؤس میں بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے کچھ منسٹر آج اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔

Mr. Chairman : Please do not criticise the actions of the State Government.

شری عبدالرشید کابلی : اگر لوگوں کی جائز مانگوں کو نہیں سنا جائے گا تو وہاں انتہا پسندی پیدا ہو سکتی ہے اس کا ہی مجھے خطرہ ہے۔ اگر ینگر جنریشن کی جینیوئن گریوینیس کو ریڈرا نو نہیں کریں گے تو اگر وہ انتہا پسندی کی طرف جائیں ہاتھ میں ہتھیار اٹھائیں تو اس میں کسی کا دوش نہیں ہے۔ اگر دوش ہے تو وہاں کی سرکار کا ہے۔

میں عرض کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا راجیو جی کی سرکار کا فرض بنتا ہے۔ کہ وہ اس سب باتوں کو دیکھے وہ دیکھے کہ جو انویسٹمنٹ پچھلے اکارڈ کے تحت ہوا ہے اس کا لابھ لوگوں کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ روپیہ لوگوں تک نہیں پہنچا ہے اسی وجہ سے وہاں پالٹیکل ان ریسٹ پیدا ہوا ہے۔ اور ان نوجوانوں کو جو آج انتہا پسندی کی طرف گئے ہیں محبت سے ان کی پرابلم کو حل کرکے ان کو واپس لانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ان کو ردتعلیلی کرش کرنے سے کچھ کام نہیں چلے گا۔ مائنرز سے مائنر انسیڈینٹ پر گولی بندوق اور لاٹھی کا استعمال ہوتا ہے وہاں کے چیف منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ

Mr. Chairman : No. That is not allowed. You cannot ask questions about your Chief Minister in Parliament.

شری عبدالرشید کابلی : بہرحال میں کیندریہ سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ مسائل تو کشمیر کے حل کیجیے۔ ہماری بجلی کی پرابلم اتنی زیادہ ہیں اور لوگوں کی جو ایسپریشنز وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں۔ بجلی کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھارت سرکار

کو اسپیشل کچھ پروویژن کرنا چاہیے تاکہ کشمیر میں جو چھ چھ دن بجلی غائب رہتی ہے اسکا علاج ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن چارجز جو وہاں کے منسٹر کے خلاف ہیں اسکو دیکھنا مرکزی سرکار کا کام ہے ...... انٹرپشن ....

Mr. Chairman : Don't mention about corruption charges against those Ministers here. This is not the forum.

Shri Abdul Rashid Kabuli : Sir, this a sensitive border State. That is why in that context I want to rise this issue.

Mr. Chairman : That makes no difference. It is an internal question of that State.

میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہاں کے ڈیموکریٹک پروسیسز کو خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔

سنہ ۱۹۸۷ء میں کشمیر میں الیکشن کے دوران جو کچھ بھرشٹاچار ہوا ہے وال لیگل پریکٹس ہوئی اس سے نیشنل انٹیگریشن کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس سے ملک کے اندر سب سے بڑی طاقت ہے ووٹ کا استعمال اور مجھے ایک ٹینڈینسی رکھتا نہیں ہے وہاں کی ریاست کے اندر کی جتنی بھی ڈیموکریٹ انسٹی چیوشنس ہیں ان کو ڈیلی برٹیلی ڈیسٹرائے کیا جا رہا ہے میں آپ کے مادھیم سے سرکار سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں کے ڈیموکریٹک اور ایکونامک رائٹس ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے پریسیڈنٹ کا یہ کام ہے کہ جو رائٹس پورے ملک اور دوسرے پرانتوں کو حاصل ہو رہے ہیں وہ وہاں کے لوگوں کو ملیں اور یہ دیکھا جائے کہ چاہے کوئی بھی سرکار ہو میری پارٹی کی ہو یا کسی بھی پارٹی کی ہو اگر وہ ان جسٹس سپریشن اور ووٹ پر اپنا کام چلائے تو

It should not be allowed because this is not in the interest of the nation. for the integration of this country whosover may be the person heading the State, he should not be allowed to go ahead with such malpractices.

راشٹرپتی جی کا جو ایڈریس پڑھا گیا ہے اور موشن آف تھینکس پر جو سبھاپتیہ جی ریزولیوشن لائے ہیں میں ان سے مکمل تائید کرتا ہوں اور اس کی حمایت کرتا ہوں یا جو باتیں میں نے کہیں ہیں ان پر میں انصاف چاہتا ہوں اور چاہوں گا کہ ہماری کیندریہ سرکار ان تمام مشکلات کی طرف توجہ دے اور کشمیر کی جو سمسیائیں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے موثر کاروائی کرے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हूं और उसका समर्थन करती हूं और साथ ही अपनी सरकार को बधाई देना चाहती हूं। यह साल जवाहर लाल नेहरू की सेन्टीनरी का साल है। वे हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री थे। न्यू एजुकेशन पालिसी और एक मजबूत हिन्दुस्तान बनाने के लिए जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी तो इस मौके पर उनको याद करते हैं। यह खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने वूमेन्स के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया है। हमारी सरकार ने वोटिंग एज रेड्यूस करने के लिए इलैक्टोरल रिफार्म किया है। हमारी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है वह भी स्वागत योग्य है। हमारी सरकार ने जो ग्राम जनता के लिए पंचायत राज को अधिक अधिकार देने की बात कही है वह भी प्रशंसनीय है। पिछले साल देश में भयंकर सूखा और बाढ़ आई तो जिस स्थिति में हमारी सरकार ने लोगों को सहायता की उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। ईस्टर्न रीजन में मिजोरम, नागालैंड, असम में जो संकट था उसको काफी हद तक दूर किया है। अभी तक थोड़ी दिक्कत असम में चल रही है। दार्जिलिंग में जी.एन.एल.एफ का जो आन्दोलन चल रहा था वहां पर केन्द्र सरकार ने समझौता कराकर शान्ति स्थापित की, जिसके लिए केन्द्र सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन जहां हम शान्ति की बात करते हैं तो मुझे यह कहते दुःख होता है, वैसे तो हम संसद सदस्य हैं, लेकिन हम लोगों को भी पूरी सुरक्षा नहीं है। राज्य सभा के सांसद श्री गुरुचरण की हत्या लोकतंत्र में कर दी गई। जब एक संसद सदस्य की हत्या कर दी गई तो आम जनता का क्या हाल होगा। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि एक भी दोषी व्यक्ति को आज तक नहीं पकड़ा गया है। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि आप इस पर ध्यान दें। हमारे देश में [illegible] कि प्रजातंत्र कायम है, एक सांसद की हत्या हो जाती है और कोई कार्यवाही नहीं है तो आम जनता के लिए कानून और व्यवस्था के लिए कौन काम करेगा। जो रक्षक है वही भक्षक हो जाता

है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में हमारे एक विधायक को रंगा राव जो कि भूख हड़ताल पर थे उनकी भी हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी के देश में जहां वह सारी उम्र शान्ति का प्रचार करते रहे वहां ऐसी वारदातें हो जायें तो यह एक अफसोस-जनक बात है।

श्री वसुदेव आचार्य : सफदर हाशमी के मर्डर के बारे में भी बोलिये।

कुमारी ममता बनर्जी : आप यह समझिये कि मैंने अभी उनके हत्यारों का नाम नहीं लिया। मैं हाशमी साहब के बारे में भी कहूंगी। यह तो बात हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उनकी हत्या हुई हमने उसकी भी निन्दा की है। लेकिन आपके राज्य में एक सफदर हाशमी नहीं हजारों हाशमियों की हत्या होती है उसको कौन बतायेगा। किसी आदमी की हत्या कर दी जाए तो हम उसको अच्छी बात नहीं कहते, लेकिन यह सांसद जिनकी हत्या हुई सी.पी.आई. के सदस्य थे। सी.पी.आई के लोग तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। सफदर हाशमी सी.पी.आई. की तरफ से नाटक करने के लिए गये थे और मर गये, इसका हमें खेद है, लेकिन आप लोग सफदर हाशमी की हत्या का फायदा उठाकर उसका नाटक करते हैं, हम लोग भी गुरूंग हत्या का मामला उठाकर हम लोग नाटक करेंगे। केन्द्र सरकार को यह देखना चाहिए कि इस तरह से सांसद या विधायक की हत्या क्यों होती है, यह कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है। सदन का कर्त्तव्य है कि वह संसद सदस्य को प्रोटेक्शन दे। हमारे होम मिनिस्टर इस पर ध्यान दें और जिसने वह हत्या की है उसको गिरफ्तार करें। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में शांति की बात पर जोर दिया गया है। हम लोग भी शान्ति चाहते हैं। लेकिन हमारे राज्य में, पंजाब में, त्रिपुरा में और झारखंड आन्दोलन बिहार में काफी समय से चल रहे हैं, अभी हाल ही बोडो आन्दोलन भी शुरू हो गया है आज जिस तरह से बोरो मूवमैंट उठ रहा है, हमारी गवर्नमैंट चाहती है कि देश में शान्ति बनी रहे लेकिन हम एक ओर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं तो दूसरा कोई मूवमैंट इस देश में खड़ा हो जाता है। इस तरह एक के बाद एक न जाने कितने मूवमैंट इस देश में चल रहे हैं। बोरो मूवमैंट में आज तक न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं। हमारी सरकार को चाहिये कि वह इन्टरवीन करके इस समस्या का हल निकाले, स्टेट गवर्नमैंट से बातचीत करके मूवमैंट खत्म कराये, नहीं तो, न जाने कितने और लोग इस मूवमैंट में मारे जायेंगे। आज जमशेदपुर, छोटा नागपुर, मीदनापुर, पुरूलिया आदि स्थानों पर झारखंड मूवमैंट जोर पकड़ता जा रहा है। गवर्नमैंट को उसके सौल्यूशन पर भी ध्यान देना चाहिए और इस आन्दोलन को खत्म कराना चाहिए। यदि यह मूवमैंट और ज्यादा फैल गया तो हमारे देश के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। इस देश में शान्ति कायम करना हमारा कर्तव्य है।

श्री वसुदेव आचार्य : आपके गनीखां चौधरी तो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : हमारे गनीखां चौधरी को कुछ कह रहे हैं, सब सैल्फ डिफैंस में कह रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन आप हर पोलिटिकल रिप्रेजेंन्टेटिव को मार रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ते आपको सच अच्छा नहीं लगता, यह मैंने सुबह भी बोला था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

कृपया बीच में मत बोला कीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

यदि आप लोग ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहेंगे तो अच्छा है, मुझे कल बोलने का मौका भी मिलेगा, और डिस्टर्ब करिये, (व्यवधान)

किस का लास्ट चांस है, यह तो कल ही पता चलेगा। कल कौन जिन्दा रहता है, किसी को क्या मालूम, वह तो खुदा ही बता सकता है। मैं उसमें न जाकर, प्रेजीडेंट एड्रेस पर बोलना चाहती हूं। हम वायोलेंस नहीं चाहते, हम लोग शान्ति चाहते हैं। आज हर देश का आदमी शान्ति के लिये चिन्तित हैं, कंसर्ड है। हमारे देश में अनएम्पलायमैंट प्रौब्लम है, बेरोजगारी की समस्या है। यह सबसे बड़ी प्रौब्लम है। हमारी गवर्नमैंट ने "बेकारी हटाओ" योजना बनाई है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय वह फिर बीच में बोल रहे हैं। महोदय आप उन्हें शान्त करिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये।

कुमारी ममता बनर्जी : बीच में मत बोलिए। आप लाबी में जा सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : आज हमारे देश में एजूकेटिड अनएम्पलायड यूथ्स की संख्या लगभग दो करोड़ है। अनएजूकेटिड अनएम्पलायड यूथ्स की संख्या इससे ज्यादा होगी, मैं एक्जैक्ट नम्बर नहीं जानती। अनएम्पलायमैंट दूर करने के लिए हमारे देश में जितने प्रोग्राम बने हैं, उसका मैं स्वागत करती हूं, लेकिन साथ-साथ बोलना चाहती हूं कि जल्दी-से-जल्दी बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिये, काम शुरू करना चाहिए। आपने 1983 में गवर्नमैंट सैक्टर में रिक्रूटमैंट पर जो बैन लगाया था, उसे आप तुरन्त उठाने की कार्यवाही करें ताकि बेरोजगार युवाओं को एम्पलायमैंट मिल सके। आज बहुत से सैक्टर्स में लाखों नोटिफाइड वैकेन्सीज अवैलेबल हैं, रेलवे में हैं, बैंकिंग सैक्टर में हैं, एन.आर.ई.पी. सैक्टर में हैं, कोल इंडिया में हैं, यदि उन सभी नोटिफाइड वैकेन्सीज को भरा जाये तो उससे लाखों बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार मिल जायेगा। इसलिए गवर्नमैंट उस बैन को तुरन्त विदड्रा करे, इंसट्रक्शन जारी करे।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं, वैसे तो मैंने पहले भी आपका ध्यान इस ओर खींचा था, आज फिर कहना चाहती हूं कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट के अलग एम्पलायमैंट एक्सचेंजेज होने चाहिए। (व्यवधान)

6.00 म. प.

सर, मैंने पहले भी कहा है और अब फिर कह रही हूं कि स्टेट सर्विसेस के लिए एक स्टेट एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज अलग होना चाहिए और सेण्टल गवर्नमेंट की सर्विसेस के लिए एक सेण्ट्रल एम्पलायमेण्ट एक्सचेंज अलग होना चाहिए। और मैं एक चीज बताना चाहती हूं (व्यवधान)

सुनिए। हम जो बात करते हैं वह यूथ के लिए करते हैं। आपको ध्यान देकर इन बातों को सुनना चाहिए।

[अनुवाद]

समापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

6.01 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 24 फरवरी, 1989/5 फाल्गुन, 1910, (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

———

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एसप्लेनेड रोड, दिल्ली-110006.